खण्ड-353, अंक-7
बुधवार, 7 माघ, शक संवत् 1903
(27 जनवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	799–802
सदन में बिजली का अभाव ..	803
प्रश्नोत्तर ..	803–865
तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मूल उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	865–866
भूतपूर्व सदस्य, श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर के निधन पर शोकोद्गार	866–868
झांसी जिले की नगर पालिका समथर की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	868–869
जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार एवं भावर क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि तथा पुलिस निष्क्रियता के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	869
वाराणसी में 'भारत बन्द' के दिन बबुरी के पास हुए गोली काण्ड से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु की जांच का मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	869–870
अवध शुगर मिल लिमिटेड, हरगांव, जिला सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	870
सीतापुर जिले के नलकूप चालकों, नलकूप रक्षकों तथा कार्यालय कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	870–871
विधान सभा सदस्य श्री राम आसरे पासवान की रिहाई की सूचना	871
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .	871–872
जिलाधिकारी, लखनऊ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय का स्थगन	872–874
विधान सभा सदस्य श्री राम लाल द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	874
आगरा जिले के तिनोहर थानान्तर्गत ग्राम पलतुआ में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	874–875
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	875–876
गन्ने के समुचित मूल्य दिलाए जाने के सम्बन्ध में गोन्डा में प्रदर्शनकारी गन्ना किसानों पर लाठी चार्ज तथा विधायक श्री अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमला व उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	876–880
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	880–935
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	935
आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के मध्य मुख्य मन्त्री द्वारा उद्धरित भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह के पत्र की मूल प्रति उपलब्ध कराए जाने की मांग	936–945
नत्थियां	946–951

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—321

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबकी
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
		कैलाश चन्द्र यादव, श्री	एटा
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	खरपत, श्री	वाराणसी
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
इन्द्रजीत ,श्री	फतेहपुर	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
ऊदल, श्री	वाराणसी	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	कानपुर	गया सिंह, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गुलाम नबी, श्री	आगरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
कल्यान सिंह, श्री	बरेली	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर	गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली	चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई	छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया	छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली	छेदी लाल, श्री	गोंडा

जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल "विकल साकेती", श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर,	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम ,श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशी धर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा०	देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर

मोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय ,श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मो0 जमीर अहमद, श्री	एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज)	गोंडा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रती राम, श्री	बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र,	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि ,श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
ललू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी

लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लालसा. श्री	आजमगढ़	सच्चिदानन्द ,श्री	उन्नाव
लोकपति, श्री	मिर्जापुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
विजय कुमार, श्री	लखनऊ	सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद	सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत	सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद	सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा	सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद	सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी	सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर	सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
वृद्धि नरायन सिंह, श्री	वाराणसी	सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन	सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़	सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा	सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली	सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव नरेश, श्री	बांदा	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल	हंस राज सिंह वर्मा, श्री	एटा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव	हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल	हरदेव, श्री	बलिया
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद	हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर	हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी	हरीशंकर, श्री	हरदोई
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी	हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

सदन में बिजली का अभाव

(सदन में बिजली न होने के कारण, माननीय अध्यक्ष के आने पर कई सदस्यों ने खड़े होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया)

श्री रियासत हुसैन–

माननीय अध्यक्ष, सरकार की बिजली गोल है, सरकार अंधेरे में काम करने में होशियार है।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, इस अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस सरकार का चिराग गुल हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

या तो आप लोग सुझाव दें.....

(व्यवधान)

श्री उदल–

मान्यवर, समझि पड़े नहि पंथ ...

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य अंधेरे में काम करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिये 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 11 बजकर 20 मिनट पर सदन 15 मिनट और स्थगित रखने की सूचना मार्शल द्वारा सदन में दी गयी।)

तदुपरान्त 11 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(बिजली आ जाने पर।)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, प्रश्नों का समय बढ़ाने की कृपा की जाय।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 27 जनवरी, 1982 ई0

[प्रथम बुधवार, 20-1-82 के माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय

*1–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गत दो वर्षों में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति न दिए जाने के क्या कारण रहे हैं। क्या उक्त अवधि की छात्रवृत्ति संबंधित छात्रों को दिए जाने पर शासन विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

विगत दोनों वर्षों में पिछड़ी जातियों के पूर्वदशम कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां लगातार दी जाती रहीं। पिछड़ी जातियों के केवल दशमोत्तर कक्षाओं को

छात्रवृत्तियां नहीं दी जा सकीं क्योंकि छात्रवृत्ति देने का आधार तय करने के लिए यह मामला राष्ट्रपति शासन काल से विचाराधीन था। अब शासन ने वर्ष 1981-82 से पिछड़ी जातियों के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को योग्यता एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति देने का निर्णय ले लिया है और छात्रवृत्तियां उपलब्ध धनराशि की सीमा तक दी जायेंगी।

श्री काशी प्रसाद गुप्त, मुख्य लिपिक, जिला हरिजन एवं हरिजन समाज कल्याण, वाराणसी को वरिष्ठता को ओवर पास करके अन्य पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

*12–श्री राजकुमार राय (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-8-81 उन्हें या निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 को मिला था जिसमें उन्होंने काशी प्रसाद गुप्त, मुख्य लिपिक, जिला हरिजन एवं हरिजन समाज कल्याण, वाराणसी, वरिष्ठता क्रम-सं0 28 को ओवर पास कर वरिष्ठता क्रम-सं0 39 एवं 177 को पदोन्नति किये जाने की शिकायत की थी? यदि हां, तो उसमें शासन क्या कर रहा है और उसका पूरा विवरण क्या है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां।

पत्र दिनांक 26-8-1981 निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यह शिकायतें तदर्थ रूप से अन्तरिम व्यवस्था हेतु मण्डलीय स्तर पर की गई थी जिन्हें निरस्त करने के लिए निदेशक सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, वाराणसी को दिये जा चुके हैं।

राजकीय संरक्षण गृह, लखनऊ में प्रविष्ठ श्रीमती जोहरा की मृत्यु तथा जांच

*18–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में लखनऊ स्थित महिला सुरक्षा गृह में श्रीमती जोहरा की मृत्यु संदिग्धावस्था में हुई है? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां।

श्रीमती जोहरा जुलाई, 1978 में राजकीय संरक्षण गृह, लखनऊ में प्रविष्ठ की गयी थी दिनांक 19-10-81 को अपने को अस्वस्थ बताकर 5.00 बजे शाम की प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुई। 6.00 बजे सायं खाना खाने नहीं गयी थी बीमारी के कारण एक संवासिनी कु0 सफना उसको कमरे में बन्द कर खाना खाने चली गई। श्रीमती जोहरा की एक सहेली काजल ने अपने खाने के साथ एक थाली जोहरा के लिये भी लगवायी और उसे खाना देने गयी। उसने खिड़की से देखा कि जोहरा लटकी हुई है। कु0 काजल के शोर मचाने पर सभी इकट्ठे हुए। ताला खोला गया उस समय जोहरा का बदन गरम था इसलिये चादर का फन्दा अधीक्षिका द्वारा खोल कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां वह मृत घोषित कर दी गई।

संस्था के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण संस्था की सहायक अधीक्षिका की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं तथा वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है। घटना की प्रथम सूचना कोतवाली में दे दी गई है। इसके अतिरिक्त घटना की जांच के लिये जिला अधिकारी, लखनऊ को किसी मजिस्ट्रेट से जांच कराने के लिये तथा शासन को गुप्तचर विभाग से जांच कराने के लिये अनुरोध किया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोहरा अपनी बीमारी घोषित करके प्रार्थना में नहीं गयी तो क्या इस प्रकार का कोई पत्र उन्होंने लिखा था अधीक्षिका को कि बीमारी के कारण वह प्रार्थना में नहीं जा सकेंगी? यह कैसे ज्ञान हुआ कि वह बीमार हैं। क्या इसके लिये उन्होंने कोई पत्र लिखा था?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, श्रीमती जोहरा को 7 अक्तूबर को चक्कर आने के कारण अस्पताल में दिखाया गया था। 19-10-81 को चक्कर आया और उनको बी कांपलेक्स की गोलियां दी गयीं थीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुवा है कि श्रीमती जोहरा ने जहर खा लिया था तो क्या मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, पोस्ट मार्टम के बाद विसरा, केमिकल एग्जामिनर आफिस, आगरा को भेजा गया है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसकी जानकारी हो सकेगी।

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर यहां आ गया है।

श्री राज कुमार राय–

मेरे प्रश्न 12 का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

उस वक्त आपको कहना चाहिये था।

श्री राज कुमार राय–

और न ही मान्यवर, मुझे इससे पहले कोई लिखित उत्तर मिला, ताकि मैं सप्लीमेंट्री कुछ कर सकता?

श्री अध्यक्ष–

मैं दिखवा लूंगा, अगर उत्तर नहीं गिला होगा पहले तो फिर अवसर पुनः दिया जा सकता है।

[प्रथम बुधवार 20-1-82 के माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित अतारांकित प्रश्न]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को दिया गया अनुदान तथा हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा जांच

29–श्री खैरुल बशर, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री दलगंजन सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान की धनराशि को फरवरी, 1981 से जुलाई, 1981 तक की अवधि में दो बार रोका गया था? यदि हां, तो उसे पुनः अनुदान देने का क्या आधार रहा?

श्री गुलाब सेहरा–

संस्था का अनुदान नहीं रोका गया अतः पुनः अनुदान देने के आधार का प्रश्न नहीं उठता।

30–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री दलगंजन सिंह–

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें बुध के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 60 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में उप निदेशक, लखनऊ मंडल की जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा–

जांच आख्या के अनुसार संस्था में कोई गम्भीर अनियमितता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु उसमें संस्था के लेखों की विधिवत जांच हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा किया जाना आवश्यक बताया गया है। आडिट पार्टी की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिस पर संस्था में अनुपालन आख्या मांगी गयी है। संस्था से अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वितीय अनियमितताओं के विरुद्ध न्याय विभाग की राय तथा दिया गया ज्ञापन

31–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, नियमोल्लंघन आदि के विषय में उन्हें 20-2-1981 से लेकर 20-4-81 तक की अवधि में शासन के वित्त विभाग से न्याय विभाग के परामर्श के सन्दर्भ में वित्त विभाग की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्रमुख आरोप क्या है तथा न्याय विभाग की राय एवं वित्त विभाग के सुझाव क्या हैं?

श्री गुलाब सेहरा–

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, नियमोल्लंघन के आरोपों आदि के विषय में वित्त विभाग से न्याय विभाग के परामर्श का उद्धरण 28 अप्रैल, 1981 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था। प्रमुख आरोप निम्न प्रकार हैं :–

(1) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के आजीवन अध्यक्ष बने रहने संबंधी संशोधन को निबन्धक द्वारा अनुमोदित न कराया जाना।

(2) समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, लखनऊ के परिसर की 3/4 एकड़ भूमि की उपज का उपभोग अध्यक्ष द्वारा निजी हित में किया जाना।

(3) समिति द्वारा स्मारिका के मुद्रण, डाक व्यय आदि का भुगतान स्कूल के खाते में एवं रोकड़ में दर्शाया जाना।

(4) स्थानीय निधि लेखा विभाग के आडिटरों द्वारा कुछ वर्ष पूर्व अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से किये गये लगभग रु0 52,000 के व्यय संबंधी आपत्ति का निराकरण न किया जाना।

इस संबंध में न्याय विभाग की राय का उद्धरण संलग्न है। वित्त विभाग ने न्याय विभाग द्वारा बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 946 पर।)

32–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद, वित्तीय अनियमितताएं एवं दिनांक 11-5-81 को स्कूल के सहायक अधीक्षक की सांठ-गांठ से श्री रविदत्त शर्मा द्वारा चेक व अन्य अभिलेख उठा ले जाने की जांच के सम्बन्ध में

दिया गया ज्ञापन दिनांक 25-5-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या तथ्य प्रकाश में आए और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-5-81 का ज्ञापन जिसमें प्रश्न से संबंधित तथ्य उपलब्ध है प्राप्त हुआ है । ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई जा रही है ।

राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षुक कर्मशाला व शिवकुटी इलाहाबाद में ट्रांसफर होकर आये सहायक अध्यापक, श्री श्याम लाल सिंह का अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र तथा सर्विस बुक

37–श्री उदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम लाल सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षुक कर्मशाला व शिवकुटी, इलाहाबाद में रा0 भिक्षुक गृह, वाराणसी से ट्रांसफर होकर कई वर्षों से आये है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इनका अन्तिम प्रमाण-पत्र तथा सर्विस-बुक नहीं भेजी गयी है इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां । श्री श्याम लाल सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय भिक्षुक गृह, वाराणसी से स्थानान्तरित होकर दिनांक 28-8-78 से राजकीय प्रमाणित संस्था, भिक्षुक कर्मशाला, शिवकुटी, इलाहाबाद में कार्यरत है । इनका अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवा पुस्तिका राजकीय भिक्षुक गृह, वाराणसी द्वारा भेज दी गयी है जो राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद को क्रमशः दिनांक 23-7-81 तथा 1-8-81 को प्राप्त हो गयी है । उक्त अभिलेख विलम्ब से भेजने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

सहायक अध्यापक, श्री श्याम लाल सिंह को प्रशिक्षण से छूट तथा अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही तथा अवकाश वेतन का भुगतान

38–श्री उदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अ0 श्याम लाल सिंह को ट्रेण्ड अध्यापक का ग्रेड भी नही दिया जा रहा है और 5 जून, 79 के बाद की छुट्टियां भी दिसम्बर, 79 तक स्वीकृत नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या यह सही है कि इनको शासन ने ट्रेनिंग से छूट दे दी है और ट्रेंड माना है?

श्री गुलाब सेहरा–

श्री श्याम लाल सिंह, सहायक अध्यापक केवल इण्टरमीडिएट पास है जबकि उक्त संस्था के अध्यापक के लिए सी0टी0 प्रशिक्षण अनिवार्य योग्यता निर्धारित है। इन्हें सी0 टी0 प्रशिक्षण अनिवार्य योग्यता से छूट इस शर्त के अधीन दी गई है कि इस छूट का आशय यह नहीं होगा कि इन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों के लिये वेतन आयोग (1971-73) द्वारा निर्धारित संशोधित वेतनमान स्वतः अनुगन्य होगा । इस प्रकार श्री सिंह को उक्त प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गयी है किन्तु उन्हें ट्रेण्ड नहीं माना गया है।

दिनांक 5 जून, 1979 के बाद की छुट्टियां अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवा-पुस्तिका के अभाव में स्वीकृत नहीं की जा सकी थी किन्तु अब उक्त अभिलेखों के प्राप्त हो जाने पर दिनांक 15-10-79 से 9-11-79 तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करके अवकाश वेतन का भुगतान दिनांक 25-8-81 को किया जा चुका है शेष 39 दिन तथा 96 दिनों के अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही क्रमशः जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी इलाहाबाद तथा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा की जा रही है ।

39—श्री उदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अध्यापक का आखिरी वेतन प्रमाण-पत्र तथा सर्विस-बुक रा0 भिक्षुक कर्मशाला, वाराणसी से न भेजने की वजह से बकाया छुट्टियां व छुट्टियों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार इसको तुरन्त इलाहाबाद भिजवाने का आदेश देगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कि श्री श्याम लाल सिंह को अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में शासन स्तर से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

गांव सभा सरयां, जिला बलिया में हरिजन एवं निर्बल वर्ग हेतु आवास निगम द्वारा निर्मित ध्वस्त मकान के संबंध में कृत कार्यवाही

45—श्री उदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सरयां, ब्लाक गड़वार, जिला बलिया में शासन द्वारा हरिजनों के लिए बनाये हुए मकान, हरिजनों के प्रवेश के पूर्व ही ध्वस्त हो गया? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सत्य है कि स्वीकृत धन को लगाया ही नहीं गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

गांव सभा सरयां, विकास खण्ड गड़वार, जिला बलिया में हरिजन एवं निर्बल वर्ग हेतु आवास निगम द्वारा दिये गये अनुदान की सहायता से विकास खण्ड तन्त्र द्वारा 15 मकान बनाये जा रहे थे जिनमें से 7 मकानों की खपरैल वर्षा एवं तूफान के कारण गिर गयी और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गयी । स्वीकृत अनुदान की बची धनराशि से निर्माण कार्य 15 नवम्बर, 1981 तक पूरा करने के आदेश दिये गये थे परन्तु उसका पालन न करके अकर्मण्यता का परिचय देने के आरोप में सम्बन्धित पंचायत सेवक श्री लोकनाथ यादव को निलम्बित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी श्री पारसनाथ राय को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं संबंधी ज्ञापन में लगाये गये आरोपों की जांच

51—श्री दलगंजन सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, जातिवाद प्रबन्ध समिति की निरंकुशता आदि के बारे में श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 के ज्ञापन दिनांक 1-10-80, 25-8-81, 11-9-81, 14-9-81 व 17-9-81, 30-9-81 तथा श्री हाशिम रजा आब्दी एम0एल0सी0 के पत्र दिनांक 15-9-81 के साथ श्री गिरिजा शंकर अवस्थी युवा कांग्रेस (आई) के ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन ज्ञापनों में क्या आरोप लगाए गये हैं और कौन-कौन सी वित्तीय अनियमितताएं इंगित की गयी हैं? इन आरोपों की जांच किस माध्यम से कराई गयी तथा जांच के बाद क्या तथ्य प्रकाश में आये ? सरकार ने संस्था के विरुद्ध इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां। इन ज्ञापनों में लगाये गये आरोपों तथा इनमें इंगित वित्तीय अनियमितताओं की जांच विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जा रही है । जांच के परिणाम उपलब्ध होने पर और सही-सही वस्तुस्थिति ज्ञात हो जाने पर ही कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न होगा।

आश्रम पद्धति विद्यालय, दूद्धी, मिर्जापुर का भवन, छात्रावास, अध्यापक एवं कर्मचारी निवास हेतु भवन का निर्माण

68–श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूद्धी आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन, छात्रावास, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी निवास अब तक न बनने का क्या कारण है? क्या यह भी सही है कि उक्त भवनों का निर्माण न होने के कारण उक्त विद्यालय का विकास एवं विस्तार रुका हुआ है ? यदि हां, तो मन्त्री जी दूद्धी के आदिवासियों की शिक्षा की कमी को देखते हुए अगले सत्र में ही हाई स्कूल करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा–

आश्रम पद्धति विद्यालय, दूद्धी, मिर्जापुर का भवन, छात्रावास, अध्यापक तथा कर्मचारी निवास के बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

भवन के निर्माणोपरान्त विद्यालय का विकास एवं विस्तार हो सकेगा तथा इसे हाई स्कूल तक किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

भूमि के प्राप्त होते ही भवन के निर्माण का कार्य हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 के माध्यम से कराया जाएगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की समाप्त सेवायें तथा मांगों पर कृत कार्यवाही

75–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का उनकी सेवा निवृत्ति के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र 10-7-81 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां ।

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 13-7-81 को प्राप्त हुआ । तदर्थ रूप में नियुक्त उन कर्मचारियों, जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं की मुख्य मांगें निम्न हैं:–

1– समस्त नई नियुक्तियां निरस्त की जायें ।
2– अनियमित नियुक्तियों की जांच की जायें ।
3– भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ।
4– समस्त तदर्थ कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की जाय ।

उपरोक्त गांवों में कृत कार्यवाहक विवरण निम्न प्रकार है :–

1– समस्त नई नियुक्तियां स्थगित कर दी गई हैं किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के अनुपालन में 25 कर्मचारियों को निदेशालय में कार्य-भार ग्रहण करा दिया गया है ।
2– प्रश्नगत नियुक्तियों की जांच की गई । जांच आख्या विभाग के विचाराधीन है ।
3– उक्त जांच आख्या के अन्तिम निर्णय में यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
4– समस्त तदर्थ कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति भविष्य में आयोजित होने वाले साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने की स्थिति में की जा सकेगी ।

जनपद वाराणसी के कालेजों में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति तथा जांच

78—श्री उग्रदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में सन् 1979-80 में कक्षा 11 के छात्रों को जो अनुसूचित व पिछड़ी जाति के हैं प्रवेश लेने से अप्रैल, 1980 तक की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि फरवरी, 1980 तक की ही छात्रवृत्ति दिया गया है और मार्च, अप्रैल का न देने का कारण क्या है?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

79—श्री उग्रदल—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कक्षा 12 के अनुसूचित व पिछड़ी जाति के छात्रों को मार्च, 1980 की छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है? क्या हरहुआ काशी कृषक इण्टर कालेज, नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी के छात्रों का भी बकाया है? यदि हां, तो क्या पूरे जनपद वाराणसी तथा इन तीनों कालेजों की जांच कराकर छात्रवृत्ति देने पर विचार सरकार करेगी?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षक कर्मशाला शिवकुटी, इलाहाबाद के अध्यापक श्री श्याम लाल सिंह को प्रशिक्षित वेतनमान तथा नया वेतनमान स्वीकृत करने के प्रश्न पर विचार

81—श्री उग्रदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षक कर्मशाला शिवकुटी, इलाहाबाद के अध्यापक श्याम लाल सिंह की शर्तों के मुताबिक छूट देकर निदेशालय ने ट्रेंड मानकर ट्रेंड का वेतन देने हेतु शासन को पत्रावली अर्सा 2/4 वर्ष पूर्व भेज दिया है? यदि हां, तो ट्रेंड अध्यापक का वेतन अब तक न देने का कारण क्या है?

श्री गुलाब सेहरा—

राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षक कर्मशाला शिवकुटी, इलाहाबाद के अध्यापक श्री श्याम लाल सिंह केवल इण्टरमीडिएट पास हैं जब कि प्रशिक्षित अध्यापक के लिये सी0टी0 प्रशिक्षण अनिवार्य योग्यता निर्धारित है। श्री सिंह को शासन द्वारा सी0टी0 प्रशिक्षण से छूट इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी थी कि इस छूट से उन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों के लिये वेतन आयोग (1971–73) द्वारा संशोधित वेतनमान स्वतः अनुमन्य न होगा।

निदेशक से श्री सिंह के वेतन निर्धारण से संबंधित कोई पत्रावली शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

82—श्री उग्रदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उक्त अध्यापक को नया वेतनक्रम सन् 1972-73 से ही निर्धारित होना है? यदि हां, तो उसको अब तक निर्धारित क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को जो वेतन सन् 1965 में मिलता था अब उससे भी कम दिया जा रहा है? इसका क्या कारण है? क्या सरकार नये वेतनक्रम का निर्धारण जल्दी करा देगी और जो बकाया भुगतान अब तक का होगा उक्त अध्यापक को देने पर विचार करेगी?

श्री गुलाब सेहरा–

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री सिंह को प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के लिये वेतन आयोग (71–73) द्वारा संस्तुति वेतनमान स्वतः अनुमन्य नहीं है। फिर भी अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक के वेतनमान के विषय में निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर श्री सिंह को नया वेतनमान स्वीकृत करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा। शेष प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र नाथ मिश्र, श्री रवि दत्त शर्मा तथा श्रीमती कनक लता मिश्रा की जन्म तिथियां तथा आयु

92–श्री दलगंजन सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 58 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र नाथ मिश्र, श्री रविदत्त शर्मा तथा श्रीमती कनक लता मिश्रा की जन्म तिथियां क्या हैं और उन्होंने किस तिथि को 60 वर्ष की आयु पूर्ण की?

श्री गुलाब सेहरा–

श्री रविदत्त शर्मा की जन्म तिथि 27 अप्रैल, 1920 है और इन्होंने 60 वर्ष की आयु दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को पूर्ण की।

श्रीमती कनक लता मिश्रा की जन्म तिथि 1-1-1921 है और उन्होंने 60 वर्ष की आयु दिनांक 31-12-80 को पूरी की।

श्री राजेन्द्र नाथ मिश्र की जन्मतिथि उनके 60 वर्ष पूर्ण करने की तिथि की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

उन्नाव जिला हरिजन कार्यालय में हरिजन पाठशालाओं हेतु अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

93–श्री भीखालाल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में उन्नाव जिला हरिजन कार्यालय में कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन पाठशालाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन कल्याण अधिकारी, उन्नाव द्वारा संस्तुति के साथ निदेशालय को भेजे गये और कितने बिना संस्तुति के भेजे गये? यदि हां, तो बिना संस्तुति के प्रार्थना-पत्रों को निदेशालय को भेजने का क्या कारण था?

श्री गुलाब सेहरा–

वित्तीय वर्ष 1980-81 में उन्नाव जिला हरिजन कार्यालय में 20 प्रार्थना-पत्र हरिजन पाठशालाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए थे। इनमें से 8 प्रार्थना-पत्र हरिजन कल्याण अधिकारी, उन्नाव द्वारा संस्तुति के साथ निदेशालय को भेजे गये और 3 बिना संस्तुति के भेजे गए। इन तीन संस्थाओं को अनुदान देने हेतु उपयुक्त नहीं समझा गया था।

श्री सत्य प्रकाश, फतेहपुर की आवंटित भूमि को नगरपालिका द्वारा अनियमित तरीके से बेचने हेतु कृत कार्यवाही

97–श्री भीखालाल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम तिलिया ग्वाल टोली, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-81 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-9-81 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि प्रार्थी के नाम वर्ष 1976 में नगरपालिका, फतेहपुर की आवंटित भूमि नगरपालिका द्वारा हरिजन छात्रावास बनाने के लिए अनियमित तरीके से बेच दी गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री गुलाब सेहरा–
सूचना एकत्र की जा रही है।

एकीकृत बाल परियोजना में कार्यरत मुख्य सेविकाएं, अनुसूचित जाति के कर्मचारी तथा उनकी पदोन्नतियां

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत बाल परियोजना में इस समय कितनी मुख्य सेविकाएं कार्यरत हैं इसमें से कितनी अनुसूचित जाति की हैं? इन सभी कर्मचारियों को विभागीय किन-किन पदों पर पदोन्नतियां दी जाती हैं? क्या इन पदोन्नति वाले पदों पर मंत्री जी ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में कार्यरत अनुसूचित जाति की मुख्य सेविकाओं को शासनादेश के अनुसार पदोन्नति देकर निर्धारित आरक्षण कोटा पूरा कर लिया है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों? और अब उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री गुलाब सेहरा–

समन्वित बाल विकास परियोजना में इस समय कुल 97 मुख्य सेविकाएं कार्यरत हैं। इनमें 18 मुख्य सेविकाएं अनुसूचित जाति की हैं। इन कर्मचारियों को प्रस्तावित सेवा नियमावली के अनुसार विभाग में महिला मनोरंजन अधिकारी एवं कनिष्ठ सहकारी महिला के पदों पर पदोन्नतियां दी जा सकती हैं यदि वे स्थायी हों। चूंकि मुख्य सेविकाओं के समस्त पद अस्थायी हैं तथा महिला मनोरंजन अधिकारी तथा कनिष्ठ सहकारी महिला के समस्त पद समन्वित बाल विकास परियोजना के आरम्भ होने के पूर्व से ही भरे हुए हैं, अतः इन्हें पदोन्नति दिये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

मूक बधिर विद्यालय एशबाग, लखनऊ के प्रबन्धक के निवास स्थान तथा क्लीनिक पर लगे टेलीफोन का व्यय

160–श्री भीखालाल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मूक बधिर विद्यालय एशबाग, लखनऊ के प्रबन्धक के नाम से दो टेलीफोन विद्यालय द्वारा लिये गये हैं जिनमें से एक उनके निवास स्थान पर लगा है और दूसरा दवाखाने मुक्ता डेंटल क्लीनिक हुसैनगंज, लखनऊ में लगा है और दोनों का व्यय विद्यालय द्वारा वहन किया जाता है? यदि हां, तो एक अनुदान पर चलने वाली संस्था में इस प्रकार का अपव्यय क्यों है?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां। मूक बधिर विद्यालय, एशबाग, लखनऊ के प्रबन्धक के निवास स्थान तथा क्लीनिक पर टेलीफोन लगे हैं। इसके व्यय भार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। क्योंकि यह संस्था स्वैच्छिक है।

मण्डलीय स्तर पर हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही

169–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में मण्डलीय स्तर पर हरिजन तथा समाज कल्याण उप निदेशक एवं सहायक निदेशकों के कार्यालय की स्थापना की गयी है जिस के लिए मुख्य लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक के पद सृजित हुए थे और विभागीय लिपिकों की तदर्थ नियुक्तियां की गयीं? यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां।

तदर्थ नियुक्तियों को अभी नियमित नहीं किया गया है क्योंकि वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वेश्यावृत्ति निवारण हेतु आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

170—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वेश्यावृत्ति निवारण कानून को मद्दे-नजर रखते हुए वेश्याओं के जीविकोपार्जन हेतु सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके तहत वेश्याएं अनैतिक कार्य छोड़ कर उसमें लग सकें? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं।

वेश्यावृत्ति निवारण हेतु पूरे उत्तर प्रदेश में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 लागू है जिसके अन्तर्गत 6 संरक्षण गृह, 1 उद्धार गृह, 3 नारी निकेतन एवं 1 आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाओं को पकड़कर इन गृहों में रखा जाता है तथा भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें पुनर्वासित किया जाता है।

जनपद मेरठ में अस्वच्छ पेशों में रत अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में अनियमितताएं

173—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि मेरठ जनपद में कु0 मालती चटवार, उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ ने अस्वच्छ पेशों में रत अभिभावकों के बच्चों को मेरठ जनपद में छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए आबंटित 72,500.00 (बहत्तर हजार पांच सौ रु0) की धनराशि से सम्बन्धित वर्ष 1979-80 में क्या-क्या अनियमितताएं पकड़ीं? इन अनियमितताओं के लिए कौन दोषी है और दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मेरठ जनपद में अस्वच्छ पेशों में अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के लिए आबंटित 72,500/— रुपये से संबंधित वर्ष 79-80 में उप-निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ ने निम्न अनियमितताये पकड़ी थी :—

1— प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने के कारण धनराशि शासन को समर्पित कर देनी चाहिए थी।

2— योजना के संबंध में शिक्षा संस्थाओं को विस्तृत जानकारी देने के उपरान्त उनके द्वारा आवेदन करने पर उपयुक्त जांच के उपरान्त छात्रों का चयन करना उचित था, जो नहीं किया गया।

3— यह छात्रवृत्ति पूर्ण जनपद में केवल 50 छात्रों को दी जानी थी तथा 50 छात्रों की जांच पहले भी की जा सकती थी कि वास्तव में यह छात्र संबंधित शिक्षा संस्थाओं में हैं अथवा नहीं, प्रतिबंधों को पूरा करते हैं अथवा नहीं, जो नहीं की गई।

4— भारत सरकार के आदेशानुसार जनपद स्तर पर कोई धनराशि आहरित कर किसी खाते में नहीं रखनी थी। हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को संबंधित शिक्षा संस्थाओं से छात्रवृत्ति के बिल मंगाकर प्रतिहस्ताक्षरित करना था, जो नहीं किया गया।

5– योजना के अनुसार एक छात्र को केवल दस माह की छात्रवृत्ति दी जानी थी यह 10 माह की अवधि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का संबंधित संस्थाओं को भुगतान किये जाने से पहले ही व्यतीत हो चुकी थी अतएव सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान एक बार करना चाहिए था किन्तु केवल 8 माह का भुगतान किया और दो माह की धनराशि रोक ली जो उचित नहीं था ।

6– भुगतान करने के पश्चात् हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का दायित्व था कि वे प्रदत्त धनराशि का संबंधित छात्रों को भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

इन अनियमितताओं के लिए उप निदेशिका ने जांचोपरांत श्री गंगादास पिपिल तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को दोषी पाया है और जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार श्री विपिन से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो कि प्रतीक्षित है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर दण्ड के विन्दु पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। आवंटित 72,500/– की धनराशि में से 59,740/– की धनराशि राजकीय कोष में जमा करा दी गयी है शेष 12,760/– की धनराशि की वसूली की कार्यवाही श्री लाल बहादुर शास्त्रीय हायर सेकन्डरी स्कूल, मेरठ से की जा रही है ।

राष्ट्रीय महिला संस्था तिर्वागंज, फर्रुखाबाद तथा जन कल्याण परिषद् बिलग्राम, जिला हरदोई को दिया गया अनुदान

184–श्री हरीशंकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय महिला संस्था तिर्वागंज, फर्रुखाबाद तथा जन कल्याण परिषद्, बिलग्राम, जिला हरदोई को गत 2 वर्षों में कितना सहायता अनुदान दिया गया? क्या उक्त संस्थाओं को दी गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आडिट किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन कन्या प्रा0 पाठशाला, मकसूदनगर, फैजाबाद के श्री राम देव को छात्रवृत्ति का भुगतान न किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र

188–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री राम देव पुत्र श्री भिखारी प्रसाद, हरिजन कन्या प्रा0 पाठशाला, मकसूदनगर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद को छात्रवृत्ति भुगतान न किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है?! यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गलाब सेहरा–

(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर बस स्टेशन के लिए आमंत्रित किये गये टेंडर

*1–श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-81 को सुल्तानपुर बस स्टेशन की कैन्टीन के सम्बन्ध में किस-किस के कितने-कितने रुपये के टेण्डर प्राप्त

हुए? क्या यह सही है कि उनमें से सबसे ऊंची बोली वाले को न आवंटित करके किसी अन्य व्यक्ति को डेली बेजेज के आधार पर ठेका दिया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? इस प्रणाली से कितने की हानि रोजाना हो रही है?

सिंचाई तथा परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

दिनांक 15 जनवरी, 1981 को सुल्तानपुर बस स्टेशन कैन्टीन के टेंडर की निर्धारित अवधि 12 बजे तक निम्नलिखित तीन टेण्डर प्राप्त हुए :—

1–श्री बसन्त लाल पुत्र श्री राम नारायन	रु0 3,600/- तीन वर्ष
2–श्री अमरनाथ पुत्र श्री जमुना प्रसाद	रु0 66,101/- तीन वर्ष
3–श्री भैय्या लाल पुत्र श्री विश्वनाथ	रु0 1,800/- तीन वर्ष

एक अन्य टेण्डर देरी से मिला जिस पर विचार नहीं किया गया।

चूंकि वर्ष 78 में त्रिवार्षिक नीलामी 80,000/ रु0 की आ चुकी थी इसलिए 66,101/- रु0 की उच्चतम बोली को भी स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 78 में नीलामी लेने वाला ठेकेदार दिनांक 16-4-78 से 2-7-79 तक ही कार्य किया उसके बाद उसने काम बन्द कर दिया। विभिन्न प्रयासों के बाद अगस्त, 80 में 61,000/- त्रिवार्षिक की बोली आई जो 80,000/- से कम थी। अतएव स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 16-8-80 से उसी हिसाब से दैनिक दर 57/- रु0 प्रतिदिन पर ठेका चलाया जा रहा था जिसके बाद 15-1-81 को उक्त नीलामी टेण्डर द्वारा की गयी। टेण्डर स्वीकार न होने के कारण पहले से चली आ रही दैनिक दर की प्रणाली को लागू रखा गया जिसके कारण तीन रुपये 42 पैसे प्रतिदिन का अन्तर आ रहा है।

(प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के बीच ही बिजली पुनः चली गयी)

(शोर)

श्री मोहन सिंह–

बिजली की उत्पादकता का रिकार्ड कायम हो रहा है। और माननीय मुख्य मंत्री ने अब फिर बिजली विभाग, मा0 बिजली मंत्री से छीनकर सिंचाई मंत्री जी को दे दिया है।

श्री उदल–

मान्यवर, क्या कोई विद्युत परिषद् के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुईद अहमद–

अंधेरे में बड़ी दूर की सूझ रही है, अंधेरे के कलाकारों को।

(बिजली के आ जाने पर)

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टेण्डर की प्रणाली जो थी, उसका जानबूझकर समय निकाल दिया गया ताकि डेली बेजेज पर चल सके, इसलिए वह कैन्टीन आज भी डेली बेजेज पर ही चल रही है, जिससे जहां तक मैं समझता हूं कि 100 रु0 रोज की हानि कम से कम हो रही है, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, फैक्ट यह था कि जो नयी प्रणाली अपनायी उसके पीछे यही राज था कि ज्यादा बोली बोलकर टेण्डर ले लेते थे और पैसा जमा नहीं करते थे, भाग जाते थे। जमानत 500/- रु0 की थी, अब जमानत 5,000/ रु0 की कर दी गयी है और यह कर दिया है कि ओपेन बोली बोली जायगी।

श्री रियासत हुसैन–

मैंने जांच की मांग की है कि इस तरह से उसमें जो घोटाला है कि जो हाइएस्ट बोली थी, उसका टेण्डर रिजेक्ट कर दिया गया और इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि किसी पर्टीकुलर इंटरेस्ट वाले को दे दिया गया, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। मेरा कहना है कि लगभग 100/- रु0 रोज का नुकसान हो रहा है। क्या डेलीबरेटली इस चीज को किया गया है या नियमों के अनुसार किया गया है? इसमें आप जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो उत्तर आया है, इसमें घोटाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच करा लूंगा।

(बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध माननीय सदस्यों के ज्ञापन में लगाये गये आरोपों की जांच

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं एवं धांधलियों की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने के विषय में उन्हें विधान मंडल दल के सदस्यों के ज्ञापन क्रमशः दिनांक 5-11-80 व 20-11-80 तथा 28-11-80 व 15-9-81 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों में क्या आरोप लगाये गये हैं? शिकायत व आरोपों की जांच किस माध्यम से कराई जा रही है? जांच किस स्टेज पर है तथा जांच परिणाम कब तक ज्ञात हो सकेंगे?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां। ज्ञापनों में लगाये गये आरोपों का विवरण संक्षेप में संलग्न है। जांच निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 947 पर।)

सिंचाई खण्ड तृतीय, लखीमपुर के घोटाले की विजिलेंस द्वारा जांच

*2–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड तृतीय, लखीमपुर के घोटाले की जांच विजिलेंस द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी?, क्या उक्त जांच में एम0 पी0 नं0 7 (एस) व एम0 बी0 नं0 25(5) तथा अलीगंज शाखा के दो साइफनों एक किलोमीटर 16 तथा दूसरे किलोमीटर 25-25 की भी जांच की गयी है? यदि हां, तो नतीजा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच जटिल एवं लम्बी है जिसमें समय लगने की सम्भावना है। उक्त जांच में प्रश्नगत दोनों एम0बी0 तथा अलीगंज शाखा के प्रश्नगत दोनों साइफनों के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नतीजा ज्ञात हो सकेगा।

श्री उदल–

मान्यवर, मैं इसमें दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि इसमें सम्बन्धित जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? दूसरी यह कि जांच की कार्यवाही कब से की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह तो बता दिया गया है कि विजिलेन्स इसकी जांच कर रही है। यह

जांच जनवरी, 1981 से हो रही है। इसमें खुली जांच के आदेश हो गये हैं। विजिलेन्स डिपार्टमेण्ट ने देखा कि कुछ तथ्य सामने आये, उसके बाद उन्होंने खुली जांच के आदेश गवर्नमेंट से ले लिये और अब खुली जांच हो रही है।

श्री उदल–

इससे सम्बन्धित जो अधिकारी कर्मचारी थे, क्या उनके खिलाफ अब तक कोई विभागीय कार्यवाही भी की गयी? यदि हां, तो क्या?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विजिलेन्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, जांच के बाद जो तथ्य आयेंगे, उनके आधार पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि खुली जांच हो रही है, इसके मायने प्राइमा फेसाई जो जांच हुई और जिसके आधार पर मामला विजिलेन्स को सौंपा गया, उसमें कुछ लोगों को दोषी पाया गया, तो क्या उन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट गंगाकर कोई डिपार्टमेण्टल एक्शन इण्टरिम एक्शन लेने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जांच हो रही है। अगर जांच के आधार पर विजिलेन्स डिपार्टमेंट ने लिखा कि इस पर कार्यवाही की आवश्यकता है तो कार्यवाही करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही नतीजा ज्ञात हो सकेगा।

श्री सूबेदार सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह आधार कौन से थे जिसके आधार पर उन्होंने खुली जांच के आदेश दिये? उनके आधार पर क्या कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो सुझाव थे कि भण्डार में बिजली, सीमेण्ट, लोहे की कमी है, उसके आधार पर विजिलेन्स डिपार्टमेण्ट ने जाकर देखा था। उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आयी थी कि एक्शन लेने की कोई बात हो। तो खुली जांच हो रही है, उसके बाद एक्शन लिया जायेगा।

आदर्श कारागार, लखनऊ में विषाक्त भोजन से बन्दियों के बीमार पड़ने के मामले की जांच

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 13 अप्रैल, 1981 के आस पास किसी दिन आदर्श कारागार, लखनऊ में विषाक्त भोजन करने से कुछ कैदियों के बीमार पड़ने का मामला प्रकाश में आया? यदि हां, तो क्या कारणों की जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?. यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये?

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

आदर्श कारागार, लखनऊ में दिनांक 8/9 अप्रैल, 1981 की रात्रि में चार बन्दियों के बीमार पड़ने का मामला प्रकाश में आया था। परन्तु विषाक्त भोजन के कारण वे बीमार नहीं पड़े थे। जांच के फलस्वरूप जो तथ्य प्रकाश में आये वह इस प्रकार हैं। कारागार के चिकित्सा अधीक्षक की संस्तुति पर दो बन्दियों को अतिरिक्त खुराक के रूप में दो उबले हुए अण्डे दिये गये। इन दो बन्दियों ने तथा दो अन्य बन्दियों ने अण्डों और आलू की सब्जी स्वयं अवैध रूप से बनाकर लगभग 9 बजे रात्रि में खायी। उसके बाद चारों बन्दियों को उल्टी होना आरम्भ हो गयी। बन्दियों को 2-3 उल्टी हुई। कारागार में प्राथमिक उपचार के बाद एहतियात के तौर पर उन्हें बलरामपुर अस्पताल रात्रि

के डेढ़ बजे भेजा गया। बलरामपुर अस्पताल से चारों बन्दी उसी रात्रि 3 बजकर 20 मिनट पर कारागार वापस आ गये। बन्दियों के सामान्य भोजन के कारण यह घटना नहीं हुई।

दो बन्दी रक्षकों तथा एक प्रधान बन्दी रक्षक, जिनकी ड्यूटी के समय चार बन्दियों ने अस्पताल चक्र के हाते में अण्डे की सब्जी बनाई, की नियमों में शिथिलता बरतने के कारण दण्ड स्वरूप एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धियां एक वर्ष के लिए रोक दी गयी हैं। ड्यूटी के बन्दी रक्षकों द्वारा अस्पताल बैरिक की तालाबन्दी के समय तलाशी में शिथिलता बरतने के कारण अस्पताल के प्रभारी अधिकारी को चेतावनी दी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने पढ़ी है यह जांच किसके द्वारा कराई गयी है? दूसरी बात यह कि आपने जेल के छोटे-छोटे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि रोक कर दण्ड दे दिया। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि अण्डे की सब्जी बना कर उन लोगों ने खायी। तो वह अण्डे सड़े हुए या विषाक्त तो नहीं हो गये थे जिसके कारण यह घटना घटी?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, जांच अधीक्षक ने की थी। उबले हुए अण्डे देर तक रहने के कारण सम्भव है विषाक्त हो गये हों। सुबह नाश्ते के समय जो उनको अण्डे दिये गये थे, उसको उन लोगों ने रख लिया था और उसी की सब्जी बनायी थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब यह बात सुनिश्चित हो गयी है कि शिकायत अधीक्षक के खिलाफ की गयी है। यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा कि वे लोग अण्डे की सब्जी के खाने से बीमार पड़े या फिर कारागार की ओर से जो उनको सायं का भोजन दिया गया उसके खाने से? सुपरिन्टेन्डेन्ट की ढिलाई है, यह कैसे तय हो जायेगा? तो इस संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को न भेज कर जांच न कराने के क्या कारण हैं?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, यह जिम्मेदारियां बंटी हुई है। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी में शिथिलता जेल अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मचारियों की थी इसलिए जांच अधीक्षक ने की।

***4–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–**

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आदर्श शिशु विद्या मन्दिर, लखनऊ के प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत धनराशि का भुगतान कराने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

***5–श्री भीखालाल–**

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री प्रथम सत्र 1981 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय के पत्र संख्या 5441/42/12/म0 सा0/ह0स0का0अनु0/वा0का0 दिनांक 6-2-81 के उत्तर में प्रबन्धक आदर्श शिशु विद्या मन्दिर, लखनऊ का पत्र दिनांक 9-2-81 उनको प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सरकार के आदेश सं0 5387/26/2–80/338/80 दिनांक 19-8-80 द्वारा स्वीकृत 14,108 रुपये की धनराशि जिसका बांड जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा 5-2-81 को सत्यापित करके निदेशालय भेजा जा चुका है, उनका भी भुगतान साथ ही साथ कर दिया जाय? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और उक्त धनराशि का भुगतान किया गया अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां। संस्था के प्रबन्धक को वर्ष 1979-80 में स्वीकृत धनराशि का भुगतान

कार्यक्रम शुरू करने के लिये देने का प्रयास किया गया परन्तु प्रबन्धक ने वह राशि लेने से इन्कार किया और कार्यक्रम शुरू नहीं किया। शासकीय नियमानुसार अन्य राशि उन्हें तभी दी जा सकती थी जब पूर्व में स्वीकृत धनराशि का संस्था उपभोग कर चुकी होती। इसलिये संस्था को रु0 14,108 /- के भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पहला अनुदान जो सन् 1980 का स्वीकृत हुआ, यह संस्था के प्रबन्धक को दिया नहीं गया । जब मैंने प्रश्न किया तो निदेशालय ने यह स्वीकार किया कि इसमें विलम्ब हुआ क्योंकि इसकी फाइल खो गयी थी और इसलिए संबंधित क्लर्क को सस्पेन्ड भी किया गया और यहां उत्तर दिया गया कि संस्था के प्रबन्धक को वर्ष 1979-80 में स्वीकृत धनराशि का भुगतान कार्यक्रम शुरू करने के लिये देने का प्रयास किया गया परन्तु प्रबन्धक ने वह राशि लेने से इन्कार किया और कार्यक्रम शुरू नहीं किया। इसके उपरान्त दूसरा अनुदान भी नहीं दिया गया। मैंने भी एक पत्र लिख कर स्थिति मालूम करने की चेष्टा की परन्तु न प्रबन्धक का कोई जवाब आया और न मेरे ही पत्र का उत्तर आया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई सरप्राइज विजिट करके कोई ऐसी जांच करायेंगे जिससे कि सही स्थिति का पता चल सके। जो फैक्ट लिखाये गये हैं, क्या दोनों अनुदान उसे दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री गुलाब सेहरा–

माननीय सदस्य का यह कहना कि भुगतान की फाइल ही खो गई, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि 3 मार्च, 1981 को कैशियर और अनुभाग प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संस्था के प्रबन्धक के घर गये भुगतान करने के लिए लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार किया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यकलापों हेतु समिति का गठन

*6–श्यामलाल बाजपेयी–

क्या परिवहन मंत्री उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम के घाटे एवं कुव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रत्येक डिपो की विधान मण्डल दल के सदस्यों तथा अन्य लोगों की कोई गैर सरकारी परिवहन निगम नियन्त्रण समिति गठित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यकलापों में आवश्यक सुधार के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के "जी नहीं" और "निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं" के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों का नहीं बल्कि डिब्बों और पीपों का निगम हो रहा है। इस मामले में तो वह सिक्किम और नागालैण्ड हो रहा है। मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों को विश्वास में ले करके, इस अफसरशाही का, जो कंकड़ हजम और पत्थर हजम है, ऐसा कौन सा हित है कि वह कुव्यवस्था को दूर करने के लिए कोई समिति नहीं बना सकती?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, बोर्ड बना हुआ है जो इसके कार्यकलापों को देखता है। माननीय सदस्य ने जो एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात कही है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई

ज्यादा फायदा होगा। यह इनका सुझाव है, इस को देख लिया जायेगा। जहां तक बसों का सवाल है, तो मैं कह सकता हूं कि जितने रूट हमने नेशनलाइज्ड कर रखे हैं उन को देखते हुए बसें कम हैं। दो हजार बसें ऐसी हैं जिन्हें कम मेन्टेन्ड कर के किसी प्रकार से चला रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि नई बसें खरीदें। हमारा टार्जेट दो हजार का है लेकिन कम से कम एक हजार ही ले ली जाये ताकि हम उसको रिप्लेस करके अधिक सुविधा दे सकें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस देश के प्रदेश कर्नाटक, तामिलनाडु, आंध्र, केरल आदि की परिवहन व्यवस्था इतनी विश्वसनीय और इतनी व्यवस्थित है और उत्तर प्रदेश, जो इस देश का इतना बड़ा राज्य है, क्या माननीय मंत्री जी इन प्रदेशों की परिवहन व्यवस्था का अध्ययन कर के उनकी व्यवस्था का आदर करेंगे कि वहां क्षेत्रीय परिवहन निगम हैं, जैसे वहां बुन्देलखण्ड, फैजाबाद, आदि क्षेत्रीय परिवहन निगम स्थापित कर दें और उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक शामिल रहें तो जो 4 रुपये की चीज 40 रुपये में डिपो में लगती है, वह बन्द हो जायेगी और बसें अच्छी चलना शुरू हो जायेंगी?

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी पूछ रहे हैं कि क्या आप क्षेत्रीय निगम बनायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाजपेयी जी से सहमत मैं इसलिए नहीं हूं कि बसें बोर्ड चलाता है, उन्होंने सुझाव दिया है कि और जगहों पर ऐसा हो और उसी से हमारा सुधार हो सकता है तो उस को हमें बनाने में कोई दिक्कत क्यों हो सकती है लेकिन मैंने साफ कह दिया कि आज हमारे देश के जितने कारपोरेशन हैं, उसमें देश के दो-चार कारपोरेशन्स में इसका स्थान है। जब हम पैसा लेने गये तो वहां कहा गया कि बहुत से कारपोरेशन्स ऐसे हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन इसकी जो इकानामिक कण्डीशन है, जो उसकी हैसियत है, जो पोजीशन है, वैसी दूसरों की नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सुधार हो रहा है लेकिन इसके लिए बसें लेनी पड़ेंगी और मुझे आशा है कि हम इस काम को कर लेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो 9 करोड़ 60 लाख का घाटा हुआ है, यह बहुत बड़ा घाटा है और परिवहन निगम की जो पूंजी लगी है उसी को यह खा रहे हैं तो इसको दूर करने के लिए मंत्री जी कोई रास्ता निकालेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

घाटा तो उस बार हो गया था क्योंकि डीजल और पार्ट्स तथा चेसिस के दाम बहुत बढ़ गये थे। 75 के मुकाबले में 60 प्रतिशत प्राइस बढ़ गए और अब 60 परसेंट प्राइस बढ़ जाना कोई आसान बात नहीं है। अब नवम्बर तक हमारा 11 लाख से कुछ ज्यादा प्राफिट में निगम चल रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

निगम की जो बसें हैं उसको विभिन्न डिपो में आवंटित किया जाता है तो उसका कोई आधार है जिस आधार पर बसें आवंटित की जाती हैं। मेरी सूचना को सही मानकर वस्तुस्थिति से अवगत करायें कि सीतापुर में केवल 55 बसें आवंटित हैं जिसमें केवल 20 रोड पर हैं, बाकी बिगड़ी हुई हैं और रायबरेली में 159 बसें हैं तो यह बसों को आवंटित करने का आधार क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आवंटन का आधार यही है कि जो रूट नेशनलाइज्ड होते हैं उसके आधार पर बसें

आवंटित की जाती है। जिलेवार कोई आधार नहीं होता है। नेशनलाइज्ड रूट्स के अनुसार हम बसें आवंटित करते हैं।

जल कुंडी योजना का स्थगन तथा बाढ़ के स्थायी हल निकालने विषयक योजना

*7–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछली जनता सरकार द्वारा प्रस्तावित जल कुंडी योजना को वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? यदि नहीं, तो बाढ़ के स्थायी हल के लिए सरकार कौन सा कारगर कदम उठाने जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जल कुंडी योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रथम बार वर्ष 1961 में बनाई गयी थी। इसमें नेपाल राज्य का उपजाऊ क्षेत्र बांध की डूब से प्रभावित होता था अतः इसके लिए नेपाल राज्य ने सहमति नहीं दी।

प्रश्नगत क्षेत्र में बाढ़ का स्थायी हल निकालने के उद्देश्य से व्यापक प्लान बनाया जा रहा है।

जिला कारागार, शाहजहांपुर में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए अधिकारी एवं कर्मचारी

*8–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दिनांक 31-10-81 को पुलिस व पी0 ए0 सी0 ने जिस समय शाहजहांपुर की जेल पर चार्ज लिया। उस समय पचासा सुबह को लगाया गया तो कितने कर्मचारी व कौन-कौन अधिकारी जिला शाहजहांपुर की जेल पर मौजूद थे? क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों व अधिकारियों में कुछ ने सुबह के पचासा के समय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी न देकर राष्ट्र का अपमान किया? यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य की जांच करा के समुचित कार्यवाही करेगा और कब तक?

श्री राम सिंह खन्ना–

दिनांक 31-10-81 को जिला कारागार शाहजहांपुर पर सुबह के पचासा के समय जेल गेट के बाहर पी0 ए0 सी0, पी0 ए0 सी0 कमाण्डेण्ट तथा जेल के अन्दर नगर मजिस्ट्रेट, एक अन्य मजिस्ट्रेट तथा जेल अधीक्षक मौजूद थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय जिला शाहजहांपुर की जेल पर पी0 ए0 सी0 ने चार्ज लिया उस समय जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि वहां पी0 ए0 सी0, पी0 ए0 सी0 कमाण्डेण्ट, दो मैजिस्ट्रेट तथा जेल अधीक्षक मौजूद थे। क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि वहां पर पुलिस अधीक्षक, सी0 ओ0 सिटी अथवा पुलिस के कई कर्मचारी जेल पर मौजूद थे ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जो लोग मौजूद थे उनकी सूची मैंने आपको दी।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि उस समय पुलिस अधीक्षक, सी0 ओ0 सिटी और पुलिस के अन्य कई कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। जो मा0 मंत्री जी की सूचना है वह तथ्यों से परे है और जो दूसरा खण्ड है प्रश्न का उसमें मंत्री जी ने उत्तर दिया

है "जी नहीं"। क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को सलामी न देकर अपमान किया है अथवा सलामी दी ही नहीं?

श्री राम सिंह खन्ना–

सलामी दी गयी और अपमान नहीं किया गया।

*9–श्री भगवती सिंह बिशारद–

[20-1-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के द्वारा उत्तरित।]

*10–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

भू0 पू0 एस0 ई0, गोरखपुर श्री शेर सिंह के विरुद्ध बाढ़ से संबंधित घोटाले की जांच

*11–रियासत हुसैन–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री शेर सिंह, भू0 पू0 एस0 ई0 गोरखपुर के विरुद्ध बाढ़ से संबंधित घोटाले की जांच किसी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा चल रही है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है और क्या यह सही है कि श्री शेर सिंह को इस जांच के होते हुए भी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बना दिया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच रिपोर्ट पर विचारोपरांत सिद्ध आरोप के संबंध में श्री शेर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित करने का आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1982 को जारी किया जा चुका है।

यह सही नहीं है कि श्री शेर सिंह को अतिरिक्त मुख्य अभियंता बना दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी श्री शेर सिंह के खिलाफ जो मुख्य मुख्य शिकायतें थी उनको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1–मुख्य शिकायत यह थी कि सरकारी टैंकर से पेट्रोल की खपत का औसत अधिक था। 2–अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बहुत अधिक माइलेज का दौरा किया गया। 3–घाघरा के कटान के निरोध कार्य के सम्बन्ध में बाढ़ नियन्त्रण परिषद् द्वारा 22 डेम्पनर्स बनवाने की स्वीकृति मिली परन्तु श्री शेर सिंह ने बिना अधीक्षण मुख्य अभियन्ता की स्वीकृत प्राप्त किए डेम्पनर्स की संख्या बढ़ा दी।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने जो मुख्य शिकायतें बतलायी हैं और इनकी इनक्वायरी करायी है तो क्या उनमें से कुछ शिकायतें पार्शियली सही साबित हुई या बिल्कुल निराधार पायी गयीं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पेट्रोल की खपत जो ज्यादा हुई है उसकी जांच की गई तो पाया गया कि कच्चे रास्ते में चलने से पेट्रोल की खपत का औसत ज्यादा बढ़ गया। जहां तक अधिक माइलेज दौरा करने का सवाल है उनको दो सर्किल का काम करना पड़ा। जाहिर है कि जब दो सर्किल का काम करना पड़ेगा तो माइलेज बढ़ ही जायेगा। जहां तक तीसरी शिकायत का प्रश्न है कि डेम्पनर्स की संख्या उन्होंने बढ़ा दी तो सम्बन्धित अधिकारी मौके पर जाकर देखता है कि किस तरह से बाढ़ की रोकथाम की जा सकती है, उसी अनुभव के आधार पर श्री शेर सिंह ने जो स्वीकृत धनराशि 25.38 लाख थी उसके विरुद्ध 22.5 लाख खर्च करके ही काम पूरा कर दिया यानी घटा कर ही खर्च किया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जानबूझ कर

उन्होंने किसी तरह का गबन किया या पैसा बचाया । लेकिन उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में बिना शासन या मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के इस तरह का कोई काम न करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

इसी प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि क्या वह जहां भी बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये जाते हैं वहां कहते हैं कि बेहया लगा कर राप्ती या घाघरा की धारा मोड़ दो या ईंटें लगा कर उसे बन्द कर दो और बोल्डर मत लगाओ, इस तरह का कोई निर्देश उनको दिया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

*12–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[14वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

[14वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*15–श्री किरन पाल सिंह–

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड गौसड़ी, चयपुरवा में ट्यूबवेल लगाने पर व्यय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*16–श्री वकबाल हुसैन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में सिंचाई जनपदीय स्टीरिंग कमेटी ने दिनांक 4-5-81 को ट्यूबवेल लगाने के लिए स्थानों का चयन किया था ? क्या यह सही है कि चयनित स्थानों पर ट्यूबवेल न लगाकर विकास खण्ड गौसड़ी में चयपुरवा में लगाया जा रहा है जो दो बार फेल भी हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उसमें कितने रुपयों का खर्च 31-10-81 तक हुआ? क्या सरकार जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आश्रम पद्धति विद्यालय, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद को विलम्ब से अनुदान तथा कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन का भुगतान

*17–श्री पंचानन राय–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0 प्र0 में शासन द्वारा 29 आश्रम पद्धति विद्यालय चलाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद 1958 से चल रहा है और वहां के कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन नियमित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गुलाब सेहरा–

शासन द्वारा प्रदेश में 30 आश्रम पद्धति विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिनमें से 3 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विभागीय अनुदान पर संचालित हैं। आश्रम पद्धति विकास विद्यालय, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद सन् 1959 से एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा चलाया जा रहा है ।

अनुदान हेतु प्रस्ताव संस्था से विलम्ब से अथवा अपूर्ण प्राप्त होने की दशा में अनुदान समय से स्वीकृत नहीं हो पाता है जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को वेतन का भुगतान संस्था द्वारा नियमित रूप से न हो पाना स्वाभाविक है ।

संस्था के कर्मचारियों को पेंशन देने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री पंचानन राय–

जब शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है, फिर भी वहां के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से नहीं किया जाता और मांगने पर भी वे शासन को समय से कागज पत्र नहीं भेजते, तो उनके विरुद्ध सरकार की तरफ से कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, अनुदान का जो फार्म है उस पर एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 और हरिजन कल्याण अधिकारी की संस्तुति होती है । यदि वह नियत समय पर जिले में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद डाइरेक्टरेट लेबिल पर ठीक टाइम पर उसमें काम हो जाता है, अनुदान ठीक टाइम पर मिल जाता है लेकिन संस्था की ओर से जब फार्म ठीक से नहीं भरा जायगा, संस्तुति नहीं की जायगी तो उस में विलम्ब संस्था की वजह से होती है, निदेशालय और जिला स्तर पर नहीं होती है।

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस विद्यालय का जिक्र है, 58 से चल रहा है, क्या वह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है । यदि हां, तो शिक्षा विभाग के वेतन और पेन्शन आदि के नियम उस पर लागू क्यों नहीं होते ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, जो संस्थायें स्वैच्छिक होती हैं उनको पेन्शन योजना में शामिल नहीं किया जा सकता केवल आंशिक रूप से उनको अनुदान दिया जाता है । पूरा खर्च वह अन्य स्रोतों से लेते हैं जो मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं उन्हीं को अनुदान देने के लिए विचार करते हैं अन्य के लिए नहीं ।

मेरठ मण्डल की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास

*18–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री अपने दिसम्बर, 1980 के मेरठ जिले के बड़ौत कस्बे में दिये गये भाषण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि हर किसान को 5 वर्ष में वे रक्षात्मक सिंचाई की सुविधा देंगे अथवा उत्पादक सिंचाई की तथा जो सुविधा मेरठ कमिश्नरी के जिलों के किसानों को मिलेगी वह सारे प्रदेश के किसानों को कितने वर्षों में सरकार दे सकेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेरठ जिले के बड़ौत कस्बे में, मुख्य मंत्री जी ने 21 दिसम्बर, 1980 को आम सभा में दिये गये अपने भाषण में केवल यह आश्वासन दिया था कि आगामी 5 वर्षों में मेरठ मण्डल की कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा। इस सुविधा के विशिष्ट रूप से रक्षात्मक अथवा उत्पादक होने का प्रश्न नहीं उठाया गया था।

जहां तक सारे प्रदेश को मेरठ कमिश्नरी में मिलने वाली सुविधा के समान सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास व विस्तार उपलब्ध जल की मात्रा, टोपोग्राफी आदि पर निर्भर करता है। अतः प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन दृष्टियों से भिन्नता होने के कारण सिंचाई की एक समान सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। फिर भी विभाग द्वारा सिंचाई सुविधाओं में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब सरकार ने यह निश्चय किया है---इसी सदन में उत्तर के द्वारा–कि अब सरकार उत्पादक सिंचाई करने जा रही है, तो उत्पादक सिंचाई बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगी–यह उत्तर में निहित होना चाहिए। दूसरा, प्रदेश में जितनी सिंचन योग्य असिंचित भूमि है उस को कितने दिन में सिंचाई हो जायेगी। आप ने पांच साल मेरठ मंडल के लिए कह दिया, सारे सूबे के सिंचन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह बात सही है कि जहां पर हम को पानी मिलेगा, चाहे नहर से हो, नदी से हो या अन्य स्त्रोतों से हो, तभी हम सिंचाई कर सकेंगे। जहां पर हमारे पास पानी निकालना संभव नहीं है, अन्डरग्राउन्ड वाटर है, खारा पानी है, उन जगहों पर पानी की सुविधा कैसे करेंगे? जहां पर हमारी नदियां हैं और उन में पर्याप्त मात्रा में पानी है, नहर निकाल कर सिंचाई करते हैं, लिफ्ट लगा सकते हैं, ट्यूबवैल लगा सकते हैं। जहां पर सुविधा पानी की पर्याप्त मात्रा में मिलती है वहां पर सिंचाई ज्यादा हो जायगी जहां सुविधा कम है वहां कम सिंचाई होगी। हमारे प्रयास के बावजूद ऐसा हो जाता है।

पड़रौना ड्रेन पर ग्राम श्रीपति खांड एवं सोन दिया के मध्य बनी पुल की रक्षा हेतु एक मोरी बढ़ाने की घोषणा

*19–श्री कुबेर भंडारी (अनुपस्थित) तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

(अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि 4 ग्राम प्रधानों के पत्र दिनांक 1-9-81 के साथ विधायक (कुंवर भंडारी) का पत्र दिनांक 14-9-81 शासन को प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत जनपद देवरिया के तहसील पड़रौना स्थित पड़रौना ड्रेन (भलुआ नाला) पर ग्राम श्रीपति खांड एवं सोन दिया के मध्य बने पुल के ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त होने की संभावना को ध्यान में रख कर पुल में एक और मोरी बढ़ायेजाने की आवश्यक मांग की गई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुल की रक्षा हेतु पुल में एक और मोरी बढ़ाने की घोषणा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला देवरिया में राप्ती की बाढ़ से गांवों को क्षति

*20–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत राप्ती की बाढ़ से 10 लाख से बना गाय घाट का ठोकर तथा गांव इस वर्ष बह गये हैं? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वह तथ्य से परे हैं। मैं स्वयं उस गांव में गया था लगभग एक माह पहले, मैंने वहां देखा कि पूरा गांव बह गया था लेकिन विभाग द्वारा यह जवाब दिया गया कि "जी नहीं"। मान्यवर, पिछले साल बाढ़ में आधा गांव बहा था किन्तु इस साल ठोकर भी बह गया है, और पूरा गांव बह गया है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगी और कार्यवाही करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, गायघाट में 4.15 लाख रुपये के पांच डैम्पनर्स बनाये गये हैं। इससे पहले वहां पर 48 घर कट कर बह गये थे किन्तु जब से ये डैम्पनर्स बनाये गये हैं केवल एक घर कट कर बहा है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं भी उस गांव में गया था। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि केवल एक घर कटा है, बिल्कुल सत्य से परे है। पूरा गांव बाढ़ के पानी के प्रवाह के साथ ठोकर सहित बह गया है– क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना को सही मानकर कि आज वहां पर न तो ठोकर मौजूद है और न गांव ही मौजूद है, किसी उच्च स्तरीय अधिकारी को भेजकर इस मामले की फिर से जांच करायेंगे और जिन लोगों ने यह असत्य सूचना देकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है, उसके खिलाफ जांच करने का सदन को आश्वासन देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार वहां पर सभी ठोकरें सुरक्षित हैं। हो सकता है कोई क्षतिग्रस्त हो गई हो, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं। केवल एक घर कटकर बहा है। लेकिन जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा है मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

मध्य सूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय परिवहन चालक संघ की मांगों पर कृत कार्यवाही

**1–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय परिवहन चालक संघ, उत्तर प्रदेश के सभी वाहन चालक 16 नवम्बर, 1981 से 10 बजे दिन के पूर्व तथा 5 बजे शाम के बाद राजकीय गाड़ियों को चलाना बन्द कर दिये तथा अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखा है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी हां।

16 नवम्बर, 1981 से प्रदेश के समस्त जनपदों में "नियमानुसार कार्य" (केवल कार्यालय समय तक) करने का आन्दोलन निम्नलिखित मांगों को लेकर चलाया गया:—

(1) राजकीय मोटर चालकों को लिपिकीय कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जाए।

(2) उनको तृतीय श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए।

(3) उनकी सेवायें तकनीकी सेवायें घोषित की जायं।

(4) उनको अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, तथा

(5) उनको राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों के समान वर्दी, धुलाई भत्ता, विशेष वेतन आदि की समस्त सुविधायें दी जायें।

उनकी उपरोक्त मांगों पर शासन द्वारा विचार किया गया है, परन्तु निर्णय मांगों का औचित्य सिद्ध हो जाने पर ही लिया जा सकेगा।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राजकीय वाहन चालक संघ और सरकार के बीच कोई समझौता हड़ताल के सम्बन्ध में हुआ है?

नोट : तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं, उन्होंने कई बार अपने प्रत्यावेदन दिये। एक उन्होंने 12-1-81 को फिर 3-3-81, फिर 2-7-81 को, फिर 12-10-81 को दिया। उसके बाद एक प्रत्यावेदन संयुक्त परामर्श संघ द्वारा 18-1-82 को प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राजकीय वाहन चालक संघ और सरकार के बीच कोई समझौता हड़ताल के सम्बन्ध में हुआ है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं, उन्होंने कई बार अपने प्रत्यावेदन दिये। एक उन्होंने 12-1-81 को फिर 3-3-81 को, फिर 2-7-81 को, फिर 12-10-81 को दिया। उसके बाद एक प्रत्यावेदन संयुक्त परामर्श संघ द्वारा 18-1-82 को प्रस्तुत किया गया है। उनके साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मांगों के सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जरा जोर से बोलें सुनने में नहीं आया। गला कुछ दब रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करूंगा कि किसी को जोर से बोलने को न कहें इससे मुझे परेशानी हो जाती है।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय मंत्री जी का तो स्वयं राजकीय परिवहन चालक संघ के सदस्यों से भली-भांति परिचय है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मांगों के बारे में सरकार जो विचार कर रही है उस पर कब तक निर्णय कर लेगी?

श्री अध्यक्ष–

कब तक निर्णय हो जायेगा वह पूछते हैं!

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, विचार किया जा रहा है और उनकी जिन मांगों का औचित्य है उनको अवश्य स्वीकार किया जायेगा और जिनका नहीं है उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिनका औचित्य है उन पर विचार करके शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने कहा कि विचार चल रहा है लेकिन जो मांगें आई हैं क्या उन पर किसी निष्कर्ष पर वह पहुंची हैं कि इन मांगों में से ये मांगें पहले मानने लायक हैं?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि विचार किया जा रहा है।

श्री जर्नादन प्रसाद झोझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच जो चालक संघ ने वर्क-टू-रूल के हिसाब से 10 से 5 बजे तक काम किया तो क्या मंत्री जी बतायेंगी किसी एक जिले को परीक्षण के रूप में लेकर वहां कितनी पेट्रोल और डीजल की बचत हुई क्योंकि इस समय के बाद जो सरकारी अधिकारी गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते थे उससे कितनी बचत हुई?

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे बता देंगी?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने मांगों के सम्बन्ध में औचित्य का बहाना लिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह शासन की घोषित नीति नहीं है जो कर्मचारी अपने स्थान पर तीन वर्ष से लगातार काम कर रहा है उसे स्थायी कर दिया जायेगा? क्या सरकार अपनी इस नीति में परिवर्तन कर रही है क्योंकि चालक संघ की मांग है कि जो इतने समय से काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जाय। तो इस सम्बन्ध में दुबारा औचित्य को जांच कराने की क्या जरूरत है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उनकी मांगें जो पेश की गयी हैं जिनके बारे में आन्दोलन शुरू किया गया था और तर्क-टु-रूल शुरू किया था उनमें 5 मांग प्रमुख है। उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। बाकी मांगें जो हैं उनके बारे में भी शीघ्र ही औचित्य के अनुसार निर्णय ले लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उनके स्थायीकरण का विशेष मुद्दा मैंने उठाया, जब शासन की नीति है कि तीन साल की लगातार सेवा के बाद स्थायी कर दिया जायेगा तो फिर इसके बारे में औचित्य का प्रश्न कहां आता है? दुबारा औचित्य के बारे में विचार करने की क्या आवश्यकता है? यह सरकार की घोषित नीति है, क्या इसको दुबारा बदला जा रहा है?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने स्थायीकरण का प्रश्न पूछा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माननीय, सरकार ने इस विषय में जो नीति घोषित की है सरकार उससे कभी पीछे नहीं हटी है। उसी घोषित नीति के अन्तर्गत अवश्य न्याय किया जायेगा, इतना मैं आपको आश्वासन देती हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

साफ उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया कि सरकार अपनी घोषित नीति से पीछे नहीं हटेगी।

मैनपुरी जिले के साढ़ूपुर गांव में डाकुओं द्वारा हरिजनों का सामूहिक नरसंहार

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30 दिसम्बर, 1981 को मैनपुरी जिले के साढूपुर नामक गांव में डाकुओं द्वारा काफी संख्या में हरिजनों का सामूहिक नरसंहार कर दिया गया? यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये तथा घटना क्या है और शासन द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सरला कुमारी बख्शी–

दिनांक 30-12-81 को थाना शिकोहाबाद पर टेलीफोन द्वारा 9-15 बजे रात श्री डी0 सी0 मीना, चीफ गुड्स क्लर्क, रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद ने सूचना दी कि ग्राम साढ़ूपुर में बदमाशों ने करीब 6-30 बजे शाम कई हरिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर थाना शिकोहाबाद में अपराध अपराध संख्या 452, धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। इस घटना में कुल 10 व्यक्ति मारे गये हैं। अब तक की विवेचना से अपराध का उद्देश्य तथा अपराधियों का पता नहीं चल सका है।

अभियुक्तों का पता लगाने के लिए विवेचना सरगर्मी से की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे बड़ा खेद है कि ज्यों ही यह सवाल आया, मुख्य मंत्री जी सदन छोड़कर भाग गये क्योंकि उन्होंने दस्यु उन्मूलन की घोषणा की थी।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)–

वह विधान परिषद में गये हैं, वहां जाना आवश्यक था।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उनके नेतृत्व में यहां पूरी सरकार बैठी है . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, इसके पूर्व दीवाली में भी हरिजनों का जब सामूहिक नरसंहार हुआ था, तो मुख्य मंत्री जी ने हम सबको एक पत्र लिखा था कि यदि हमने डाकुओं को काबू में नहीं कर लिया तो हम 24 दिसम्बर को अपना इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद उसी 30 तारीख को सम्मानित प्रधान मंत्री जब लखनऊ राजधानी में आईं और जिस समय वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे का ढोंग छिपाने के लिए उन्हें सार्टीफिकेट दे रही थीं, उस समय हरिजनों के ऊपर नरसंहार हो गया। तो मैं इस घटना के बारे में जानना चाहता हूं कि जब यह घटना घट गई और मुख्य मंत्री अपने वचन को पूरा करने में विफल हो गये, तो उसके बाद भी मुख्य मंत्री द्वारा इस्तीफा न देने का क्या कारण है और इस घटना के दोषी लोगों को न पकड़े जाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न से यह सवाल कहां से पैदा होता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि क्या कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही में निहित है उनका इस्तीफा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर डाकुओं का सफाया न हुआ तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा? उससे यह जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो शासन कार्यवाही कर रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा था?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं नहीं पुकारा गया।)

श्री रियासत हुसैन–

इसको देखते हुए कि इसमें एक महीने के करीब हो चुका है और अभी तक आप उसके बारे में कोई आब्जेक्टिव या मीटिंग नहीं मालूम कर सकी है, तो क्या गृहमंत्री जी इसे मालूम करने के लिए अन्य किसी एजेन्सी द्वारा इस गम्भीर घटना की जांच करा रही है? क्या अब तक उसकी कोई लाइन मिल पाई है या बिल्कुल असफल रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

साढूपुर में जो घटना हुई, उसके बारे में जितने हमारे पक्ष और जितनी हमारी कांग्रेस सरकार को वेदना है, उसको शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं

(व्यवधान)

उस घटना पर यह लोग हंस रहे हैं। इनको कितनी तकलीफ है यह आप इनकी हंसी की मुद्रा से मान्यवर, आप देख लीजिए। मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि आप हमारी इसमें सहायता कराइये और हरिजनों के लिए काम करने हेतु हमें सहयोग दीजिए। इसमें विवेचना जारी है, जब तथ्य सामने आ जावेंगे तो एक मिनट भी सभी अपराधी गिरफ्तारी से और दण्ड से बचने नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

उनका प्रश्न यह है कि इस हत्या काण्ड का उद्देश्य क्या था। अब तक की विवेचना से इस बात का पता चल गया होगा, यदि हां, तो इसको बता दें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विवेचना हो रही है और यह गोपनीय है। अतः सब बातें सदन के सामने नहीं रख सकती हूं।

श्री रियाकत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे . . . (व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

कुछ लोग माननीय मुख्य मंत्री के इस्तीफे के लिए काफी लालायित हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि क्या उनका इस मसले से भी संबंध है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भीखालाल–

मेरा प्रश्न यह है कि इस हत्या काण्ड का उद्देश्य क्या था, कारण क्या थे, मंत्री जी ने कहा कि विवेचना हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे मौके पर गयीं थी तो वहां से आकर अखबारों में बयान दिया कि इस हत्याकाण्ड के पीछे कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ है। जब विवेचना अभी हो रही है तो किस आधार पर उन्होंने यह बयान दिया और यह बात कही थी?

श्री हरदेव–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक दल के लोग . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के लोग खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, प्रश्न करने दीजिए, यह बड़ा ही अहम सवाल है?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायं?

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। वह यह है कि किन कारणों से यह हत्या काण्ड हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था ? मंत्री जी ने कहा कि विवेचना हो रही है। माननीय मंत्री जी इस हत्या काण्ड के तुरन्त बाद मौके पर गयी थीं और वहां से आने के उपरान्त यह बयान दिया कि इस हत्याकाण्ड के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह बयान उन्होंने किस आधार पर दिया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस दुखद घटना के पीछे राजनीतिक तत्वों के हाथ अवश्य हैं लेकिन . . .

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

हत्या कौन करवा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जांच हो रही है।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

क्या इनको इल्हाम हो गया है कि इस हत्याकाण्ड में राजनीतिक लोगों का हाथ है?

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर घटना हुई है और इसके तत्काल बाद समाचार पत्रों में माननीय मंत्री जी का बयान निकला कि इसमें राजनीतिक मोटिवेशन है। आज मंत्री जी ने कहा कि विवेचना हो रही है तो किस आधार पर सदन में कहा गया है कि इसके पीछे राजनीतिक मोटिवेशन है। जो अभी तक विवेचना हुयी है उसमें कौन से तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसके पीछे पोलिटिकल मोटिवेशन है? यदि वे तथ्य हैं तो कौन सी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? ऐसा कहकर इन्होंने सारे विपक्ष को बदनाम किया? है और गुमराह करने वाला शासन की ओर से वक्तव्य क्यों दिया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, पहले ही मैंने कहा कि इसमें विवेचना हो रही है और जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उनको सदन के समक्ष रख दिया जायेगा ?

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न यह है कि इस हत्याकाण्ड के उद्देश्य क्या हैं? मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस उद्देश्य की विवेचना हो रही है । आपने पुनः यह प्रश्न किया कि मंत्री जी ने तुरन्त घटना स्थल से लौटने के उपरान्त यह कैसे बयान दिया कि इसमें राजनीतिक दलों का हाथ होने का संशय है । दोनों बातों के उत्तर में कहा गया कि जांच हो रही है और इस प्रश्न के बाद भी कहा गया कि राजनीतिक दलों के हाथ का संशय है । यह आपका प्रश्न है और ये उनके उत्तर हैं। एक बात तो यह कह रही हैं कि विवेचना हो रही है और यह भी उत्तर है कि राजनीतिक दलों के हाथ होने का संशय है, तो इस विवाद में न पड़कर मैं क्या उत्तर दिला सकता हूं ? आप इस प्रश्न को किसी और रूप में पूछ सकते हैं ।

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

चूंकि सभी माननीय सदस्यों की भावना इस प्रश्न से जुड़ी हुई हैं और कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसने इस कांड की निन्दा और भर्त्सना न की हो, हमने भी और सत्तापक्ष के लोगों ने भी । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच हो रही है । श्रीमन्, यह भी कहा गया कि वह गोपनीय है, बताया नहीं जा सकता है । जब यह सब चीजें गोपनीय हैं, अभी तक तथ्य जब प्रकाश में नहीं आ पाये, तो श्रीमन्, यह भी कहना कि इसमें राजनीतिक दलों का हाथ है, श्रीमन्, जब कोई इन्वेस्टीगेशन शुरू नहीं हुई थी, तब ये साढ़ूपुर जाती है, और श्रीमन्, ये विपक्ष पर लांछन लगाना चाहती है। श्रीमन्, इसके विरोध में मैं निवेदन करता हूं कि मैं और मेरा दल सदन का त्याग करेंगे ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री भीखा लाल--मान्यवर, माननीया गृह मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, उन्होंने गुमराह किया है सदन को, और पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। इसलिए मैं और मेरा दल 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीया गृह मंत्री जी ने यह कह कर कि इसमें राजनैतिक दल का हाथ है, पूरे सदन को गुमराह किया है और तथ्य को छिपाया है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, इन्होंने विपक्ष के राजनीतिक दल का नाम लिया है। यह इन्क्वायरी को डायरेक्टिव दे रही है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, हमारी जो होम मिनिस्टर हैं, इन पर प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया है। (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

[× × × ×]

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव–

श्रीमन्, आप कार्यवाही को देख लें, मुरादाबाद का काण्ड हुआ था, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कार्यवाही करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर करेंगे। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसी तरह से माननीया गृह मंत्री जी ने आज भी कह दिया कि इसमें विपक्ष का हाथ है। मान्यवर, यह कह कर माननीया गृह मंत्री जी ने इसमें इतना भ्रम पैदा कर दिया और उसका स्पष्टीकरण सदन में न हो, कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, हमारी गृह मंत्री जी जो हैं, इन पर हमारे प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया है और उन्होंने सदन में जो गुमराहकुन बयान दिया है, उससे इस सदन की तौहीन है। वह या तो क्षमा मांगें या इस्तीफा दें, अन्यथा हम और हमारा दल इस सदन का त्याग करते हैं।

(श्री खैरुल बशर अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–[× × × ×]

(व्यवधान)

अतारांकित प्रश्न

ग्राम दरियापुर, जनपद फैजाबाद में दरियापुर माइनर पर पुलिया का निर्माण

1–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दरियापुर, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद में राजवाहा पैसरा दरियापुर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा 1981 में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के सामने माइनर पर पुलिया निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट:–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

ग्राम दरियापुर के निवासियों के आवागमन की सुविधा के लिए दरियापुर माइनर के कि0मी0 0.700 पर एक वी0 आर0 बी0 का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है।

पुलिया का निर्माण अभी नहीं किया गया है। इसका निर्माण 1982 की नहरबंदी में करा दिया जायेगा।

बनियानी ड्रेन शारदा सहायक टांडा फैजाबाद ड्रेन को सीधा कराने एवं पुलिया निर्माण से संबंधित पत्र

2–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बनियानी ड्रेन शारदा सहायक टांडा फैजाबाद ड्रेन को सीधा कराने एवं पुलिया निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 6-4-81 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या ड्रेन को सीधा कराके पुलिया निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, श्री गोपीनाथ वर्मा विधायक का दिनांक 7-4-81 का पत्र प्राप्त हुआ है।

जी नहीं, कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है।

भूमि उपलब्ध न होने तथा कृषकों के विरोध के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

देवहट ड्रेन पर पुल के निर्माण की व्यवस्था

3–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम तसाईया ब्लाक बसखारी, थाना बसखारी, तहसील टांडा, फैजाबाद ड्रेन पर उक्त ग्राम के सामने पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में दिनांक 4-4-81 को क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पुल निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो पुल निर्माण न कराये जाने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

देवहट ड्रेन पर पुल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है तथा निर्माण कार्य आगामी वर्षा के पूर्व पूर्ण होने की आशा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

दशरथपुर माइनर स्वीकृत समरखेन पर प्रस्तावित कुलावा

4–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दशरथपुर माइनर टांडा फैजाबाद के निर्माण की जांच के संबंध में दिनांक 25-3-81 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो जांच पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां, जांच पूर्ण हो चुकी है । दशरथपुर माइनर स्वीकृत समरखेन पर कुलावा नम्बर 57 से ही बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा पम्प नहर के ग्रामीण मार्ग पुल पर रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव

5–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि थोरवा ड्रेन टांडा फैजाबाद महरीपुर नहर की मोहड़ी फरीदपुर टांडा फैजाबाद पर पानी रोकने हेतु डाट लगाकर सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के संबंध में दिनांक 25-3-81 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त नहर की मोहड़ी पर डाट लगवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । टाण्डा पम्प नहर के कि0 मी0 9.8 पर ग्रामीण मार्ग पुल पर रेगुलेटर बनाना 1982 की नहरबंदी में प्रस्तावित है जिससे पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो सकेगी।

जनपद जौनपुर में जल निकासी के अभाव में ड्रेन खोदकर नांद नदी में गिराने की योजना तथा उक्त ड्रेन पर हुये कार्य का भुगतान

6–श्री प्रभु नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के निकास क्षेत्र जलालपुर के ओईना ग्राम की सैकड़ों एकड़ जमीन जल निकासी के अभाव में प्रतिवर्ष डूब जाती है ? क्या यह भी सत्य है कि ओइना ताल से बेला, जगापुर, लहंगपुर आदि ग्रामों से होती हुई एक ड्रेन खोदकर नांद नदी में गिराने की योजना बनाई गई थी और क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980-81 में उक्त ड्रेन की खुदाई पूरी किए बिना इस कार्य को पूर्ण दिखाकर फर्जी रूप से पैसा निकाल लिया गया ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करायेगी और जल निकासी की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । वर्ष 1980-81 में प्रश्नगत ड्रेन पर जितना कार्य हुआ उतने ही का भुगतान किया गया । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1981-82 उक्त ड्रेन का अवशेष कार्य करा दिया गया है जिससे इस वर्ष ड्रेन के पूर्ण क्षमता से कार्य करने की आशा है ।

श्रीमती शशी चिलैथा, हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध गबन के मामले की जांच व कृत कार्यवाही तथा मुअत्तली के वायरलेस द्वारा निरस्त आदेश

7–श्री दीनानाथ पाण्डेय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शशि चिलैथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के ऊपर इलाहाबाद में इसी पद पर रहते हुए लगभग 62,000 रु0 (बासठ हजार रुपये) के गबन का मामला विभागीय जांच में पाया गया था ? यदि हां, तो श्रीमती शशी चिलैथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8–श्री दीनानाथ पाण्डेय–

श्रीमती शशी चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वाराणसी के उप निदेशक व संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण ने जांच पर लगाये गये कई आरोपों को सही पाया और कार्यवाही के लिये लिखा है ? यदि हां, तो श्रीमती चिलैथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

9–श्री दीनानाथ पाण्डेय–

श्रीमती शशी चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी को तत्कालीन हरिजन मंत्री श्री छेदालाल चौधरी महोदय द्वारा मुअत्तल किया गया किन्तु आदेश उक्त अधिकारी तक सर्व होने के पूर्व ही वायरलेस द्वारा आदेश निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

10–11–श्री जीराज सिंह मौर्य–

[5वें गंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–152-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बिल्हौर बस स्टेशन जी0 टी0 रोड पर बसों के रुकने के आदेश

12–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने जनवरी, 81 व फरवरी, 81 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर बस स्टेशन जी0 टी0 रोड पर चलने वाली समस्त बसों के रुकने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो अभी तक उस आदेश का पालन न होने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

13–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

श्री राम दास सिंह, ग्राम व पोस्ट अजमतगढ़, आजमगढ़ के शिकायती पत्र की जांच पर कार्यवाही

14–श्री पंचानन राय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दास सिंह, ग्राम व पोस्ट अजमतगढ़, आजमगढ़ का शिकायती पत्र दिनांक 28-2-81 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसमें प्रमुख शिकायतें क्या हैं और क्या इसकी जांच करायी गयी है? उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

किला मोहम्मदी ड्रेन, लखनऊ की सफाई में की गयी अनियमितताओं की जांच

15–श्री संत बख्स रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11-9-81 को किला मोहम्मदी ड्रेन लखनऊ की सफाई में की गयी अनियमितताओं के संदर्भ में प्राप्त हुआ है ? जिसके संबंध में शासन द्वारा अ0 शा0 प0 सं0 197 यम0 यम0 (61)/81 दिनांक 17-9-81 सिंचाई अनुभाग–6 द्वारा यह बताया गया है कि मुख्य अभियन्ता दक्षिण कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को स्वयं जांच करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है, उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जांच आख्या अभी अपेक्षित है ।

परिवहन निगम, लखनऊ में मुख्यालय से बाहर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डेपुटेशन एलाउन्स की स्वीकृति

16–श्री हरिवंश सहाय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 के पूर्व के मुख्यालय लखनऊ के कुछ अधिकारियों को डेपुटेशन एलाउन्स मिल रहा है और इसी विभाग में मुख्यालय से बाहर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डेपुटेशन एलाउन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1972 से पूर्व का मुख्यालय लखनऊ के अधिकारियों को डेपुटेशन एलाउन्स नहीं मिल रहा है । इसी प्रकार परिवहन निगम में मुख्यालय से बाहर पूर्व के रोडवेज विभाग के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी डेपुटेशन एलाउन्स अनुमन्य नहीं है ।

सीनियर स्टेशन इन्चार्ज, देवरिया डिपो के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

17–श्री हरिवंश सहाय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया डिपो के विरुद्ध तमाम अनुशासनिक कार्यवाही पेंडिंग रहते हुए भी सात वेतन बढ़ोत्तरियां (इन्क्रीमेंट) अवैध रूप से स्वीकृत कर दी गई हैं और इसकी शिकायत होने पर छानबीन के उपरान्त भी कार्यवाही आज भी लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों और किन परिस्थितियों में ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम भाउपुर में जल निकासी की व्यवस्था

18–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम भाउपुर की सैकड़ों एकड़ जमीन जल निकासी के अभाव में पानी में डूब जाती है और खेती के सर्वथा अयोग्य हो जाती है ? क्या सरकार इस गांव से जल निकासी की व्यवस्था करा कर सैकड़ों एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

ग्राम भाउपुर में जल निकासी हेतु जौनपुर जनपद की सम्पूर्ण ड्रेनेज योजना के अंतर्गत जागापुर नाले का निर्माण जिसकी लम्बाई 8.5 किमी0 है तथा खारगसेनपुर प्राकृतिक नाले का पुनरुद्धार किया जाना प्रस्तावित है । धन व भूमि उपलब्ध हो जाने पर नाले का निर्माण किया जायेगा ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के कुसांव नलकूप हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण

19–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के कुसांव नलकूप का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था ? क्या यह सत्य है कि उक्त नलकूप तक पहुंचने के लिए कोई भी सम्पर्क मार्ग नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नलकूप तक सुगमतापूर्वक पहुंचने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के नलकूप कुसांव का निर्माण वर्ष 1973-74 में पूर्ण हुआ था ।

जी हां, उक्त राजकीय नलकूप तक पहुंचने के लिये विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग नहीं बनाया गया है । उक्त नलकूप तक पहुंचने के लिये विलेज रोड (ग्रामीण सड़क) है । जिस पर काश्तकारों द्वारा कहीं कहीं पर अतिक्रमण कर लिया गया है । विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग बनाना प्रस्तावित नहीं है।

20—श्री पंचानन राय—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ के कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों में मृत कर्मचारियों के आश्रित तथा सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों की संख्या

21—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित आत0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त 314 कर्मचारियों में अलग-अलग कितने मृत कर्मचारियों के आश्रित हैं तथा कितने सेवा से पृथक किये गये कर्मचारी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने कर्मचारी ऐसे नियुक्त किये गये जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद में गढ़वा रतनपुर बांध की मरम्मत पर खर्च

22—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में गढ़वा-रतनपुर बांध पर 31 मार्च, 1981 तक बनाने एवं मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि इस बंधे पर रेगुलेटर जो बाढ़ के पानी से बह गए थे इसके मरम्मत पर कितना खर्च हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 31 मार्च, 1981 तक गढ़वा-रतनपुर बांध के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत पर रुपया 1,93,034.00 व्यय हुआ है ।

जी नहीं । बाढ़ के कारण रेगुलेटर के अग्रभाग पर थोड़ी क्षति पहुंची थी, जिसकी मरम्मत पर केवल रुपया 1,798.00 व्यय हुआ है ।

श्री वी0 पी0 सिंह, स0 अभियन्ता, बनारस डिवीजन के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट के आधार पर निलम्बन व प्रोन्नति का आधार

23—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1969 में जब श्री वी0 पी0 सिंह बनारस रिंग्स डिवीजन में सहायक अभियन्ता थे तो उनके द्वारा 13 लाख 50 हजार रुपये (तेरह लाख पचास हजार रुपये) के सरकारी धन के दुरुपयोग के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच हुई थी तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उनका निलम्बन कब व किस आधार पर समाप्त करके उनकी प्रोन्नति कर दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

श्री वी0 पी0 सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, रिंग्स प्रखण्ड, बनारस को सतर्कता जांच पर्यन्त 4 मई, 1976, के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था ।

श्री सिंह के निलम्बन आदेश को लोक सेवा अधिकरण द्वारा स्थगित कर दिया गया था । न्याय विभाग के परामर्शानुसार उनके निलम्बन आदेश को दिनांक 13 जुलाई, 1976 के आदेश द्वारा वापिस ले लिया गया था ।

श्री सिंह को 12 जुलाई, 1977 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया था ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में प्रस्तावित चार नई उपशाखाओं का निर्माण

24—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा सहर के गड़ियाहू केराकत शाखा से जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत चार नई उप शाखाएं निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या यह सत्य है कि ये सभी उप शाखाएं उस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं जहां अत्यधिक घनी आबादी है और अधिकांश लघु और सीमान्त कृषक रहते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उस क्षेत्र के अधिकांश कृषकों ने विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर लघु नलकूप लगा लिये हैं ? क्या सरकार इस क्षेत्र के कृषकों की भूमि बचाने हेतु इन प्रस्तावित उप शाखाओं का निर्माण निरस्त करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों पर औसतन व्यय

25—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों की प्रति सौ किलोमीटर यात्रा पर औसतन कितना डीजल व्यय होता है ? इन बसों की डीजल की खपत कम करने एवं विदेशी मुद्रा की बचत के लिए सरकार ने कौन से उपाय किये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर डीजल का व्यय औसतन 22 से 27 लीटर, प्रति सौ किलोमीटर आता है।

डीजल का व्यय कम करने तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये परिवहन निगम द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों की स्थिति निम्नवत है :—

डीजल की मितव्ययिता के संबंध में पेट्रोलियम कन्जरवेशन रिसर्च एसोसियेशन, दिल्ली के सहयोग से चलने वाले अभियान के अन्तर्गत चालकों पर नियन्त्रण एवं उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना, गाड़ियों की यांत्रिक स्थिति को सही रखना, डीजल की भरान के समय सतर्कता बरतना, डीजल टैंक और कैप को सही रखना तथा अधिकतम स्पीड पर गाड़ियों का संचालन करना जिससे फ्यूल कम खर्च हो ।

अधिक डीजल खर्च होने के विरुद्ध उत्तरदायी अधिकारी

26—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के संदर्भ में परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 80 तक 2,07,85,850 रुपये के घाटे के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे? बैट्री के अभाव का क्या कारण था तथा इस कारण रु0 1,14,08,807 का अधिक डीजल खर्च होने के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक अजमतगढ़ में नलकूप की सफाई

27—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नलकूप की सफाई कब करायी गयी और यह कब तक कार्यरत हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक अजमतगढ़ में स्थित ग्राम सभा मुसलमानपुर में निर्मित नलकूप की सफाई माह 4/81 में कराई गयी थी। माह 12/81 से यह नलकूप कार्यरत है।

28–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तेतरी बाजार से कानपुर जाने वाली बस के खराब हो जाने पर यात्रियों को असुविधा तथा मार्ग पर नई बस चलाने की योजना

29–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती डिपो की बस नं0 यू0टी0ए0 9081 जो इस समय बस्ती जिले तेतरी बाजार से कानपुर को जाती है वह करीब साढ़े तीन लाख किलोमीटर चल चुकी है और बहुत पुरानी हो गयी है? उसमें चलने वाले मुसाफिरों को बहुत परेशानी हो रही है? क्या सरकार यहां पर एक नई बस चलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत बस संख्या यू0टी0ए0 9081 दिनांक 1-7-81 तक तेतरी बाजार–कानपुर मार्ग पर संचालित थी। यह बस 3,32,000 किलोमीटर चल चुकी थी।

2–दिनांक 2-7-81 से तेतरी बाजार–कानपुर मार्ग पर एक अच्छी बस संख्या यू0आर0ओ0 850 संचालित की गयी है जो दिसम्बर, 1981 तक कुल 67,000 किलोमीटर चली है।

ग्रामोदय उ0 मा0 विद्यालय, बढ़यापार, गोरखपुर में कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त किये बिना भुगतान का औचित्य तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

30–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब संस्था को मान्यता अप्रैल, 80 में मिली और कक्षा संचालन की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसके बाद प्राप्त हुई तो वर्ष 79-80 में 7143.00 रुपये भुगतान का क्या औचित्य है? क्या सरकार इस अनियमित भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़, ग्राम जीयनपुर में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 37 का पुनः निर्माण

31–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कूप के पुनः निर्माण के संबंध में 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के ग्राम जीयनपुर में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–37 सगड़ी समूह के पुनः निर्माण का निर्णय दिनांक 5-11-81 के पूर्व ले लिया गया था लेकिन भूस्वामी के विरोध के कारण छिद्रण कार्य नहीं किया जा सका है। उक्त नलकूप हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव माह नवम्बर, 1981 में भेज दिया गया है।

32–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

जेल में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा अवधि तथा ट्रेनिंग की व्यवस्था

33–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या जेल मंत्री बतायेंगे कि जेल विभाग में शिक्षकों की कितनी संख्या है तथा कितने शिक्षक प्रशिक्षित हैं और कितने अप्रशिक्षित ? अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवावधि कितनी है ? क्या सरकार ने इनके ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था की है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

कारागार विभाग में 71 शिक्षक (प्रधान शिक्षकों को मिलाकर) कार्यरत हैं, जिनमें 62 प्रशिक्षित और 9 अप्रशिक्षित हैं ।

अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवावधि 8 वर्ष से 39 वर्ष तक की है।

जी नहीं, क्योंकि कारागार विभाग में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

34–श्रीमती गौरी देवी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

सिंचाई कर्मचारियों उ0 प्र0 की समस्याओं पर विचारार्थ कमेटी का गठन व संस्तुतियां

35–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला उ0 प्र0 के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचारार्थ सन् 1981 में एक कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो उस कमेटी की संस्तुतियां क्या हैं ? और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । समिति गठित की गई थी । समिति की संस्तुतियां गोपनीय हैं जिन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राजकीय नलकूप पतिराजपुर व गड़खड़ा तृतीय ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में विद्युतीकरण

36–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप पतिराजपुर व गड़खड़ा तृतीय ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी क्रमशः दो वर्ष, 1 वर्ष से खराब हो गया है अब तक चालू न होने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि दोनों को विद्युत् सप्लाई भी अभी तक नहीं हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूप पतिराजपुर व गड़खड़ा तृतीय ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी क्रमशः 2 वर्ष, 1 वर्ष से खराब नहीं है । यह दोनों नवनिर्मित नलकूप हैं तथा इनमें से पतिराजपुर नलकूप अक्टूबर, 1981 से चालू हो गया है। गड़खड़ा तृतीय के विद्युतीकरण के लिये दिसम्बर, 1981 में बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को भेज दिये गये थे ।

बाबतपुर राजबहा के निर्माण हेतु बड़ा गांव व पिण्डरा ब्लाक के ग्रामों को फसल की हानि तथा दिया गया मुआवजा

37–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबतपुर राजबहा शारदा सहायक 38वां खंड वाराणसी ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा में जिन गांवों में खोदाई हो गई है और फसल भी उखाड़ दी गयी है उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है? क्या यह सत्य है कि मुआवजे की रकम लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर, वाराणसी के यहां पड़ी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाबतपुर राजबहा के निर्माण हेतु बड़ा गांव व पिण्डरा ब्लाक के 11 ग्रामों में फसल की हानि का रु0 27,530/– मुआवजा दिया गया है ।

भूमि के प्रतिकर के लिये रु0 30 लाख माह फरवरी, 1981 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध करा दिया गया है और प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

नीबी अल्पिका पर पुल का निर्माण

38–श्री रामचरण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 18-9-81 को एक पत्र नीबी माइनर के सार्वजनिक मार्ग पर पुल का निर्माण करने के संबंध में लिखा था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

नीबी अल्पिका पर पुल का निर्माण धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जायेगा ।

दयालपुर माइनर के विस्तार के संबंध में कार्यवाही

39–श्री रामचरण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 28-8-81 को दयालपुर माइनर के विस्तार के संबंध में उन्हें एक पत्र लिखा था अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

दयालपुर अल्पिका का विस्तार प्रस्तावित है ।

पड़री अल्पिका का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य

40–श्री रामचरण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र पड़री माइनर शाहगंज राजबाहा से माइनर बनाने हेतु लिखा था और जिनकी प्राप्ति सिंचाई मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 23-12-80 द्वारा स्वीकार की थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पड़री अल्पिका का सर्वेक्षण इस कार्य सत्र में प्रारम्भ किया जायेगा । अल्पिका तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर निर्माण कार्य. जब एवं धन की उपलब्धता होने पर किया जायेगा ।

चौमुहानी के पूरब की नहर में रेगुलेटर लगाने पर कार्यवाही

41–श्री रामचरण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 18-9-81 को उन्हें एक पत्र चौमुहानी के पूरब की नहर में रेगुलेटर लगाने के संबंध में लिखा था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, रेगुलेटर के निर्माण का तकनीकी दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

42–श्री राम चरण सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मड़हान ब्रांच नहर के हेड से लूसा तक रोड पक्का करने की कार्यवाही

43—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें 28-8-81 को एक पत्र मड़हान ब्रांच नहर के हेड से लूसा तक 14 किलो मीटर रोड पक्का करने के संबंध में लिखा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 28-8-81 का पत्र प्राप्त हुआ है । मड़हान शाखा के शीर्ष से 14 कि0 मी0 तक नहर की सड़क का पक्का करना प्रस्तावित नहीं है ।

विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज, जनपद जौनपुर में खराब नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही

44—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-81 को जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज में कितने राजकीय नलकूप स्थित हैं और इनमें से कौन-कौन से नलकूप अच्छी हालत में कार्यरत हैं और कौन-कौन खराब हैं या पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं करते ? क्या सरकार इन खराब नलकूपों को ठीक कराकर क्षेत्रीय कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 31-10-81 को जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज में 22 राजकीय नलकूप स्थित थे और इनमें से 14 राजकीय नलकूप अच्छी हालत में कार्यरत हैं तथा कोई नलकूप खराब नहीं है । शेष 8 राजकीय नलकूप असफल हो गये हैं जिसमें से 7 खारा पानी या नहर कमाण्ड में होने के कारण असफल हो गये और 1 राजकीय नलकूप छिद्रण के समय ही असफल हो गया था। अतः असफल नलकूपों के ठीक कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय कारागार, बरेली में कैदियों द्वारा संचालित कालीन की बुनाई का कार्य

45—श्री पंचानन राय—

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 के किन-किन जेलों में कालीन की बुनाई का कारोबार कैदियों द्वारा संचालित किया जाता है? क्या वाराणसी जेल में यह कारोबार चलता है? यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में इस पर कितना व्यय किया गया तथा उत्पादित माल की कितनी कीमत प्राप्त हुई? इसमें माल के निर्माण में लगे हुए कैदियों को कितना अंश मिला? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कैदियों द्वारा निर्मित माल का कुछ भाग जेल निरीक्षकों, वी0 आई0 पी0 विजिटर्स को उपहार में या कम मूल्य पर दिया गया?

श्री राम सिंह खन्ना—

कालीन की बुनाई का कार्य केवल केन्द्रीय कारागार, बरेली में कैदियों द्वारा संचालित किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्णानन्द शिविर घुर्मा जेल में कैदियों द्वारा लाइमस्टोन की आपूर्ति के फलस्वरूप पारिश्रमिक का भुगतान

46—श्री पंचानन राय—

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में स्थित घुर्मा जेल (सम्पूर्णानन्द जेल) में कैदियों द्वारा वर्ष 1979-80 में सीमेंट के उत्पादन हेतु कितने मूल्य के लाइमस्टोन की आपूर्ति की गयी? इस सम्बन्ध में उन्हें उक्त वर्ष में कितना पारिश्रमिक दिया गया? क्या यह सही है कि उनके पारिश्रमिक का कुछ भाग उन्हें अब तक नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

वर्ष 1979-80 में सम्पूर्णानन्द शिविर घूर्मा मिर्जापुर के बन्दियों द्वारा कुल 1,56,428 टन लाइमस्टोन की सम्पूर्ति की गई। पारिश्रमिक स्वरूप सीमेन्ट निगम द्वारा रु0 8,61,022-50 का भुगतान किया गया। सम्पूर्ति किये गये लाइमस्टोन के मूल्य को कारागार विभाग द्वारा नहीं आंका जाता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन की बस नं0 यू0 टी0 ए0 9242 को अनियमित ढंग से चेक किये जाने पर कार्यवाही

47–श्री पंचानन राय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम की बस नं0 यू0 टी0 ए0 9242 के फतेहगंज, जौनपुर के पास अनियमित तरीके से चेक किए जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-11-80 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

48–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

49–श्री हरिवंश सहाय–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

अधिशासी एवं सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, देवरिया के विरुद्ध जांच

50–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी एवं सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-81 उन्हें प्राप्त हुआ है? क्या इसकी जांच प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई), 518, जवाहर भवन, लखनऊ ने किया? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच रिपोर्ट विचाराधीन होने के कारण तथ्यों को बताना जनहित में नहीं है।

51–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राम प्रताप सिंह, गांव व पो0 अहमदपुर जफराबाद, जिला जौनपुर के सम्बन्ध में रिपोर्ट

52–श्री उदल–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम प्रताप सिंह पुत्र रघुराज सिंह, गांव व पोस्ट अहमदपुर जफराबाद, जिला जौनपुर के सम्बन्ध में एक पत्र संख्या 487 (11) रा0 पे0, जिला जौनपुर दिनांक दिसम्बर 5, सन् 80 के द्वारा जिलाधीश, जौनपुर ने अनुसचिव, गृह सामान्य अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा है कि इसको गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया जाय? यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट शासनादेश, संख्या 1130 जेड "3"/जी-79-174 के0 पे0-80, दिनांक 10 सितम्बर, 80 के सन्दर्भ में भेजी गयी है?

श्री राम सिंह खन्ना–

जिलाधीश, जौनपुर की रिपोर्ट संख्या 487(11)/रा0 पे0-जिला जौनपुर, दिनांक दिसम्बर 5, 1980 शासन को प्राप्त हुई है किन्तु प्रश्नगत रिपोर्ट श्री राम प्रसाद सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह जिला जौनपुर से सम्बन्धित है। यह रिपोर्ट शासनादेश संख्या-1103/0 जेड(3)/6-79-174 के0 पे0/80, दिनांक 10-9-1980 के संदर्भ में जिलाधिकारी, जौनपुर से प्राप्त हुई है।

इस सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद सिंह के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कतिपय बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई है, जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पायी है।

श्री केशव प्रसाद सिंह, ग्राम सवादा, जिला वाराणसी द्वारा राजनैतिक पेंशन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

53—श्री उग्रदल

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव प्रसाद सिंह, ग्राम सवादा, पोस्ट बाबतपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने प्रदेश सरकार से राजनैतिक पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को जुलाई, 72 में कलेक्टर, वाराणसी के यहां से भेजा गया है और उसके बाद अगस्त, 78 में पुनः भेजा है? यदि हां, तो श्री केशव प्रसाद सिंह को प्रान्तीय पेंशन अब तक न देने का कारण क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री केशव प्रसाद सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह, जिला वाराणसी द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में भेजे गए आवेदन पत्र शासन को प्राप्त हुए थे। श्री केशव प्रसाद सिंह को दिनांक 1-12-81 से एक सौ रुपये मासिक राज्य स्वतंत्रता संग्राम पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण द्वितीय खण्ड झांसी द्वारा साख सीमा प्रणाली के अन्तर्गत काटे हुए चेक

54—श्री उग्रदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड द्वितीय, झांसी ने साख सीमा प्रणाली के अन्तर्गत अप्रैल से लेकर जुलाई, 81 तक कितने रुपए के चेक किन-किन कार्यों के लिए काटे हैं और इनके अन्तर्गत कितने डिवीजन कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार अप्रैल से लेकर जुलाई, 81 तक तथा पिछले वित्तीय वर्ष 80-81 के कार्यों तथा उक्त योजना (साख सीमा प्रणाली) के अन्तर्गत काटे हुए चेकों का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड द्वितीय, झांसी ने साख सीमा प्रणाली के अन्तर्गत अप्रैल, 1981 से जुलाई तक कुल रु0 9,49,728.02 की धनराशि के निम्नांकित कार्यों के लिये उनके सामने अंकित धनराशि के चेक काटे हैं:

क्र0सं0	कार्य का नाम	अप्रैल, 81 से जुलाई, 81 तक काटे गये चेकों की धनराशियां (रुपये में)
1—	अधिष्ठान	1,19,938.55
2	कार्य—	
	(अ) निर्माण कार्य	4,72,385.40
	(ब) क्यू इक्युपमेन्ट	—
	(स) फाटकों के निर्माण के लिये सिंचाई कार्यशाला झांसी को किया अग्रिम भुगतान	—
3	स्टाक	58,512.32
4—	उपकरण एवं संयंत्र	87,071.54
5—	कन्टिनजेन्सी	15,786.10
6—	जीपों का रख रखाव	19,495.35
7—	कैश फार चेस्ट	31,000.00
8—	कैश सेटिलमेन्ट बिलों का भगतान	10,819.44

9--स्टाक तथा उपकरण एवं संयंत्रों की आपूर्ति के लिये प्रोफार्मा बिल एल0 एस0 सी0 आदि के समक्ष अग्रिम भुगतान	1,34,719.32
कुल योग	3,49,728.02

इस खण्ड के अन्तर्गत और कोई खण्ड कार्य नहीं कर रहा है। इस प्रखण्ड में तीन उप खण्ड हैं।

अप्रैल, 81 से जुलाई, 81 तक कार्यवार काटे गए चेकों का विवरण ऊपर अंकित है। पिछले वित्तीय वर्ष 1980-81 में इस प्रखण्ड में कुल धनराशि 46,21,608·23 के चेक निम्नांकित कार्यों के लिए उनके समक्ष अंकित धनराशि के लिए काटे गये हैं:

क्र0-सं0 कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 80–81 में काटे गये चेकों की कुल धनराशि (रुपये में)
1--अधिष्ठान	3,62,006_70
2--कार्य---	
(अ) निर्माण कार्य	5,08,541_67
(ब) क्यू इक्यपमेन्ट	2,14,360_80
(स) फाटकों के निर्माण के लिये सिचाई कार्यशाला झांसी को किया गया अग्रिम भुगतान	30,00,000_00
योग काये	37,22,902_47
	रु0पैसे
3--स्टाक ..	2,42,682.54
4--उपकरण एवं संयंत्र ..	78,807.91
5--कन्टिजेन्सी ..	38,893.42
6--जीपों का रख रखाव ..	13,777.64
7--कैश फार चेस्ट ..	62,500.00
8--कैश सेटिलमेन्ट बिलों का भुगतान ..	16,325.60
9--स्टाक तथा उपकरण एवं संयंत्रों की आपूर्ति के लिये प्रोफार्मा बिल एल0 एस0 सी0 आदि के समक्ष अग्रिम भुगतान ..	83,711.95
कुल योग ..	46,21,608.23

द्रुतगामी बसों को रुकने के आदेश

55–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री प्रथम सत्र 81 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 43 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय से जो आदेश अन्य क्षेत्रों की द्रुतगामी बसों को स्थान पिण्डरा (वाराणसी/जौनपुर मार्ग) में रुकने का आदेश दिया गया था वह किन-किन क्षेत्रों को दिया गया है और क्या उसके मुताबिक सभी द्रुतगामी बसें रुकने लगी हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आदेश की एक प्रति पुनः सभी क्षेत्रों को भेजने की कृपा करेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिंडरा को फेयर स्टाप घोषित करके क्षेत्रीय प्रबन्धकों को दिया गया आदेश

56–श्री ऊदल–

क्या परिवहन मंत्री सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को फेयर स्टाप भी पिंडरा को 13-3-81 से घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो पिंडरा का किराया निश्चित करके समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भेजना था, वह भेजा गया कि नहीं? क्या उसी दिन

के प्रश्न संख्या 44 के उत्तर में यह भी कहा गया था कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों को आदेश दिए गये हैं कि वे अपनी गाड़ियों को वहां रुकने का आदेश दें? यदि हां, तो दिया गया आदेश क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

57–श्री उदल–

[20-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित।]

धौतरी राजकीय इण्टर कालेज में ललित कला वर्ग की मान्यता देने का विचार

58–श्री उदल–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री सन् 1981 के प्रथम सत्र के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि धौतरी राजकीय इण्टर कालेज में छात्रों की संख्या देखते हुए ललित कला वर्ग की मान्यता अब देने पर सरकार विचार कर रही है? क्या यह सही है कि इस वक्त छात्र संख्या 200 से ऊपर है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)–

जी नहीं। अतिरिक्त वर्ग कुल छात्र संख्या नहीं वरन् कक्षा की छात्र संख्या के आधार पर खोले जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा श्री गौरी हरिजन को स्वीकृत अनुदान

59–श्री उदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के ग्राम सिद्धपुर के श्री गौरी नामक एक हरिजन को 4-6-79 को कृषि कार्य हेतु एक हजार रुपए का अनुदान उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था और उसके आदेश भी प्रबन्ध निदेशक ने जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बांदा को भेज दिए थे? यदि हां, तो सभी संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद उसे रुपए न दिए जाने के क्या कारण हैं?

श्री गुलाब सेहरा–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा श्री गौरी पुत्र श्री बदलू, निवासी गांव सिद्धपुर, तहसील करवी, जिला बांदा, को दिनांक 30 मार्च, 1979 को रु0 1,000/- का कृषि अनुदान स्वीकृत किया गया था परन्तु यह अनुदान उसको नहीं दिया गया क्योंकि भुगतान के पूर्व यह तथ्य ज्ञान में आया कि श्री गौरी को भूमि का सीरदारी पट्टा 1962 में हुआ था जबकि निगम की नीति के अनुसार केवल वही व्यक्ति कृषि अनुदान के पात्र थे जिन्हें भूमि का आवंटन 1975 में अथवा उसके बाद हुआ हो।

60–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

तमसा नदी में अतिवृष्टि तथा जल भराव के कारण पक्की ड्रेन बनाये जाने का सुझाव

61–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29-9-81 को उनके नाम भेजा गया पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट के परगना मवई व सौढ़ी और रुदौली में स्थित मड़हा (तमसा नदी) में अतिवृष्टि तथा जल भराव के कारण समस्त फसलों के डूबने और सैकड़ों गांवों को प्रभावित होने से बचाने हेतु स्थायी तौर पर उसकी जल निकासी हेतु उसे गहरा कराकर पक्की ड्रेन बनाए जाने से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–
जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मड़हा नदी की क्षमता बढ़ाने के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जो मार्च, 1983 तक पूर्ण हो जायेगा। परियोजना पर कार्य मुख्य अभियंता समिति, बाढ़ नियंत्रण परिषद् एवं तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा।

मुरादाबाद व आजमगढ़ में कई संस्थाओं की प्रदेशीय स्तर पर जांच

62–श्री ऊदल–
क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद व आजमगढ़ में कई संस्थाओं की प्रदेश स्तर पर कराई जा रही जांच पूरी हो गई है? क्या उसमें लाखों रुपए का घोटाला है और फर्जी है? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? और विभाग के कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, वे कौन-कौन लोग हैं?

श्री गुलाब सेहरा–
(अ) मुरादाबाद की विभागीय जांच पूरी हो गयी है तथा आजमगढ़ की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ब) जी हां। प्रारम्भिक जांच में इस प्रकार के कुछ विवरण मिले हैं।

(स) मुरादाबाद के मामले में पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी है और 4 व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है जिनमें वहां के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा उनके कार्यालय के एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक और एक हरिजन कल्याण सुपरवाइजर है।

आजमगढ़ के मामले में विभागीय विजीलेन्स दल तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को जांच सौंपी गयी है और विभाग के 2 व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है। इनमें एक निदेशालय के आलेखक-प्रालेखक तथा एक आशुलिपिक हैं।

पुनर्वासन योजनान्तर्गत मकान का निर्माण

63–श्री ऊदल–
क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत मकान (आवास) बनाने हेतु सिर्फ दो हजार रुपए का प्राविधान अब तक है, जिसमें मंहगाई की वजह से एक भी आवास नहीं बन पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बढ़ा कर 5 हजार रु0 करने की कृपा करेगी?

श्री गुलाब सेहरा–
जी हां। पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत मकान (आवास) बनाने हेतु अब तक दो हजार रुपये का प्राविधान है। और इसमें मकान बन जाता है। इसे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है।

गांव दवेराई व मंगारी, जिला वाराणसी में आवास हेतु स्वीकृत अनुदान

64–श्री ऊदल–
क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि गांव दवेराई व मंगारी, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में 5-5 आवास मुसहरों के बनने वाले हैं और स्वीकृति तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है परन्तु दो हजार रु0 की वजह से एक भी आवास आज तक नहीं बन पिण्डरा, जिला वाराणसी में 5-5 आवास मुसहरों के बनने वाले हैं और स्वीकृति तीन स्वीकृति प्रदान करेगी?

श्री गुलाब सेहरा–

वर्ष 1978-79 में जिला वाराणसी, ब्लाक पिंडरा के ग्राम देवराई तथा मंगारी के 5-5 मुसहरों के आवास स्वीकृत किये गये थे जिनमें मंगारी में 5 आवास बन चुके हैं केवल छाजन शेष है। ग्राम देवराई में जिन मुसहरों के लिए आवास स्वीकृत थे वे गांव छोड़कर कहीं चले गये हैं। अतएव भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है क्योंकि निर्माण में लाभार्थी का श्रम भी सम्मिलित होता है। अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

पुलों की टॉक्निकल सेल द्वारा जांच

65–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक 38वां खण्ड बाबतपुर राजवाहा/वाराणसी में बड़ागांव, कुसवार में बन रहे पुलों की जांच के लिए कोई टॉक्निकल दल भेजा गया था? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में प्रस्तावित माइनरों पर निर्माण कार्य

66–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की केराकत माइनर से ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर जो माइनर शारदा सागर की तथा 5 वर्षों से शारदा सहायक की प्रस्तावित हैं उनमें एक की भी खुदाई आज तक नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। ब्लाक पिंडरा में प्रस्तावित पांच माइनरें इस क्षेत्र में शारदा सहायक से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नहीं बनाई गई हैं। जून, 1982 के पश्चात् इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ने की आशा है और प्रस्तावित माइनरों का निर्माण भूमि उपलब्ध होने पर इस वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

त्रिलोचन महादेव के पास प्रस्तावित रेलवे पुल का निर्माण

67–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि केराकत नहर का रेलवे पुल त्रिलोचन महादेव के पास सन् 78 से प्रस्तावित है और 80 जून तक बन जाने वाला था उसको अब तक न बनाने का कारण क्या है? क्या यह सही है कि रेलवे पुल न बनने से नहर रेलवे के पश्चिम 79-80 तथा 81 में टूट गयी थी, हजारों एकड़ रबी व धान की फसल लहंगपुर तथा दूसरे गांवों की डूब गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

त्रिलोचन महादेव के पास रेलवे पुल प्रस्ताव संख्या 85 जून, 80 तक बन जाने वाला था परन्तु रेलवे विभाग से निरन्तर प्रयत्न करने पर भी यह पुल अभी तक नहीं बन पाया है। रेलवे विभाग ने 26-9-1981 को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में जून, 82 तक इस पुल को बनाना स्वीकार किया है। वर्ष 79-80 तथा 81 में राजबाहे में खादी हुई थी परन्तु रेलवे पुल के न बनने के कारण नहीं हुई। लहंगपुर नाले से होता हुआ पानी नाद नदी में चला गया तथा खांदी तुरन्त बन्द कर दी गई एवं फसल को क्षति नहीं हुई।

किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्र तथा दी गयी छात्रवृत्ति

68–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती में वर्ष 1977-78, 1978-79 व 1980 तथा 1981 में कितने छात्र हरिजन

एवं पिछड़ी जाति के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे? उनमें से प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया? जिन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, क्या बैंक या पोस्ट आफिस में उन छात्रों का एकाउन्ट खोला गया? यदि हां, तो किन तारीखों में खाता कहां खोला गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुहम्मदपुर माइनर शारदा सहायक, बाराबंकी के शारदा सहायक खण्ड 28 से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

69–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मुहम्मदपुर माइनर शारदा सहायक, बाराबंकी के शारदा सहायक खण्ड 28 के संबंध में उनको दिनांक 24-10-81 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मुहम्मदपुर माइनर बेहटा नहर से निकाली गयी है और इसकी पूर्ण खुदाई 31 दिसम्बर, 1980 तक हो चुकी है। समरखेन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह माइनर बेहटा, मुहम्मदपुर एवं रुकनुद्दीनपुर ग्रामों की पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है।

नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये राजकीय नलकूप

70–श्री राजकुमार राय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ के घोसी तहसील के नत्थूपुर क्षेत्र में कितने नलकूप कहां-कहां एवं कब-कब लगाए गये और कितने ऐसे नलकूप हैं जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है एवं अभी तक कार्य नहीं आरम्भ हुआ है? क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ के घोसी तहसील के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में 24 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है। उक्त क्षेत्र में एक राजकीय नलकूप ग्राम रमऊपुर, विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव, तहसील घोसी में लगाने हेतु चयन समिति की स्वीकृति मिल चुकी है जिसके छिद्रण की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 948 पर।)

ग्रामों में जल निकासी हेतु चतुरखेड़ा ड्रेन का निर्माण

71–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम चतुरखेड़ा धर्मदास खेड़ा रौतापुर बनिधनखेड़ा आदि ग्रामों के जल निकास हेतु चतुरखेड़ा ड्रेन के अब तक निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, उन्नाव को दिनांक 2-11-81 को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र मिला जिसमें इस ड्रेन के अविलम्ब निर्माण कराए जाने की मांग की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों की जल निकासी हेतु ड्रेन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

जी हां।

जनपद गोरखपुर में बाढ़ से बांध का कटान

72—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1981 की बाढ़ में कौन-कौन से बांध किन-किन स्थानों पर कितनी दूरी तक कटे? क्या इनमें से कुछ बांधों को बरसात से पूर्व पुष्ट घोषित किया जा चुका था? यदि हां, तो इस प्रकार के गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके करोड़ों रुपए की क्षति कराने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद में 1981 की बाढ़ में निम्नलिखित बांध कटे और उनका नाम व कटान की लम्बाई निम्न प्रकार है:—

1—चेहरी बांध	105 मीटर
2—जर्दी डुमरा बांध	110 मीटर
3—लक्ष्मीपुर रिंग जमींदारी बांध	75 मीटर
4—खड़गपुर शाहपुर सीपाई बांध	1.5 किमी0
5—भोवापार बेला बांध	77 मीटर

चेहरी बांध जर्दी डुमरा बांध के सेक्शन पूरे थे। लक्ष्मीपुर जमींदारी रिंग बांध का सेक्शन जमींदारी बांधों के रखरखाव के आदेशों के अनुसार पूरा था। अतः इनके वर्षात् से पूर्व गलत पुष्ट घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता। खड़गपुर शाहपुर सोपई बांध घाघरा नदी की धारा में तीव् परिवर्तन के कारण दरिया के कटान से कटा। यह बांध अपूर्ण भी था मगर जहां कटा वहां सेक्शन पूरा था। भोवापार बेला बांध जिस भाग में कटा वहां अपूर्ण था।

इस वर्ष राप्ती व उसकी सहायक नदियों में अभूतपूर्व बाढ़ कई बार आई थी। घाघरा नदी में कटान की प्रवृत्ति कहीं-कहीं बहुत तीव् और भयानक हो जाती है। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन

73—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (सिविल) पर आधारित] सिफारिश संख्या 8, 9, 17, 18, 19 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (सिविल) पर आधारित, लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन की सिफारिशें संख्या 8, 9, 17, 18 व 19, संबंधित मुख्य अभियन्ताओं को अविलम्ब कार्यान्वयन हेतु भेज दी गयी है।

सगड़ी तहसील में बदरौहवा नाले के किनारे निर्माणाधीन जोकहरा तटबन्ध की लम्बाई बढ़ाने पर विचार

74—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में बदरौहवा नाले के किनारे निर्माणाधीन जोकहरा तटबन्ध की लम्बाई बढ़ाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 जुलाई, 81 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–
सूचना एकत्रित की जा रही है।

75–श्री पंचानन राय–
[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम गडौरा मझौरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में नाले को पाट देने से क्षति

76–श्री पंचानन राय–
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गडौरा मझौरा तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ से निकलने वाले नाले को पाट देने के कारण हुई क्षति से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मार्च, 81 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किससे कराई गयी और उसके क्या परिणाम निकले तथा कार्यवाही क्या की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–
सूचना एकत्रित की जा रही है।

माधोपुर हावर्ट और मलौली बांध गोरखपुर को पक्का करने की योजना

77–श्रीमती गौरी देवी–
क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 19 सितम्बर, 81 को मुख्य मंत्री जी ने अपने गोरखपुर दौरे के समय गोरखपुर नगर की सुरक्षा के लिए बने माधोपुर हावर्ट और मलौली बांध को पक्का कराने की घोषणा की थी ? क्या उक्त बांधों को पक्का करने की योजना का प्रारूप अभियन्ताओं द्वारा बनाकर शासन को भेजा जा चुका है? यदि हां, तो बांधों को पक्का कब तक कर दिया जायेगा और इस पर कितना अनुमानित खर्च होने की आशा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–
जी हां।

हावर्ट और माधोपुर बांधों पर दरिया की तरफ पीचिंग करने तथा ऊपर पक्का करने की योजना सचिव, स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड को भेजी जा चुकी है। मलौली बांध की योजना बनाई जा रही है।

योजना स्वीकृति के उपरान्त इन बांधों को पक्का करने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे।

माधोपुर बांध की लागत 59.39 लाख और हावर्ट बांध की योजना 59.74 लाख रुपये की है।

उत्तर प्रदेश में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियन

78–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–
क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सिंचाई विभाग में वर्तमान समय में ट्रेड यूनियन के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियन कौन-कौन सी हैं तथा उनकी सदस्य संख्या क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–
वर्तमान समय में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत निम्नलिखित यूनियन हैं:–

1–इरीगेशन डिपार्टमेन्ट इम्प्लाइज यूनियन, देहरादून।
2–सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, लखनऊ।
3–सिंचाई विभाग, वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–राजघाट परियोजना मजदूर संघ, ललितपुर।
5–प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।

उपरोक्त यूनियनों की सदस्य संख्या की जानकारी शासन को नहीं है।

जनपद गोरखपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वयं सेवी संस्थाएं

79—श्रीमती गौरी देवी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं चलाई जा रही हैं और वर्ष 1980-81 में और कितनी चलाए जाने का प्रस्ताव गोरखपुर के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजा था? क्या यह सच है कि गोरखपुर जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही अनेक संस्थायें फर्जी हैं और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 81 में शिकायती-पत्र भेजा था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में ड्रेनों की सफाई तथा नलकूप संख्या 55 द्वारा पानी का निकास बढ़ाने हेतु कार्यवाही

80—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के ड्रेनों के सफाई से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-81 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत ड्रेनों की सफाई जून, 1982 से पूर्व करा दी जायेगी।

81—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी तहसील के नलकूप संख्या 55 द्वारा आवश्यकता के अनुसार पानी न दिए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-80 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

नलकूप संख्या 55 सगड़ी समूह का निर्माण वर्ष 1963 में मूल निकास 36054 गैलन प्रति घण्टा पर हुआ था। लगभग 17 वर्ष सेवाकाल के पश्चात् निकास धीरे धीरे घट कर 21152 गैलन प्रति घण्टा हो गया है। तकनीकी दृष्टि से निकास बढ़ाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

82—श्री पंचानन राय—

[2रे सोमवार में प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम सभा गांगेपुर, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी का कटाव से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

83—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम सभा गांगेपुर के प्रधान परमहन्स यादव का घाघरा नदी के कटाव से संबंधित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-6-81 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

घोसी राजबहा के मार्ग का गलत निर्धारण संबंधी शिकायती पत्र

84—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में निर्माणाधीन शारदा सहायक के घोसी राजबहा के मार्ग के गलत निर्धारण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-80 शासन को प्राप्त हुआ है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस राजबहा के मार्ग का अन्तिम निर्धारण कब किया गया तथा क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

घोसी राजबहा के मार्ग का अन्तिम निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 25-2-1981 को स्वीकृत किया गया। विधायक महोदय के पत्र के साथ प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया गया था।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तिन्दवारी, जिला बांदा में राजकीय नलकूप

85—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तिन्दवारी, जिला बांदा में कितने नलकूप लगाए गये और उस क्षेत्र में पहले से कितने नलकूप लगे थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1980-81 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिन्दवारी जिला बांदा में 63 राजकीय नलकूप लगाये गये थे। उस क्षेत्र में पहले से 109 राजकीय नलकूप लगे थे।

86—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों के छंटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय

87—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को आदेश संख्या अ0 शा0 पत्र संख्या 599/ई-5, दिनांक 16 जुलाई, 1975 द्वारा छंटनीशुदा घोषित करके इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थी ? क्या यह भी सत्य है कि शासनादेश संख्या 5220/54/1-सी0 ए0 डी0-0-9 13/79, दिनांक 12-12-79 द्वारा उपरोक्त छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मोहम्मदपुर माइनर के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

88—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गांव सभा रुकुनउद्दीनपुर, परगना सूबेहा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के प्रधान श्री राम लखन सिंह आदि द्वारा दिनांक 23-9-81 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ खानपुर माइनर से नवनिर्मित मोहम्मदपुर माइनर के प्रस्तावित वाटर शेड को छोड़ कर अनुचित ढंग से निचले स्तर से निर्माण करने के फलस्वरूप पूर्व साइड के अधिकांश किसानों के चकों को पानी न मिलने तथा पश्चिम की ओर से नाले से बहकर गोमती नदी में बह जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता (दक्षिणी क्षेत्र लखनऊ) को अग्रसारित किया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया।

नहर साधारणतः वाटर शेड से गई है और उससे अधिकांशतः भूमि की सिंचाई हो रही है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है एवं नहर का पानी गोमती नदी में नहीं बह जाता है।

तहसील मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में सोलानी नदी में बाढ़ आ जाने से फसलों को क्षति

89–श्री गेहदी वसगर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में 1386 फसली तथा 1389 फसली में सोलानी नदी में बाढ़ आने से कितने ग्रामों में फसल खराब हुई और कितना नुकसान हुआ? क्या यह सही है कि 26-11-81 के धनौरी इंगलेट से पानी सोलानी नदी में छोड़ा गया फलस्वरूप अनेकों ग्रामों की फसलों को नुकसान पहुंचा? यदि हां, तो इससे कितने ग्रामों की फसल को नुकसान पहुंचा? क्या भविष्य के लिए इस विषय पर समुचित आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है

90–श्री जसवन्त सिंह विष्ठ–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

91–श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय–

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

92–श्री सत्यपाल सिंह–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जिला शाहजहांपुर के चन्दौखा कोठी नहर के वर्तमान ओवरसियर के खिलाफ कार्यवाही

93– श्री सत्यपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि माह अक्तूबर से दिसम्बर, 1981 तक प्रश्नकर्ता ने चन्दौखा कोठी नहर, जिला शाहजहांपुर के वर्तमान ओवरसियर श्री पाठक के खिलाफ कितने गम्भीर आरोपों के बाद में पत्र सिंचाई मंत्री को दिए? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके बारे में की गयी कार्यवाही की जानकारी की जा रही है।

94–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा?

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

95–श्री कुबेर भण्डारी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

जनपद जौनपुर की जगदीशपुर और मोथहा पम्प कैनाल से सिंचाई

96–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर की जगदीशपुर और मोथहा पम्प कैनाल क्या सई और गोमती नदियों के बीच के उस क्षेत्र की सिंचाई करती है जो इन नदियों के संगम के समीप है? क्या यह भी सत्य है कि इन नहरों के कारण इस क्षेत्र में व्याप्त सीलन और जल जमाव से अधिकांश मकान धराशायी होते हैं और वृक्ष सूख रहे हैं? क्या सरकार इस क्षेत्र में व्याप्त सीलन और जल जमाव को समाप्त करने हेतु इन कैनालों में नदी का पानी न उठाकर नलकूपों से पानी देने की व्यवस्था करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, परन्तु इन नहरों के कारण इस क्षेत्र में व्याप्त सीलन और जल जमाव से अधिकांश मकान धराशायी होने और वृक्ष सूखने की बात सत्य नहीं है। अतः नलकूपों से पानी देने का प्रश्न नहीं उठता है।

97–श्री बिहारी लाल–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

98–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[20-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 110 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश में हरिजन राजकीय छात्रावास एवं उनमें भण्डारियों की संख्या व वेतनमान में बढ़ोत्तरी करने पर विचार

99–श्री मित्रसेन–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने हरिजन राजकीय छात्रावास हैं और उनमें भोजन बनाने वाले भण्डारियों की क्या संख्या है? तथा उन भण्डारियों का क्या वेतनमान है? क्या उनके वेतनमान में कोई बढ़ोत्तरी करने का इरादा सरकार के विचाराधीन निकट भविष्य में है?

श्री गुलाब सेहरा–

इस समय उत्तर प्रदेश में दो हरिजन छात्रावास एक गोरखपुर में बापू छात्रावास तथा दूसरा बिजनौर जनपद में चलाये जा रहे हैं।

भोजन बनाने वाले भण्डारियों की संख्या, इनके पद अभी सृजित न होने के कारण शून्य है। शासन द्वारा ऐसे निर्मित नव छात्रावासों की साजसज्जा तथा आवश्यक स्टाफ/कर्मचारी के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

फैजाबाद जिले में हरिजन छात्रावास का निर्माण

100–श्री मित्रसेन–

क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद नगर में कोई राजकीय हरिजन छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसके निर्माण में क्या प्रगति है और कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां। फैजाबाद जिला मुख्यालय पर हरिजन छात्रावास का निर्माण दिसम्बर, 1981 में पूरा हो चुका है।

कतिपय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण में स्वीकृत धनराशि

101–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट (जिला अल्मोड़ा), राजकीय महाविद्यालय, स्यालदे (जिला अल्मोड़ा), राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल (जिला पौड़ी गढ़वाल) और राजकीय महाविद्यालय, चौबटाखाल (जिला पौड़ी गढ़वाल), राजकीय महाविद्यालय, कर्ण-प्रयाग (जिला चमोली) को भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1980-81 और 81-82 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–(पर्वतीय विकास राज्य मंत्री)–

प्रश्नगत सभी महाविद्यालय जो वर्ष 1979-80 में खोले गये हैं, के स्थायी भवनों के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है। भूमि चयन/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध हो जाने, आगणन बन जाने के पश्चात् वित्तीय सीमाओं तथा निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी भवनों को स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

श्री आर0 एन0 पाण्डे, सहायक अभियन्ता, चीफ शाखा निर्माण खण्ड पडरौना (देवरिया) का स्थगित स्थानान्तरण आदेश

102–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता, चीफ शाखा निर्माण खण्ड, पडरौना (देवरिया) श्री आर0 एस0 पाण्डेय, गत 8 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स0 अ0 का स्थानान्तरण इस बीच कितनी बार हुआ और किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण निरस्त किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री आर0 एस0 पाण्डे नाम का कोई सहायक अभियन्ता, चीफ शाखा निर्माण खण्ड पडरौना (देवरिया) में कार्यरत नहीं है बल्कि श्री आर0 एन0 पाण्डे, सहायक अभियंता, चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया में अपने वर्तमान चार्ज में दिनांक 28-11-79 से कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

इनका स्थानान्तरण जून, 1981 में किया गया था लेकिन जिस बाढ़ कार्य पर श्री पाण्डे स्थापित हैं उसके महत्व तथा कार्यों के निर्माण के समरेखन में कुछ जनता के अवरोधों के होते हुए, एवं जनता तथा जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं को देखते हुए, इनके कार्यमुक्त होने को स्थगित कर दिया गया है। स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किये गये हैं।

गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर बसों द्वारा औसतन प्रतिदिन की आय में कमी

103–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर परिवहन बसों द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 1 जनवरी, 1981 तक औसतन प्रतिदिन 30 हजार रुपये की आय थी? और इस समय प्रतिदिन की औसतन आमदनी मात्र 3 हजार रुपये हो गयी है? यदि हां, तो कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में कार्यरत सरकारी नलकूप तथा असफल होने का कारण

104–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में कितने सरकारी नलकूप दिनांक 10-12-81 तक लगाये गये हैं उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं तथा कितने दिनांक 10-12-81 तक बन्द पड़े हैं? उनका कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड जहानागंज में दिनांक 10-12-81 तक 15 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं जिनमें से 12 राजकीय नलकूप कार्य कर रहे हैं तथा 3 राजकीय नलकूप असफल हो जाने के कारण बन्द हैं।

जनपद आजमगढ़ में राजकीय परिवहन निगम की बसें टायरों के अभाव में खराब व टायर न क्रय किये जाने का कारण

105–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लगभग 100 से ऊपर राजकीय परिवहन की बसें टायर के अभाव में वर्कशाप में खड़ी हैं? गत वर्ष से

10-12-1981 तक आजमगढ़ डिपो के लिए बसों में प्रयोग होने वाले कितने टायरों की खरीद हुई है? तथा उनका टेंडर कब हुआ तथा किस फर्म से खरीदे गये? यदि नहीं खरीदे गये, तो उसका कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सलना, विकास खण्ड द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा की पेयजल योजना का प्राक्कलन तथा क्रियान्वयन

106–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सलना जो हरिजन बाहुल्य ग्राम है, विकास खण्ड द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा की पेयजल योजना के लिए जो प्रार्थना-पत्र इस ग्राम की ओर से वर्ष 1973-74 में दिया गया था उसका प्राक्कलन कब बना तथा अब तक इस पेयजल योजना के कार्यान्वित होने में देरी के क्या कारण हैं और कब तक इस ग्राम के लोगों को पेयजल मिल जायेगा?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत सलना अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित है। इस ग्राम की पेयजल योजना के लिए गुरुत्व का कोई स्त्रोत उपलब्ध नहीं है। अतः इस ग्राम तथा आसपास के अन्य ग्रामों को सम्मिलित करते हुए एक वृहद पम्पिंग योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत योजना का प्राक्कलन मार्च, 1983 तक तैयार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। तत्पश्चात् योजना की स्वीकृति के उपरान्त योजना पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

जिला देवरिया, ब्लाक दुधई में अमवा खास बन्धा का निर्माण तथा व्यय

107–श्री धूप राय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, ब्लाक दुधई, थाना विशुनपुरा के अन्तर्गत अमवा खास बन्धा जिसकी लम्बाई 9-9 कि0मी0 है व 9 जून, 1981 तक पूर्ण हो जाना था परन्तु अभी तक अधूरा है, बरसात प्रारम्भ हो चुकी है उसके अपूर्ण रहने का कारण क्या है? एवं उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? अब तक उस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा कितना धन व्यय होना शेष है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

108–श्री उदल–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सुरौना में शारदा नहर हेतु किसानों से अध्याप्त की गयी भूमि का मुआवजा

109–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के ग्राम सुरैनी से होकर शारदा नहर जा रही है? यदि हां, तो क्या उक्त गांव के किसानों को उनसे ली गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, दोहरी घाट लिंक नहर जा रही है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का मुआवजा बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

बेल कर्मियों की हड़ताल के दौरान की गयी नई नियुक्तियां

110—श्री मित्रसेन—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत जेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कुछ नई विभागीय नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो कितनी? नियुक्ति आदेश कहां से निर्गत हुए थे और नियुक्ति प्रक्रिया क्या थी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जेल कर्मियों की हड़ताल के दौरान जेल प्रशासन को चलाने के लिये जिला स्तर पर गठित समितियों की संस्तुति के आधार पर वार्डरों की नियुक्तियां की गई थी जिनकी संख्या 658 है।

भू0 पू0 बन्दी रक्षक आलू थोक, हरदोई श्री कृपा शंकर मिश्र, द्वारा सेवा समाप्ति के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर निर्णय

111—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृपा शंकर मिश्र, भू0 पू0 बन्दी रक्षक आलू थोक, हरदोई ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध, दिनांक 13-7-81 को महा-निरीक्षक, कारागार को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर वैयक्तिक सहायक कारा-गार, महानिरीक्षक ने प्रार्थी को अपने पत्र संख्या 17534/अ-घ-2(4), दिनांक 19-7-78 द्वारा मामला शासन के विचाराधीन होने के तथ्य से अवगत कराया ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

शासन द्वारा श्री मिश्र के प्रत्यावेदन को विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 8-2-80 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

112—श्री जीराज सिंह मौर्य—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज की बसों का बन्द होने का कारण

113—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज की बसों का चलना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

114—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[11-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 62 द्वारा उत्तरित ।]

लखनऊ-गोरखपुर रोड पर सड़क परिवहन निगम की बस की ट्रक से टकराने से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

115—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19-12-81 को कानपुर से गोरखपुर जाने वाली सड़क परिवहन निगम की बस लखनऊ-गोरखपुर रोड पर स्थित मुमताज नगर कस्बे में ट्रक से टकरा गयी है? और एक व्यक्ति मर गया तथा 17 घायल हो गये हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

116–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[1-4-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित ।]

श्री वी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में की गयी अनियमिततायें, गबन, भ्रष्टाचार आदि की जांच

117–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, के विरुद्ध नलकूप खण्ड शाहजहांपुर के कार्यकाल में की गयी अनियमिततायें, गबन, भ्रष्टाचार आदि की जांच जुलाई, 1980 से अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल, बरेली द्वारा की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि जांच अधिकारी को अभी तक रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, बरेली, ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता. नलकूप (मेरठ) को प्रस्तुत कर दी है।

जी नहीं।

ग्राम गोंपिया से ग्राम गौरा पिपरा, विकास खण्ड मिहीपुरवा, जनपद बहराइच में तटबन्ध निर्माण की योजना तथा ठेकेदार को अग्रिम भुगतान

118–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर निर्माण मण्डल, बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहीपुरवा, जनपद बहराइच के ग्राम गोंपिया से ग्राम गौरा पिपरा तक निर्माण हेतु प्रस्तावित तटबंध का ठेका विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को दिया गया था उसे 8 लाख रुपये के आसपास की धनराशि एडवांस भी दे दी गयी थी और वह कुल रकम लेकर लापता हो गया है ? यदि हां, तो उस ठेकेदार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और बिना काम कराये अग्रिम भुगतान किये जाने के कृत्य का दोषी कौन-कौन अधिकारी है, उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

ग्राम गोंपिया से ग्राम गौरा पिपरा तक कोई भी तट बांध अभी प्रस्तावित नहीं है। फलतः इस कथित बांध हेतु कोई ठेका दिये जाने अथवा अग्रिम भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम गोंपिया से ग्राम गौरा पिपरा को कृषि भूमि का सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन

119–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जनधन की अनियमितता को छिपाने की नियत से ग्राम गोंपिया से ग्राम गौरा पिपरा तक का बाढ़ अथवा जल भराव की दशा में तटवर्ती ग्रामों एवं कृषि भूमि को डूबने व नष्ट होने से बचाने वाले उक्त निर्माण हेतु प्रस्तावित तटबन्ध अब नहीं बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम गोंपिया तथा समीपवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरान्त तकनीकी दृष्टि से उचित योजना पर कार्य किया जावेगा ।

पर्वतीय जिलों के विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सालय

120–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 के आय-व्ययक में पर्वतीय जिलों के लिए कितने अलग-अलग पद्धति के चिकित्सालय

स्वीकार किये गये हैं? उनको खोलने के लिए क्या आधार रखा गया था तथा किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर यह चिकित्सालय खोले गये हैं और सबसे अधिक किस तहसील में खोले गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद चमोली में जोशीमठ-ओला रोपवेज के लिए स्वीकृत धनराशि तथा पूर्ण होने की अवधि

121–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जोशीमठ-ओला रोपवेज में निर्माण के लिए कितनी धनराशि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल के पास जमा की गयी थी तथा उस धनराशि पर अर्जित ब्याज किसको मिल रहा है और कब तक रोपवेज बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

जोशीमठ औली रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड को 89 लाख रुपये अग्रिम दिया गया था जिसमें से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल द्वारा 60 लाख रुपया प्रायोजना से संबंधित कार्यों में व्यय किया जा चुका है तथा अग्रिम पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स द्वारा निर्माणाधीन रज्जुमार्ग की अनुमानित लागत में कमी कर दी गयी है। जोशीमठ रोपवेज जून, 1984 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

बस्ती जनपद का क्षतिग्रस्त करमैनी बेलौली बांध का पुनर्निर्माण

122–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि बस्ती जनपद का करमैनी बेलौली बांध विगत 2 वर्षों से बाढ़ के समय एक ही स्थान पर टूट रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसके टूटने से बाढ़ का पानी सहजनवां डुमरिया बाबू बांध के सुरक्षित क्षेत्र में आ जाता है जिससे इस बन्धे को प्रति वर्ष काट दिया जाता है ? जिससे इसके पुनर्निर्माण में प्रतिवर्ष 15 लाख से 30 लाख रुपये तक की धनराशि खर्च करनी पड़ती है? यदि हां, तो करमैनी बेलौली बांध टूटने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1980 की बाढ़ में करमैनी बेलौली बांध छपिया तथा बिलौली ग्रामों में नदी के कटान से क्षतिग्रस्त हो गया था परन्तु 1981 की बाढ़ में यह केवल बेलौली ग्राम में दरिया की कटान से क्षतिग्रस्त हुआ है एवं छपिया में सुरक्षित रहा है ।

जी हां । बिलौली ग्राम जो राप्ती नदी पर सहजनवां डुमरिया बन्धे से ऊपर स्थित है, से आये राप्ती के पानी जो सुरक्षित क्षेत्र में आ जाता है को निकालने के लिए सहजनवां डुमरिया बाबू बांध को काटना पड़ता है ।

1980 की बाढ़ में काटे जाने के परिणामस्वरूप इसमें रेगुलेटर के बचाव कार्य पर 1.75 लाख रुपये, पुराने रेगुलेटर की मरम्मत पर 1.28 लाख रुपये, मिट्टी के कार्य पर 4.30 लाख रुपये, कुल 7.33 लाख रुपये व्यय किया गया । 1981 की बाढ़ में काटे गये भाग को बन्द करने के लिए लगभग 10 लाख रुपये व्यय करना होगा ।

यह बांध जमींदारी बांध था जो दरिया के बहुत निकट और दरिया में मोड़ों के अनुरूप बनाया गया था । इस बांध के सुरक्षित तरफ बड़ी-बड़ी आबादियां जैसे नौगो, छपिया, ठाठर एवं बिलौली हैं जो बंधे से लगी हुई है। इन ग्रामों में कटान की प्रवृत्ति भी है क्योंकि यह सभी स्थान नदी के शार्प कर्व (तेज घूम) के बाहरी किनारे पर स्थित है तथा नदी बांध से टकराने के बाद लगभग 130 से 150 डिग्री तक मोड़ लेती है । दरिया के बहुत

निकट होने एवं शार्प कर्व (तेज घूम) होने के कारण इस पर कुछ स्थानों पर तीव्र कटान की प्रवृत्ति रही है ।

123–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्रदान करना

124–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार बतायेगी कि वह गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा कांड के शहीदों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्रदान करेगी और क्या गोरखपुर जनपद के सरदार नामक स्थान का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद बन्धू सिंह के नाम पर बन्धू नगर रखने पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित किसी कांड के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि जिन व्यक्तियों ने उक्त संग्राम में भाग लिया व यातनायें सहीं उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्रदान किया गया है । चौरी चौरा काण्ड के जो भी व्यक्ति सेनानियों के लिए बनायी गयी नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में आ जाते हैं उन्हें स्वत: ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त है ।

125–श्रीमती गौरी देवी–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर के सिंचाई निर्माण मंडल के बन्धों का विभिन्न खण्डों में स्थानान्तरण

126–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीनस्थ बंधों को जनवरी, 1978 से 1 दिसम्बर, 1981 तक किन-किन बन्धों को किन-किन खण्डों में स्थानान्तरित किया गया ? बन्धों को विभिन्न खण्डों में स्थानान्तरण का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में विभिन्न खण्डों में हस्तान्तरित बंधों का विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखकर कार्य के हित में बंधों के हस्तान्तरण विभिन्न खण्डों में किये गये ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 949 पर।)

127–श्री राम आसरे पासवान–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जेल कर्मचारियों द्वारा अपनी हड़ताल वापस लेने के समय सरकार से किये गये समझौता तथा शर्तों का क्रियान्वयन

128–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 18-7-81 को जेल कर्मचारियों द्वारा अपनी हड़ताल वापस लेने के समय सरकार तथा कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह शर्तें क्या हैं तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र में खोले गये राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज के संबंध में विधायकों से लिया गया परामर्श

130–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय 8 जिलों में वर्ष 1980-81 और 1981-82 (31-12-81 तक) किस-किस निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर नये राजकीय हाई स्कूल तथा राजकीय इण्टर कालेज खोले गये हैं और इन स्थानों का चयन करते समय क्या उन निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों से भी परामर्श किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (31-12-81 तक) 8 पर्वतीय जनपदों में खोले गये नये राजकीय हाई स्कूल तथा राजकीय इन्टर कालेजों की सूची संलग्न है । जो प्रस्ताव विधायकों से प्राप्त होते हैं उन पर भी विचार करके मानकों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त विद्यालय खोलने के निर्णय लिये जाते हैं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 950–951 पर।)

मैनपुरी जिले में राजकीय अथवा निगम द्वारा बनाये गये नलकूपों का विद्युतीकरण

131–श्री सूबेदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे कितने राजकीय अथवा निगम द्वारा बनाये गये नलकूप हैं जिन्हें बने हुए एक साल से अधिक हो गया है किन्तु उन्हें विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं हो पाये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैनपुरी जिले में 39 राजकीय एवं 20 निगम द्वारा बनाये गये ऐसे नलकूप हैं जिनको बने हुये एक साल से अधिक हो गया है किन्तु विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं हो पाये हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :–

(1) 19 राजकीय एवं 14 निगम द्वारा निर्मित नलकूपों के बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को भेजे जा चुके हैं । विद्युतीकरण अपेक्षित है ।

(2) 6 राजकीय एवं 2 निगम द्वारा निर्मित नलकूपों का छिद्रण के पश्चात निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(3) 14 राजकीय एवं 4 निगम द्वारा निर्मित किये गये नलकूपों का विकासन कार्य शेष है ।

132-133–श्री सूबेदार सिंह–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड कोटद्वार में उद्योग धंधे को लगाने की योजना

134–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून किन-किन उद्योग धंधों को कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में लगाने की योजना बना रहा है और कब से योजनाएं लागू हो जायेंगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड कोटद्वार में एक फ्लश डोर फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है । इकाई द्वारा जुलाई/अगस्त 1982 में उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है । कोटद्वार में एक इन्डेन गैस की एजेन्सी खोलने की कार्यवाही की जा रही है । आशा है कि मार्च, 1982 के अन्त तक यह एजेन्सी प्रारम्भ हो जायेगी।

जौनपुर जनपद में शारदा सहायक नहर खण्ड 36 की खुदाई का कार्य

135–श्री राम समुझावन–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के शारदा सहायक नहर खण्ड 36 की पूरी खुदाई हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जौनपुर जनपद की शारदा सहायक नहर खण्ड-36 की मुख्य नहरें सुल्तानपुर ब्रांच, शाहगंज ब्रांच, शाहगंज राजबहा एवं पेसारा राजबहा की खुदाई पूरी हो चुकी है । इनमें से निकलने वाली 483 कि0 मी0 लम्बी छोटी माइनर में से 195 कि0 मी0 लम्बी नहर बन चुकी है, शेष 288 कि0 मी0 लम्बी नहरों का निर्माण कराया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होने पर इनका निर्माण जून, 1983 तक पूरा होने की आशा है।

136–श्री राम समुझावन–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

137–श्री उदल–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

बावतपुर जमालपुर मार्ग के भाग को बनाने के प्रस्ताव पर विचार

138–श्री उदल–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने प्रस्तावित बावतपुर-जमालपुर मार्ग के बरही नेवादा बाई-पास को छोड़कर अब शारदा सहायक 38 खण्ड राजवाहा नहर की उत्तरी पटरी से बाईपास (सड़क) ले जाने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त 38 खण्ड नहर में 80 फिट से ज्यादा गरीब किसानों की जमीन चली गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को रद्द करने और किसानों को भुखमरी से बचाने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त बावतपुर राजवहा के कि0 मी0 20 से 23 तक नहर की पटरी पर बावतपुर-जमालपुर मार्ग के भाग को बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । सिंचाई विभाग द्वारा राजवाहे के निर्माण के लिए 34 मीटर भूमि का अध्यापन प्रस्तावित है जिसमें से नहर के मध्य से 19 मीटर भूमि का अधिग्रहण सर्विस रोड एवं बैंक्स के लिये प्राविधान किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का उक्त प्रस्ताव अभी सिंचाई विभाग के विचाराधीन है ।

139–श्री मसरूर जाफरी–

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रनगवां बांध (म0 प्र0) से निकली नहरों द्वारा सींची गई भूमि तथा सिंचाई की वसूली

140–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि रनगवां बांध (म0 प्र0) से निकली नहरों से मध्य प्रदेश में सींची भूमि की सिंचाई गत 15 वर्षों से अब तक कितनी वसूली होनी है ? इसके वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रनगवां बांध से निकाली गई नहर से मध्य प्रदेश में सींची गई भूमि की सिंचाई की गत 15 वर्षों से अब तक रु 89,437.89 की वसूली होनी है । वसूली की जमाबन्दी कलेक्टर छतरपुर को भेजी जाती रही है, परन्तु उनके द्वारा कोई वसूली नहीं की गई है ।

उत्तर प्रदेश शासन की जमाबन्दी के आधार पर वसूली, मध्य प्रदेश शासन ने रोक दी है तथा (आर0 आर0 सी0) राजस्व प्रत्यादान प्रमाण पर कराने की बात मध्य प्रदेश ने कही है। राजस्व प्रत्यादान प्रमाण 1977-78 से भेजने पर पुनः जमाबन्दी भेजने की बात लिखी है। मामले में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

141—श्री उग्रदल—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]।

142—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकलांग वर्ष में राजकीय कर्मचारी विकलांगों को वाहन भत्ता प्रदान करने की सुविधा

143—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से हाल में ही कोई इस आशय का निदेश प्राप्त हुआ है कि विकलांग वर्ष में राजकीय कर्मचारी विकलांगों को जो चलने में कठिनाई अनुभव करते हैं, उन्हें कन्वेअन्स एलाउन्स दिया यदि हां, तो क्या सरकार निदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि नवम्बर, 1981 में सीतापुर जिले के राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों में से यह एलाउन्स प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा—

भारत सरकार द्वारा विकलांग केन्द्रीय कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 रुपये प्रतिमाह तक वाहन भत्ता की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः इस तथ्य की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये भारत सरकार ने यह परामर्श दिया है कि अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार कर लें। अभी यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

यह सुविधा उपलब्ध कराने में अन्तर्निहित व्ययभार की जानकारी के लिए समस्त जिला अधिकारियों से विकलांग कर्मचारियों की संख्या आदि की जानकारी प्राप्त की जा रही है। **किन्तु अभी तक सीतापुर जनपद से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**

जनपद आजमगढ़ में पिछड़ी जाति तथा विमुक्त जाति के छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति तथा अनुमानित व्यय

144—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1980-81 में कितने पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है तथा उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई है? विमुक्त जाति के कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में गण्डक नहर की पटरियों को पिच कराकर किसानों को सौंपने की योजना

145—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया तथा गोरखपुर जिले में गण्डक नहर की पटरियों को पिच कराकर किसानों को सौंपने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । धनाभाव के कारण यह संभव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित सरकारी नलकूप को पुनः चालू कराने की व्यवस्था

146–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित सरकारी नलकूप काफी दिनों से बन्द पड़ा हुआ है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के दिनांक 18-12-81 तक कितने पत्र सिंचाई मन्त्री को प्राप्त हुए हैं ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा यथाशीघ्र उपरोक्त नलकूप चालू कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कस्बा जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित राजकीय नलकूप संख्या 123 एम0जी0 बन्द नहीं रहा है तथा वर्तमान फसल रबी 1389 में सिंचाई सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्नगत राजकीय नलकूप चलित दशा में है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

147–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

148–श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

कानपुर में गंगा नदी पर बैराज बनाने का निर्णय

149–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में गंगा नदी पर बैराज बनाने का अन्तिम निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है ? यदि हां, तो बैराज बनाने का कार्य कब से शुरू होने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस योजना का अनुसंधान तथा सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । बैराज बनाने के प्रश्न पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मूल उत्तर न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का लिखित उत्तर आपके यहां भेजा गया, जिसकी प्राप्ति की सूचना आ चुकी है ।

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मेरे यहां कोई नहीं गया था । मैं सच बता रहा हूं, विश्वास कीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कोई ऊषा राय हैं जिन्होंने दस्तखत करके उत्तर लिया है । नहीं गया तो उसकी प्रतिलिपि आपको मिल जायेगी, इसमें व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री राज कुमार राय–

मंत्री जी यह बता दें कि क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं । अब प्रश्नों का समय नहीं है ।

[समय 12 बजकर 41 मिनट]

भूतपूर्व सदस्य, श्री मुकन्दी लाल, बैरिस्टर के निधन पर शोकोद्गार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

हमको बहुत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व सदस्य, श्री मुकन्दी लाल का निधन दिनांक 10 जनवरी, 1982 को रात्रि में लगभग साढ़े 10 बजे हो गया। मान्यवर, श्री मुकन्दी लाल का जन्म 14 अक्तूबर, 1885 को हुआ था। जब हम उनके जीवन को देखते हैं जो एक कामयाबी का सिलसिला है । उन्होंने 1918 में बार एट ला किया। हाईकोर्ट में जज रहे, 1923 से 30 तक लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर रहे और आखिर में 3 साल तक वाइस प्रेसीडेन्ट रहे। वह बरेली में रेजिन फैक्ट्री के मैनेजर रहे और 1962-67 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। मुकुन्दी लाल जी का सम्बन्ध 19वीं और 20वीं दोनों सदी से है । वह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे, दोनों युगों को जोड़ने में। उनके निधन से ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके चले जाने से जो क्षति हुई है उसको पूरा करना सम्भव नहीं है। ऐसे लोग जब जाते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी कमी पूरा करना मुश्किल होता है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजन्द्र सिंह–

माननीय रिजवी साहब ने जो भावना स्वर्गीय मुकन्दी लाल जी के लिये व्यक्त की है, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, श्री मुकन्दी लाल जी विविध प्रतिभा के धनी थे और जैसा हम सभी जानते हैं बार-एट-ला करने के बाद उन्होंने इंग्लैण्ड में वकालत शुरू की थी। वह बरेली टरपेन्टाइन एवं रेजिन कम्पनी के मैनेजर भी रहे। वह लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रहे और प्रेजाइडिंग आफिसर भी रहे। सन् 1962 में इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। 5 साल तक इस सदन को उन्होंने सुशोभित किया। उनके निधन से हमने विविध प्रतिभा के धनी को खोया है। उनकी संगीत, कला और लेखन में रुचि थी। 'स्त्री दर्पण' पत्रिका नेहरू भवन से निकलती थी, उसमें उन्होंने काफी लिखा है। तो श्रीमन्, मैं और मेरा दल आपसे निवेदन करता है कि हमारी भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय–

मान्यवर, उप नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो कुछ भी श्री मुकन्दी लाल के बारे में कहा है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि मान्यवर, ऐसे लोगों की एक विशिष्ट श्रृंखला थी जो अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। जैसा कि नेता सदन ने स्वयं भी कहा कि दो सदियों के बीच की कड़ी वह थे और दोनों सदियों को वह जोड़ने वाले ते, वह उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रतीक थे। बार-एट-ला करने के बाद जिस योग्यता से देश की सेवा की और जिन-जिन पेशों में उन्होंने पदार्पण किया, उसको उन्होंने ऊंचा उठाया। 1962–67 तक सदन में रहे। उन्होंने अपने मृदुल व्यवहार, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान और अपनी वाणी से इस सदन को प्रभावित किया। ऐसे लोगों के उठ जाने से उत्तर प्रदेश में वह विशिष्ट, कड़ी, जिसका लोप होता जा रहा है, सभी का चिन्तित होना स्वाभाविक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे और हमारे दल के इस भाव को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, अभी स्वर्गीय बैरिस्टर, मुकन्दी लाल के निधन के सम्बन्ध में जो विचार उप नेता सदन, नेता विरोधी दल और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजमंगल पाण्डेय ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर मुकन्दी लाल हमारे वयोवृद्ध समाजसेवी हमारे समाज से उठ गये, तो यह दुख की बात है कि पुरानी पीढ़ी के लोग हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इससे जो समाज में रिक्तता हो रही है, उसको भरने की ताकत दे। इन शब्दों के साथ श्री मुकन्दी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी और हमारे दल की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम–

उप नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो बातें बैरिस्टर मुकन्दी लाल के सम्बन्ध में कही हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। बैरिस्टर मुकन्दी लाल एक इन्डीविजुअल व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनकी एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत हो गयी थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसे-ऐसे काम किये जिसके कारण मैं समझता हूं कि उनका नाम हमेशा जिन्दा रहेगा। उनको पूर्व और पश्चिम की मिली जुली तहजीब का ज्ञान था। बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि उनकी शादी यूरोपियन लेडी से हुई।लेकिन उससे जो औलाद हुई उसके बावजूद उन्होंने अपने को हिन्दुस्तानी रखा और अपने घर का रहन सहन उसी तरीके से रखा जैसा कि हिन्दुस्तानी परिवार का होना चाहिए था। श्री मुकन्दी लाल साहब और हमारे वालिद के सम्बन्ध घर के थे और यह संबंध आखिर समय तक रहे। हमारे वालिद साल में तीन बार श्री मुकन्दी लाल के घर जाते थे और वह भी साल में तीन बार हमारे वालिद के घर आते थे। इसलिये उन्होंने हम लोगों को औलाद की तरह समझा। मुझे गम है उनके इस दुनिया से उठ जाने का लेकिन उनके कारनामें हमेशा जिन्दा रहेंगे और वह उजागर होते रहेंगे। उन्होंने लेजिस्लेटिव कौंसिल के वाइस प्रेसीडेंट की हैसियत से और सदन के मेम्बर की हैसियत से और बैरिस्टर की हैसियत से, फैक्टरी के जनरल मैनेजर की हैसियत से ऐसे-ऐसे काम किये हैं जिनसे हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा और रास्ता मिलता रहेगा। मैं इन अलफाज को कह करके पूरे गम का इजहार करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी और मेरे दल की ओर से, श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन की ओर से माननीय रिजवी साहब ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय मुकन्दी लाल जी के प्रति व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री मुकन्दी लाल जी एक विद्वान और तपे तपाये समाजसेवी थे। 1962 से 1967 के बीच में इस सदन में मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनका व्यवहार और व्यक्तित्व ऐसा था जिससे सभी लोग प्रभावित होते थे। मैं स्वर्गीय मुकन्दी लाल जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे और हमारे दल के विचार उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, स्वर्गीय मुकन्दी लाल जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय रिजवी साहब ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। 1962 से 1967 तक मैंने उनको इस सदन के अन्दर देखा है, वह इंसानियत और आदमियत के पुतले थे। वह पहाड़ी क्षेत्र की तरक्की के लिये हमेशा वकालत करते थे। घोड़ाखाल का जो सैनिक स्कूल है, वह हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। मैं एक बार फिर मुकन्दी लाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन की ओर से डा0 रिजवी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय मुकन्दी लाल जी के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय मुकन्दी लाल जी 1962 से 1967 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। मुझे उनके साथ काम करने का, बातचीत करने का और बैठने का अवसर मिला। उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्होंने एक बैरिस्टर की हैसियत से, एक जज की हैसियत से कार्य किया। व्यापारिक संस्थान के प्रबन्धक के रूप में वह कार्य कर चुके हैं। वह लेखक थे, उन्होंने अखबार का सम्पादन भी किया था। इस तरह से सामाजिक कार्यकलापों की कोई दिशा ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने अच्छे ढंग से कार्य सम्पादन न किया हो। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व हमेशा इस प्रान्त के लिये एक आदर्श के रूप में रहेगा। मैं आप सबकी जो अभिव्यक्ति है, उसको उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा। कृपया उनके सम्मान में दो मिनट मौन खड़े हों।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

झांसी जिले की नगरपालिका, समथर की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में अति महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि कस्बा समथर, जनपद झांसी में नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत लाखों रुपये की भूमि पर प्रतिदिन अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है। समथर नगर पालिका की ग्राम सभा समथर की भूमि जो कि नई बस्ती वार्ड नं0 1 मु0 कुम्हरयाना स्थित है चकबन्दी के दौरान लगभग 15 एकड़ खलिहान, मरघट एवं आम रास्ता के लिए छोड़ी गयी थी। इस सुरक्षित भूमि पर साजिश व लापरवाही से अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रहे हैं तथा निर्माणकर्ताओं से व्यापक पैमाने पर अवैध ढंग से धन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार नगर पालिका समथर के अग्गा मोटर स्टैण्ड के पास ताजियों की भूमि का अतिक्रमण करते हुए चार दुकानें बनाई जा रही हैं तथा चार दुकानें रातों-रात तैयार हो गयी हैं। जिनका किराया व्यक्तिगत सम्पत्ति मानकर वसूल किया जा रहा है। पुराने पोस्ट आफिस से डाक बंगले तक खाई के किनारे सड़क तक की जमीन हाल ही में वहीद, सहीद, बहादुर व अन्य मेवातियों को अवैध रजिस्ट्री करके बेच दी गयी। कटरा बाजार स्थित दरवाजे की जमीन को महसूद नाम के व्यक्ति ने हजारों की भूमि पर कब्जा करा लिया है एवं अग्गा की तरफ दरवाजे की भूमि पर श्री हित प्रसाद सोनी, बाबू लाल लहरिया ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मुल्लू लोहिया, छोटे लोहिया, रामदास, बैजनाथ व अन्य लोगों ने अग्गा के पास खाई के पास लगी जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं।

नगर पालिका, समथर के नागरिकों ने 24-1-81 को परगनाधिकारी मोड के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अनशन व आन्दोलन की घोषणा की है।

व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं जबरदस्ती के कारण नागरिकों में व्यापक असंतोष व अशान्ति बन गई है जिस कारण किसी भी समय यह दंगे का रूप धारण कर सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चल रहा अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य तुरन्त रोका जाये।

इस प्रकरण में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारी हाथों के द्वारा लाखों रुपये की सम्पत्ति एकत्रित की गयी है। अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय सदन में अपना वक्तव्य दें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से साथ ही यह भी कहना चाहता हूं संबंधित मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, जिनका सीधे इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, इस समय आप कुछ नहीं कह सकते हैं, जब समय आये, तब आप कहियेगा, इस समय विराजें ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार एवं भावर क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि तथा पुलिस निष्क्रियता के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार एवं आस-पास के भावर क्षेत्र में जघन्य अपराधों का जोर अत्यधिक बढ़ गया है। गत डेढ़ माह से भी कम समय में कोटद्वार नगर में तीन निर्मम हत्याकाण्ड हो गये हैं, पर पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पा रही है।

पुलिस एवं जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु एवं प्रभावहीन हो गया है, अराजक तत्वों एवं अपराधियों का बोलबाला हो गया है। लोगों में जान माल का हर समय खतरा बना है, सारा वातावरण भयावह एवं अशान्त हो गया है। जिससे शाम होते ही दूकानें बंद हो जाती हैं लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों में पुलिस की निष्क्रियता, अकर्मण्यता की वजह से घोर निराशा, भय एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करते हैं कि कोटद्वार के इन तीन हत्याकाण्डों एवं क्षेत्र की चोरी डकैती के अपराधियों का शीघ्र पता लगाया जाए तथा इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने हेतु अविलम्ब ही ठोस एवं प्रभावशाली कार्यवाही करें।

वाराणसी में 'भारत बन्द' के दिन बबुरी के पास हुए गोलीकाण्ड से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु की जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदल–

नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, तारीख 19-1-82 को वाराणसी में बबुरी के पास पुलिस ने अंधा-धुंध गोली चलाकर लालचन्द व भोला को मौत के घाट उतार दिया व राम आधार, प्यारे जो बहुत दूर खेत में काम कर रहे थे, गोली से घायल किया और श्याम लाल तथा सैकड़ों को मार-मार कर हाथ पैर तोड़ दिये तथा गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, लाल चन्द व भोला को पुलिस ने लावारिस करार दिया और उनका पोस्ट मार्टम बनारस में न कराकर ज्ञानपुर में कराकर गोपीगंज के पास जला दिया । यहां पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं थी और न लोग अनियंत्रित थे । जिला प्रशासन व पुलिस ने सूझ-बूझ का परिचय नहीं दिया। बीसों गांव में आज भी आतंक है। सैकड़ों गिरफ्तारी के वारन्ट हैं। वाराणसी में बंद के समर्थन में 19-1-82 को वी0एच0 यू0 के लोगों ने शान्तिपूर्वक जुलूस निकाला और अस्सी पर पहुंचते ही जिला प्रशासन ने दमकल से पानी बरसाना शुरू किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सैकड़ों छात्रों एवं नागरिकों को खदेड़-खदेड़ कर मारा, महेन्द्रवी व्यज व प्राक्टर आफिस में घुस कर छात्रों एवं सुरक्षा कर्मचारियों की पिटाई की। प्राक्टर तथा उप कुलपति को अपमानित किया गया और सैकड़ों को परिसर से गिरफ्तार किया गया। वारंट एवं कुर्कियों का दौर बी0 एच0 यू0 एवं शहर में चालू है। सैकड़ों लोग घायल होकर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में गिरफ्तारी की हालत में हैं। आश्चर्य तो यह है कि 19-1-82 की हड़ताल एवं बन्द को विफल बनाने के लिए सरकार के इशारे पर वाराणसी के जिलाधीश, विनोद कुमार मित्तल व पुलिस अधीक्षक, श्रीनाथ मिश्र, पुलिस, पी0 ए0 सी0 के काफिले के साथ लाउड स्पीकर लगाकर सरकार का आतंक पूरे शहर में दिखा रहे थे। इस कार्य में कुछ कांग्रेस आई के भी लोग थे। जबकि वाराणसी

[श्री उदल]–

शहर, कचहरी, प्रतिष्ठान, बी0 एच0 यू0 आदि पूर्ण रूप से बन्द थे। यदि वाराणसी का जिला प्रशासन सूझ-बूझ से काम लेता और भय आतंक न पैदा करता तो इस तरह की गम्भीर घटना न घटती।

बबुरी क्षेत्र के बीसों गांव तथा वाराणसी शहर में भय एवं आतंक व्याप्त है। इसलिये आप की आज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि बबुरी तथा वाराणसी शहर व बी0एच0यू0 की घटना की न्यायिक जांच करायी जाय। गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाय और कर्फ्यू तथा वारंट को समाप्त किया जाय तथा जिला व पुलिस प्रशासन जिसकी नासमझी से सरकार के इशारे पर उक्त घटनायें घटी हैं उसकी भी जांच की जाय। बी0 एच0 यू0 जिस पर जिला प्रशासन का कब्जा है, उसे तुरंत हटाया जाय और बी0 एच0 यू0 को खोला जाय।

अवध शुगर मिल लि0, हरगांव, जिला सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरगोविन्द वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व का प्रश्न गन्ना शुगर मिल (अवध शुगर मिल लिमिटेड, हरगांव) जिला सीतापुर की लूट को रखना चाहता हूं, जिससे कि वहां के गन्ना किसानों, मजदूरों तथा सरकार की लूट रोकी जा सके।

मान्यवर, इस मिल से गन्दे अस्वस्थकर पानी के बहाव, कोयला चोरी करके ईंट भट्ठों को बेचने तथा माप-तौल के मामले को रोककर रेलवे बैगनों में अधिक गन्ने की ढुलाई, डैमरेज व जुरमाने की चोरी, ट्रैक्टरों द्वारा कई-कई ट्रालियां, ओवरलोड गन्ने की ढुलाई, श्रम अधिनियमों के विपरीत सैकड़ों रिक्त स्थानों पर अस्थायी कर्मचारियों द्वारा काम कराना ठेकेदारी प्रथा में अनियमित नियुक्तियां, अनेक स्थायी कर्मचारियों को नियमित न कराना, उन्हें सही रेट का वेतन न देना, रिक्त स्थानों पर मनमानी नियुक्तियां करके सेवायजन के नियमों का उल्लंघन करना, सेन्टरों पर कम तौल कर किसानों को धोखा देना, श्रमिकों की अनेक सुविधाओं का धन गोलमाल करना तथा अपने ही अन्य एक विभाग को प्रथम बताकर सरकार को धोखा देना, गन्ने के किसानों का काफी बकाया पैसा भुगतान न करना, बैल गाड़ियों को गेट पर लाने के लिए उनके बाड़े ठीक न होना तथा सर्दी के मौसम में जानवरों और किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था न होना, यह तमाम मामले हरगांव मिल के द्वारा किसानों और मजदूरों को लूटकर तथा सरकार को धोखा देकर करोड़ों रुपया नम्बर दो का पैदा करने का काम हरगांव मिल मैनेजर कर रहा है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त सारे मामलों की तुरंत जांच कराकर लाखों किसानों को तथा हजारों मजदूरों को न्याय देने की व्यवस्था करें।

सीतापुर जिले के नलकूप चालकों, नलकूप रक्षकों तथा कार्यालय कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि 21-1-82 से अब तक सीतापुर जिले के समस्त नलकूप चालक तथा रक्षक सहित कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 20 जनवरी को कुछ जबर लोग मिश्रिख स्थित ग्राम बेनियापुर, थाना पिसावां के राजकीय नलकूप संख्या 65 के नलकूप चालक, श्री हरेन्द्र बिहारी सक्सेना पर निर्धारित प्रोग्राम से भिन्न दिशा में पानी देने के लिए दबाव डाल रहे थे। श्री सक्सेना राजी नहीं हुए। मात्र इतने दोष पर मान्यवर, एक व्यक्ति ने इस नलकूप चालक को गोली से भून दिया और मौके पर खड़े अन्य दो व्यक्तियों को भी गोली का निशाना बनाया गया। उनमें से भी एक व्यक्ति मर गया और दूसरा घायल है। इस प्रकार दो व्यक्ति मौत के घाट उतार दिये गये।

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है कि घटना 2 बजे घटी और 4 बजे तक पुलिस ने दबाव डाल कर पंचनामा करके मामला समाप्त करने का प्रयास किया । पंचनामा लिखा गया । यह खबर पाकर जिला मुख्यालय से सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने साथ एस0 पी0 के पेशकार को लेकर गये तब प्रथम सूचना लिखी गयी ।

मान्यवर, अभी तक राजनीतिक दबाव के कारण अभियुक्त नहीं पकड़े गये । इसके विरुद्ध सभी सिंचाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं । नलकूप न चलने से कृषि कार्य तथा शासकीय आय की क्षति हो रही है।

इस लोक महत्व की इस अविलम्बनीय समस्या की ओर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने, अभियुक्त को तुरन्त पकड़ने तथा नलकूप चालकों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करने तथा ड्यूटी पर मरे कर्मचारी के आश्रितों को विशेष अनुदान स्वीकृत करने की मांग करता हूं ।

विधान सभा सदस्य, श्री राम आसरे पासवान की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना आप लोगों को देनी है कि अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 21 जनवरी, 1982 जो 27 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राम आसरे पासवान, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) दिनांक 20 जनवरी, 1982 को रिहा कर दिये गये ।

श्री पासवान की गिरफ्तारी की सूचना सदन में दिनांक 20 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मोहन सिंह व श्री मुख्तार अनीस, सदस्यगण, विधान सभा ने 17 सितम्बर, 1981 को अलग-अलग माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं दी थीं। श्री मोहन सिंह का कहना है कि 16 सितम्बर, 1981 को सदन में गढ़वाल संसदीय उप चुनाव के संबंध में विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर चल रही चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार पूछने पर यही कहा कि यह पत्राचार राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी व मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच है और मुख्य चुनाव अधिकारी पर उत्तर प्रदेश शासन का कोई नियंत्रण नहीं है तथा जब उनसे यह पूछा गया कि सरकार चुनाव कराने की स्थिति में है, तो उनके उत्तर में भी मा0 मुख्य मंत्री ने कहा कि 17 सितम्बर, 1981 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक बुलाई है जिसमें उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बुलाया है, उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।

श्री मोहन सिंह ने 16 सितम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र की एक प्रति सूचना के साथ संलग्न की है जिसके पृष्ठ 5 पर उक्त चुनाव के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री एस0 एल0 शकधर का एक वक्तव्य छपा है जिसमें उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्र का उल्लेख करते हुए यह कहा गया प्रतिवेदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि गढ़वाल निर्वाचन में व्यापक वर्षा से भूस्खलन होने के कारण पुनः मतदान अभी संभव नहीं है । इस आधार पर श्री मोहन सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने कोई पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है और सामान्य प्रशासन व गृह विभाग के मंत्री होने के नाते इसकी पूर्व जानकारी माननीय मुख्य मंत्री को थी और उन्होंने जानबूझ कर असत्य बातों को सदन के समक्ष रख कर तथ्यों को छिपाया है ।

[श्री अध्यक्ष]

इस संबंध में श्री मुख्तार अनीस ने अपनी सूचना में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन के परामर्श से की गयी है और जिलों के भी चुनाव अधिकारी आदि पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, अतः इस आशय का पत्र लिखा गया है कि गांवों और सड़कों की खराबी के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है तो ऐसा सरकार के परामर्श से ही किया गया होगा ।

मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे अपने दिनांक 20 सितम्बर, 1981 के पत्र द्वारा, जो 21 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, सूचित किया है कि 16-7-81 को विधान सभा में गढ़वाल चुनाव स्थगन के संबंध में जो प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा दिया गया था, तथ्यानुसार सही था । उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कोई पत्र निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गढ़वाल चुनाव स्थगित करने के संबंध में नहीं लिखा है, और इस संबंध में जो पत्राचार हुआ है वह मुख्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर के मध्य हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री का आगे कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-ए के अधीन की जाती है और निर्वाचनों के संचालन के संबंध में यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20 के अधीन निर्वाचन आयोग के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उक्त अधिकारी पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, और वह निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी होता है । इस प्रकार मुख्य मंत्री के कथनानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचन आयोग के सचिव का भेजा गया पत्र राज्य सरकार द्वारा भेजा गया पत्र नहीं है ।

श्री मोहन सिंह व श्री मुख्तार अनीस की उक्त सूचनाओं का आधार समाचार पत्र हैं, परन्तु इस सदन में अध्यक्ष पीठ से पूर्व में इस प्रकार के निर्णय दिये गये हैं कि केवल समाचार पत्र में छपे किसी समाचार को आधार मानकर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्य किसी प्रमाण के अभाव में और माननीय मुख्य मंत्री के उक्त पत्रों में दिये गये स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा 16 सितम्बर, 1981 को संगत कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर कही गयी बातों को असत्य कथन और यह भी जानबूझ कर किया गया, नहीं कहा जा सकता । अतः प्राग्दर्शन में इस प्रश्न में सदन के अवमान या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

जिलाधिकारी, लखनऊ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस, सदस्यगण, विधान सभा ने 17 जनवरी, 1982 को जिलाधिकारी, लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग और सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्यगण का कहना है कि बढ़ते दामों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था आदि के संबंध में मुख्य मंत्री को बरखास्त करने हेतु जब एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देने के लिए वे अपने दल के सदस्यों के साथ 15 जनवरी, 1982 को राजभवन के गेट नं0 1 पर गये तो उनके वहां से लौटते समय जिलाधिकारी, लखनऊ और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने अकारण उन लोगों को घेरे में ले लिया और ट्रकों पर लाद कर थाना आलम नगर, लखनऊ में पहुंचाया गया जहां उन लोगों को सायं तक रोके रखा गया और फिर जिला जेल, लखनऊ में दाखिला कराया माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार उपर्युक्त अधिकारियों ने जानबूझ कर

उन्हें विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया और वे विशेषाधिकार के भंग के दोषी हुए।

इसी सम्बन्ध में श्री हरी किशन श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22 जनवरी, 1982 को उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है।

सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव और मुख्तार अनीस ने अपने दिनांक 20 जनवरी, 1982 के पत्र द्वारा, जो 22 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह अनुरोध भी किया है कि विशेषाधिकार भंग के इस प्रश्न को उठाने तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव में संशोधन के समर्थन में बोलते हुए उन्हें सदन में बुलाये जाने के लिये आवश्यक आदेश देने की कृपा की जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 जनवरी, 1982 को सदन की दी गयी सूचना तथा इस सचिवालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1982 को जारी की गयी बुलेटिन संख्या 40 के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्राप्त यह सूचना दी गयी थी कि माननीय श्री मुख्तार अनीस तथा प्रदीप कुमार यादव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत 15-1-82 को 11-30 बजे दिन में दौरान जांच के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, निर्णय देने से पहले मेरी बात सुन ली जाय। यह दोनों माननीय सदस्य अभी जेल में हैं अगर वह उपस्थित होते तो सम्भवतः, अगर फौजदारी के मामलों में उन्होंने यदि कानून भंग किया है, उल्लंघन किया है और तभी गिरफ्तार हुए हैं, तब तो निश्चित तौर पर यह हमारी परिधि में नहीं आता विशेषाधिकार के और यदि बिना कानून भंग किये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुनने या उसके बाद की जो कार्यवाही हुई उसमें हिस्सा लेने आ रहे थे, तो बिना कारण, जानबूझ कर, बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया और फर्जी केस बना दिया गया तो निश्चित् तौर पर यह विशेषाधिकार भंग बनता है और अगर वह विशेष सदस्य इस समय आपके सामने होते तो स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। मान्यवर, प्राग्दर्शन में यदि केस नहीं बनता है तो हम मजबूर नहीं कर सकते। विशेषाधिकार पर निर्णय देने का देश के अन्दर आपका विशेषाधिकार है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते.....लेकिन हमारा आग्रह स्वीकार कर लें, उनकी भी बात सुन लें और उसके बाद जो आपका निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, जैसा कि मोहन सिंह ने कहा, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि आप उनको बुलवाकर सुन लें और उसके बाद अपना निर्णय दें। धारा 151 में प्रशासन ने ऐसा किया क्योंकि शान्ति भंग होने का अन्देशा था जो कि नहीं था। मान्यवर, धारा 106 एवं 116 जाफ्ता फौजदारी कोई ऐसी क्रिमिनल धारा नहीं है जिसमें माननीय सदस्यों को जिला जेल में निरन्तर रखा जाय। धारा 106/116 के अन्तर्गत उनको डिटेन करने का कोई औचित्य नहीं है। इस समय इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन चल रहा है और उनका राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन भी है इस समय यह उचित होगा कि आप उनको जेल से बुलवाकर उन्हीं को सुन लें। लखनऊ, जिला कारागार कोई दूर नहीं है मान्यवर, आप कल उनको बुलवाकर सुन लें और उसके बाद अपना निर्णय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा होता कि जब मैंने इस निर्णय को पढ़ना आरम्भ किया था तब आप आपत्ति उठाते।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, हम समझे थे कि आप सूचना दे रहे हैं। वह तो जब निर्णय की बात आई तब मुझको आपत्ति उठानी पड़ी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बुद्धिमानी पर मुझको विश्वास है। मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि आपने यह समझा होगा। जहां तक उनको बुलाने का प्रश्न है, वह एक अलग प्रश्न है। जहां तक उनके यहां आने और उनको सुनने का प्रश्न है, उसके लिए मैं यह निर्णय आज नहीं सुना रहा हूं । उनके आने पर, उनको सुनकर जो निर्णय होगा, वह दिया जायेगा।

विधान सभा सदस्य, श्री रामलाल द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री राम लाल, सदस्य, जिला सीतापुर, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, ने उक्त दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और उन्होंने विधान सभा में कांग्रेस (आई) दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है। तद्नुसार अब उनका नाम कांग्रेस आई दल के सदस्यों की सूची में लिखा जायेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

आगरा जिले के निबोहरा थानान्तर्गत ग्राम पलतुआ में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, दिनांक 20-1-82 को 7 बजे प्रातः श्री प्रीतम सिंह पुत्र राजाराम निषाद निवासी पलतूआपुरा, थाना निबोहरा, जनपद आगरा ने अपने घर में दिनांक 19/20-1-82 की रात्रि को पड़ी डकैती, हत्या एवं लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना निबोरा, जनपद आगरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई। इस सूचना के आधार पर थाना निबोहरा पर अपराध संख्या 5, धारा 396 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ । सूचना प्राप्त होते ही पुलिस दल सहित थानाध्यक्ष उसी दिन घटनास्थल पर प्रातः 8 बजे पहुंच गये थे। उसी दिन प्रातः 9-30 बजे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण तथा प्रातः 11-45 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अपर महानिरीक्षक, आगरा भी घटनास्थल पर पहुंच गये थे।

2–इस अभियोग की विवेचना में 12 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा एक अभियुक्त जिसको वादी के भाई द्वारा घटना के समय घायल कर दिया गया था, उसको अभियुक्तगण भागते समय अपने साथ ले गये। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा रही है।

3–इस घटना के पश्चात् ग्राम पलतुआपरा में ग्राम वासियों की सुरक्षा हेतु थाना निबोरा से पर्याप्त सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है तथा गश्त बढ़ा दिया गया है। ग्रामवासियों में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त नहीं है।

4–प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रु0 5000/-, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्तियों को 2000/-, तथा साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 1000/- की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा चुकी है। आयुक्त, आगरा मंडल एवं जिलाधिकारी, आगरा द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, आप तो स्वयं विधिवेत्ता हैं, मालूम नहीं होता कि इस में कौन-कौन सी धारायें लागू की गयी है। 396 में होता है केवल कत्ल ।

(व्यवधान) कत्ल में 302 और 120 बी0 नहीं लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि 12 आदमी जो पकड़े गये हैं उन पर क्या-क्या धारांए लगी होगी।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, धारा 147 भी सुन लीजिए। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब रिपोर्ट एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है तो उसमें धारा 147 है या नहीं, 302 है या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

जितना इसमें है और जितना आपने प्रश्न किया है, उन सब के लिए काफी है (व्यवधान) 120 बी0 तो बहुत बड़ी दफा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 396 के बारे में कहना चाहता हूं। केस चल रहा है और धारा बदलती जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

राम आसरे वर्मा जी, आप बैठ जाइये।

श्री शंकर सिंह–

326 इसमें लगाया गया है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शंकर सिंह जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

जब 396 की बात चल रही है तो आप दफा 326 के लिए जिद्द न करें। आप बैठ जायं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री बदन सिंह, श्री हरगोविन्द वर्मा की–आगरा मण्डल में अपहरण एवं हत्याओं से उत्पन्न आक्रोश एवं असंतोष के संबंध में है। दूसरी सूचना माननीय हरिवंश सहाय और माननीय नन्द किशोर सिंह की--गोरखपुर देवरिया से ट्रेनों एवं ट्रकों द्वारा गल्ला बिहार होते हुए चीन जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना माननीय सूबेदार सिंह की है–गन्ने के समुचित मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में गोण्डा जनपद में किसानों के प्रदर्शन पर क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा एस0 डी0 एम0 द्वारा लाठी चार्ज तथा विधायक अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमले के संबंध में। इसी विषय पर सूचना माननीय मोहन सिंह, माननीय माता प्रसाद पाण्डे की भी है। पाचवीं सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की है, जनपद गोरखपुर के हरिजनों पर हुए प्राणघातक हमले से उत्पन्न असंतोष के संबंध में। छठी सूचना माननीय हरगोविन्द वर्मा की है–सीतापुर जिले के अन्तर्गत थाना पिसावा में एक आपरेटर की हत्या किये जाने के संबंध में। सातवीं सूचना है माननीय कुबेर भंडारी की–प्रदेश सरकार के डाकू विरोधी अभियान से सिविल पुलिस के क्रियाकलापों से पी0ए0सी0 क्षुब्ध होने के संबंध में।

इस संबंध में पहली और दूसरी सूचना, और पांचवीं, छठी और सातवीं सूचना, इन पर, चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, भाषण हो जायगा। श्री सूबेदार सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की

श्री अध्यक्ष]

सूचना चूंकि एक विधायक श्री अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमले से संबंधित है, इसलिए इस पर निर्णय देने से पहले मैं माननीय सूबेदार सिंह और श्री मोहन सिंह और श्री माता प्रसाद पांडेय को इसकी ग्राह्यता पर सुनूंगा ।

[समय 1 बजकर 27 मिनट]

गन्ने के समुचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में गोण्डा में प्रदर्शनकारी गन्ना किसानों पर लाठी चार्ज तथा विधायक, श्री अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमला व उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आज ही मुझको गोण्डा कारागार से अकबाल भाई का पत्र मिला । उसके केवल दो-तीन अंश पढ़ रहा हूं । पुलिस से जाती दुश्मनी होने के कारण मुझे उक्त अधिकारी जेल से निकलने पर इनकाउंटर दिखाकर गोली मारने की धमकी मेरे परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में जमानत करा कर उक्त अधिकारियों के इस जनपद में कार्यरत रहने से मुझे मेरी जान खतरे में नजर आ रही है । जब, मान्यवर, विधान सभा का एक सदस्य इस तरह से पत्र भेजे जो गन्ना किसानों के आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया, 400 लोग अब तक गोण्डा जेल में भेजे जा चुके हैं, जेल के अन्दर विभिन्न तरह से प्रताड़ना देने 23 तारीख को 200 पुलिस वहां पहुंची । सौभाग्य से नेता, विरोधी दल वहां पहुंचे जिससे अप्रिय घटना घटित होने से बच गयी। यह इतना अविलम्बनीय लोक महत्त्व का प्रश्न है । कोई विधान सभा का सदस्य किसी लोक हित के सवाल पर, शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन में, सत्याग्रह में शामिल हो और उसके खिलाफ 307 की धारा, 147, 148, 149 की धारा यहां तक कि भारतीय दण्ड संहिता में जितनी धारायें हैं जिनसे जिला जेल के अन्दर अधिक से अधिक रखा जाय ऐसी धाराओं के अन्दर उनको और उनके तीन, चार सौ साथियों को निरुद्ध किया है । जिला कारागार में जितने लोग रखे हैं उनको तरह-तरह की यातनायें दी जा रही हैं, हड्डी टूट रही है । इसलिए इस प्रश्न पर आप निश्चित तौर पर शासन से वक्तव्य दिलवायें । यह कहा जा सकता है कि वह जेल से निकल गये होते अपनी जमानत करवा कर. लेकिन उन्होंने जो अपनी मजबूरी लिखी है वह मैंने आपके सामने रख दी है कि उनकी एक विशेष परिस्थिति है कि वह जमानत करा करके जेल से नहीं निकल सकते । इस पर अवश्य चर्चा करा दें ।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, ऐसी विशेष स्थिति वहां पर थी धारा 144 प्रशासन ने नहीं लगायी थी । किसान लोग गन्ना मूल्य के लिए मांग कर रहे थे जिसका नेतृत्व कांग्रेस (एस) के विधायक, अकबाल हुसैन कर रहे थे । जब वहां पर धारा 144 लगी नहीं थी, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी जो प्रशासन ने कोई कानून तोड़ने के बदले में उनको गिरफ्तार कर दिया । बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और आप देखें एक नियोजित षडयंत्र था कि वहां से पुलिस . . . .

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता तक ही सीमित रखें . . . .

श्री सूबेदार सिंह–

पृष्ठ भूमि बता रहा हूं . . . .

मान्यवर, यह निश्चित रूप से एक नियोजित षडयंत्र था जो कि मिल-मालिक की साजिश से किया गया था। मिल-मालिक के दफ्तर में अधिकारी लोग मौजूद थे। जैसे ही ये लोग बाहर निकले इनको अटैक किया गया और गम्भीर चोटें उनके आईं। जो विधायक के ऊपर हमला किया गया उसकी सूचना मैं आपको पहले ही पत्र द्वारा दे चुका हूं। विधायक यहां पर आना चाहता है और यहां पर अपनी बात कहना चाहता

है। उनके ऊपर 307 की धारा लगायी गई है ताकि वह अपनी बात यहां पर न कह सकें और ज्यादा दिन तक वहां उनको रोका जा सके। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर घटना है। नौकरशाही आज अपने निम्नतर बिन्दु पर आ गई है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें और चर्चा करा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी, इत्तफाक से मैं 23 तारीख को वहां पहुंच गया था। मैं वहां पर जेल में अपने साथियों से मिला। श्रीमन्, मैं वह बात नहीं दोहराऊंगा जो कि माननीय मोहन सिंह जी ने और सूबेदार सिंह जी ने कहा है। वे लोग वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दो-तीन हजार आदमी बैठे हुये थे किसी को नहीं रोक रहे थे। पुलिस आती है और उनमें से 50/60 आदमियों को ट्रक में बिठाकर ले गयी। वहां पर लाठी चार्ज किया गया। श्रीमन्, मैं इसके बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल चुका हूं। वहां पर उन लोगों को पीटा गया। यह जो कुछ हुआ है वहां के एस0 डी0 एम0 और जो थाना हैं उसके इन्चार्ज की साजिश से हुआ है।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो ये सब नहीं चाहते हैं। श्री रघुराज सिंह उपाध्याय भी उस समय वहां पर मेरे साथ थे जब यह घटना हुई है। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि 60/70 आदमी आमरण अनशन में बैठे हुये थे। मैंने उनके आमरण अनशन को तुड़वाया और कहा कि हम बात कर लेते हैं, यह नहीं होना चाहिए। वहां पर बहुत बड़ा पुलिस फोर्स आया हुआ था जो कि जबरदस्ती उन लोगों को खींचकर ले गया। वहां पर आपस में लोगों का जुडीशियर का झगड़ा था। जुडीशियरी के लोग नहीं आना चाहते थे। 10 बजे तक हम लोग बैठे रहे। वहां पर डी0 एम0, एस0 डी0 एम0 और आपके विधायक, श्री उपाध्याय जी भी आ गये और हम लोग 3 घन्टे तक बैठे रहे। 10 बजे तक मैजिस्ट्रेट नहीं आये ताकि रिमान्ड दिलवाया जा सके। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यदि मैं न होता, पांडेय जी न होते तो निश्चित रूप से वहां एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। प्रशासन इस बात पर तुला हुआ था कि हम रात के अंधेरे में रिमान्ड के लिये इन लोगों को बलरामपुर ले जायं। मैंने इस बात का प्रतिरोध किया और कहा कि हम नहीं ले जाने देंगे। अब यह पता चला कि हम वहां नहीं ले जाने देंगे तो वहां से डी0 एम0 भी चले गये और ए0 पी0 पी0 भी चले गये। श्रीमन् हम चाहते हैं कि आप इस स्थिति को देख लें। हमारे सामने यह घटना हुई है। आप उपाध्याय जी से स्थिति जान सकते हैं। जो धारायें आपने उनके ऊपर लगाई हैं वह गलत हैं। 307 का कोई केस नहीं था। कट्टा लेकर वे नहीं आये थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 188 आप लगा नहीं सकते थे क्योंकि आपने 144 नहीं लगाई थी।

यह एक माननीय सदस्य का मामला है। श्रीमन् आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि किस विषय को आप लें, किसको न लें लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को यहां पर रखें। शासन के लोग प्रशासन इतनी क्रूरता से रखना चाहते हैं तो हम कहां पर ऐसे प्रश्न उठायें। इसलिये श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मसले पर अपने विचार दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह घटना मेरे पड़ोस की है। जैसा माननीय नेता विरोधी दल तथा मोहन सिंह जी ने बताई कि उस दिन स्थिति और बिगड़ जाती। यही नहीं, 307 और कई क्रिमिनल एक्ट की धारायें लगा दी गयीं और 25 आर्म्स एक्ट भी लगा दिया लेकिन कोई आर्म्स बरामद नहीं हुए। इनकी एफ0 आई0 आर0 में 380

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय]
तथा और दूसरी धारायें भी लगा दी हैं। इस प्रकार 46 आदमियों को पकड़ा गया और उनकी पिटाई की गयी। एक व्यक्ति, श्री रफी उल्ला का तो हाथ टूट गया है और तीन आदमियों के पैर टूट गये हैं। सत्तारूढ़ पार्टी वहां के एक विधायक की जान को खतरे में डाल कर सन्तोष करना चाहती है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वहां पूरे इलाके के सारे किसान सत्याग्रह करके आ रहे हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहां के पुलिस प्रशासन और जूडिशियरी में कोई सामंजस्य नहीं है। स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अगर इस पर आप चर्चा की आज्ञा नहीं देंगे तो सारे तथ्य अंधकार में रह जायेंगे, उस क्षेत्र के विधायक की हत्या का प्रयास शासन कर रहा है, इसलिए इस पर चर्चा अवश्य करायें।

श्री राजमंगल पाण्डेय–

मान्यवर, अब इसमें बहुत कुछ कहने को नहीं बच जाता है जब कि नेता विरोधी दल ने स्वयं वहां की घटना का विवरण दिया है और कोई वजह नहीं है कि नेता विरोधी दल की बात पर विश्वास न किया जाय। अब तक की तो परम्परा यही रही है कि इस सदन में जब भी पुलिस की रिपोर्ट किसी भी माननीय विधायक के सम्बन्ध में है और उसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है तो उस पर सदन में विधायक कोई चीज रखे तो उसमें हमेशा विधायक की बात मानी जाती रही है क्योंकि अकारण गलत रूप से कोई औचित्य यहां पर नहीं रखता है। तो यहां स्थिति उससे भी अधिक महत्व की है कि यहां पर विधायक ही नहीं, नेता विरोधी दल स्वयं मौके पर जाकर देखे हैं। गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में आन्दोलन हो रहा है और वहां दफा 144 भी नहीं लगी थी। तो जब लोकतंत्र को हम मानते हैं तो हमको और आपको अधिकार है कि हम अपनी चीज की कीमत अधिक से अधिक मांगें और उसके लिए आवश्यकता पड़े तो संघर्ष भी करें। जहां तक रिपोर्ट मिली है संघर्ष भी शांतिपूर्ण था इसीलिए दफा 144 भी नहीं लगी थी। हालात को खराब करने का उत्तरदायित्व सरकारी अधिकारियों का है। वहां स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि माननीय अकबाल हुसैन तथा दूसरे लोगों को आशंका है कि जेल से छूटने पर उनका इनकाउंटर किया जायेगा या इसी तरह का कोई व्यवहार किया जायेगा जो किसी भी माननीय सदस्य के लिए अपमानजनक हो सकता है। तो यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न हो गया है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और हमें इस बात का आश्वासन दिला दें कि विधायक तथा दूसरे लोगों के साथ इस प्रकार की ज्यादती नहीं होगी। इस सम्बन्ध में नेता विरोधी दल की बातों पर विश्वास करके कम से कम इस पर दो घंटे की चर्चा का मौका दें और सारी बातों को सुनने के बाद कोई निर्णय हो। हम नहीं चाहते हैं कि हम सरकार के मोहताज बनें। हम उधर के बैठने वालों की मेहरबानी नहीं चाहते हैं। सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में और उनकी मेहरबानी पर इस लोकतंत्र को जिन्दा नहीं रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आप इसे लोकमहत्व का प्रश्न समझ कर चर्चा करायें और उसके बाद कोई निर्णय लें और आवश्यकता हो तो सरकार के कंडक्ट की सैंसर करने का हम लोगों को मौका दें।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, ग्राह्यता के सम्बन्ध में काफी बात हो गयी है। माननीय मोहन सिंह जी ने जो खत माननीय अकबाल साहब का पढ़ा, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज सबसे पहले इस पूरे सदन का फर्ज हो जाता है कि माननीय अकबाल हुसैन की जान महफूज रहे। जो इनकाउंटर जैसी बात लिखी है, उस पर आप माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके गारंटी लें कि उनकी जान महफूज रहेगी और जल्दी से जल्दी उनको इस सदन के अन्दर आने का मौका दें ताकि वह खुद ही अपनी बात यहां कह सकें। यह हमारा फर्ज हो जाता है कि उनकी जान सुरक्षित रहे।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर पहले 396 के सिलसिले में जो चर्चा हुई थी उसमें एक बात यह आई कि दूसरी दफा भी उसमें शामिल की जाय । अभी जनाब ने फरमाया, एक प्रश्न का जवाब देते हुए कि उक्त मुकदमें में 396 जैसी बड़ी दफा लग जाने के बाद किसी छोटी दफा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा यह दोहरा पैमाना क्यों उसमें तो छोटी दफाओं से फर्क नहीं पड़ता और इसमें छोटी दफाओं की भीड़ लगा दी गई है? मान्यवर, खुद भी कानूनदां हैं, आपको मालूम है कि किसी मुकदमें में, किसी बड़े मुलजिम को किसी बड़ी दफा के तहत सजा अगर नहीं मिल पाती और उस मुकदमें में छोटी दफाएं लगाई नहीं गई हैं, मसलन 147, 323 व 324, तो इसका मतलब यह होगा कि बड़ी सजा तो उसे मिली नहीं और हमारी गलती से वह छोटी सजा से भी बच गया। लिहाजा इस मुकदमें में 144 धारा तोड़ने पर 188 और उसके अलावा 145, 147, 148, 149, 307, 323, 336, 379, 380, 427 आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट एक्ट जैसी संगीन दफाएं लगाई गई हैं। ऐसी हालत में जेल में लाक-अप हो जाने के बाद केवल डी0 एम0 की स्पेशल परमीशन से ही किसी कैदी को जेल के बाहर ले जाया जा सकता है। लेकिन इसमें मेरे मालूम करने पर यह पता चला कि इस प्रकार का कोई आदेश डी0 एम0 का नहीं है और जबरन कैदियों को बाहर ले जाने के लिए गैर-कानूनी तौर से पुलिस जेल के बाहर मौजूद थी। लिहाजा हमारा यह ख्याल और खुद इकबाल साहब का ख्याल कि इस तरह गैर-कानूनी तौर से बाहर ले जाने का मतलब कहीं यह तो नहीं कि पुलिस उन लोगों का एनकाउन्टर कर दे, अपनी जगह ठीक ही मालूम पड़ता है और जैसा कि इकबाल साहब ने मोहन सिंह जी को अपने पत्र द्वारा इत्तिला भी दी है। यह बात भी काबिले जिक्र है कि गिरफ्तारी के बाद जब इन लोगों को गाड़ियों में बिठाल लिया गया तब उन पर लाठीचार्ज हुआ और उन पर तमाम गलत धाराएं लगाई गईं। इतना ही नहीं, श्री इकबाल हुसैन के जेल चले जाने के बाद पुलिस ने उनके ट्रैक्टर को बुरी तरह से तोड़ कर बर्बाद कर दिया। साथ ही यह बात भी काबिले जिक्र है कि उक्त मुकदमें की तफतीश वही दरोगा कर रहा है, जिसके खिलाफ श्री अकबाल हुसैन ने मुकदमा कायम करने के लिए एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट पर न तो कोई मुकदमा ही कायम हुआ है और न किसी प्रकार की तफतीश ही कराई गई है। अफसोस की बात यह है कि इस बारे में जिस दरोगा पर आरोप है, वही इन मुकदमों का जांच अधिकारी है। इस मामले में एक बात और भी है एक अफसर ने हमसे वहां यहां तक कहा था कि हमसे गलती हुई है, हमें इत्तिला नहीं मिली थी कि आप लोग आए हैं वरना तो हम यह काम आपके जाने के बाद करते इसीलिये यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर कम से कम 2 घंटे की चर्चा का मौका दिया जाए, यही मेरी गुजारिश है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो तथ्य सामने आए हैं और चूंकि नेता विरोधी दल वहां पर स्वयं मौजूद थे और एक विधायक ने पत्र लिखा है जिसमें काफी गम्भीर आरोप हैं, अतः इन सारे तथ्यों की सारी जानकारी कराने का और उन पर कार्यवाही करने का सरकार का कर्तव्य है। इसको पूरी तरह से कराया जाएगा। रियासत हुसैन साहब ने विधायक के जान की रक्षा की बात कही है, तो उसमें उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। इतना मैं सदन को मान्यवर, मैं आपके द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूं। जो इस पर कार्यवाही या चर्चा कराये जाने की बात कही गई, तो उस पर कार्यवाही पूरी की जाएगी, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप अनुमति दें कि

[श्री अम्मार रिजवी]
सरकार इस पर एक वक्तव्य देगी और उसके ऊपर अगर सदन की सन्तुष्टि नहीं होती तो जैसा आपका आदेश होगा वह किया जाएगा। चूंकि नेता विरोधी दल वहां पर स्वयं मौजूद थे इसलिए कोई कारण नहीं है कि उन तथ्यों पर विश्वास न किया जाए, काफी गम्भीरता से इन तथ्यों पर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए मान्यवर, इसको आप वक्तव्य के लिए स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ भी तथ्य इस सम्बन्ध में सामने आए हैं और रिजवी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह एक विधायक से सम्बन्धित बात है और उसके साथ-साथ राजनीतिक प्रक्रिया से सम्बन्धित आन्दोलन से घटना का सम्बन्ध है।

नेता विरोधी दल स्वतः पहुंचने के बाद देखकर आये हैं और बता रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस घटना पर विस्तृत रूप से जो तथ्य सदन में आये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, शासन एक वक्तव्य दे दें। कृपया इसके लिये आप समय बता दें कि कब वक्तव्य देंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

चूंकि जेल आदि से सूचना आनी है अतः पहली के बाद यदि दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय–

मान्यवर, गोंडा बहुत दूर नहीं है। यह ऐसी जगह है जहां से 24 घंटे के अंदर सूचना आ सकती है। अतः इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर शीघ्र वक्तव्य दिला दें।

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मेरी प्रार्थना है कि इसमें जल्दी न की जाय। बहुत जिम्मेदार लोगों ने अपने सामने कुछ बातें देखकर कहा है। इसलिये सब को मौका देकर, सारी चीजों को दिखवा कर ही वक्तव्य दिया जा सकता है यह बहुत ही अहम बात है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप पहली फरवरी को पूर्ण रूप से वक्तव्य दे दें।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैंने भी एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष–

इसको अस्वीकार कर दिया है।

[समय 1 बजकर 47 मिनट]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव
(क्रमागत)†

*श्री मोहन सिंह–

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय नेता विरोधी दल ने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन रखा है, उसके समर्थन में कुछ बातें कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

इस सरकार को बने 1 1/2 साल का समय हो गया है। जो सरकार 1 1/2 साल में अपना पूरा मंत्रि-मण्डल घोषित न कर सके, उससे हम प्रदेश में अच्छे प्रशासन की कल्पना करें, यह सर्वथा व्यर्थ है। पिछले 1 1/2 वर्ष की अवधि में अपने कुछ सहयोगियों को निकाला और कुछ को रखा गया और जब माननीय मुख्य मंत्री जी

---

†दिनांक 21 जनवरी, 1982 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से पूछा जाता है कि आपका मंत्रि-मण्डल कब पूरा होगा तो एक ही उत्तर मिलता है कि यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है । इसके पीछे केवल एक ही तर्क है कि जो लोग इनकी चापलूसी नहीं करते हैं, उनको नश्तर साहब के रास्ते से जाना होगा और जो नाराज होंगे उनको राजा रणजीत सिंह जूदेव की तरह से ले लिया जायेगा। जैदी साहब, आपका भी अब नम्बर आने वाला है यह सरकार स्वयं धोखा धड़ी पर आधारित है।

यह सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ भी धोखा कर चुकी है । उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट संजय गांधी मैमोरियल इन्सटीट्यूट की आधारशिला रखी, अखबारों में खबर छपी कि स्वास्थ्य मंत्री जी जाने वाले हैं । उन्होंने अपनी नौकरी को बरकरार रखने के लिये महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उपरोक्त इंस्टीट्यूट का एक संगमरमर का पत्थर भी लगवा लिया। आज एक साल से ज्यादा का समय हो गया जब उनसे पूछा जाता है कि यह इंस्टीट्यूट कब खुलेगा तो कहा जाता है कि मोहन लाल गंज के इलाके में अब जमीन का चयन किया जा रहा है । जो सरकार हिन्दुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति को धोखे में रख सकती है तो वह सरकार जनता का क्या विकास कर सकेगी? इसी तरह से जून में उपचुनाव हुए इलाहाबाद में, भदोही में और हिन्दुस्तान के युवराज का अमेठी में चुनाव हुआ जहां पर अल्पसंख्यक वोट भारी मात्रा में थे।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि उर्दू को दूसरी राज्य भाषा के रूप में इस वर्ष के अन्त में प्रतिष्ठित कर दिया जायगा। यह घोषणा हो गयी। घोषणा के बाद जब साल का अन्त होने लगा तो कांग्रेस पार्टी के सूबाई कमेटी के अध्यक्ष ने ऐलान भी कर दिया और पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन आध घंटे के अन्दर वह अध्यादेश वापस ले लिया गया और यह कहा गया कि उर्दू को राज्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में अलग से विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। मान्यवर, इस तरह का कोई भी विधेयक इस सत्र के अन्दर नहीं आने वाला है। जो सरकार एक सवाल पर कई मुंह से बोले, ऐसी सरकार को हम यह कहें कि यह चलने वाली सरकार है, तो नामुमकिन है। एक विधान सभा सदस्य के बारे में, मैंने तथा विधायकों ने शिकायत की कि उन्होंने लक्ष्मन पासी की लड़की का अपहरण कराया। माननीय मुख्य मंत्री ने उन्हें उप मंत्री बना दिया।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, यह बात कई बार आ चुकी है। यह बात बार-बार कहना उचित नहीं है।

श्री मोहन सिंह–

अखबारों में छपी कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने लछमन की लड़की की बरामदगी के बारे में उनके भठ्ठे के ऊपर छापा मारा। माननीय मुख्य मंत्री ने उनको स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री बना दिया। एक राज्य मंत्री के बारे में अखबार में छपा। एस0 पी0, बलिया ने रिपोर्ट छापी कि फलां डकैत मार दिया गया मुठभेड़ में, माननीय मुख्य मंत्री ने उचित समझा कि उनको मातहत रखने के बजाय, उन्हें स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री बना दिया। शिक्षा मंत्री की सिफारिश पर एक स्कूटर चोर को लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर लखनऊ रजिस्ट्रार आफिस में नौकरी दी गयी। जब यह खबर छप गयी, तब माननीय मुख्य मंत्री ने उचित समझा कि ये शिक्षा विभाग के काबिल नहीं, ये गृह विभाग सम्भालें। सतिया काण्ड से उनकी योग्यता पूरी नहीं हो पायी थी, तो उन्होंने एक और काण्ड अपने ही घर में करवा दिया। इस सरकार के अन्दर अपराध की प्रवृत्ति हो गयी है।

[श्री मोहन सिंह]

इस लिए मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि यह सरकार इस प्रदेश में नियम, कानून और व्यवस्था को ठीक ढंग से चला नहीं सकती। जोग माया नाम की एक लड़की की शादी के बाद यह खबर बराबर छपती रही है कि उसको उसके पति से अलाहिदा कर दिया गया है। इस तरह की अपराधिक प्रवृत्ति में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-मंडल के तमाम सहयोगियों का योगदान चल रहा है। 'इंडिया टुडे' में श्री भानु प्रताप सिंह का बयान छपा है कि मेरा गन्ना विभाग इस लिए ले लिया गया कि मैंने हरदोई की शुगर मिल के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की रिकबरी सर्टिफिकेट जारी किया। यह मेरा बयान नहीं है। यह अखबार में छपा है। उनका विभाग बदल दिया गया। एक मंत्रालय के सहयोगी का इस तरह का वक्तव्य, मुख्य मंत्री की सत्य निष्ठा, ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाने को काफी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार के एक मंत्री जो इन्हीं की पार्टी के महामंत्री थे श्री कल्पनाथ राय ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। माननीय मंत्री केदार पाण्डेय ने बयान दिया कि लोगों का जीवन उत्तर प्रदेश में इसलिए असुरक्षित है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अवज्ञा कर रही है उसको मानने को तैयार नहीं है। इनकी पार्टी को सेंसर करने के लिये केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के वक्तव्य काफी हैं। मान्यवर, बिजली का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री ने बार-बार बयान दिया कि बिजली की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थापित क्षमता है, उसका 21 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और 19 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि रेकार्ड उत्पादन किया गया है। मान्यवर, 19 तारीख को 15 सौ मेगावाट उत्पादन किया गया जबकि स्थापित क्षमता है 36 सौ मेगावाट । 36 सौ मेगावाट के स्थान पर 15 सौ मेगावाट उत्पादन करके जो सरकार अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाये उसको एक मिनट नहीं रहना चाहिए। चाहे खेतीबारी का मामला हो, बिजली का मामला हो, किसानों का मामला हो, कानून व्यवस्था की हालत हो, किसी चीज पर इस सरकार का नियंत्रण नहीं है ।

मजदूरों की हालत खराब है। हमारे मोदी नगर में इतनी महत्वपूर्ण हड़ताल जिसने कराई, श्री जय प्रकाश की उसमें हत्या की गई। उसकी एफ0 आई0 आर0 में लिखवाया गया है कि इसमें कांग्रेस कमेटी के प्रमुख लोगों का हाथ था लेकिन आज तक जय प्रकाश के हत्यारों को गिरफ्तार करके जो व्यवहार उनके साथ होना चाहिए था, नहीं किया गया। त्रिवेणी ग्लास वर्क्स में पिछले सप्ताह से हड़ताल चल रही है । यह सरकार बार-बार यह कहती है कि मिल मालिकों और मजदूरों में जहां झगड़ा होगा, सरकार मजदूरों का साथ देगी। लेकिन जहां-जहां भी मिल मालिकों और मजदूरों में झगड़े हुए हैं इस सरकार का रवैया और श्रम मंत्री का रवैया. . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री आर्य द्वारा रखे धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैंने अभिभाषण को पढ़ा है, उसमें जिन मुद्दों की विशेष चर्चा की गई है, उसमें अनुसूचित जातियों के उत्थान, विकास की बातें हैं, भूमि आवंटन की बातें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और मार्ग की बात है। हमारा निर्माण निगम विदेशों में ख्याति प्राप्त कर रहा है और मान्यवर, शिक्षा के बारे में, कृषि के उत्थान के बारे में, विश्वबैंक से नलकूप लगाने के बारे में उल्लेख किया गया है। हमारे क्षेत्र में नलकूप लगाये गये हैं, नदियों का दोआबा है, नलकूप लगे हैं और लगाने की योजना है। आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे यहां और नलकूप लगाये जायं।

जहां तक विद्युत् की कमी का विचार है, अभी मोहन सिंह चर्चा कर रहे थे। विद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये ऊंचाहार और टाण्डा आदि में हमारी योजनाएं है। इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है।

इसी के साथ-साथ जिन मुद्दों पर महामहिम राज्यपाल ने प्रकाश डाला है, जैसे बुनकरों की स्थिति, कताई मिलों की क्षमता बढ़ाने की बात, वृक्षारोपण की बात है। तो इनमें सब में प्रगति हुई है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये जा रहे हैं जिससे सड़कें सुन्दर लग रही हैं। इन सारी बातों के बावजूद नेता विरोधी दल और श्री मोहन सिंह ने केवल एक डायरी प्रस्तुत की जिसमें पुलिस की डायरी की तरह अपराधों की संख्या लिखी है। इस पर मैं श्री मोहन सिंह को एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनको बाहर कहने पर तो पाबन्दी लगी है इसीलिये यहां पर तो सुनायेंगे ही।

श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

तो शेर यह है —

इतने हसीनों के नाम हैं इनकी डायरी में,
सारी उम्र कट जायेगी इंक्वायरी में।

मान्यवर, जब भी श्री मोहन सिंह खड़े होते हैं बोलने के लिये तो उनको बोलने में कला हासिल है इसमें शक नहीं है। लेकिन जो यह कहानियों को एक में जोड़कर एकांकी नाटक प्रस्तुत करते हैं उसके लिये इनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन हर पहलू से जो यह बात करते हैं उसमें कोई सृजनात्मक बात नहीं होती है बल्कि विरोधात्मक बात होती है। इस संबंध में भी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं—

हर दम तलाशे गैर में रहता है आदमी,
डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाये।

तो मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं कि आप मंत्रियों के हटाने की बात करते हैं लेकिन आपके यहां तो मुख्य मंत्री को हटा दिया गया था।

मान्यवर, श्री मोहन सिंह ने राष्ट्रपति की चर्चा किया कि राष्ट्रपति ने घोषणा किया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझसे बिहार में शिलान्यास करवाया गया, लोक नायक जय प्रकाश की पत्नी के नाम से और वह ज्यों का त्यों कागज में पड़ा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में यह बात नहीं हो पायेगी और जो शिलान्यास हुआ है, उसका काम पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, श्री मोहन सिंह पता नहीं एक प्वाइन्ट कैसे छोड़ गये। गढ़वाल की बात वह हमेशा करते हैं, आज इस भाषण में उन्होंने जो एकांकी नाटक प्रस्तुत किया, उसमें छोड़ गये। तो इस पर वह शेर सुन लें :—

अक्सर ये विपक्ष दल वाले जंजाल की बात करते हैं,
जब कुछ नहीं मिलता इनको गढ़वाल की बात करते हैं।

इसलिये मान्यवर, आज जो सृजनात्मक काम हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहिये था लेकिन वह न कहकर जो मुख्य प्रक्रिया आलोचना की घूम रही है वह प्रशासन के नाम पर घूम रही है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसलिये इसमें कोई साजिश जरूर है लेकिन वह कहां से है इसका पता लगाने में हमारी सरकार प्रयत्नशील है और उनकी रक्षा करने के लिये हमारी सरकार

[श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती']

कटिबद्ध है। चूंकि हरिजनों का संबंध हमारी पार्टी और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी से इतना घनिष्ठ है कि आज इस तरह की आलोचना करके हमको नहीं हटा सकते हैं। इसलिये इस पर भी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो,
आंधियों तुमने बहुत से दरख्तों को गिराया होगा।

तो यह तितली और गुल का संबंध है। हरिजनों को पार्टी से आप अलग नहीं कर सकते हैं।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, इन्होंने बहुत से शेर सुनाये हैं। मान्यवर, जरा शेरों को शेर पढ़ने का मौका दीजिए। हम शेर हैं हमें शेर पढ़ने दीजिए।

श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'

मान्यवर, अन्त में मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर, एक बात कही गयी है उर्दू के बारे में। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उर्दू के लिए उचित दर्जा दिलायेगी और विधेयक लायेगी। अभी विधेयक आया ही नहीं है लेकिन सारे प्रदर्शन कराये जा रहे हैं और दुनियां भर का बवंडर पैदा किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ माननीय आर्या जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

*श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया है। मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि वर्तमान शासन जो आजकल अपनी बहुत बड़ी तारीफ इस बात की करता है कि उन्होंने सारे दस्युओं का उन्मूलन किया है, सारे बदमाशों का खात्मा किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान शासन ने सारे प्रदेश के अन्दर न जाने कितने निर्दोष लोगों और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा। मायवर, मेरे जनपद शाहजहांपुर में जहां के पुलिस अधीक्षक को राज्यपाल महोदय ने पुलिस मेडल दिया है, उस जनपद में थाना केलान के अंदर तीन आदमियों को जो बेगुनाह थे, उनको दरोगा डी0 पी0 गौड़ जो "माया कांड" के हीरो थे, उन्होंने उनको मौत के घाट उतारा है। वहां तीन आदमियों को पकड़ लिया गया और झाड़ियों में छिपा दिया गया और गांव के प्रधान से कहा कि तुम्हारे यहां पर डकैती पड़ने वाली है। उन्होंने एक नाटक रचा और 2 बजे रात को दरोगा डी0पी0 गौड़ अपने आदमियों के साथ जाते हैं चकरेली गांव में और प्रधान से कहते हैं कि डकैती पड़ने वाली है डकैत आ चुके हैं। वह बंदूक का फायर करते हैं जो इस बात का इशारा था कि उन तीन बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाय। इसके बाद जैसे ही फायरिंग वह करते हैं पुलिस कर्मी उन तीनों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। मान्यवर, उसमें एक व्यक्ति पर केवल दफा 25 का मुकदमा चला था। दो लोग ऐसे थे जिन पर 392 का मुकदमा चल रहा था। तो एक तरफ इस प्रकार के बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और यह सरकार वाहवाही लूटना चाहती है कि दस्युओं का उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग इस बात को कहते हैं कि हरिजनों से हमारा और हमारी नेता, इंदिरा गांधी का जो रिश्ता है, वह कोई अलग नहीं कर सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़ो कांग्रेसी नुमाइंदे हैं जीशान मियां। उनके लड़के अजीमुशान ने एक हरिजन लड़की के साथ जिना किया। मुकदमा दर्ज हुआ उन पर 70 हजार की डकैती का, लेकिन अभी हिस्ट्रीशीट कायम नहीं हुयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और दूसरी तरफ बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। न जाने कितने लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सत्ताधारी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे सन् 1975 में नसबंदी के प्रकोप से आपकी तबाही हुयी, उसी प्रकार से इन बेगुनाह लोगों के कत्ल का खून आपकी तबाही लायेगा, आपकी तबाही का आसार बन कर रहेगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सरकार कृतसंकल्प है इस बात के लिये कि वह गन्ना किसान की बहबूदी करेगी। गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए, मेरी सरकार गन्ने की खेती और चीनी उद्योग के विकास के लिये सराहनीय कार्य कर रही है। शासन द्वारा गन्ना किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य दिलाया जा रहा है। मान्यवर, जिला शाहजहांपुर में इसी महीने में 11 तारीख से वहां हड़ताल चल रही है और यही नहीं, जो गन्ने का मूल्य निर्धारित हुआ है, उससे किसान को कोई लाभ नहीं है और आज भी किसान अपना गन्ना रखे हुए है और जो मूल्य निर्धारित भी किया गया है, वह मूल्य भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को यह सरकार पूर्णतया कोई भी लाभ पहुंचाने में सफल नहीं है, बल्कि किसानों की विरोधी है, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं और प्रदेश के नागरिकों का जो खुले आम हनन किया जा रहा है और जितने भी इन-काउंटर्स हुए हैं वह सब फर्जी हुए हैं और बेगुनाहों को मारा गया है।

*श्री राम औतार दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो श्री बलदेव सिंह आर्य जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, का मैं समर्थन करता हूं। मैंने नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं की बातें सुनी। इन अद्योपांत बातों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनको शायद हमारी सरकार के कार्यों पर भ्रम हो गया है इसलिए आपके माध्यम से अपने विरोधी भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि अपराधी अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। सन् 1981 में मुठभेड़ करने वालों में एक डी0वाई0एस0पी0, दो इंसपेक्टर, 15 सब इंसपेक्टर, 9 हेड कांस्टेबिल तथा 83 कांस्टेबिल मारे गये, जो सभी पुलिस कर्मी थे, तो क्या यह सब भी फर्जी थे? जब मुठभेड़ हुयी, तभी तो मारे गये।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हरिजनों एवं सवर्णों की बात इस सदन में उठाई जाती है तो मुझे बड़ा क्षोभ होता है। मुठभेड़ तो मुठभेड़ है, इसमें हर काम का आदमी मारा जाता है। बदमाशों में भी मारा जाता है, अब चाहे वह किसी जाति का हो या क्षेत्र का, और पुलिस कर्मियों में भी मारे जाते हैं, उनमें सभी हरिजन नहीं होते, सवर्ण भी होते हैं। तिजोला चमार के गैंग ने इंसपेक्टर श्याम बिहारी शुक्ल को मारा। तो क्या वह हरिजन नहीं था? और एक पुलिस कर्मचारी जो सवर्णों में से था, उसकी हत्या नहीं की? और इसी के दूसरी ओर 18 नवम्बर, 79 को छविराम द्वारा मैनपुरी जिले के ही बहनपुर गांव में 5 महिलाओं सहित 12 हरिजनों को मार दिया गया। यह आपके ही शासनकाल की बात है, जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने दृष्टांत दिये, उसी के संबंध में बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त 7 दिसम्बर को एकटि थाना में 7 व्यक्तियों की हत्या की गयी, 10 दिसम्बर, 79 को इटावा के जाटवपुर गांव में 18 हरिजनों की सामूहिक हत्या हुयी, 21 दिसम्बर, 79 को इटावा के ही पलरहयी गांव के 9 निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, 30 जुलाई, 78 को जालौन थाना के अन्तर्गत रामपुरा, जमालपुर गांव के 8 लोग मार दिये गये, जो गड़रिये थे, 5 अक्टूबर, 1977 को एटा जिले के जैयरा, थाना अल्वर में 5 हरिजनों को मारकर काला नदी में डाल दिया गया था तथा दो लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम औतार दीक्षित]

इसी के साथ ही मैं यह भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल को कि क्या आपके शासन काल में डकैतियां आम नहीं थी और क्या उस समय इन-काउण्टर्स नहीं हुए? आपके शासन काल में भी 3392 इन-काउण्टर्स हुए, जिसमें 1391 डकैत मारे गये थे और 9447 पकड़े भी गये थे और इसी योजना में 7230 अस्लहे भी बरामद हुए थे, तथागत् वर्ष में भी 225 रायफल, 74 रिवाल्वर, 48 पिस्टल तथा तमाम देशी अस्लहे भी बरामद हुए थे। इसी के साथ ही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जो आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है, इस अध्यादेश के अतिरिक्त, इससे कड़ा अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए क्योंकि जो मुजरिम पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाते हैं यदि उन्हें फिर जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वे और उससे भी बड़े अपराधी बन जाते हैं। 3 साल पहले मलखान सिंह को गिरफ्तार किया गया, फिर वे जमानत पर रिहा कर दिये गये, गब्बर सिंह 27 तारीख को गिरफ्तार हुआ और उन्हें भी रिहा कर दिया गया जमानत पर, तो साढ़ूपुर का हत्यारा अनारसिंह, 1980 में तीसरी बार जमानत पर छूटा। इसके पहले दो बार जमानत पर छूट चुका था। जमानत पर छूटने के बाद ही डकैत इस तरह और सक्रिय डकैत बन जाता है। इसके लिए सरकार की ओर कड़े आदेश देने चाहिए कि जमानत पर प्रतिबन्ध लग सके।

जहां तक हरिजनों की यहां पर ज्यादा चर्चा की गयी, तो मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ हरिजन गैंगों के नाम लेता हूं—मिहीलाल, सोहड़ासिंह, किशोरी पासी, गौतम गड़रिया, जगतपाल पासी, तिजोला चमार। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये हरिजन डकैतों के गिरोह नहीं हैं?

अन्त में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अपराधी, अपराधी हुआ करता है, उसकी कोई जाति नहीं हुआ करती है। इसके लिए हमको सक्रिय कदम उठाना चाहिए और जमानत की मांग पर ऐसी सख्ती करनी चाहिए, जिससे यह डकैत जमानत पर छूट न सकें। इसके साथ ही मैं माननीय बल्देव सिंह आर्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे उनका कहना यह था कि हरिजनों के भी गिरोह हैं, इसलिये हरिजनों के ऊपर उनकी विशेष आस्था नहीं है । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हमारा 15 लाख हरिजनों के परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है । अगर यह विचार रखें कि यह हरिजन हैं इनको ऐसे ही रहना चाहिये, जैसा दीक्षित जी का सुझाव है, तब तो यह बहुत अच्छा रहेगा । इसी सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि उधर के सदस्य वाणी से और मन से एक तरह से बोलते हैं । वाणी से कहते हैं हरिजनों के भी गिरोह हैं और उन पर विशेष कृपा नहीं करनी चाहिये । हरिजन विशेष दया के पात्र हैं क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से उनका शोषण हुआ है ।

मनुस्मृति में कहा गया है कि—

एकमेवतु शूद्रस्य प्रभुकर्मसमादिशत्

एतेषांनाम् वर्णानाम् सुश्रूषामनुसूयया ।

अर्थात् शूद्र का केवल एक ही काम भगवान ने बनाया है और वह है तीनों वर्णों की सेवा ईर्ष्या रहित होकर करे।।

श्री राम कुमार भार्गव—

इसके लिये आप एक बार सदन में आने से वंचित भी हो चुके हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मैं जो बोल रहा हूं, देश बोलेगा। आप ज्यादा तादाद में हैं, न बोलने दें तो यह दूसरी बात है। तर्क हमारे पास है, ताकत आपके पास है, लेकिन तर्क से ताकत परास्त हो जाती है।

मान्यवर, एक ओर बड़े जोर से कहा जा रहा है, हमारी बात का प्रतिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु माननीय समाज कल्याण मन्त्री विराजमान नहीं हैं, उनका ही एक वक्तव्य है 15-20 दिन पहले का कि 119 करोड़ रु0 बजट में रखा गया अनुसूचित जनजातियों की तरक्की के लिये और बड़ा ढंका पीटा गया कि इतना अनुदान कभी रखा नहीं गया है, 27-28 करोड़ से ज्यादा कभी रखा नहीं था। सारे देश में चमत्कार हो गया लेकिन इरादा जो सच्चा है वह छिपता नहीं है। 9 महीने में 12 करोड़ रु0 खर्चा किया जो कि 10 प्रतिशत टोटल एलाटमेंट का था। यह इनकी कटिबद्धता है कि इसमें 27 करोड़ खर्च करने की जगह पर 10-12 करोड़ ही खर्च किया तथा कह रहे हैं कि अनुसूचित जन-जाति के लिये हमारा हृदय फटा जा रहा है।

जहां ढोंग हो, जहां पाखण्ड हो, वहां यह उछल कर सामने आ जाता है।

मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि साढ़ूपुर और देवली के काण्ड को हत्याकाण्ड का नाम दिया गया, उसे हत्याकाण्ड कहा गया और कहा गया कि ऐसा जनता सरकार के समय में भी हुआ है। यह ठीक है कि जनता सरकार के समय नरसंहार हुए परन्तु जहां पर नरसंहार हुए वहां औरतों को और बच्चों को नहीं मारा गया। यहां उक्त दोनों हत्या-काण्डों में औरतों और बच्चों को मारा गया है, यहां पर जानबूझ कर परिवार को समाप्त किया गया है। यह आपका गुस्सा है कि आपने उनके सम्पूर्ण परिवार का नाश किया। तीन-तीन महीने और छः-छः महीने के बच्चों को मार दिया भला उनसे आपकी क्या लड़ाई थी? औरतों भी क्या उस लड़ाई की हिस्सेदार थीं, औरतों से क्या रंजिस थी जो उन निरीह बेचारियों को मार दिया? हरिजनों को आपने इसलिये समाप्त करना चाहा कि अब हरिजनों में जागरूकता आ गयी है, वे जाग गये हैं, वे आपको वोट देते हैं और अपने वोट के अधिकार को वह अब पहचानने लगे हैं और आप उन्हें आज भी नीची दृष्टि से देखते हैं और आज भी उन्हें नीच कहते हैं। आपकी किताबें उन्हें नीच कहती हैं जिसका कि आप उदाहरण देते हैं। जो किताबें उन्हें नीच कहती हैं उन किताबों को चलाने के लिये आप बड़े प्रयत्नशील हैं लेकिन वह आपके ऊपर आश्रित नहीं हैं, अब आप उन्हें रोके नहीं सकेंगे।

अभी देवली हात्याकाण्ड के समय जब हम लोग वहां पर गये तो वहां के लोगों से पूंछा कि क्या तुम बराबर सवर्णों के सामने खाट पर बैठते थे? इस पर उन लोगों ने बताया कि अनेक बार ऐसी घटना घटी है कि जब हम लोगों से कहा गया कि जब हम लोग निकलें तो तुम्हें खाट पर न बैठें पायें। तो समझ लीजिये कि जो नहीं चाहते थे कि उनके सामने वे खाट पर बैठें, वह हुआ। कई बार उन लोगों ने कहा कि हमसे कहा गया कि खाट उलट देंगे। उसी का परिणाम यह सामने आया। सारी जगह जहां इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, वह सामाजिक असमानता की लड़ाई है। वह चाहे कुछ कहें और आप करें कुछ। जहां भी इस प्रकार के हत्याकाण्ड हो रहे हैं, सब जगह पर सामाजिक असमानता ही एकमात्र कारण है, यह सामाजिक असमानता की ही लड़ाई है और इसे आप परिवार समाप्त करके रोकना चाहते हैं। मान्यवर, इनकी पूरी नीति में कहीं भी सामाजिक असमानता को दूर करने का वर्णन नहीं है, न राज्यपाल के अभिभाषण में ही इस बात की चर्चा की गयी है। मान्यवर, कहीं भी इन्होंने यह बात नहीं कही है कि जनता की विषमता को मिटा करके कोई स्वस्थ्य समाज को बनायेंगे. ऐसा कोई इरादा इनका नहीं है। नियत ही नहीं है। जब नियत नहीं है तो फिर नीति कहां से बनायेंगे? हरिजन ज्यों के त्यों रहें क्योंकि यह इस समस्या को हल नहीं कर सकते।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

इस आधारभूत भावना से सरकार की सारी नीतियां अन्तर्ग्रस्त हैं । अभी 15 लाख परिवार को बसाने का कार्यक्रम सरकार के कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत है। मैं कम्पोनेन्ट प्लान की बात कर रहा हूं कि उससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है । आप एकदम भिन्न आंकड़े सदन को देकर भले ही गुमराह कर दें क्योंकि बात को छिपाने की नीति ही है । इस कारण से मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । आम तौर से उधर के लोग कहेंगे कि विरोधी दल केवल हरिजन के कल्याण के लिये आलोचना ही करता है, कुछ भी रचनात्मक बात नहीं बताता, इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं ।

अगर सरकार ईमानदारी से हरिजनों का भला चाहती है या यह चाहती है कि देश में हरिजन न रहें, तो आप इस सुझाव को मान लीजिये । आप 15 लाख परिवार बसाना चाहते हैं । तो मैं यह मांग करता हूं कि आप इन्सानी बस्ती बसा दीजिये । बनों की जमीन जो 9 लाख वर्ग मील पड़ी है, उसमें हरिजनों को बसा कर एक परिवार के लिए एक पक्का कमरा, एक स्नानागार, एक शौचालय तथा एक किचन की व्यवस्था उसमें कर दें तो इस तरह से आप 100 परिवार बसा दीजिये उसमें मान्यवर, उनका जो उत्पादन हो, ट्रेनिंग दें अपने खर्चे से, कच्चा माल दें, मशीन दें और जो पक्का माल तैयार हो उसे खरीदें, इससे वे स्वावलंबी हो जायेंगे । इन शब्दों के साथ में विरोध पक्ष की तरफ से प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य, अनेकानेक युद्धों के विजेता, माननीय बलदेव सिंह आर्य जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन हृदय से करता हूं । मैंने इस सदन के माननीय नेता, विरोधी दल का भी भाषण सुना और प्रतिपक्ष के एक से एक मनीष सदस्यों की वक्तृता के सुनने का मौका मिला । इन सब के सामने मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूं । अपनी लघुता और दक्षता के दायरे में रह कर कुछ शब्द मैं आपके माध्यम से कहने की हिम्मत कर रहा हूं । जिस व्यक्ति की आंख में जिस रंग का चश्मा होता है उसको सारा का सारा उसी रंग में दिखायी देता है । मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब से इस सदन में आया हूं बार-बार मेरे मन में यही बात उमड़ती है कि क्या इस पक्ष से उस पक्ष में और उस पक्ष से इस पक्ष में आने से ही काया के साथ-साथ विचार भी बदल जाते हैं ? अभी इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्य सत्ता में थे तो उन्हें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और यही प्रदेश है, जिसके अधिकारियों की जै जैकार करने और कीर्तन करने में अपना सौभाग्य समझते थे, आज समय बदला, अपने कुकर्मों के कारण, अपनी विफलताओं के कारण, इस पक्ष में आ गये और इनको हमारे सब काम बुरे नजर आने लगें, सब जगह बुराई नजर आने लगी, जो कल तक इनको.....

(व्यवधान)

अग्निहोत्री जी, ऐसा नहीं, हमने आपको सुना, जब से सदन शुरू हुआ है, आज पहली बार बोल रहा हूं । मान्यवर, मैं 32-33 की बात नहीं करता, उमर की तराजू पर किसी ने ज्यादा देखा किसी ने कम देखा । जिस समय इस देश में एक क्रान्ति हुई, स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रान्ति का बिगुल बजाया, लोग कन्दराओं से निकले, लोगों को कांग्रेस में सारी बुराई नजर आयी और सत्ता परिवर्तन हुआ । ये लोग धरती पर राम राज्य लायेंगे, मस्तक पर सेहरा बंधा । सारा देश एक तरफ और श्रीमती इन्दिरा गांधी एक तरफ ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं मंत्री हो जाऊं या मंजीरावादक हो जाऊं, लेकिन मैं जिस हाल में हूं उसी में मुझे रहने दें ।

(व्यवधान)

व्यवधान डालेंगे तो जवाबी कीर्तन होगा, श्रीमन् । पूरा देश एक तरफ और श्रीमती इन्दिरा गांधी दूसरी तरफ । इस देश के जागरूक लोगों ने, मतदाताओं ने जो धरती पर राम राज्य की कल्पना करते थे, जिन्होंने धरती पर रामराज्य स्थापित करने की घोषणायें की थी, एक कोने में चले गये और श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्र की एकमात्र नेता के रूप में विराजमान हैं और उनकी नीतियां जगजानर हैं । उनकी नीतियां देश के कोने-कोने में व्याप्त हैं ।

बार-बार यह कहा जाता है कि कौन मंत्री हो गया और कौन नहीं हुआ, कौन बुरा था और कौन कैसा था तो यह आपकी नजर का फर्क है । श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के लिए हर सदस्य अपनी पूरी आस्था देने के साथ प्राण देने के लिए तैयार है । मान्यवर, जब से सदन में आया हूं, रोज सुनता हूं, मुठभेड़ों की चर्चा, डाकुओं के मारने की चर्चा। अभी हमारे एक राजनीतिक महर्षि बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ सुझाव रखे और कुछ आंकड़े दिये । इस देश का संविधान साक्षी है, इस देश का राजनीतिक जीवन साक्षी है कि हरिजनों के लिए किसने क्या किया है । हरिजनों की चिन्ता अगर किसी ने की है तो वह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने । आपने उनके लिए आंसुओं की बरसात की और जैसे बरसात में नाले बहते हैं, लेकिन उनमें कोई दरार नहीं आई । आज भी हरिजन वर्ग, कमजोर वर्ग केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही नेता मानता है और कहता है कि उसकी रहनुमा, उसकी हमदर्द केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं ।

मुठभेड़ों की बात कही गयी । राम अवतार जी ने भी चर्चा की तो मुठभेड़ें तब भी होती थीं, अब भी होती हैं, अफसरों को कब तक कोसोगे । यह तो एक संयोग की बात है । कोई भी शासन नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में डकैतियां पड़ें, मुठभेड़ हों लेकिन यह एक संयोग है और उन मान्यताओं में, उस संवैधानिक दायरों में जिस तरह से हमारी सरकार कार्य संचालन कर रही है, वह सराहनीय है। उस संवैधानिक ढांचे के अंदर जो कुछ भी सरकार ने किया है, उसको अगर आप अगर विपक्ष से हटकर सोचें, अगर उस नैतिकता से परे और निष्पक्ष होकर आप सोचें कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते । संवैधानिक ढांचे के अन्दर आप किसी आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी का कत्ल आम नहीं कर सकते, उसका सस्पेन्शन ही कर सकते हैं। किसी तरह से काम चलाना है । हमारे पास अधिकार ही क्या है । सरकार ने जो कुछ भी किया है यद्यपि हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है पर आने वाला कल उसको साबित कर देगा । विकलांग वर्ष मनाया गया । वर्तमान कांग्रेस शासन ने विकलांग वर्ष में जिस तरह से विकलांगों को आगे उठाने में पहल और अगुवाई की है, वह भी हमारे इस वर्तमान सरकार को अनुपम देन है । सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी विकलांगों को सम्मानित किया गया है ।

इन सारी बातों के बाद कहानी लम्बी हो जाती है । समय कम है और आपको आज्ञा को भी मस्तक झुका कर स्वीकार करना है । उसी दायरे में रहते हुए मैं प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कब तक इस तरह से अपनी डफली अलग बजाते रहेंगे । एक झण्डे के नीचे आकर इस प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए कभी भूल कर भी श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम ले लेंगे तो इस प्रदेश और देश का कल्याण और उद्धार हो जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अनेकानेक युद्धों के विजेता, श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा लाये गये धन्यवाद के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और आप की कृपा के लिए पुनः आभार प्रकट करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृपा करके बोलने का समय दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उसके प्रथम पैरा की ओर ही अपने माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा 'मेरी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हित की रक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समाज के निर्बल वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को गरीबी की सीमा से ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध है ।' तो यह कटिबद्धता मान्यवर, किस सीमा तक है शासन को इस पर निश्चित रूप से निगाह दौड़ाने की आवश्यकता है । कटिबद्धता का फल कितना निकला, इस पर भी एक नजर डालने की आवश्यकता है । जिस दल का भी शासन कुर्सी पर बैठता है, जब उसके कार्यकाल में हरिजन उत्पीड़ित होता है, हरिजनों के गांव के गांव जला दिये जाते हैं, व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है, तो प्रायः सत्ता पक्ष के लोग हमेशा यही कहते हैं कि प्रतिपक्षी दल की जब सरकार थी तो उनके जमाने में यह काण्ड हुआ, वह काण्ड हुआ । मसलन जब शेरपुर काण्ड हुआ या दबेली कांड हुआ था साढ़ूपुर कांड हुआ तो विरोधी दल द्वारा यह कहा जाने लगा कि इस सरकार के जमाने में ही इस तरह के कांड हुआ करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग आपस में बैठ कर इस पर चिन्तन करें कि कम से कम हरिजनों के उत्पीड़न को समाप्त करना है तो केवल यह कह कर नहीं कर सकते कि आपके दल की सरकार के जमाने में दबेली कांड हुआ, शेरपुर कांड हुआ या साढ़ूपुर कांड हुआ और हमारे दल की सरकार ने ऐसा नहीं किया इससे काम नहीं चलने वाला है । सत्ता पक्ष के सदस्यगण और मंत्रीगण में भी एक तरह से कम्पटीशन की भावना हो जाती है, इस तरह की बातों को कहने की । जितने भी कांड हुए हैं उन सभी पर लोक सभा में और विधान सभा में चर्चा हुई है उसके पीछे केवल यही भावना है कि हम इस बात का बूत लें और एक बार इसके लिए कटिबद्ध हो जायं कि एक भी हरिजन का उत्पीड़न न हो और सामाजिक विषमता के नाम पर कोई भी हरिजन जलील न किया जाय, एक भी हरिजन अपमानित न किया जाय तो मैं समझता हूं कि पूरे समाज का सुधार हो जायेगा ।

दुर्भाग्य की बात है कि आज हरिजनों को समाज के अन्दर सही स्थान प्राप्त नहीं हो सका है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि केवल स्टेटमेंट देकर, केवल भाषण देकर ही हरिजनों का सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं किया जा सकता है । इसके लिए सत्ता पक्ष की और प्रतिपक्ष के लोगों को भी अपना दिल बदलना पड़ेगा । मान्यवर, मैं एक बात यहां निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा संबंध एक गरीब समाज से है, हरिजन समाज से आता हूं । सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर व्याप्त उत्पीड़ित भावना से मैं भी किस तरह से जुड़ा हूं इससे सम्बन्धित मेरी वास्तविक अनुभूति मेरे दिल से है । मात्र प्रेम चन्द्र के उपन्यास दो बीघा जमीन का चित्रण करने से काम नहीं चलता । गरीब की चिन्ता करना, उसकी सहायता करना और बात है और मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यासों का चित्रण करना और बात । इसलिए मैं इस हरिजन उत्पीड़न के इश्यू पर खास कर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आर्थिक विषमता के नाम पर क्या कोई शासन इस बात के लिए कटिबद्ध है, क्या वह यह प्रयास करेगा कि जिनके पास जमीन है उनकी 10 प्रतिशत जमीन कटौती करके हरिजनों, गरीबों में आबंटित कर दी जाय ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेदकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था । उस समय यह बीड़ा उठाया था और वायदा किया था हरिजनों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा । आज वह पूना पैक्ट आप झुठला रहे हैं । आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं इस बात के लिये कि मुझे तो लगता है, दरख्त हुए इरखत, सुलगते हुए मकां, फुट पाथ, कारखाने, मिलें, भट्टियां,

इन सबमें उठ रहा है बगावत का इक धुंआ।
शालों के पकरों से लिपटने की देर है,
आतिशफशां पहाड़ के फटने की देर है ।
लग रहा है फिर कोई लहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है ।
रक्तखोरों पढ़ सकों तो पढ़ लो मेरा मरसिया,
फिर नये विद्रोह की कोई खबर आने को है ।

श्री पंचानन राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय बलदेव सिंह आर्य जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने का आप ने मुझे अवसर दिया।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाये जाते हैं या चलाये जाने वाले होते हैं, उनका संक्षेप में वर्णन होता है। सरकार, मान्यवर, हरिजनों के प्रति, भूमिहीनों के प्रति, श्रमिकों के प्रति उदार है, कटिबद्ध है उनकी गरीबी दूर करने के लिए। इसका सबूत यह है कि अभिभाषण के प्रथम पैराग्राफ में ही राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा है कि हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य होगा भूमिहीन, हरिजनों और गरीबों का उत्थान।

इसी सदन में इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम दुष्ट दलन अभियान चलायेंगे। किसी शासन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी यह होती है कि जनता में शांति और सुरक्षा की भावना पैदा कर सके। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही उन साथियों की भी है जो उधर बैठे हैं। पिछले तीन साल में जो अराजकता थी, उसी का कारण है कि हमारे साथी आज उधर बैठे हैं । माननीय मुख्य मंत्री की इस घोषणा से कि हम दुष्ट दलन अभियान चलायेंगे इस प्रदेश में भारी पैमाने पर डाकुओं और पुलिस की मुठभेड़ हुई जिनमें डाकू मारे गये। मैं आजमगढ़ जनपद से आता हूं। वहां हालत यह हो गई थी कि शरीफ आदमी सड़क पर नहीं चल सकता था । आज प्रदेश का जन मानस दुष्ट दलन अभियान का इसी-लिए समर्थन करता है। इस उत्तरदायित्व को सरकार ने स्वीकार किया है कि इस प्रदेश की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की बात को अभिभाषण में वरीयता दी गई है। हरिजनों को भूमि आवंटित की गई थी सन् 77 में जब हमारे विरोध पक्ष के साथी सत्ता में आये तो लाठी की ताकत पर, समाज के मजबूत वर्ग के लोगों ने हरिजनों का कब्जा उनके लिए आवंटित भूमि पर समाप्त करा दिया। हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया और उसमें विधायकों को भी संबद्ध किया है। हरिजनों को आवंटित की गई भूमि पर उनको कब्जा दिलाया गया है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी सब की यह जिम्मेदारी है और हमें मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। मैं पहली बार इस सदन में आया था तो वह साल बलात्कार से शुरू हुआ था, दूसरा साल असामाजिक तत्वों और उनके साथ मुठभेड़ों के वर्णन से विरोध-पक्ष ने शुरू किया और यह तीसरा साल, जैसा कि हमारे भाई मोहन सिंह बोल रहे थे, वे एक अच्छे वक्ता हैं ईमानदार मंत्रियों की व्यक्तिगत चरित्र हत्या से शुरू हुआ है । वहां बैठकर उनको शासन की नीतियों की हत्या करनी चाहिए, रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। बलात्कार के नाम पर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। जनता ने आप में इसलिए अविश्वास किया कि आप लोग दिशाहीन हो गये थे। डाकुओं की हिमायत करके सत्ता नहीं ली जा सकती है।

[श्री पंचानन राय]

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके लिए एक आयोग के गठन की बात कही गई है। उसके संबंध में इस सदन में एक विधेयक भी पारित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अधिसूचना भी बना है कि एक आयोग तत्काल बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए और तत्काल शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अपनी बात यह मुबारकबाद देते हुए शुरू करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय की इस सरकार ने इस सूबे को मुस्तैदी के साथ खूब लूटा है और इस सूबे की झुग्गी झोपड़ियों को फूंककर पूरा सूबा रोशन किया है, निचले वर्ग हरिजन और अक्लियतों के खून से इस सूबे को लालाजार किया है। हमारे मुल्क की शान रही है कि हमारा मुल्क दस्तूरी और आईनी तौर एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इस गुलदस्ता का कोई एक खास फूल आपकी नफरत का शिकार हो जाय और आपने अपनी नफरत का जहर उसकी जड़ों में फैलाकर उसे तबाह करने की नापाक साजिश की है। लिहाजा मैं राज्यपाल महोदय को उनकी इस कामयाबी पर नये साल के शुरू होने की खैरेज मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं इस बात की कि माजी का मनाया गया अपाहिजों का साल इस अपाहिज हुकूमत के लिये संगमील का काम करेगा।

आपके जुल्म की दास्तान मुरादाबाद से लेकर देवली और साढ़ूपुर तक के हालात दोहरा रहे हैं। कहीं हरिजन के नाम पर, कहीं पिछड़े वर्ग के नाम पर और कहीं अक्लियत के नाम पर लोगों की खूरेजी की है। मेरा मुतालबा है कि इस इम्तेहानी वक्त में यह सूबाई हुकूमत अमन और शांति की फिंजा हमवार करे। अफसोस यह है कि हम जिस निचले वर्ग, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने भाषणों में कहा है कि प्रदेश की बदकिस्मती यह है कि वे लोग जिन्हें रहने के लिए ऐसी जगह भी हासिल नहीं है जिनमें हमारे आपके जानवर और गाय भैंसें रहती हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारी बदकिस्मती है कि हम यहां एयर कंडीशन्ड हाल में बैठकर इन कीमती कालीनों पर चलकर इस कुचले वर्ग की तकदीर बदलने का खोखला फैसला लेते हैं। हमारे श्रम मंत्री मजदूरों के मसीहा होने का एलान करते हैं जो कि अपनी सतह से नीचे गिरता चला जा रहा है।

मेरा खुला इल्जाम है और तारीख गवाह है कि कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्गों, हरिजनों और अक्लियतों की दुश्मन, तनहा दुश्मन हुकूमत है। आपने मजदूरों के हुकूकों के तहफ्फुज के नाम पर नेशनल सेक्योरिटी एक्ट बनाया और आपने खुद अपने बनाये हुये कानूनों का मजाक उड़ाया। आपने न सिर्फ अपनी हुकूमत में अपने अफसरों और अपनी मशीनरी का मजाक उड़ाया बल्कि इसको तस्लीम कर लिया है कि आपकी हुकूमत कानून के जरिये मजदूरों को इंसाफ देने में नाकाम रही है। आपने कहा है कि हमारे पास हर मुजरिम से लिपटने के लिये बाकायदा कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाले लोग इतने निकम्मे हैं कि सिवाय बदकदारी के दूसरा नसबुल एंब नहीं है। आप जुल्म तो कर सकते हैं लेकिन इन्साफ नहीं दे सकते। लिहाजा आपने अपनी मजबूरी को छिपाते हुए मजदूरों और मजदूरों के मसीहाओं को दबाने के लिये ऐसा नापाक कानून बनाया है कि जो मजदूरों के हकूकों की पामाली का कदम उठाये वह दबा दिया जाये। मुझे हैरत है कि 1975 से लेकर 1977 तक अपने जालिमाना रवैये की सजा भुगतने के बावजूद भी कांग्रेस हुकूमत ने सबक नहीं लिया और एेन उसके बरखिलाफ फिर से उसी

किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी जो गुजरे हुए वक्त की तस्वीर है। सरकार ने मजाक उड़ाया है उन कवानीन का जो बकायदा तौर पर पहले के बने हुए हैं। अगर कहीं पर ला-कानूनीयत होती है और किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई आर्डिनेंस जारी करने से काम नहीं चलेगा बल्कि जरूरत ही थी। हमारे पास बकायदा इस प्रकार के कवानीन हैं कि हम उन लोगों का जो ला-कानूनियत फैलाये, धरपकड़ सके। लेकिन आपकी जो गशीनरी उन कवानीन को लागू करने वाली है, वह नाकारा रही है और यही वजह रही है कि तमाम पहले के कवानीन का इम्प्ली-मेंटेशन नहीं हो पाता और अपनी कमजोरी को दबाने के लिए आपको दूसरे कानून बनाने पड़ते हैं।

मैं मजदूरों की बात करना चाहता हूं। हमारे साथी इससे वाकिफ हैं कि रामपुर में करीब 6 महीने तक रजा टैक्सटाइल में हड़ताल चली थी लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कहिए वह हमने खत्म कर दी। मैं दो मिनट में खतम करता हूं। मान्यवर, आजादी के बाद भी इस सूबे और मुल्क पर नवाबियत और बादशाहियत का कब्जा जमा रहा है, बदनसीबी से इस सूबे के चीफ मिनिस्टर भी राजा ही हैं। हमारे शहर रामपुर के साबिक नवाबजादे से इनका शाही रिश्ता है और एक दूसरे से खानदानी रिश्ते हैं, एक दूसरे में ब्याह की रस्में अदा होती हैं, उनके लिए एक चुनौती थी कि अगर मजदूरों की बात नहीं मानी जायेगी और उस 6 महीने की हड़ताल को नवाबजादे की साजिश से कुचलना चाहा तो ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। आपके लिए यह वाक्या मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आपने मजदूरों पर सितमों की बारिश कर दी।

आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका इंडस्ट्री के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां के लोगों का कोई दूसरा जरिया नहीं है। वहां पर बीड़ी का बड़ा काम किया जाता था मगर आजकल वह भी बीमार है मैं कहना चाहता हूं कि इस नंगे समाज की तरफ भी जरा नजर डालें।

मुख्य मंत्री जी ने चंद रोज पहले एलान किया था कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया जायेगा। मैं इलजाम लगा रहा हूं कि अगर आपने उर्दू को दूसरी जुबान बनाने का एलान किया था तो फिर उससे पैदा होने वाले हालात का भी मुकाबला करने के लिये तैयार होना चाहिए था, एक तरफ एलान हुआ, दूसरी तरफ अलीगढ़ के छरी गांव में मस्जिद से निकाल कर नारा और पुरअमन फिजा में आग लगा दी। मैं इलजाम लगा रहा हूं आपने इस प्रदेश में मुसलमानों का कत्लेआम कराने का मन्सूबा तैयार किया था। पूरे सूबे में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के एलान ने फिरका-वाराना स्थिति आपके वजीरों ने पैदा कर दी है जिन्हें आप भी जानते हैं। मैं इन अलफाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

*श्री राजकुमार राय–

मान्यवर, मैं माननीय बलदेव सिंह आर्य जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण शासक दल की नीति का दर्पण हुआ करता है और जिस स्थिति में कांग्रेस ने, माननीय इंदिरा गांधी ने इस देश का शासन संभाला उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे इस अभिभाषण का समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, हमें जनता पार्टी और लोकदल ने जो विरासत में दिया था, उसको देखते हुए जो पट्टे हमने पहले दिए थे भूमिहीनों और निर्बल वर्ग के लोगों को उन पर जिसकी लाठी उसकी भैंस के नाम पर बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया। एक तरफ देश में श्रमिक अशांति थी, दूसरी तरफ लोग आपस में ही झगड़ रहे थे, पंतनगर के झगड़े में पूरब और पश्चिम का सवाल पैदा कर दिया था, हिन्दू-हिन्दू से लड़ रहा था, निरंकारी और सिख आपस में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजकुमार राय]

लड़ रहे थे, सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे थे, स्कूल और कालेजों में अशांति पैदा हो रही थी। उसको देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में, हरिजन और गरीब वर्ग तथा मजदूर वर्ग तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो कुछ करने के लिए वायदा किया है, वह निश्चित ही सराहनीय है और उसके लिए वह निश्चय ही समर्थन के पात्र हैं।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप उन परिस्थितियों पर गौर क्यों नहीं करते हैं कि ज्योंही कांग्रेस ने सत्ता संभाली उसी समय से एक-एक करके इस तरह के वितंडावाद खड़े हुए कि किसी भी ऐसे इंसान का जिसके पास विवेक हो दिल कांप उठता है। और वह मजबूर होता है यह सोचने के लिये कि आखिर प्रदेश में यह हो क्या रहा है। एक तरफ तो मस्जिदों में सुअर काटे जाने लगे और दूसरी तरफ मंदिरों में गोमांस फेंका जाने लगा। लेकिन इस बार ईद पर यह क्यों नहीं हुआ और हिन्दुओं के तमाम त्योहारों पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उससे जब छुट्टी मिली तब डाकुओं की बात आई और उस पर हमारा ध्यान गया। सब जमाने में चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो, यह डकैतियां पड़ती हैं और पड़ती रहेंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यह समाज 'सु' और 'कु' में बंटा हुआ है, लेकिन सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है और पवित्रतम् कर्त्तव्य है कि वह उनसे निपटने के लिए कोई कड़े कदम उठावें।

मैं इस सरकार की यह जिन्दादिली मानता हूं कि उसने इस सबसे बड़े मसायल को पूरी हिम्मत के साथ बरदाश्त किया है। यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है कि एक तरफ तो हम गरीबों के नाम पर वोट लें और वह जब हमसे सुरक्षा की मांग करें और उन पर चाहे किसी भी दल द्वारा अत्याचार हों तो हम उन्हें बरदाश्त कर लें? इसलिये कांग्रेस सरकार ने पहले कहा है कि हम दस्युदलन करेंगे, दुष्टदलन करेंगे और पूर्णरूप से डाकू उन्मूलन करेंगे। तो क्या कोई ऐसी सरकार है कि जब उसको ऐसा निश्चय करना होगा, तो वह अपने इंस्पेक्टर को गोल्डेन टकोरी या गोल्डेन स्कैल दे सकेगी? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं कहा है, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने क्या कभी ऐसा कहा है? मैं समझता हूं कि किसी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन कोई अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसको क्या छोड़ा जा सकता है?

अब कुछ दूसरी बातों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हमने हरिजनों में सुरक्षा पैदा करने की बात कही थी, हमने यह वचन भी दिया था कि हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्पसंख्यक भाई यह न महसूस करने पाएं कि हम उनसे गैर हैं, अलग हैं या दूर हैं। और उनके त्योहारों में हम उनकी पूरी सुरक्षा करेंगे। इसलिये यदि हमने यह सब किया तो गलत नहीं किया। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि जहां यह सारी बातें हैं दो एक बातें और हैं। एक तो हमारी गन्ने की समस्या है, जिसके बारे में हमने मुख्य मंत्री जी से भी कहा था। इस मामले को जनता सरकार ने जितना नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, उनके प्रधान मंत्री जी टोपी उतार कर गन्ने की बात करते थे, उनके शासन में 6 रुपया क्वींटल गन्ना बिक रहा था, उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर साढ़े 21 रुपया तक किया है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो किसानों के नेता हैं और जो कहते हैं कि जिसकी थाली में जितना परोसा जाए, उसको उतना खाने दिया जाए, 23 रुपया का मूल्य जब पिछली सरकार ने दिया था तो आज यह न्याय का तकाजा है कि उन्हें कम से कम 25 रुपया नहीं तो 23 रुपया अवश्य कर दें। जहां तक विद्युत् का सम्बन्ध है ट्रांसमिशन और जनरेशन अलग-अलग हो गये हैं, इसलिए अब उन पर और अधिक

ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ मैं माननीय आर्य जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 2 बजकर 59 मिनट]

*श्री फखरे आलम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बल्देव सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और मुझे इस बात का दु:ख है कि प्रदेश के एक ऐसे बुजुर्ग एक ऐसे लीडर की ओर से इस धन्यवाद के प्रस्ताव को रखा गया जिन्होंने अपने दिल से तो नहीं कहा होगा लेकिन पता नहीं कि क्या मजबूरियां रही होंगी ? किस हालत में उनकी जबान से ये अल्फाज निकलें कि उन्होंने भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की तारीफ की। ऐसा वे कभी नहीं कर सकते थे लेकिन हालात ने मजबूर किया होगा कि वे ऐसा कहें।

सरकार की बड़ी तारीफ की गयी । अगर आलोचना की जाती है तो सत्ता पक्ष के लोग नाराज हो जाते हैं । वे सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी आलोचना करे । मैं भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना तो नहीं करता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बजाते खुद बहुत शरीफ आदमी हैं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग उनके इधर उधर छाये हुए हैं, जिन्होंने मुख्य मंत्री को अपने फन्दे में फंसा रखा है, उन्होंने मुख्य मंत्री के प्रशासन को बरबाद कर दिया है । इस समय उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं रह गया है। हमारे भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि बहुत लोग डरते हैं। "बेजबान बोलता है मसीहा के हाथ में"। नश्तर साहब ने एक बात कह दी थी तो उसको कहते हुए भी लोग डरते हैं । यहां पर हमारे अम्मार रिजवी साहब से 12 मुहकमे छीन लिए गये हैं, श्री राम सिंह खन्ना के साथ जुल्म किया गया, श्री जगदीश प्रसाद के साथ ज्यादतियां की गयीं, लेकिन वे भी खामोश रहे । आज सरकार का हाल यह हो रहा है ।

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है ।

श्री फखरे आलम–

हमारे मुख्य मंत्री जी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उनको कन्डम करने की कोशिश की जाती है । कुछ लोगों को उन्होंने अपने सिर पर चढ़ा रखा है, जो मंत्रियों के काबिल नहीं थे उनको भी मंत्रि-मंडल में ले लिया गया । वे आज वहां पर विराजमान हैं । मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसे लोगों को जो एकदम मंत्रिमंडल में रखे जाने के काबिल नहीं थे, उनकी तारीफ हमारे राज्यपाल और माननीय बल्देव सिंह आर्य जी कर रहे हैं ।

गढ़वाल का चुनाव कराकर इस सरकार ने वह ज्यादती और जनता के साथ जुल्म किया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है । आप प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं लेकिन गढ़वाल का चुनाव आपने नहीं होने दिया । आप चाहते हैं कि किसी को बोलने का मौका न दिया जाय । क्या आप चाहते हैं कि जम्हूरियत को खत्म कर दें ?

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उर्दू जुबान को दूसरी सरकारी जुबान बनाने का वायदा किया था और मैं उस दिन का मुंतजिर हूं जिस दिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से यह सुनूं कि उत्तर प्रदेश की दूसरी जुबान उर्दू बना दी गयी है । मुझे यकीन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उर्दू को दूसरी ऑफिशियल लैंगुएज बनायेंगे लेकिन उनके साथी उनको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं । उनकी नीयत पर मुझे शुबहा नहीं है लेकिन वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखेर आलम]

ऐसा नहीं करने जा रहे हैं । अगर वे उर्दू को दूसरी जुबान नहीं करेंगे तो वे अपने बायदे से हठ जायेंगे । एक शेर है :

इतना न बढ़ा पाकिए दागों की हिकायत ।
दामन को जरा देख, जरा बन्दे कबा देख ।।

आज प्रदेश में क्या हो रहा है। सरकार की हालत कहां से कहां पहुंच रही है। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। माननीय बल्देव सिंह आर्य द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, आज कई दिनों से मैं निश्चित रूप से लालायित था कि हमारे सम्मानित सदस्य जो विरोधी पक्षों में बैठे हुए हैं, हमको उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए कि मैं नया आदमी हूं और उधर काफी अनुभवी आदमी हैं । सरकारी पक्ष के होने के नाते जो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि है, तो मैं उनसे यही उम्मीद करता था कि वह सही रूप से हमें सही दिशा देने की कृपा करेंगे । मान्यवर, जबसे हमने इन लोगों का भाषण सुना, इनके द्वारा हां एक लाइन भी सुनने को नहीं मिली कि सरकार की सही दिशा की अगर वह तारीफ भी न करें, तो बुराई भी न करें । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में जो हमने दिया है, वह पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है । उस पुस्तक को आपने देखा होगा । मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि कौन सी कमी है इस पुस्तक में । हमने क्या नहीं दिया है इस पुस्तक में। रोज-रोज एक चर्चा का विषय ये लोग बनाये हुए हैं। हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वह निश्चित रूप से हरिजनों के बारे में चर्चा किया करते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के हरिजन वर्ग, अल्पसंख्यक, हमारे नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री पर पूर्ण विश्वास रखता है ।

गर तुझे है याद नुस्खा, जुल्मते-आलम बदलने का ।
तो फिर क्यों मुंतजिर बैठा है, तू सूरज निकलने का ।।

मान्यवर, कहने से बात नहीं बनती, करने से कुछ होता है । हमने इसमें हरिजनों के लिये क्या नहीं दिया ? हरिजनों के लिये हमने 29,000 आवास दिये हैं । हमने यह भी विधान रखा है कि कम से कम 4,500 घर हम बनाकर उनको देंगे । हमने उनको क्या नहीं दिया ? हमने उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया है और कर रहे हैं।

मान्यवर, बिजली का 1978-79 का रिकार्ड उठा कर देख लीजिए और 1980-81 का रिकार्ड देख लीजिए। विरोध करने का मतलब यह नहीं होता है कि सदन में बैठकर दूसरे की छींटाकशी किया जाय । दूसरे को गाली दी जाय । अगर हमारे काम में कोई त्रुटि है, तो निश्चित रूप से आप सुझाव दें, ताकि हम आपकी मदद लेकर काम करें। मान्यवर, देवली और साढ़ूपुर का काण्ड लेकर बार-बार यह कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने 24 तारीख के अखबार में यह बयान दिया था कि चीफ मिनिस्टर अगर यह काम नहीं करेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इनके अन्दर गैरत है, ईमानदारी है, नेकनियती है, तभी तो हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से ईमानदारी और कर्मठता की बात हुई कि चीफ मिनिस्टर ने सीना खोलकर कहा कि अगर इस देश से गुण्डों का सफाया नहीं किया, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं

कि तमाम गुण्डों का सफाया उसके बाद से हुआ और चीफ मिनिस्टर बने रहने से अगर कोई उसको हिलाता है, तो कांग्रेस का एक-एक साथी उनके लिये बलिदान हो जायगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर की आलोचना करने का आपको कोई हक नहीं है। इसलिये आपको हक नहीं है कब आते हैं कब जाते हैं इसकी जिम्मेदारी है इधर बैठे हुए साथियों की। श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी पार्टी की नेता हैं, इस देश की नेता हैं, विश्व की नेता हैं और उन्होंने भूगोल को समझकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुनकर ईमानदारी से बनाकर इस प्रदेश में भेजा है। मान्यवर, अभी राजा की बात हुई।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र–

राजा ऐसा व्यक्ति है जिसको विनोबा जी के साथ भूदान में काम करने का मौका मिला है। अन्त में मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह सरकार जिसके बारे में महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है। मैं उनके लिखित अभिभाषण पर बोलूं या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने कुछ भाषण भी दिया है। पता नहीं कहां से उन्हें गलतफहमी हो गई कि वे लिखित भाषण के अलावा और कुछ बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

उसको आप चर्चा का विषय न बनायें।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की यह सरकार महा शून्यों की सरकार है। गणित में महाशून्य का उल्लेख हुआ । महाशून्य की खोज हमारे देश के विद्वानों ने की । हमारे दार्शनिक विद्वान आदरणीय मुख्य मंत्री महाशून्य की तलाश में खोये रहते हैं, उनका मंत्रि-मण्डल विकलांग बैठा है।वह कहते हैं कटिबद्ध हैं, महामहिम राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार कटिबद्ध है कार्यों को करने में। अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो मंत्रियों की कटि दिखाई ही नहीं देती, कटिप्रदेश है ही नहीं। मान्यवर, हमारे यहां एक हिंडोला खाल पेयजल विकास योजना चल रही है। हम लोगों ने मुख्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिये कि सब काम रुका पड़ा है लेकिन मुख्य मंत्री हमारी विनती को सुनने को तैयार नहीं हुए।

देव प्रयाग पेय जल योजना है, उसका इक्जीक्यूटिव इंजीनियर रुड़की में रहता है, हमारे जिले से हमारे क्षेत्र से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर । माननीय मुख्य मंत्री जी को 3 बार पत्र लिखा। एक का भी उत्तर नहीं मिला। स्वायत्त शासन मंत्री को पत्र दिया कि इस तरह से राष्ट्रीय धन का क्यों दुरूपयोग कर रहे हैं मैंने उनसे भेंट की। योजना कहां बन रही है, और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर कहां रह रहा है। मान्यवर, हमारे जिले में हमारे क्षेत्र में चौरास विद्युत योजना बनाई जा रही है। मैंने उसका विरोध किया, उस समय विद्युत मंत्री, माननीय बहुगुणा जी थे, उन्होंने उसको रोक दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी गढ़वाल गये और वहां इंजीनियरों ने मुख्य मंत्री जी से एक पत्थर लगवा दिया और लिखवा दिया श्री नगर विद्युत योजना। योजना मेरे जिले में बन रही है, मेरी जमीन लग रही है, मेरे काश्तकार विरोध कर रहे हैं । मान्यवर, 10 अप्रैल, 1981 को लखनऊ में मुख्य मंत्री ने 80 नम्बर कमरे में,

[श्री विद्यासागर नौटियाल]
सचिवालय में विधायकों से मिलना स्वीकार किया। मुख्य मंत्री और सिंचाई सचिव के सामने शिकायत की कि इस योजना को बन्द करें। हम लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। 10 अप्रैल, 1981 को मुख्य मंत्री ने सिंचाई सचिव को निर्देश दिये कि विद्यासागर नौटियाल को इस संबंध में सारी सूचना दी जाय। मैं उस सूचना की प्रतीक्षा अभी तक कर ही रहा हूं। टेहरी डैम बन रहा है जिसमें प्रचार किया गया कि गरीबों का विकास होगा किन्तु उसमें डूबने वाली 50 हजार जनता के सामने सवाल है कि वह कहां जायें। उसमें चार कम्पनियां काम कर रही हैं जैसे जय प्रकाश एसोशिएट, एम0 पी0 पी0 सी0, थापर और महल है लेकिन इस परियोजना में 2 प्रतिशत स्थानीय लोगों को भी काम नहीं दिया गया है क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों को काम देंगे तो उनको डर है कि वे लड़ेंगे। इसी तरह मान्यवर, मनेरी डैम बनाया जा रहा है जिसमें वहां के जो लोग बेघरबार हो गये हैं, उनको काम नहीं दिया गया है।

फरवरी, 81 में मैंने यहां सदन में प्रश्न उठाया कि हमारे जिले में हाई स्कूल और इण्टर कालेजों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं, तो अधिष्ठाता महोदय सितम्बर, 1981 में और फिर जनवरी, 82 में इसका उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह शून्य प्रहर की सरकार है। हमारे यहां कीर्तिनगर में 35 लाख रुपये अस्पताल के भवन निर्माण के लिये मंजूर हुआ लेकिन आपको मान्यवर, आश्चर्य होगा कि वह पैसा स्वास्थ्य विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया। उसके बाद टेंडर इंवाइट किये गये लेकिन उनको स्वीकार करने से पहले पर्वतीय विकास विभाग ने सूचना भेजी कि इस काम को बन्द कर दें।

मान्यवर, सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1981 में बद्रीनाथ जाने वाले कुल तीर्थ यात्रियों से 30 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट के रूप में लोकल यात्रियों के मुकाबले ज्यादा लिया गया और 1,50,000 यात्री वहां गये। इस ज्यादा रुपये में श्री सुधीर कुमार विश्वास, आयुक्त गढ़वाल मण्डल ट्रान्सपोर्ट वाले और श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी तीनों का हिस्सा हुआ है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से नियम के तहत समान दूरी के लिये दो व्यक्तियों से-एक स्थानीय और दूसरा बाहर वालों से अलग-अलग क्या टिकट की दरें ली जा सकती हैं। इसके साथ ही मैं शून्य प्रहर की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम लोगों ने अपने-अपने पक्षों से चर्चा की, लेकिन इस सदन के बाहर एक और पक्ष मौन खड़ा है, जो हम लोगों की तरफ टकटकी लगाये देख रहा है और वह पक्ष जन पक्ष है। जो हम सब से आशा रखता है कि हम इस सम्मानित सदन में हम अपने पक्षों से उठकर उसका पक्ष लेंगे। यह जन पक्ष सत्ता पक्ष से शक्तिशाली है और विपक्ष को भी तिरस्कृत करने की हिम्मत रखता है। यही हमारे सब के जन जीवन का अन्तिम निर्णायक है। चाहे वह रिक्शा वाले के रूप में हो, चाहे वह कुली के रूप में हो, चाहे वह मजदूर के रूप में हो, वह हमारी राजनीतिक चरित्र पंजिका लिखेगा। इसलिये हम लोग मिलकर के, इस सम्मानित सदन में कुछ ऐसा प्रयास करें कि जन जीवन के उस अंतिम निर्णायक के हस्ताक्षर जब करने का समय आवे तो वह हम लोगों के पक्ष में जाय। आने वाली पीढ़ियां यह कहें कि सदन में एक ऐसा सत्ता पक्ष था और एक ऐसा विपक्ष था जिन्होंने मिल करके, पक्षों से ऊपर उठ करके प्रान्त की प्रगति का पक्ष लिया था।

(मेजों की थपथपाहट।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 3 बजकर 21 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह सम्मानित सदन प्रान्त के भाग्य की कार्यशाला है । इस कार्यशाला में जब इस प्रान्त का भाग्य गढ़ा जा रहा हो तो ऐसा न हो कि हर टांकी केवल चोट बनकर रह जाय बल्कि वह टांकी समय की शिला पर हमेशा अंकित रहकर सृजन करे। एक ऐसे सौन्दर्य का सृजन करें जो कल्याणकारी हो।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, पक्षों से उठकर, पक्ष और विपक्ष का जनतंत्र में सामंजस्य हो सकता है, यह हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। उस दिशा में हम लोगों ने साहसिक प्रयास भी किया है। सफलता का मैं दावा नहीं करता लेकिन शुरुआत का अवश्य दावा करता हूं। वह प्रयास है कि विकेन्द्रित योजना में प्रान्त की तिहाई धनराशि को रखा गया है। योजना के बनाने में, योजना के अनुसरण में, राज्य की प्रगति की देखरेख में, उसके गठन में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्यों को नहीं रखा गया है, उसमें विपक्ष के सदस्यों को भी रखा गया है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।) (शोर)

मान्यवर, माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं, उनके हृदय में कुछ रोष है लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 57 जिलों में जिले की योजनायें बनीं।

कई सदस्य–

उसमें हम लोगों को नहीं रखा गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, कमियां हो सकती हैं, मैंने सफलता का दावा नहीं किया है, शुरुवात का दावा किया है।

(शोर)

मान्यवर, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करता हूं कि जो कमियां हैं और जिनके लिये वृहद प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मैं आपके सहयोग की प्रार्थना कर रहा हूं, तो हम और आप मिलकर के उनको पूरा कर सकते हैं ।

(शोर)

मान्यवर, अभी फखरे आलम साहब ने कहा था कि बड़े शरीफ हैं । शराफत की जगह पर लगता है कि कुछ शरारत करनी पड़ेगी।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन–

जिला परिषदों के जो नामीनेशन्स हैं तो क्या यह उन्हीं शरारतों के नमूने हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

चलिए अच्छा हुआ कि आपने अभी से शरारतों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी।

तो मान्यवर, हम लोगों का यह प्रयास कभी नहीं रहा कि हमारी सरकार केवल इस सचिवालय की चहार दीवारी में ही बंदी रहे या केवल कागजों के महल में ही बंधी रहे और केवल जिनकी आवाज यहां पर आ जाती है तो उनकी आवाज केवल कागजों में हस्ताक्षर के रूप में या आंकड़ों के रूप में ही रह जाती है तो हमारा यह प्रयास रहा कि उन एप्लीकेशन्स के हस्ताक्षरों को देखकर काम न किया जाये बल्कि जिन्होंने यह दरख्वास्त दी हैं, उनके चेहरों को देखकर, उनके दुख दर्द को समझकर किया जाये। इसी प्रयास में मैं चाहता हूं कि अपने विरोध पक्ष के भाइयों से भी कि वे भी प्रान्त को आगे ले जाने में, सत्ता को आगे ले जाने में जो साझेदारी का निमंत्रण पेश किया गया है, उसमें अपना सहयोग दें। (शोर)

श्री कुबेर भण्डारी–

किसी भी जिम्मेदारी की कोई भी सूचना नहीं भेजी गयी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

सूचना अवश्य भेजी गयी, अब यह हो सकता है कि समय पर न मिल सकी हो या कहीं मिसप्लेस हो गयी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकाध ऐसे दृष्टांत से सारी कार्यवाही तो खराब समझी नहीं जायेगी प्रयास किये गये हैं और अब भी जारी है। (शोर)

(श्री यादवेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया विराजें और शांत रहें मा0 नेता सदन अपनी बात को कह रहे हैं, उसको सुनिये, उनके बोलने के बीच में आप कृपया न बोलें, आपको अगर बीच में कुछ कहना ही है तो जब माननीय नेता सदन बैठ जाएं, तब आप अपनी बात को कहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष जो प्रयास थे, वह अक्टूबर या नवम्बर में शुरू हुए थे, लेकिन आगे इसको संशोधित करने की भी जरूरत है, वह मानकों के आधार पर जिला स्तर पर संशोधन हैं, जो वितरित किये जाने हैं या आगे जो प्रक्रियाएं बनाई जाने वाली हैं, जिन पर निर्णय लिये जा चुके हैं, वह सिफारिश के आधार पर नहीं हुए हैं, मानकों के आधार पर हुए हैं, यह नहीं हुआ है कि जो लखनऊ आ गया और हमारे पास आ गया और जो व्यक्ति लखनऊ नहीं पहुंच सकते थे और अपने खेत में परिश्रम में लगे हुए हैं, उनका नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने राजस्व का लगान किन्हीं खोटे सिक्कों में अदा किया हो, हमारे लिये सब एक हैं। इसलिए हम अपने विरोध पक्ष के साथियों से व अन्य सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि हम सब मिलकर एक ऐसी परम्परा को डालें जो कृपा के आधार पर न हो वरन् न्याय के आधार पर हो। यह आधार ही सिद्धान्तिक आधार हो सकता है और जब भी कोई संसाधन वितरित करने हों तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाये कि मान लीजिए 887 ब्लाक्स हैं, उनमें से कौन सा ब्लाक ऐसा है, जिसमें अस्पताल सबसे कम हो, जिनमें सबसे कम स्कूल हों, ऐसी एक लिस्ट क्यों न तैयार की जाए। इसी प्रकार कौन से ब्लाक हैं, जिसमें सबसे कम अस्पताल हैं। इसी तरह से स्कूलों का भी बनाया जा सकता है, प्राइमरी स्कूल वितरित करने हो तो कहां पर सबसे कम हैं, वहां पर उनको पहुंचाया जाय। इस तरह की लिस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में तैयार तो की गयी है लेकिन सब चीजों का प्रथम प्रयास में नहीं हो सकता है, लेकिन कई चीजों की लिस्ट भी बन चुकी है। सिंचाई के सम्बन्ध में, स्कूलों के सम्बन्ध में, अस्पतालों के सम्बन्ध में, सड़कों के सम्बन्ध में इस तरह की यह लिस्ट बनी हैं। तो आवश्यकता के अनुसार जहां सबसे अधिक कमी है, वहां पर साधनों का वितरण होगा तो बहुत दिनों से जो यह कहा जा रहा है कि जो विषमता है, क्षेत्रीय विषमता है, उसको दूर करेंगे, उसके लिए एक सक्षम कदम हम लोग उठा पायेंगे। यही नहीं, जब यह मानक और मापदण्ड जन सम्पत्ति बना दिये जायेंगे और तब सम्मानित सदस्यों के पास हो सकेगी। राजनीतिक क्षेत्र में जो हैं उनके पास हो सकेगी। एक तरह से जनता के हाथ में हम सत्ता पहुंचा रहे हैं। आज तो दरबार में बनी हुई सत्ता है, वह जनता के पास पहुंच जायगी। उसके पास इतना मसाला हो जायगा कि सिद्धान्तों के अतिरिक्त अगर आवंटन हुआ तो उसके अन्दर इतनी ताकत रहेगी कि वह उसे सुधरवा सकती है। मैं केवल इस सरकार के लिये बात नहीं करता, आज अगर हमने इसको अपना लिया तो आगामी सरकारों के लिये भी यह नीति निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में काम करेगी।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

योजना को विकेन्द्रित करके जनता के हाथ में सत्ता देने का एक प्रयास किया गया है वहीं अभी-अभी विचार किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है कि कई एक प्रशासनिक निर्णय, जो कि लखनऊ में होते हैं, उनको मण्डलों के स्तर पर क्यों न निर्णीत कर लिया जाय, वहीं पर उनका अन्तिम फैसला हो जाय ताकि जो रोजमर्रा की चीजें, उनका ध्यान वहां रहे और जो राजधानी का काम है, वह यहां हो सके। भविष्य में जो योजनायें चल रही हैं, उन पर ध्यान देने की बात है, परम्परा तो यों पड़ रही है कि एक सिंचाई का पतरोल है, उसका ध्यान मुख्य मंत्री तक तो अवश्य पहुंच जायेगा लेकिन टेहरी डैम में क्या हो रहा है, यह उसको जानकारी नहीं है। प्रशासन के अन्दर जो समस्यायें आयीं और जिनको प्रायरिटी कहते हैं, उनके विषय में छानबीन करनी होगी कि कैसे इस प्रदेश को आगे ले जा सकें। उनके लिये मैं याचना करता हूं और भीख मांगता हूं सदन से कि उन पर बल दें।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

जहां पर इन दोषों की बात है, मैं समझता हूं कि इस वर्ष हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत ही क्रान्तिकारी नारा दिया है और वह है---"श्रमेव जयते" कि किसान में युग श्रमिक सारिकाओं से संचित इस धरती की आत्मा जैसे मुखरित हो गयी है। यह मन्त्र केवल युग-युग का मन्त्र नहीं है, यह युग-युगांतर तक प्रतिध्वनित होता रहेगा। मान्यवर, सूरज और चांद पर भी श्रम से कब्जा पाया जा सकता है। श्रम उससे भी परे है। मान्यवर, क्योंकि विकास हमारे प्रस्तावों से नहीं आयेगा, हमारी घोषणाओं से नहीं आयेगा, हमारे भाषणों से नहीं आयेगा, हमारे बजट से नहीं आयेगा। अगर विकास आ सकता है तो वह श्रम से आयेगा, प्रस्तावों से नहीं और आरोपों से नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं तो श्रम की बात करता हूं लेकिन अश्रम की जितनी चेष्टायें हैं उनके लिये मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन कुछ भी हो मान्यवर, अनुरोध यह है कि हमको जहां तक हो प्रगति की ओर सोचना है, प्रगति की कीमत हमें ही देनी होगी। प्रगति कभी आकाश से नहीं आयी। आकाश से तो आकाशवाणी आयी है। लेकिन आकाश को जब भाग्य लिखने की इच्छा हुई है तो उसने भाग्य को हाथ से ही लिखा है। हाथ को ही कष्ट दिया है। क्योंकि हाथ ही श्रम कर सकता है। हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिये, अपनी प्रगति के लिये हाथ से ही श्रम करके धरती खोदनी होगी, जब हम श्रम करके धरती खोद लेंगे तभी हमारी प्रगति होगी।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

धरती खोदने वाले तो गांव छोड़ने वाले हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी विद्वतापूर्ण सलाह पर मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और आपका आभारी हूं। मान्यवर, सात वर्ष पूर्व हम लोगों ने श्रमिकों को साझेदारी देने के लिये एक निर्णय लिया था। श्रम की जब भी कोई इन्टरप्राइज होती है, कोई फैक्ट्री होती है, मिल मालिक समझते हैं कि उनको दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक हम श्रम को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम प्रगति के द्वार खोल नहीं सकते हैं। जो इसको समझता है, उसको उतना ही महत्व पता चलता है। जो श्रम से उतना ही दूर है, वह प्रगति की ओर नहीं जा सकता है।

आज वर्तमान समाज में जो स्वयं पानी खींच कर लाये या खींच कर पानी ले आता है वह कम महत्व का है और जो घर बैठ कर पानी पीता है, वह उससे ज्यादा महत्व का है और जो कुर्सी पर बैठ कर एक ग्लास पानी मांगता है वह सबसे ज्यादा महत्व का

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]-

है। तो आज समाज में उल्टी विचारधारा है जो कि प्रगति में बाधक है। तो समाज में इस प्रकार का उल्टा चलन है हम लोगों ने संकल्प लिया है कि श्रमिकों को हम डाइरेक्टर के स्तर तक साझेदारी देंगे। जो 9 इकाई सरकार की थीं उसमें से 47 सुप्रीटेन्डेन्ट कौंसिल के स्तर पर श्रमिकों के प्रतिनिधि बनाये जा चुके हैं और 4 इकाई जहां मैनेजमेन्ट कौंसिल तक है वहां पर प्रबन्ध ज्वाइन्ट मण्डल की कौंसिल को दिया गया है।

मान्यवर, जहां श्रमिकों के हित की बात आयी है चाहे कानपूर का मामला हो या चाहे मोदीनगर का मामला हो, उसमें सरकार कहीं भी हिचक नहीं रही है। इसी भावना के अन्तर्गत अभी दो उद्योगपतियों से कहना पड़ा कि एक हफ्ते के अन्दर आपकी मिल ले ली जायेगी अन्यथा आप अपनी मिल के दरवाजे मजदूरों के लिये खोल दें और यहीं 10 मिनट के अन्दर दस्तखत करके गये। यह लड़ाई किस पक्ष से लड़ी गयी, वह स्पष्ट है कि मेहनतकश की ओर से लड़ी गयी। इसी तरह से मान्यवर, इंजीनियरिंग उद्योग में श्रमकारों की वेतन वृद्धि की गयी। पहली बार और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिलाया गया। पालेकर अवार्ड को, जो हमारे मेहनतकश पत्रकार बन्धु के लिये है, लागू करने के लिये इसी प्रान्त ने अगुवायी की थी।

हमारे स्वच्छकारों को, जो हमारे सफाई मजदूर हैं, उन को म्यूनिसिपैलिटी फण्ड पर पहला उनकी तनख्वाह का रखा गया। यही नहीं, हम लोग यह देखते हैं और अनुभव रहा है कि जब कोई मिल, चाहे मिल मालिक दिवालिया बोल जाये या सही में हो जाये तो बैंकों का ऋण अदा हो जाता है, किसी का कोई रुपया बकाया हो वह भी अदा हो जाता है, जिन्होंने धन दिया है उसका भी वापस हो जाता है लेकिन जिसने श्रम दिया है उसी का मारा जाता है और इसीलिए अब यह कानून कर दिया गया है कि किसी भी मिल में अगर मजदूरों का 50 हजार से ज्यादा बकाया रह जाता है तो वह बतौर बकाया लगान के वसूल किया जायेगा मिल मालिक से और मजदूरों का बकाया नहीं रखा जायेगा। जो केवल धन से ही नहीं समाज के धन से निर्धन बनाये गये हैं, वह हमारे हरिजन भाई, जिनमें केवल धन की गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक गरीबी भी जुड़ गयी है, उनके संबंध में श्री बल्देव सिंह आर्य जी ने, सही कहा कि मौजूदा सरकार हर प्रकार से उस वर्ग के बगल में उसके संघर्ष में खड़ी है। मान्यवर, बहुत दुःख की बात थी कि उनके प्रमोशन, उनकी प्रोन्नतियां कुछ वर्ष पहले बन्द कर दी गई थीं। उनकी प्रोन्नतियों को पुरःस्थापित किया गया है। रिजर्वेशन में यह नियम बनाया गया है कि अगर किसी इण्टरव्यू में तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में, और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लिखा गया है, कि इस तरह का बना दें कि अगर कोई हरिजन नौजवान नहीं आता है तो अक्सर अभी तक यह लिख दिया जाता है कि चूंकि योग्य कैण्डीडेट नहीं आ पाया है इसलिए दूसरे वर्ग से ले लिया जाये लेकिन अब यह सम्भव नहीं होगा और वह पद रिक्त रखा जायेगा और अगला इण्टरव्यू केवल हरिजनों के लिए होगा और उनमें जो सबसे योग्य होगा, जैसी कि हमारी नीति है, 18 फीसदी को पूरा किया जायेगा, उसे लिया जायेगा।

साथ ही जहां पर पट्टे पर कब्जा करने की लोग धृष्टता करते हैं, जिन भाइयों को पट्टे दिये गये हैं, उनकी जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं, उनको दण्डित करने के लिए मजबूर होकर हम को अध्यादेश भी लाना पड़ा क्योंकि अपर हाउस में वह सेलेक्ट कमेटी में मामला रेफर हो गया तो कभी-कभी मान्यवर, अध्यादेशों की नितान्त ऐसी आवश्यकता हो जाती है जिससे आप भी सहमत होंगे। कोई भी इस तरह का कब्जा करता है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसी बजट के तफसील में नहीं जाता हूं क्योंकि अभी बजट पर तफसील पर भी बातें होंगी, लेकिन जो कुछ दिशायें हैं, उनके सम्बन्ध में चर्चा

अवश्य करना चाहूंगा। कितने कदम चले हैं यह तो बजट की चर्चाओं में आ जायेगा लेकिन कम से कम किधर चल रहे हैं, इस पर तो आज कुछ कह सकते हैं। किधर चलने की बात कही गई तो मान्यवर, एक क्रान्तिकारी चीज इस प्रान्त में हुई वह है निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने की बात। हमारे न्यायालय न्याय के मन्दिर कहे जाते हैं लेकिन इस न्याय के मन्दिर के अन्दर जो उसकी फीस भर सकता है वही उस मन्दिर में जा सकता है। आप उस निर्बल भूमिहीन मजदूर की कल्पना करिये जो बस किराया नहीं दे सकता है बिना अपने बच्चों को भूखा रखे हुए, उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है। उनके पास न्यायालय तक आने के लिए पैसा नहीं है, वकीलों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक शिविर के माध्यम से न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे शिविरों की व्यवस्था देहरादून, लखनऊ और कानपुर में की गई जिसमें 36 हजार मामलों का फैसला किया गया है। वहीं पर निर्णय किया गया है। बिना पैसे के किया गया है, बिना वकील के किया गया है और एक दिन के अन्दर किया गया है। यहां 48 जनपदों में इसकी समितियां भी गठित हो चुकी हैं।

पिछड़े वर्ग के लिए पिछली सरकार ने आरक्षण की बड़ी जोर से घोषणा की लेकिन यह सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि 15 परसेंट अधिकतम है कि न्यूनतम है और यह भ्रम बना रहा कि यह अधिकतम है या न्यूनतम है। हम लोगों ने यह स्पष्टीकरण दिया है, जी0 ओ0 पास किया है कि यह अधिकतम नहीं न्यूनतम है।

इसी तरह से वजीफे का बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया था लेकिन सब आश्वासन और ढिंढोरा पीटने के बाद जितना आपने देने के लिए कहा था उतना बजट में प्राविधान नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीने बाद उन बच्चों को फीस नहीं मिली और तमाम बच्चे आये कि हम इम्तहान नहीं दे सकते हैं, हमारा इम्तहान अधर में पड़ गया है। हमको फीस नहीं मिली है। बहुत से बच्चे फैजाबाद से आये थे तो उनको इम्तहान दिलवाया गया।

श्री रियासत हुसैन–

आपने जो कहा कि न्यूनतम है 15 परसेंट, तो कान्स्टीट्यूशन में 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है तो क्या आप उसको भी क्रास करेंगे अनुसूचित, बैकवर्ड सबको मिलाकर लगभग 47 परसेंट तक तो पहुंच चुके हैं तो क्या कुछ आपका इधर से भी इरादा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मा0 रियासत हुसैन साहब, यह 15 परसेंट न्यूनतम है, उसका स्पष्टीकरण किया गया है उसके ऊपर अपनी योग्यता से जो आ जायें, वह आ जायेंगे।

(व्यवधान)

वजीफा के लिये 4 करोड़ रु0 का प्राविधान मौजूदा सरकार ने किया। जो वायदा हम पूरा कर सकते हैं, उसका प्राविधान किया गया है। अब यही नहीं, गरीब वर्ग की किसी भी जाति का जो भी हो, उनके लिये वजीफे देने के लिये 2 करोड़ रुपये का प्राविधान पहली बार किया गया है।

पिछड़े वर्ग में भूमिहीनों का एक और तबका मल्लाहों का रहा है। वह सचमुच में ही भूमिहीन हैं। उनको पट्टे देने में प्राथमिकता दी गयी है घाट का ठेका देने में उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता दी गयी है और जो मछली मारने का ठेका है, उसमें भी उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्राथमिकता दी गयी है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

पिछड़ी जातियों के सर्विसेज में रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात आपने कही है,

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट–]
उसी तरह से अगर हरिजन कन्डीडेट जनरल कम्पटीशन में सफल हो जाय तो उसे 18 परसेंट में न मानकर जनरल में ले लिया जायेगा इसका भी आप कृपया स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मंशा यह है कि जो 18 परसेंट रिजर्वेशन है वह तो बना ही रहेगा। आप अगर जून के बाद के आंकड़े देखें तो पायेंगे कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सर्विसेज में 18 और 22 प्रतिशत तक पूर्ति हुई है। अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब हमारे जो निकाय हैं, निगम हैं उनमें भी इसको लागू करने को लिख दिया गया है। इसी तरह से अब तक एडहाक नियुक्तियां करने में उनको ही आगे पुश कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हरिजनों के लिये 18 परसेंट जो है वह तो रहेगा ही। योग्यता के अनुसार जो ऊपर जाते हैं वे चले जायेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जनरल बेसिस माना जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

योग्यता के अनुसार जो ऊपर जाते हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी। मान्यवर, अभी हमारे बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका वेतन बहुत अधिक नहीं है। कम वेतन पाते हैं और महंगाई की चपेट में है। उसके संबंध में कमीशन की रिपोर्ट आयी। अब कुछ ऐसा रहा कि आपके सामने बैठा हुआ जो पे कमीशन था उसका बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी दाई का काम हमें करना पड़ा। बच्चा किसका और उसकी सूरत कुछ ऐसी हो गयी कि कोई उस बच्चे को देखने के लिए तैयार ही न हो। फिर हमें उस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और उसके चेहरे को ठीक करना पड़ा तब वह देखने लायक हुआ। और हम एक नतीजे पर आये। इसमें दो और महत्वपूर्ण निर्णय हुए और वह ऐसे हुए कि कोई भी सरकार आये या जाये, मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह हम लोगों की एक देन है। पहले भी यहां पे कमीशन बैठे हैं लेकिन आज तक कभी भी पे कमीशन की रिपोर्ट पहले से सबको समर्पित नहीं की गयी। पहली बार यह निर्णय करके पे कमीशन की रिपोर्ट को हमने सरकारी कर्मचारियों को अपना एक अंग मान कर सबके सामने रख दिया।

यह एक अधिकार हो गया है सरकारी कर्मचारी का कि जब भी कोई पे कमीशन की रिपोर्ट आयेगी कोई भी सरकार उसको कोने में, कमरे और कोठरी में बन्द नहीं कर सकेगी। सरकारी कर्मचारी कहेगा कि एक सरकार रही जिसने पे कमीशन की रिपोर्ट हम पर विश्वास करके दी थी, दूसरी सरकार इसे कोने में नहीं रख सकती। एक अधिकार हमेशा-हमेशा के लिए हम लोगों ने दिया है। साथ ही राज्य स्तर पर ज्वाइंट काउन्सिल बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारियों की चल रही थी। मांग थी कि राज्य स्तर पर और फिर अन्य विभागों में ज्वाइन्ट काउन्सिल बनायें। वह ज्वाइन्ट काउन्सिल राज्य स्तर पर बनायी जो आदान प्रदान की प्रक्रिया के माध्यम से बन सके। इसी के अंदर जहां 1-17 का वेतन का अन्तर था, उसको 1-10 तक ला दिया गया।

जहां पर हमारे चपरासी वर्ग, ड्राइवर और मैकेनिक वर्ग के लिए कोई प्रोन्नतियों का मार्ग नहीं था, उनको सेलेक्शन ग्रेड दिया गया। अध्यापकों को विशिष्ट स्थान दिया गया जो समाज में उनका हमेशा से स्थान रहा है, भारतीय परम्परा रही है कि अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान किया जाय। उनको मान्यता देते हुए उनके वेतनमानों पर उनको संतोष देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ मकान भत्ता के प्रश्न पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान रखा गया।

साथ ही दैनिक भत्ता, धुलाई, वर्दी आदि की भी बढ़ोत्तरी हुई। स्वास्थ्य के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए कन्ट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम लागू की गई जिसमें तृतीय और

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्कीम के अंदर, जो उनका अंशदान है, वह सरकार देगी, यह निर्णय लिया गया है, जिनका वेतन कम है, जो निर्बल हैं । नगर प्रतिकर भत्ता खत्म करने की संस्तुति की थी पे कमीशन ने 1981 से तो वह नगर प्रतिकर भत्ता खत्म नहीं किया जायगा, वह चाल रहेगा और मेरठ को भी, जो ऐसे शहर हैं, उसको भी इसके अन्दर लाया जायगा ।

वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता की 1971 की जनगणना पर संस्तुति की थी लेकिन हम सन् 1981 की जन गणना पर लागू करा रहे हैं । यह एक कदम पे कमीशन से भी आगे है ।

पुलिस सेवा को भी एक विशेष सेवा मानकर उसकी वेतनमानों पर उसी तरह एक निर्णय लिया गया है । वन रक्षकों के बारे में भी निर्णय किया गया है । जब उनकी जान जाती है या पुलिस के अन्दर या अन्य सेवा में सेवारत कोई अपने जीवन का बलिदन करता है तो उसके परिवार के सम्बन्ध में चाहे वह पुलिस सेवा का हो या वन रक्षक प्राविधान किया गया है । सबसे बड़ी चीज यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया हम लोगों की जारी है और इस प्रकार प्रान्त के अन्दर एक विश्वास की भावना सरकार और सरकारी कर्मचारियों में बना रखी है ।

मान्यवर, जहां तक श्रमिकों की बात करते हैं, मैं तो समझता हूं किसान श्रमिक से अलग नहीं है । और इस धरती में किसी के हाथ सने हुए हैं तो किसान के हैं। उसके सम्बन्ध में पिछले साल गन्ने का भाव जो हमने तय किया था और मिल मालिकों से पंचायत करके नहीं किया था उसके फलस्वरूप गत वर्ष 121 करोड़ रुपये अधिक पिछले वर्ष से गन्ना किसान को मिला । कोई छोटी धनराशि नहीं है । 121 करोड़ रुपया पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें मिला और इस वर्ष जो बकाये में है, हम लोगों को करीब 9/10 करोड़ जून में पिछले वर्षों का मिला था, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो इतनी बड़ी धनराशि न रहती । साढ़े चार करोड़ पिछले बकायों का कर दिया है । मान्यवर, 286.81 करोड़ रुपया सन् 1980-81 को देय था और इसमें जो भुगतान हुआ है वह 286.56 करोड़ का हो गया है केवल .25 करोड़ रुपया बकाए में है जिसका कि प्रबन्ध किया जा रहा है । 286 करोड़ में से केवल 25 लाख शेष रह गया यह निश्चय ही किसानों के हित की बात है । जब कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ध्यान देंगे कि उनके समय में जब संकट आया था तो 25 पैसे की छूट मिल मालिकों को दी गयी थी, किसानों को फिर भी नहीं दी गई । उनके लिए जेब से इनके चवन्नी भी नहीं निकली । मिल मालिकों को क्यों दिया ।

श्री कुबेर भण्डारी–

पारसाल से गन्ने का दाम कम करने के लिए कहा जा रहा है । इसके बजाय खाद के दाम भी बढ़ते ही गये, तो कैसे आप कह रहे हैं कि आपने कम कर दिया ....

[समय 4 बजे]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

माननीय सदस्य कागज पेन्सिल ले लें तो मैं समझा दूं । मान्यवर, 20 रुपया भाव चला था । आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे । उसके बाद 23 चला । इस साल से शुरू से एक भाव चलाना था तो 20 और 23 का यदि औसत निकाला जाय तो वह साढ़े 21 ही निकलेगा । वही पारसाल का जो औसत है वही पूरे इस सीजन में दिया जाय । मान्यवर, किसान के लिए जहां तक नहरों से सिंचाई की व्यवस्था का सवाल है, उसके लिए ट्यूबवेल की मरम्मत का अभियान चलाया गया । मैं स्वयं ही ट्यूबवेल पर जांच के लिए जाता था और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां गत वर्ष एक ट्यूबवेल 286 घण्टे चला था 1980-81 में वहां इस साल वह बढ़कर 288 घण्टे प्रति ट्यूबवेल हो गया । इसका भी प्रभाव पड़ा है । इसके अलावा सिंचाई के साधनों के लिए

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]–
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष श्री वलोजन यहां आये हुए थे उनसे भी 4500 ट्यूबवेल्स की एक योजना बनाई हुई है, हमें विश्वास है कि यह योजना स्वीकार होगी और हम किसानों की सेवा कर सकेंगे ।

मान्यवर, गन्ना किसानों पर एक संकट आया था । उसके गन्ने के भाव गिर रहे थे । उस समय जो आज उधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए थे । जब चिता की तरह गन्ना किसान जल रहा था तो कफन के लिए भी पैसा देने के लिए नहीं था । वही कुर्सी थी, वही तिजोरी थी, वही कलम थी जो आज हमारे पास है । किन्तु आज मंशा दूसरी है, उस समय दूसरी थी । मान्यवर, इसीलिए जब कि गन्ने के खेत सूख रहे थे तो हिन्डालको और मोदी की बिजली काटने में हम लोगों ने जरा भी देर नहीं की और उनकी बिजली काटकर किसानों को बिजली दी गयी । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए जब-जब ऐसे प्रश्न आयेंगे तो चाहे वह मोदी हो या हिन्डालको हो, उनकी बिजली काटकर किसानों को बिजली दी जायेगी और उनका ध्यान पहले रखा जायेगा और उनके लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे ।

श्री बलवीर सिंह–
क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 6 घन्टे बिजली देने की बात कही तो यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल तो केवल 25 प्रतिशत गन्ना लेती है बाकी किसान का गन्ना जो जाता है वह किस भाव पर दे रहे हैं, उसके क्या भाव आपने दिलाये हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
जितना रुपया जहां कहीं से मिला, किसानों के लिए जितना भी हम ले सकते थे, वह दिलाया है, जितना हम खींच सकते हैं उनके लिए, जो हमारे पास है वह हमने किया है । जो खांडसारी की बात कर रहे हैं तो 1978-79 में जब भाव 9.40 पैसे घोषित किया था तो उधर बैठने वालों की जब सरकार थी तो 9.40 रु0 से घटा कर उसे 6 रु0 कर दिया था तो पहले उसका उत्तर दे दीजिये ।

एक सदस्य–
आज 18, 19 रु0 में जा रहा है ।

श्री बलवीर सिंह–
क्या आप यह फारमूला लागू करेंगे कि जितने रुपये मन गन्ना उतने आने किलो चीनी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
जो कुछ आपने दिया था उससे ज्यादा किसानों को हम दे रहे हैं और आज किसान सन्तुष्ट है ।

(व्यवधान)

मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूं, मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं उसे सुन लें । मैं यह सब तर्क-वितर्क छोड़ दूंगा और यह कागज फेंकने के लिए तैयार हूं । इस सदन के बाहर एक मुद्दा उठाया गया और वह मुद्दा यह उठाया कि 23 दिसम्बर की तारीख को इस विवाद पर जो किसान इसके पक्ष में हों और जो इसके विरोध में हों, वह आ जायें लेकिन उस समय 23 ता0 के इजलास में कोई किसान नहीं पहुंचा और फिर 6 ता0 रखी गयी उसमें भी किसान नहीं पहुंचा तो आपका मुकदमा किसान की अदालत में खारिज हो चुका है फिर इसको यहां पर उठाने से कोई फायदा नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री खान गुफरान जाहिदी–
मान्यवर, आप क्यों अनुमति दे रहे हैं । यों क्यों बीच में बाधा डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुफरान साहब मैंने अनुमति नहीं दी, माननीय नेता सदन बैठ गये तो उनको बोलने का हक है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

मान्यवर, यह हुक्क, हुक्क क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ओझा जी। मैंने प्रारम्भ में कह दिया था कि जब तक माननीय नेता सदन बैठेंगे नहीं, दूसरा कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं होगा और अगर कोई खड़ा होता है तथा माननीय नेता सदन बैठ जाते हैं तो वह बोल सकते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की चुनौती को स्वीकार करता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी रिटायर्ड जज को बैठा दें जांच करने के लिए गन्ना मूल्य के संबंध में तथा फर्टिलाइजर आदि के किसान ने क्या दाम दिये ? 15 रु0 बोरी मिल मालिकों को आपने ज्यादा दिया तो यह सब आपके खिलाफ बात जाती है । गलत बयानी आप सदन में मत कीजिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, मोतीलाल देहलवी जी ने मूल्य वृद्धि के बारे में और वितरण प्रणाली के बारे में कल चर्चा की थी । वह इस समय आ गये हैं, उनकी बड़ी कृपा हुई । यहां पर जो मूल्य वृद्धि की बात हुई, उसमें कुछ परिस्थितियां आयातित मूल्य वृद्धि की भी हैं अगर पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्था देखी जाय तो जो भी देश तेल का आयात कर रहे हैं वे मूल्य वृद्धि से बच नहीं सके हैं। उस मूल्य वृद्धि का प्रभाव हमारे फर्टीलाइजर पर है। हमारे यातायात पर है और उसका प्रभाव एक श्रृंखलाबद्ध रूप से विभिन्न चीजों पर है। केवल यही नहीं जो तेलों का आयात कर रहे थे इस बीच में विश्व अर्थ व्यवस्था में जो विकसित देश हैं उनके उद्योग में और शिथिलता आई है। प्रभाव यह पड़ा कि जो हम लोग निर्यात कर रहे थे, उसमें भी कमी आई, इस तरह का और असन्तुलन आया। तो इस देश की अर्थ व्यवस्था पर एक गहरी चोट पड़ी। ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप मूल्य वृद्धि का परीक्षण करें तो पायेंगे मार्च, 81 से सितम्बर, 81 तक थोक कीमतों में वृद्धि 6.5 प्रतिशत थी और उसके पूर्व वर्ष में इसी काल मे यह 15.5 प्रतिशत थी। तो 15.5 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा इधर केवल 6.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। एकदम रुकावट तो नहीं हुई, लेकिन वृद्धि में कमी अवश्य आई। इतना तो हम अवश्य कर सके कि एक ब्रेक उस पर लगाया गया।

मान्यवर, वितरण प्रणाली का जहां तक प्रश्न है, उस सम्बन्ध में चीनी वितरण के कार्य को निजी क्षेत्र से हटाकर कोआपरेटिव क्षेत्र में रखा गया। उसमें कुछ कठिनाइयां थीं और रुकावटें आई दूकानों की। उसमें हम उसके लिये दूकानें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। किरोसिन आयल की अवश्य इधर दिक्कत रही है, और उसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि कोयला जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। इससे शहर में मिट्टी के तेल की खपत बढ़ गई और देहात में अवश्य एक कमी आई, लेकिन उसकी चर्चा हो चुकी है। केन्द्र में भी कुछ हो चुका है। यह एक कम समय का दौर है, कोयले का प्रबन्ध हो रहा है। जहां तक हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का सम्बन्ध है, जनवरी, 81 से नवम्बर, 81 तक 3 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में यह तिगुना है, साथ ही साथ इस सम्बन्ध में 2391 गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]–

एक नया निर्णय लिया गया है, जो हमारे गरीब वर्ग के लिए है, वह उनको कम कीमत पर आटा उपलब्ध कराने का निर्णय है। अभी कई मिलों को गेहूं एक निश्चित दाम पर दिया जाता था मैदा बनाने के लिए। वह मैदा, सूजी व चोकर बनाती थी। अब यह निर्णय किया गया है कि आटा उनसे लेकर एक रुपये के भाव पर कन्ट्रोल की दूकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। यह उन शहरों में और निकट के शहरों में हो सकेगा जहां पर फ्लोर-मिल्स हैं और आटे की पिसाई होती है, क्योंकि उसे दूर ले जाने में परेशानी है। इस वर्ष को तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने उत्पादकता वर्ष भी घोषित किया है और उसका सोपान 20 सूत्री कार्यक्रम रखा गया है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है, मान्यवर, जहां 80-81 वर्ष में 8 हजार यूनिट लगीं, जबकि उसके पूर्व वर्ष में केवल 6 हजार लगीं थीं और उससे भी पूर्व वर्ष में 4 हजार ही लगी थीं। "उद्योग-बन्धु" के माध्यम से भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। "उद्योग-बन्धु" में यह होता है कि जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में माह के हर आखिरी सोमवार को सारे सम्बन्धित मंत्री बैठकर फैसला करते हैं। उसका नतीजा यह हुआ है कि लेटर आफ इन्टेंट में पिछले 6 महीनों में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे आप एक स्पष्ट मूल्यांकन कर सकते हैं। जो रुपया लगाने वाले हैं वे हमारे भाषणों पर नहीं, इश्तिहारों पर नहीं, घोषणाओं पर नहीं लगाते, वे प्रान्त के औद्योगिक वातावरण को देखते हुए, उसकी संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि उनको पैसा लगाना है, पैसा लगाने को तैयार हैं। इससे एक औद्योगिक वातावरण बना है। उसका नतीजा यह है कि वर्ष 1970-71 के आधार पर वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही में 12.2 प्रतिशत हमारे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि हुयी है।

आपको जानकर खुशी होगी कि कजराहट में एक सीमेन्ट फैक्टरी बनी है और प्रतापगढ़ में एक ट्रैक्टर फैक्टरी अपने ट्रैक्टर का उत्पादन करके बाजार में ले आयी है। एक फाइबर फैक्टरी का भी इसी आशय का पत्र मिल गया है। ट्वायटा जापान की कोलोबरेशन में लाइट कामर्शियल मोटर्स की एक फैक्टरी बनने जा रही है। 4 उर्वरक कारखानों का जो प्रस्ताव है। उनके साइट का करीब करीब अंतिम निर्णय कुछ महीनों में होने वाला है। आंकलन बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे रक्षा मंत्री भी हवाई जहाज के उपकरणों का कारखाना उत्तर प्रदेश में खोलने को तैयार हैं।

साथ ही उत्तर प्रदेश में 12 कताई मिलों में से 8 के लिए स्थलों का चयन हो गया है और 5 चीनी मिलों का कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारी केन्द्रीय सरकार ने अलीगढ़ में पैट्रो कामर्शियल कम्पलेक्स लगाने की स्वीकृति भी कर दी है। देहरादून और गाजियाबाद में दादरी तहसील को पिछड़ा जिला घोषित किया है जिसमें स्टेट कैपिटल सबसिडी अब 10 से 25 प्रतिशत उपलब्ध हो सकेगी। केवल उद्योग में ही उत्पादन नही बढ़ा है। अगर 1970-71 के स्थायी भावों के आधार पर देखा जाय तो वर्ष 1980-81 में अकेले प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में 22.8 प्रतिशत की, पूरे राष्ट्र की वृद्धि हुयी है जिसमें चीनी का उत्पादन वर्ष 1980-81 में 23 प्रतिशत, वनस्पति में 36 प्रतिशत, सीमेन्ट में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। सूत के धागे के उत्पादन में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और जैसा कि मैं कह चुका हूं वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही में 12.2 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि हुयी है।

इस समय हमारे माननीय प्रमोद कुमार जी ने जब यह कहा कि हर दिशा में हमारे प्रदेश में प्रगति हुयी है तो उनका आशय इन सब दिशाओं में जो प्रगति हुयी है, उनसे रहा होगा। कृषि में 164.9 लाख टन का जहां उत्पादन हुआ था वर्ष 1980-81 में वह 244 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जिससे 49 प्रतिशत की वृद्धि

हुयी है। अगर पिछले 1979-80 को सूखे का वर्ष 1978-79 को अच्छी फसल का वर्ष माना जाय तो उससे भी ज्यादा 6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। जबकि इन वर्षों में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि पूरे भारत में रही, तो पूरे देश की वृद्धि से ज्यादा कृषि में हमारे प्रदेश में इन चीजों में रही है। जो गेहूं परचेज किया गया वह 15 लाख टन है ताकि इसको खरीद कर हम अपने भंडार में रख सकें। चावल का जो हमारा 6 लाख टन इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था, उससे अधिक हम लोग इकट्ठा करने में सफल हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप थोड़ा सुस्ता लें। हमारी बिजली की जनरेटिंग कैपेसिटी 3500 मेगावाट है। लेकिन 1100-1200 पर 5-6 घंटे सप्लाई रही। केन्द्र ने जब आपको पत्र लिखा तो यह कहा कि 12 घंटे बिजली अवश्य दी जाय। केन्द्र के उस लेटर के बाद आप 6 घंटे से अधिक कितनी बिजली की सप्लाई किसानों को दे पाये और न दे पाने का क्या कारण है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, बहुत उचित प्रश्न किया है माननीय रियासत साहब ने। इस वक्त मान्यवर, यह कठिनाई रही है कि गत वर्ष हमारा रिहण्ड 870 फीट भरा था और इस साल 846 फीट भरा था। तो हाइडिल की एक कमी रही या यूं कह सकते हैं कि भगवान ने हाथ खींच लिया। लेकिन इन्सान ने इस साल हाथ जरूर बढ़ाया। जहां हाइडिल की कमी रही, वहां पर हमारा थर्मल उत्पादन जो तापीय उत्पादन है, हम सुधार उसी में कर सकते हैं, उसमें सुधार किया, या उपाय बताइये रिहण्ड से पानी निचोड़ लिया करें। वह तो एक रिकमेंडेटरी चीज उन्होंने कही थी। थर्मल में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

श्री रियासत हुसैन–

किसानों को तो कोई लाभ नहीं हुआ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

अब हम यह तो नहीं कहते कि किसानों को लाभ हुआ। गत वर्ष जो नई मशीन लगा दी गयी 200 मेगावाट की, तो गत वर्ष अगस्त में 27 था, तो इस साल 30 हुआ। सितम्बर में गत वर्ष 28 था, तो इस साल 31 हुआ। अक्तूबर में 30 था, तो इस वर्ष 34। गत वर्ष नवम्बर में 33 था, तो इस वर्ष 40 हुआ। दिसम्बर में 40 था, तो इस वर्ष 41 हो गया। जनवरी में 42 था, तो अब 47 तक हम लोग पहुंच गये हैं। अगर हम छोटे छोटे प्लाटों को न लें तो 49 तक पहुंच सकते हैं। हमने बड़े-बड़े लोगों की बिजली में कटौती करके किसानों को बिजली पहुंचाने की कोशिश की। हर किसान के खेत की बोवाई के टाइम में, भगवान ने भी कृपा की, हम जानते हैं, किसी का भी खेत सूखा नहीं रहा। सभी लोगों के पूरे खेतों की बाओई हो गयी। मान्यवर, गत वर्ष नवम्बर में 17.5 मिलियन यूनिट उत्पादन रहा। इस वर्ष वह बढ़ कर 22.5 मिलियन यूनिट हो गया प्रतिदिन का और दिसम्बर में औसत 23.1 मिलियन यूनिट का उत्पादन रहा। मैं समझता हूं आपके प्रश्न का विस्तार से उत्तर जो मेरे पास था उपलब्ध कराने की कोशिश की।

श्री शंकर सिंह–

बुन्देलखण्ड में 24 घंटे बिजली देने को कहा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदन को यह जानकर खुशी होगी कि विकास के चरणों में अभी हाल में 2 हजार 2 सौ करोड़ का 82-83 का प्लान केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया है। प्रगति के कदमों में यह भी एक कदम है जो केन्द्रीय सरकार की कृपा से मिला है। श्री कुंवर सिंह नेगी ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की। अभी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]–
माननीय सदस्य अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे उनको यह जानकर खुशी होगी कि 82-83 में 120 करोड़ की योजना पर्वतीय क्षेत्रों की है, जहां पहले 100 करोड़ की थी। केन्द्रीय सहायता, अनुदान एवं ऋण का अनुपात जो आधा-आधा था, वह अब 90 और 10 का अनुपात रहेगा। सितारगंज चीनी मिल और जसपुरा कताई मिल की प्रगति कार्यवाही इस समय चल रही है।

मान्यवर, एक चीज, गत वर्ष मार्च में हमने अपना बजट पास किया था और लगभग 78 प्रतिशत जो फाइनेन्शियल सैंक्शन थी उनको हम लोगों ने 15 दिन के अन्दर पास कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अक्तूबर के महीने में जहां 34 प्रतिशत उपयोग हो पाता था बजट की धनराशि का योजनागत मद में, वहां 34 प्रतिशत के बजाय 44 प्रतिशत धनराशि का उपयोग हो सका है। यह भी प्रगति की दिशा रही है। लेकिन यहां पर एक चिन्ता अवश्य व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां प्रगति की दिशायें रही हैं वहां पर हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बगल में बैठे हुये हैं यदि हम भूल जाते हैं पूछना तो यह याद दिलाते रहते हैं कि इस प्रदेश में 20 हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं। 20 हजार मुख प्रतिदिन विकास में शामिल होते हैं और पिछले दशक में जहां उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रतिशत में कम था वहां पिछले दशक में हम आगे बढ़ गये। विरोध पक्ष यदि अपनी इस जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है तो हम इसको मानने को तैयार है। लेकिन इसका भी राजनीतिक प्रक्रिया 77 में ऐसी बनाई गई, ऐसा झटका लगा कि हम बहुत वर्ष पीछे चले गये। लेकिन हमको साहस और विश्वास के साथ पुनः इसकी जागृत करना होगा और समझ बूझकर इस दिशा में हमको कदम उठाना होगा। ताकि जो भार आ रहा है इसमें कुछ नियंत्रण लग सके।

श्री रियासत हुसैन–
एक बार कम्पलसरी कोटा बांध कर देखें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
अगर कोटा की जिम्मेदारी आप लें तो मैं आप पर भी बांध दूं।

श्री रियासत हुसैन–
आप परेशान हैं एक बार फिर बांध कर देख लें। विरोध पक्ष इसके लिये तैयार है। कम्पलसरी कोटा बांध दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
मान्यवर, एक वाक्य इस सदन में मैं पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है:–

"पीपुल एट प्रेजेन्ट थिंक दैट फाइव सन्स आर नाट टू मैनी, एण्ड ईच सन हैज फाइव आलसो एण्ड बीफोर दि डैथ आफ दि ग्रान्डफादर दियर आर आलरेडी 25 डीसेन्डेन्ट्स. दियरफोर पीपुल आर मोर एण्ड वैल्थ इज लैस; दे वर्क हार्ड एण्ड रिसीव लिटिल–हेन्स फिज. 500 बी. सी.।

मान्यवर, इसका अर्थ हुआ कि अभी लोग सोचते हैं कि 5 पुत्र अधिक नहीं हैं और इस प्रकार प्रत्येक पुत्र को 5 और हो जाते हैं और बाबा के मरने के पहले 25 हो जाते हैं। इसलिये धन, संसाधन कम होते हैं और लोग ज्यादा होते हैं। लोग काम ज्यादा करते हैं और मिलता कम है। यह लगेगा कि यह वाक्य आज किसी ने लिखा है लेकिन यह वाक्य चीन में ईसा से 500 वर्ष पहले लिखा है हेन्स फिजू ने। इसलिये पहले से यह सत्य है।

मान्यवर, जब सब चर्चा करते हैं और विभिन्न वर्गों की चर्चा करते हैं तो इस सदन में मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिये भी दो क्षण दिये जायं क्योंकि सरहद में चाहे वह रेगिस्तान की बालू को देखें और चाहे लद्दाख की बर्फ को देखें तो उसमें हमारे किसी न किसी सैनिक की

जिन्दगी का लहू अवश्य होगा। वह जिन्दगी के 35 वर्ष में ही अपने जीवन का संकल्प लेकर आता है और उसके बाद वह समाज में भटकता है तो हम लोगों का कर्तव्य है कि एक अनुशासित सैनिक जिसने जीवन का संकल्प लेकर अपनी पूरी जवानी को न्यौछावर कर दिया उसके प्रति हम चिन्ता करें। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने जो 1962 और 1965 की लड़ाई में आगे थे उनके परिवार की विधवाओं और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये गृह निर्माण अनुदान हेतु 32,50,000 रुपये मंजूर किया है। हल्दवानी, लैंसडाऊन में उनके लिये विश्राम गृह के निर्माण के लिये सरकार ने निर्णय लिया है और देहरादून एवं जोशीमठ और रानीखेत में 10 शैय्याओं का अस्पताल खोलने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। लैंसडाऊन में सैनिकों की विधवाओं के बच्चों के लिये छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है और साथ ही साथ जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये हैं, उनके बच्चों की फीस माफी हाई स्कूल तक करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जो अभी तक पुस्तकों के 25 रुपये और 50 रुपये मिलता था वह बढ़ाकर 75 और 100 रुपये कर दिया गया है। यह एक पक्ष था जो भूतपूर्व सैनिकों के बारे में चर्चा में नहीं आया था उसके सम्बन्ध में हमने सदन को बताया।

मान्यवर, सदन के सम्मानित सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि टैक्निकल और विज्ञान में एक रिमोट सैंसिंग एप्लीकेशन एजेन्सी इस प्रान्त में खोल दी गयी है। इस एजेन्सी के द्वारा जो सेटलाइट के चित्र आयेंगे उनका परीक्षण और विश्लेषण हो सकेगा। इसके माध्यम से वनों की जो संपदा है वह घट या बढ़ रही है या वह जहां लगाये जा रहे हैं वहां वह जीवित रह सकेंगे कि नहीं इसके आंकड़े चित्रों द्वारा जो आयेंगे उसकी पुष्टि हम कर सकेंगे। हमारे जल स्रोत कहां हैं, कहां खनिज पदार्थ हैं, कहां ऊसर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है या हमें बाढ़ के संबंध में क्या कदम उठाने चाहियें, इन सारी चीजों की जानकारी हमको हो सकेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमको सोचना पड़ेगा कि विज्ञान का हम उत्तर प्रदेश में अधिकतम रूप में उपयोग करें। पिछले युग में रहकर हम विकास नहीं कर सकते हैं इसलिये कुछ समय सदन का मैंने इस ओर लिया।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर।)

आप कुछ कहना चाहते हैं ?

एक सदस्य–

इस्तीफे के बारे में बता दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

इस्तीफे की बहुत आशा लगाये हैं। इनके कहने पर तो नहीं होता।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे लगा कि आप अपने विचारों को समाप्त करने जा रहे हैं, मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो एक चीज की जानकारी कर लूं।

आपने करीब-करीब बहुत से प्रमुख बिन्दुओं पर अपने विचार रखे लेकिन वर्तमान सत्र में सबसे चिंता जिस पर व्यक्त की गयी है वह हरिजन उत्पीड़न के संबंध में व्यक्त की गयी है। आप जैसे संवेदनशील मुख्य मंत्री, अगर आप अन्यथा अभिप्राय न समझें, आपकी मंशा भी है, आपकी कटिबद्धता की बात भी स्पष्ट है, पालीटिकल हेड और ब्यूरोक्रेटिक हेड्स की मंशा और नियत भी है तो इतने बड़े कंबिनेशन के बावजूद भी आखिर हरिजन उत्पीड़न कम क्यों नहीं हो रहा है। इस ओर अगर आप प्रकाश डाल सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, बहुत गंभीर प्रश्न माननीय गौरीशंकर जी ने उठाया है। यह चिंता हम सबकी है, विशेष रूप से देवली कांड और साढ़ूपुर कांड से मानस पर और हृदय पर प्रभाव पड़ा है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ इस्तीफे का भी जो प्रश्न है तो यह सही है कि

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]–
हम लोगों को अंदर से चिंतन करना होगा कि कुछ परिणाम के लिये, जनता असीमित काल के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, एक सीमित समय के लिये जनता ने हमको यहां पर भेजा है और उसी समय के अंदर हमको कुछ परिणाम अवश्य देना होता है। इस संबंध में चाहे मुरादाबाद को लेकर, चाहे देवली और साढ़ूपुर को लेकर जब मैंने इस्तीफे की बात की थी तो यही मेरे मन में और हृदय में यह बात थी कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का सवाल है. हरिजन भाइयों का सवाल है, अब यहां पर सब कुछ बटोर कर रखे रहें, सब समेट कर रखे रहें लेकिन अगर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का और हरिजन भाइयों का विश्वास नहीं रहा तो यह राजमहल नहीं है, खंडहर मानकर हमको इनमें नहीं रहना चाहिए।

(मेंजों पर थपथपाने की आवाजें।)

मान्यवर, इसलिये यह केवल एक भावना थी जिसको कि मैंने किसी रूप में रखने की कोशिश की थी। यह सही में एक चिंता की बात है और दुख की बात है देवली और साढ़ूपुर की घटना। जहां पर यह प्रश्न हो वहां उससे संघर्ष करने का उतना ही हम लोगों में संकल्प दृढ़ होना चाहिए क्योंकि अन्याय को हम आंसुओं से नहीं संघर्ष से दूर कर सकते हैं। इसीलिये देवली कांड के चार अभियुक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया है।

(मेंजों के थपथपाने की आवाजें।)

(तालियों की गड़गड़ाहट)

तो इन काण्डों में उन अपराधियों को ही सजा नहीं दी जायेगी बल्कि उनको शरण देने वालों का हस्र भी उन्हीं लोगों की भांति होगा, उनको यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मान्यवर, साथ ही साथ जब हम शांति और व्यवस्था की बात करते हैं और जैसा कि कल श्री प्रियदर्शी जेटली जी ने कहा जिस पर रियासत साहब ने भी शांति और व्यवस्था पर काफी कुछ कहा तो मैं तो कहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड केवल किताब के अंदर ही नहीं बंद है, बल्कि इसके लिए बाहर की दिशाएं भी खुली हुयी हैं, जहां से आ सकता है और अगर यह देखा जाए तो पिछले वर्ष जो साम्प्रदायिक क्षेत्र में मुरादाबाद में दिखाई दिया था, यह उसी का प्रतीक रहा हो। इसीलिये मैं तो कहता हूं कि इस वर्ष इन मायनों में सौभाग्य का वर्ष कहा जा सकता है, शांति और व्यवस्था का वर्ष कहा जा सकता है। पिछली बार जो मुरादाबाद की घटना घटी थी, उसके लिए मैं वहां की जनता का आभारी रहा हूं कि उन्होंने उसके बाद से मेल-मिलाप से काम लिया और सदन में मैंने इसी बात को कहा था उनका आभार प्रकट किया था कि उसके बाद से जो भी त्यौहार आये, ईद, दिवाली, दशहरा, सब दोनों वर्गों ने शांतिपूर्वक ढंग से मनाये।

श्री फखरे आलम–
माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि मुरादाबाद का जो झगड़ा था वह कोई मुसलमान और हिन्दू का नहीं था, वहां हिन्दू और मुसलमान आपस में नहीं लड़े थे। बल्कि ऐसे पवित्र त्यौहार के मौके पर आपकी पी0ए0सी0 ने बेगुनाहों पर दर्दनाक, शर्मनाक तरीके से आक्रमण किये थे, उनके साथ आपने क्या किया उनके लिए कौनसी आपने सजा दी या कुछ सजा के लिए इंतजाम किया। सवाल तो यहां पर यह पैदा होता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
तो मान्यवर, चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो, कोई भी काण्ड या समस्या रही हो, किसानों के मसले रहे हों, कुछ भी, किसी तरह का मसला रहा हो, हमारे लिए एक परीक्षा का मौका हरेक में रहा है, एक आजमाईश रही है, हम इन सारी परीक्षाओं में सफल रहे हैं, अभी माघ का मेला आया, यह हमारे लिए एक परीक्षा थी, यह भी सुव्यवस्थित ढंग से बीती। हां कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं इधर, देवली और साढ़ूपुर की। लेकिन इन घटनाओं से पूरे प्रांत को नहीं आंका जा सकता है। आज आप कहीं भी चले जाईये पश्चिमी या पूर्वी

अंचलों में, बदायूं चले जाइये, सुल्तानपुर चले जाइये, रायबरेली और बरेली चले जाइये, मिर्जापुर या बनारस चले जाइये और यही नहीं, प्रांत के तमाम जिलों में चले जाइये और वहां की जनता से पूछिए तो वे यही कहेंगे कि क्राइम घटे हैं और जरायम कम हुए हैं।

अनेक सदस्य–

बस्ती और गोरखपुर की स्थिति भी बताइये इन जिलों का भी नाम लीजिए यहां की स्थिति क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

हरिजनों का भी, अत्याचार के संबंध में उनके ऊपर जो घटनायें हुई हैं, मैं उनको आंकड़ों के जरिये, देवली और साढ़ूपुर के जघन्य काण्ड पर परदा डालना नहीं चाहता हूं लेकिन जब पूरे प्रान्त की चर्चा हो रही है और प्रशासन के बारे में चर्चा हो रही है तो कुछ तथ्य सामने लाने का मेरा कर्तव्य हो जाता है। जितने हस्तक्षेपीय अपराध थे, उन्हीं को ले रहा हूं अहस्तक्षेपीय को नहीं। 78, 79, 80 और 81 में अगर देखा जाय तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर जो अत्याचार हुए हैं तो सबसे ज्यादा वर्ष 78-79 में हुई है, जब कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्य सत्ता में थे।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइए। आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

वर्ष 1978 में हस्तक्षेपीय अपराध का टोटल 5229 था, 1979 में 4102 रहा, 1980 में 4279 रहा और वर्ष 1981 में 3865 था। यही नहीं, यदि पूरे प्रान्त के आंकड़े ले लिये जायं तो लूट में 20 प्रतिशत की कमी हुई है, डकैती में 21.5 प्रतिशत की कमी हुई है, दंगे में 12 प्रतिशत की कमी और नकबजनी में 19 प्रतिशत की कमी हुई है, हत्या में जरूर 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

झूठे इन-काउण्टर की बातें कही गयीं हैं। कठिनाई यह है कि अगर हाम लोग किसी को अरेस्ट करते हैं तो मिलजुलकर किया; किसी को मुकाबले में मार दिया गया तो कहते हैं झूठा मारा गया और अगर दोनों न करें तो कहेंगे क्या काम हो रहा है सरकार द्वारा। इनके पास तीन ही बातें हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात इनके पास कहने वाली नहीं है। जितने झूठे इन-काउण्टर का आज सवाल है मैं जानना चाहता हूं क्या मुस्तकीम एक नामी डकैत नहीं था, खर-दूषण और बलवान नामी डकैत नहीं थे, जो मारे गये? विद्याराम मल्लाह, रघुनाथ सिंह, जगराम क्या ऐसे नहीं थे, जो कि नामी डकैत थे, और जिनको मारा गया? आज यह कहना कि फेक और फ़र्जी इन-काउण्टर हुए हैं, सही नहीं है। छविराम-पोथी गैंग के सुरेश, महेन्द्र, राजबीर, बलवीरा, दफेदार, जयवीरा रघुवीरा, टोड़ी इत्यादि मारे गये, क्या इसको फर्जी इन-काउण्टर कहा जा सकता है? इसी प्रकार महावीरा गैंग के नेम सिंह उर्फ निम्मा, बालकराम जाटव, नरोत्तम तथा मुस्तकीम गैंग के मुस्तकीम सुरेन्द्र, बृजलाल, मीरा ठाकुर, श्रीराम, बदन केवट, कालीचरन, बाबू खां, राम औतार मारे गये। खर दूषण गैंग के चन्दा आरख, पहलवान, जुगल किशोर, बल्देव प्रसाद, बाबू लाल और खर दूषण मारे गये। इसी प्रकार बलवान गड़रिया गैंग के बलवान गड़रिया, वृन्दावन, श्याम, दादा चौहान तथा विद्याराम मल्लाह गैंग के विद्याराम, बदन सिंह, शंकर, मुन्ना तोमर मारे गये और संतोषा गैंग के अजीज, प्रताप धानुक, मुन्ना ठाकुर, कल्लू बंजारा इत्यादि मारे गये। इसकी लिस्ट बहुत लम्बी है, इसमें सदन का समय जायगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये आरोप निराधार हैं।

श्री उदल–

हमारे यहां 4 आदमी मारे गये। बनारस में 4 व्यक्ति निरपराध थे उनको इन्काउण्टर में मारा गया है। आपने ही इसकी जांच करायी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, आप तसदीक कर रहे हैं कि जहां थोड़ी भी गलती होती है वहां हम लोग सख्ती से कार्यवाही करते हैं, ऐसा आप स्वयं स्वीकार रहे हैं।

कल नेता विरोधी दल ने पाटानाला के अन्तर्गत सरोजादेवी के साथ की कुछ बातें कहीं। मान्यवर, उसमें मैं बता दूं कि कांस्टेबिल को निलम्बित कर दिया गया है और उस पर आगे कार्यवाही चल रही है।

जनपद इलाहाबाद की मुठभेड़ के सम्बन्ध में भी नेता विरोधी दल ने बात कही। उसके सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में दफा 302 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही मैनपुरी काण्ड में भी दफा 302 में मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही हो रही है। क्राइम जितना हुआ है, हम लोग कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ जो लोग आज उसको अब भी प्रश्रय देते हैं उनको भी मैं बता दूं कि नहीं बख्शा जायेगा। बागपत के सम्बन्ध में कल यहां पूछा गया उसमें क्या हुआ। उसमें 10 पुलिस कर्मचारी जो थे, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही हो रही है। कर्पूरी ठाकुर जी का प्रश्न आया...

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि अभी बागपत के ऊपर जो ये कह रहे थे कि अभियोजन चलाने की कार्यवाही हो रही है, उसे जरा साफ, स्पष्ट रूप से कहें। मेरी सूचना तो यह है कि सी0 आई0 डी0 की जो इनक्वायरी थी उस पर सी0 आई0 डी0 ने शासन से अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है। प्रश्न यह है कि क्या आपने अनुमति दे दी है? या उसे लटका रहे हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रान्त का मामला चल रहा है। इसमें कोई कोर कसर नहीं है। जब हम लोगों ने निलम्बित किया है तो कोई उसे बचाने की मंशा नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

सत्याग्रहियों पर जो केसेज चल रहे हैं उनको आप विदड्रा कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, यह तो भूमिका ही बदल गयी, यह दूसरा मामला है सत्याग्रहियों का। यहां पर बागपत के मामले की बात हो रही थी। कल एक बात कही गयी और हमारे मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के नाम लिये गये और श्री भानुप्रताप सिंह जी के लड़के के बारे में कहा गया। इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि भानुप्रताप सिंह जी ने स्वयं पत्र लिखा था एस0 पी0 को कि मेरे निकट से निकट का भी कोई हो और कानून की अवहेलना कर रहा हो तो उसे गिरफ्तार कर लें। है कोई ऐसा उदाहरण प्रजातंत्र में कि बाप अपने बेटे के लिये ऐसा कहे? मैं समझता हूं कि ऐसा आरोप लगा करके मर्यादा का हनन करना है जो कि मर्यादा के विरुद्ध है।

मोहन सिंह जी तो मंत्रियों के लेने और रखने और न रखने पर बहुत रहते हैं, आये नहीं हैं ऐसा लगता है। उनको मंत्रिमण्डल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। यदि ऐसी दिलचस्पी है तो हम कुछ उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं।

(हंसी)

एक सदस्य–

कोई पद उन्हें दे दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, कल माननीय नेता, विरोधी दल नें यह कहा कि यदुनाथ सिंह जो प्रिंसिपल थे, उनकी गिरफ्तारी जो हुई है, गलत हुई है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि संतोषा, राधे को जब हम गिरफ्तार करते हैं तब तो मिल कर करते हैं लेकिन जब श्री यदुनाथ सिंह को करते हैं तो गलत हो जाता है। मान्यवर, इस संबंध में जो सूचना मिली है वह यह है कि "उमेश एक्टिव मेम्बर आफ गौतम गड़रिया गैंग एज वैल एज नरेन्द्र विनोद गैंग। उमेश आलसो एक्यूज्ड इन केस रिलेटिंग टू मर्डर आफ 14 हरिजन्स इन 1979 इन विलेज जादवपुर। एक्यूज्ड कनफैस्ड टू हैविंग केप्ट दियर वेपन्स सेमी आटोमेटिक्स रायफल एस0 बी0 बी0 एल0 गन एण्ड कन्ट्री मेड पिस्टल एण्ड कार्ट्रेज्स विद यदुनाथ सिंह एस/ओ, सुन्दर सिंह आर/ओ नगला राम सुन्दर पी0 एस0 जसवन्त नगर हू इज प्रिंसिपल आफ बी0 एस0 टी0 इण्टर कालेज बलारी पी0 एस0 जसवन्त नगर एण्ड एक्टिव वर्कर आप लोकदल। यदुनाथ सिंह आलसो अण्डरस्टुड टू हैव कनटेस्टेड एसेम्बली इलेक्शन एज लोकदल कैन्डीडेट्स, एक्यूज्ड टोल्ड पुलिस दैट यदुनाथ सिंह हैड सोल्ड 50 कार्ट्रेज्स आफ सेमी आटो रायफल फार रुपीज 22/- कार्ट्रेज एण्ड 35 राउन्ड 12 बोर कार्ट्रेज्स फार रुपीज 6/- पर कार्ट्रेज. दे फरदर टोल्ड दैट यदुनाथ सिंह सोल्ड वन 303 रायफल टू डकैत बलबीर सिंह फार रुपीज एट थाउजण्ड एण्ड दैट दे हैड मैट बलबीर सिंह एट हाउस आफ यदुनाथ सिंह । यदुनाथ सिंह हैज बीन एरेस्टेड, इन्टरोगेशन आफ यदुनाथ सिंह अन्डर टेकेन, ही कनफैस्ड दैट सैड थ्री वेपन्स हैड बीन केप्ट विद हिम एराउण्ड 26/27 दिसम्बर, 1981 बट हैड बीन टेकेन अवे आन 3-1-82, फरदर इन्टरोगेशन लैड टू रिकवरी आफ वन सेमी आटोमेटिक रायफल नं0 101-28507 अैलांग विद 303 कार्ट्रेज्स एज वैल एज 26 राउंड्स आफ 315 कार्ट्रेज फ्राम दि हाउस आफ राम बहादुर सिंह हू इज अंकिल आफ एक्यूज्ड नरेन्द्र." तो यह सूचना है, मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो हिन्दी में रूपान्तर कर दूं। उमेश तो गौतम गड़रिया गैंग का सक्रिय सदस्य है, उमेश 1979 में 14 हरिजनों के मर्डर में शरीक रहा है और उसने स्वीकार किया है कि इसमें आटोमेटिक राइफल, एस0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक और देहात की बनी पिस्टल और कारतूसें हैं, यदुनाथ सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी नगला राम सुन्दर, पी0 एस0 जसवन्तनगर, जो कि प्रिंसपल बी0 एस0 टी0 इण्टर कालेज है, लोकदल के सक्रिय सदस्य हैं, उनके यहां रखे। यदुनाथ सिंह जी ने भी असेम्बली का चुनाव लोकदल के कैण्डीडेट के रूप में लड़ रहे थे।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, जो अभी पढ़ा स्टेटमेण्ट टाइप का, यह जो चार्जेज पढ़े यदुनाथ सिंह, प्रिंसपल के खिलाफ, मेरा निवेदन है कि यदुनाथ सिंह, प्रिंसपल के यहां रिकबरी साबित नहीं हुई है। एक एक्यूज्ड का बयान है।

एक सदस्य–

माननीय नेता, विरोधी दल, आपको तो इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मेरा कहना यह था कि नरेन्द्र के चचा रामचन्दर की ससुराल वालों तथा यदुनाथ सिंह की आपस की पार्टीबन्दी है । आप सिर्फ यह बता दीजिये कि वह कांग्रेस का वर्कर है कि नहीं ?

[समय 5 बजे]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह-

अभियुक्त ने पुलिस को यह बताया कि उसने 22 रु0 और 35 रु0 तक प्रति कारतूस बेचा। यदुनाथ सिंह ने एक राइफल 8000 रु0 का बेचा और वो लोग बलबीर सिंह के यहां यदुनाथ सिंह से मिले थे। यदुनाथ सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे जांच चल रही है और यदुनाथ सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके यहां 26-27 दिसम्बर, 1981 को यह हथियार रखे गये थे जो 3-1-82 को ले लिये गये और पूछने पर एक सेमी ऑटो राइफल और 313 कारतूस भी मिले और 26 राउन्ड 315 बोर की कारतूस रामबहादुर सिंह के यहां मिली जो कि अभियुक्त के चचा हैं। अब मान्यवर, यह तो जांच पड़ताल से मालूम होगा लेकिन यह चार्ज लगाया गया।

श्री नाथालाल-

यह जो रिपोर्ट आपने अंग्रेजी में पढ़ी यह किसको भेजी हुई है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह-

यह जिला स्तर से जो रिपोर्ट शासन को मिली है, वह मैं पढ़ रहा हूं। यह एस0 पी0 या डी0 एम0 स्तर से जो सूचना टेलेक्स द्वारा आई है, वह मैं पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह-

यह कई बार कहा गया कि अपराधियों का राजनैतिक लोगों से सम्बन्ध है। जातिवाद की बात कही गई।

(व्यवधान)

श्री अकबर हुसैन-

आपकी तरफ के लोगों का ही उनसे सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। आप बैठ जायें। जब तक वह खड़े हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। वह खड़े हैं इसलिए आप बैठ जायें। आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह-

माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न उठाया था कि 1980 के चुनाव में छविराम डाकू ने कुछ एम0 एल0 ए0 को चनाव में मदद दी। एक पत्र जो एम0 एल0 ए0 बनकर आये हैं, उनका फोटो स्टेट कापी आपके सामने रखता हूं और वह उधर बैठते हैं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

वह पत्र इस प्रकार है:-

प्रिय नेता जी। सदैव प्रसन्न रहो। एक तारीख को वोट खुलेगा। ईश्वर की कृपा से जीत निश्चित है। अब एक ही सुझाव देता हूं कि कुशवली इलाके से खबर मिली है कि रघबीर सिंह की पोजीशन खराब है। (व्यवधान) इसलिए आप पहले वहां ऐसी खबर कर दें कि जो जीत रहा हो उसी को वोट दें वरना दोनों हार जायेंगे। इसलिए तुरन्त वहां खबर कर दें कि जीतने वाले को वोट दें।

(व्यवधान)

भवदीय

लटूरी सिंह

मान्यवर, ये उधर के बैठने वाले विधायक हैं।

(व्यवधान)

माननीय विरोधी दल के नेता का बयान जो इस सदन में हुआ है, इस सदन की कार्यवाही से दे रहा हूं। उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है सन् 1969 में जब श्रीमती गायत्री देवी धर्मपत्नी चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ रही थी तो इनके इलाके में मैं उनका एलेक्शन एजेन्ट था। यह आपका बयान है। एक पत्र श्री गजेन्द्र सिंह के नाम है जिसमें कहा गया है कौम की मौत और जिन्दगी का प्रश्न है और तुम गांव में बैठे हो। अधिक क्या कहूं? आज ही ट्रैक्टर लेकर इगलास पहुंची दुश्मन भारी तादाद में लश्कर लेकर तुरन्त पहुंच रहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

इसके अन्दर क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

इसमें इनको न कुछ दिखलायी देता है और न दिखलायी देगा। मान्यवर, जातिवाद का प्रश्न उठाया जाता है। लेकिन यह पत्र माननीय नेता विरोधी दल के हाथ का लिखा हुआ है। इसकी यह फोटो स्टेट कापी है। क्या यह आपका हस्ताक्षर नहीं है? नहीं है तो मना कर दें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र पढ़ा। यह श्री गजेन्द्र सिंह इन्हीं के दल कांग्रेस आई के हैं जो इनके जिगरी हैं। वे मेरे क्षेत्र रामपुर के निवासी हैं। मैं मानता हूं कि यह पत्र मैंने लिखा था। पत्र की बात सदन के बाहर भी पहले आ चुकी है। जब श्रीमती गायत्री देवी चुनाव लड़ रही थीं तब मैंने उनको पत्र लिखा था, यह बात सही है। लेकिन जो बातें पत्र में कही गयी हैं वह मैंने लिखा था या नहीं, यह देखकर ही बतला सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

जो बातें इसके अन्दर हैं, उनको आपने लिखा था?

श्री राजेन्द्र सिंह–

इसके अन्दर ऐसी क्या बात है। मैंने लिखा था।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मुझको और कुछ नहीं पूछना है। माननीय नेता, विरोधी दल ने यह कह दिया ऐसा पत्र मैंने लिखा है, इस के आगे एक वाक्य भी नहीं कहूंगा (शोर) ।

मान्यवर, इनका दोष नहीं है (घोर व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष–

शांत हो जाइए ,, (शोर) . . बैठ जाइये . .

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

इनका कोई दोष नहीं है। मान्यवर, इन का दोष नहीं है। यह परम्परा इन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]
के नेता की भी रही है। उनका भी पत्र मेरे पास है। न्यायिक जांच की बात चली। उन के एक पत्र को पढ़ना चाहता हूं।

[× × × ×]

(शोर) (व्यवधान)

*श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय चौधरी चरण सिंह जी का एक पत्र पढ़ कर सुनाया जो माननीय राम नरेश जी को एड्रेस था यह आप की जानकारी में है। न तो चौधरी साहब इस सदन के सदस्य हैं और न राम नरेश जी इस सदन के सदस्य हैं और इस पत्र से कुछ भी ऐसा नहीं झलकता जिस में माननीय चौधरी साहब ने कानून के विरोध में कोई अनुचित बात लिखी। इसके बावजूद पत्र को सरकास्टिक वे में पढ़कर सुना रहे हैं जिस के आधार पर आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की कारेन्स्पोन्डेन्स, जिस की कोई रिलेवेन्सी, कोई औचित्य नहीं है, आप इसको पढ़ने की अनुमति न दें। . . . (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर–

एक बात सुन लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी बहस से डिविएट कर रहे हैं। जो उत्तर देना चाहिए वह न देकर इस सदन की मर्यादा को इतना गिरा दिया है कि यह सदन एक सदन मालूम ही नहीं होता है। किसी प्रान्त का मुख्य मंत्री व्यवहार में जब इतना गिर जाता है तो सदन, सदन नहीं रह जाता। यह सब अनर्गल बातें हैं (शोर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाईये. . . .

आप लोग कृपया शान्त रहें। मैं मुख्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि जो पत्र उन्होंने पढ़ा है वह कब का है और श्री राम नरेश जी को जो लिखा गया था वे उस समय क्या यहां पर मुख्य मंत्री थे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, वे मुख्य मंत्री थे और यह पत्र 12 जुलाई, 1978 का लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

जब वे मुख्य मंत्री थे, उस समय का लिखा हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। . . . (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

उसकी इस समय क्या रेलीवेन्सी है? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं था। . . . . . (व्यवधान)

नोट:– [×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
अभी तो एक पोथा और है।

श्री हुकुम सिंह–
मान्यवर, मैं बड़े अदब से आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यदि इस देश के एक गृह मंत्री कोई पत्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखें तो उस पत्र को लेकर किसी दल विशेष पर आरोप लगाने का आधार मुख्य मंत्री ले सकते हैं? माननीय चौधरी साहब उस वक्त देश के गृह मंत्री थे अगर उस कैपेसिटी में उन्होंने कोई पत्र लिखा है तो क्या मुख्य मंत्री इस वक्त अपनी सरकारी पोजीशन का दुरूपयोग नहीं कर रहे हैं? . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–
आप लोग कृपया शांत हो जांय। यह ठीक नहीं है कि आप लोग खड़े हों और बोलना शुरू कर दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी. . . .

श्री अध्यक्ष–
व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने उठा दिया है उसमें आपको क्या जोड़ना है?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
क्या आज के मुख्य मंत्री जी. . .

श्री अध्यक्ष–
पहले आप इससे पूर्व के व्यवस्था के प्रश्न को उत्तरित होने दें।
श्री रियासत हुसैन आपको क्या कहना है?

श्री रियासत हुसैन–
मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी सदन में दो पत्र पढ़े हैं उसमें एक तो 'ओब्जेक्शनेबुल शब्द' 'कौम' सदन के सामने आया। उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है; वह सदन के सामने आयी। दूसरा पत्र देश के गृह मंत्री ने प्रदेश के गृह मंत्री को लिखा है उसमें कौन शब्द ओब्जेक्शनेबुल है, उसे स्पष्ट किया जाय। . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–
कृपया शान्त हो जायं । दो पत्रों का उद्धरण यहां पर आया है । उस पर माननीय हुकम सिंह जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसके सम्बन्ध में यह जानना चाहता था कि वह पत्र किसके लिये लिखा गया है; किसने लिखा है और किस अधिकार और केपेसिटी से वह लिखा गया है। उसका उत्तर यह आया कि वह केन्द्रीय गृह मंत्री का पत्र था और वह प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा गया है। इस सम्बन्ध में पहले के भी निर्णय हैं कि यदि किसी अधिकारी का या मंत्री का या गृह मंत्री का कोई पत्र किसी मंत्री या किसी अधिकारी के पास आया हो तो उसका यहां पर रिफरेंस आ सकता है, उसका संदर्भ बताया जा सकता है । जहां तक माननीय रियासत हुसैन जी ने स्पष्टीकरण की बात कही है तो उस पत्र में कौन सी ऐसी बात है जिसे वे स्पष्ट जानना चाहते हैं अथवा उन्हें स्पष्ट नहीं हो पायी है, मुख्य मंत्री उसे स्पष्ट कर दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–
मान्यवर, जो रिफरेंस आया है पत्र का, मुजफ्फरनगर. . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था की बात अभी कोई नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आपकी व्यवस्था के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए और उनके मुंह से शब्द निकला "पत्र" इसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

हरिजनों की दुहाई देते हैं और डकैतों से उनका विनाश कराते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर कहीं आशंका की बात होगी तो मैं बैठ जाऊंगा, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकला "पत्र" और उस पर आप व्यवस्था चाहते हैं। तो उसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। एक शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप सुन लें तो सहमत हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, ओझा जी आप भी बैठ जायं। व्यवस्था के प्रश्न का यह अर्थ नहीं है कि एक शब्द मुंह से निकले और उस पर व्यवस्था का प्रश्न बन जाय। कोई शब्द निकले और उससे जो वाक्य बनता है और उस वाक्य के सन्दर्भ में जो बात स्पष्ट होती है तब उससे कोई व्यवस्था या अव्यवस्था का प्रश्न बनता है। एक शब्द निकला "पत्र" उस पर मैं व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं देता। पहले उनको सुन लीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पत्रों को छोड़ कर आपके सामने जस्टिस बैद्यलिंगम की रिपोर्ट सदन के सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं पत्र का हिन्दी अनुवाद कर दूं।

(× × ×)

मान्यवर, मैं सम्मानित सदन के सामने जस्टिस वैद्यलिंगम की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

नोट:–[×× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है वह आपने सुन लिया। माननीय ओझा जी इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जो पढ़ा आपने सुन लिया। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पत्र को पढ़ने के बाद कुछ और कहना चाहते हैं, तो अलग बात है। अन्यथा व्यवस्था के नाम पर प्रश्न न उठायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप सुन लें और आप सन्तुष्ट हो जायेंगे। प्रशासन की एक परम्परा और प्रक्रिया रही है अगर व्यक्ति के नाम पर इस प्रकार होता रहा तो वह शासन शाश्वत नहीं रह जायेगा। जनतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए यह व्यवस्था का प्रश्न आवश्यक है और ऐसी व्यवस्था पर आप निर्णय देंगे जो इतिहास बनायेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह तो सही है कि किसी पत्र का सन्दर्भ, कान्टेक्स या रैफरेंश तो यहां सुनाया जा सकता है, लेकिन क्या यह जनतान्त्रिक परम्परा है और उसमें क्या यह उचित है कि किसी भी पत्र की फोटोस्टेट कापी यहां पर लाकर पेश की जाए? क्या इसे हम चोरी नहीं कहेंगे?

(व्यवधान)

आपने एक व्यवस्था दी कि सन्दर्भ, कान्टेक्स यहां सुनाया जा सकता है, तो क्या गोपनीय पत्र जो शासन का है, उसकी फोटो स्टेट कापी यहां प्रस्तुत करने का किसी को अधिकार है?

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह–

इनके नेता चरण सिंह ने तो एलेक्शन सिम्बल की फाइल से वह पत्र चुराया था . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त हो जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप एक छोटी सी बात मुझे भी कह लेने दीजिए, आपको अपना निर्णय देने में उससे और आसानी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपके खड़े होते ही एक माननीय सदस्य ने चोर शब्द कहा, क्या उस पर हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है?

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द व्यवधान के बीच कुछ बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये।

एक सदस्य–

चोरों का दल हम लोगों को चोर कह रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ रहा हूं कि एक दूसरे को चोर कहने वाले को सारी दुनियां चोर समझती है। जो एक दूसरे को इस तरह कहता है, उसको सारी दुनिया चोर समझती है . . . (व्यवधान) तो मेरे सामने एक व्यवस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर दिया कि अगर केन्द्रीय गृह मंत्री या किसी भी केन्द्रीय मंत्री का या प्रधान मंत्री का कोई पत्र प्रदेश के

[श्री अध्यक्ष]

किसी मंत्री या मुख्य मंत्री को या किसी को भी आता है तो चूंकि प्रशासन का पत्र प्रशासन को होता है, इसलिए प्रशासन के सम्बन्ध में सदन में उसका उल्लेख, सन्दर्भ के लिए किया जा सकता है। दूसरी बात आपने यह कही कि किसी फाइल, किसी सरकारी फाइल-पत्रावली की फोटोस्टेट कापी या दूसरी कापी अगर यहां पेश की जाए, तो प्रशासक को यह अधिकार है चाहे वह मुख्य मंत्री या दूसरा कोई हो, अगर कोई यह समझता है कि इस फाइल में कोई गोपनीयता नहीं है, इसको बाहर जाना जन-हित के प्रतिकूल नहीं है तो उसका विवेक है कि उसको दे या न दे। (व्यवधान) (जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने और बोलने पर) आप बैठ जाइये, मुझको कहने दीजिए। ओझा जी आप क्या बात कह रहे हैं इस तरह से। मुझको कहने दीजिए. . . . . (व्यवधान) मेरी बात आप नहीं सुनेंगे और मैं आपकी बात सुनूं? मैं व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे रहा हूं, आप बैठ जाइये। इस बीच में आप न बोलें?

(व्यवधान)

मुझे पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो टाइप्ड प्रति मुझे दी गयी है, न तो वे फोटोस्टेट प्रति हैं और न उन पर किसी के दस्तखत हैं। मुझे वे या तो फोटोस्टेट प्रति मिलनी चाहिए या वे मूल पत्र।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़कर सुनाये हैं, न तो उन पर किसी के दस्तखत हैं और न वे मूल पत्रों की फोटोस्टेट कापियां हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सदन की कार्यवाही का अंग बन सकते हैं?

श्री अध्यक्ष–

मैं उनसे मूल पत्र मांग रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइये, व्यवस्था का प्रश्न समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

एक सदस्य–

यह उसकी एक प्रतिलिपि है, इसको सत्यापित करने के लिए कहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

जो कापी है उसे मेरे पास भेज दीजिये मैं सत्यापित कर दूंगा।

श्री हुकम सिंह–

जो कापी ओरिजनल नहीं है क्या वह रिकार्ड और कार्यवाही का अंग बन सकती है?

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि इसकी मूल प्रति या फोटोस्टेट प्रति दे दीजिए।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, प्रदेश के मुख्य मंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं, उसके विरोध में, मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन को त्याग कर चले गये।)

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, अभी कुछ देर पूर्व आपने कहा है कि जो इधर के या उधर के माननीय सदस्य किसी को चोर कहते हैं, दुनिया उनको चोर कहती है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

(श्री रुद्र प्रताप सिंह के बराबर यह बोलते रहने पर कि मुख्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं।)

आप कृपया बैठ जाइये। मुख्य मंत्री जी, आपने जो कापियां दी हैं, उनकी मूल प्रतियां या फोटोस्टेट कापियां, सदन के समक्ष आनी चाहिए, आप उनको दे दें?

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कृपया आप सुन लीजिए।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकालने के आदेश देने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें? पूरी बात तो कहने दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, अब आपकी रूलिंग हो गयी है, अब आगे चलें।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब मैं खड़ा हूं तो आप कृपया बैठ जाइये।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह के बराबर बोलते रहने पर)

माननीय नेता विरोधी दल मैं आपसे कहता हूं कि आप इनको बैठा दें।

माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये कृपया।

(व्यवधान)

कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी मूल प्रति सदन को तत्काल दे दें, अन्यथा अगर मूल प्रति मुझे नहीं प्राप्त होती है, तो इस सम्बन्ध में मुझे दूसरा निर्णय देना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने मुझको बुलाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(मुख्य मंत्री से) आप इसकी मूल प्रति दे पायेंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, तत्काल के लिए आपने कहा है, तत्काल तो मैं कैसे दे पाऊंगा?

(व्यवधान)

मान्यवर, उचित समय दे दें, मैं मूल प्रति दे दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, कल से मैं इनके सारे गोपनीय पत्र देना शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मान्यवर, अगर मेरी बात सुन लेते, तो यह बात न पैदा होती।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस समय 15 मिनट सदन का बिल्कुल अनियमित हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप बैठ जाइये। जो कुछ आपने सुनाया मैंने सुन लिया है। यह आवश्यक नहीं है कि मैं प्रत्येक सदस्य को सुन लूं, तभी निर्णय दूं।

(व्यवधान)

जब यह पत्र पढ़ा गया, जैसे पहले पत्र की फोटो स्टेट प्रति आई थी, जैसे दूसरे पत्र की फोटोस्टेट प्रति आई थी, उसी प्रकार जब मेरे पास यह प्रति आई, तब मैंने देखा कि यह फोटो स्टेट प्रति नहीं है।

(व्यवधान)

आप बैठ जाते हैं कि नहीं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, सारी प्रोसीडिंग अवैध है मान्यवर।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, राज भवन से तलवार चोरी गयी थी, तो मुझे पत्र नहीं पढ़ने दिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके दिल को दुखाकर मैं बात नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह मेरी गलती हो सकती है। मान्यवर, कोई भी डाकुमेन्ट जब सदन में पेश किया जायगा, जिसको कि चर्चा का विषय बनाया जायगा, नियमों में साफ लिखा है कि उसकी प्रति आपके पास भेज दी जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिसका उद्धरण देना शुरू किया, उसी समय उनको कापी देना चाहिए था, जो हस्ताक्षरित नहीं है तो उसको उसी समय आप डिसएलाउ कर देते जो इतना समय सदन का बरबाद हुआ है यह बच जाता। मैं व्यवस्था चाहता हूं आप पूर्व दृष्टान्तों को देख लें किसी भी दस्तावेज की आलोचना या चर्चा का विषय बनाये जाने से पूर्व उसकी कापी माननीय अध्यक्ष के पटल पर भेज दी जायेगी। उसके बाद चर्चा का विषय बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं जिस दस्तावेज का उद्धरण दिया, चरण सिंह का पत्र हो चाहे किसी और का हो, उसकी मूल प्रति चर्चा में जिसका सन्दर्भ दिया गया माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई? यदि की गई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि नहीं की गई तो बिना भेजे हुये क्या नेता सदन उनका उद्धरण दे सकते थे?

श्री अध्यक्ष–

अब किसी को नहीं बोलना है। कोई बोलना चाहता हो तो बोल लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ इस पत्र के सम्बन्ध में कहा गया है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे और बढ़ा ले गये अब आप कह दीजिये पुनः मूषिको भवः।

श्री यदुनाथ सिंह–

इसी सदन में जब राज भवन से तलवार की चोरी हो गई थी उस समय एक पत्र मैं पढ़ने लगा था तो आपने मार्शल से हटवाने की व्यवस्था की थी उस पत्र की चर्चा में भावनावश करना जरूरी समझता था। उसी प्रकार मुख्य मंत्री जी ने जो इस पत्र की चर्चा की है और ओरिजनल कापी नहीं दी वह उनकी नादानी और नावाकिफगी का कदम रहा है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कोई और बात कहने के लिये कोई माननीय सदस्य नहीं खड़े होंगे। इस सदन में और अधिकतर सभी माननीय सदस्य यहां पर पत्रों का और अनेकों पत्रों का उद्धरण देते हैं। मैं माननीय गुप्ता जी के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उसी जगह इस तरफ के और उस तरफ से अपनी बातों को कहते हैं, हवाला देते हैं, "फलां का पत्र, फलां का पत्र जो मैं पढ़ रहा हूं।" इस पूरे विवाद में माननीय सदस्यों के समक्ष भी बातें आई होंगी, लोगों ने अपने भाषण के बीच इस तरह की बातों का उद्धरण दिया है और कहते हैं कि आपके पास भेज रहा हूं। इस तरह से जिस नियम का आपने उद्धरण दिया है, उस नियम से यहां सदन में जैसी परम्परा चली आ रही है, उस परम्परा में वह पत्र या कोई कागजात या दस्तावेज होता है, दिया जाता है। जब तक माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं, बोलने के बीच रिफरेंस या संदर्भ देते हैं, उसके बाद वह कागजात दे देते हैं। ऐसी कठोरता से इस नियम का पालन नहीं किया गया है कि आप कागजात दे दें उसके बाद उद्धरण दें। इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, जो पत्र पढ़ा, वह आ गया। इस पत्र के सम्बन्ध में यह मत था कि मूल प्रति होगी या फोटोस्टेट प्रति होगी। इसके बाद आगे कुछ बोलना चाहते थे कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये और खड़े होने के बाद व्यवधान पैदा किया गया।

मैं तो नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही गौरव और मर्यादा मुझसे नहीं, आपसे है और उसके पालन के संबंध में जितना मेरा दायित्व है उतना ही प्रत्येक सदस्य का है। एक सदस्य, शासकदल के, खड़े हुये कि इस पर व्यवस्था दे दें, उस समय तो मैंने व्यवस्था दे दिया कि समय से पहले नहीं उठाया। लेकिन इस पर भी मैं बताना चाहता हूं कि यह नियम यहां का नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है कि आप दूसरे को बुरा कहते हैं और दूसरा आपको कहता है तो समझदार जो हैं, वह दोनों को बुरा समझते हैं, इसलिये इसमें व्यवस्था देने की बात नहीं है। इस संबंध में चूंकि आपने उद्धरण दिया है इसलिये इसका ध्यान रखना चाहिए था कि मूल प्रति नहीं है अगर आज के उपवेशन की समाप्ति तक दे देते हैं तो यह आपका उद्धरण कार्यवाही का अंग रहेगा और यदि मूल या फोटोस्टेट प्रति आज नहीं मिलेगी तो वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक रीजनेबिल टाइम दे दें और जब आवे तो स्वीकार कर लें।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, आपकी रूलिंग के बाद माननीय मुख्य मंत्री को यह बात कहना अच्छा नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस पत्र को हल्केपन से न लें।

श्री अध्यक्ष–

उसकी मूल प्रति या फोटोस्टेट प्रति आज के उपवेशन की समाप्ति के पहले तक दे दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, ठीक है प्रयास किया जायेगा कि अभी आ जाय।

मान्यवर, पत्रों को छोड़कर अब मैं आपके सामने जस्टिस सी0ए0 वैद्यलिंगम की रिपोर्ट रखना चाहता हूं। यह पब्लिक डाकूमेन्ट है। यह ऐसी चीज नहीं है जो न रखी जा सकती हो। जस्टिस वैद्यलिंगम की नियुक्ति जांच के लिये श्री एच0एन0 पटेल ने की थी जो उस समय होम मिनिस्टर थे, जस्टिस वैद्यलिंगम ने निष्कर्षों में यह कहा है:–

"ए प्राइमाफेसी केस इज इस्टेब्लिस्ड दैट श्रीमती गायत्री देवी, यूजिंग हर पोजीशन एण्ड आथोरिटी एज दि वाइफ आफ दि देन यूनियन होम मिनिस्टर, श्री चरण सिंह, इन्टरफीयर्ड इन दि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू दि चौकारा इन्सीडेन्ट एण्ड दिस एलीगेशन रिक्वायर्स फरदर इनवेस्टीगेशन.

श्री जस्टिस सी0 ए0 वैद्यलिंगम."

अर्थात् प्राइमाफेसी केस सिद्ध हो गया है कि श्रीगती गायत्री देवी अपनी पोजीशन का और अपने सत्ता का प्रयोग किया चूंकि वह यूनियन होम मिनिस्टर की पत्नी होने के नाते उसका लाभ उठाया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि श्रीमती गायत्री देवी के ऊपर किसी डाकूमेन्ट को पढ़कर आरोप लगायें, वह भले ही पार्लियामेन्ट की सदस्य रही हों लेकिन वह इस सदन की सदस्य नहीं हैं। वह इस स्थिति मे नहीं है कि किसी भी आरोप का यहां स्पष्टीकरण दे सकें। तो मान्यवर, इससे पहले आपकी पीठ से कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है कि कोई भी व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, कोई स्पष्टीकरण देने की हैसियत में नहीं है उसको आरोपित नहीं किया जा सकता है। तो उनके विरुद्ध कोई आरोप पत्र पढ़ा जा सकता है या नहीं, किस नियम के अंतर्गत यह श्रीमती गायत्री देवी के प्रति आरोप लगा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह एक कमीशन की रिपोर्ट है जो एक आम दस्तावेज है। जिस तरह से किसी बात का उद्धरण दिया जा सकता है उस तरह से उससे भी उद्धरण दिया जा सकता है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

चौकारा की जो घटना हुयी है उसकी तफतीश चल रही थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उन्होंने दखल दिया है। इसके अलावा एक बात यह आयी है कि:–

"ए प्राइमाफेसी केस इज इस्टेब्लिश्ड दैट श्रीमती गायत्री देवी, यूजिंग हर पोजीशन एज दि वाइफ आफ दि यूनियन होम मिनिस्टर, इन्टरफीयर्ड इन दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ यू0पी0 वाई डिलेइंग एण्ड आब्स्ट्रक्टिंग दि आर्डर आफ ट्रान्सफर पास्ड बाई दि यू0पी0 गवर्नमेन्ट इन दि मैटर आफ ट्रान्सफर आफ श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कोतवाल एण्ड दिस एलीगेशन रिक्वायर्स फरदर इनवेस्टिगेशन."

(शेम-शेम की आवाजें।)

यह निष्कर्ष आया कि यूनियन होम मिनिस्टर की पत्नी के रूप में, श्री सुरेन्द्र सिंह का ट्रांसफर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, उसमें उन्होंने दखल दिया। यह मेरा निर्णय नहीं है, यह जस्टिस वैद्यलिंगम के हैं

एक सदस्य–

हिम्मत हो तो मुकदमा चलाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

एक निष्कर्ष और आया है :–

"ए प्राइमाफेसी केस हैज बीन इस्टैब्लिश्ड दटे श्रीमती गायत्री देवी एण्ड श्री विक्रम सिंह, आन हर बीहाफ, रिसीव्ड फेयरली लार्ज एमाउन्ट्स फ्राम एजूकेटेड यंग पीपुल आन प्रोमिस आफ सिक्योरिंग देम जाब्स एण्ड दिस एलीगेशन रिक्वायर्स फरदर इनवेस्टिगेशन."

मान्यवर, एक प्राइमाफेसी, इस तरह का आरोप बनता है कि श्रीमती गायत्री देवी और श्री विक्रम सिंह ने या श्रीमती गायत्री देवी की ओर से काफी अधिक धनराशि पढ़े लिखे नौजवानों से नौकरियों का आश्वासन देकर लिया है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, बैद्यनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में सन् 80 से आयी है और सदस्यों की शासन से मांग रही है कि इस रिपोर्ट पर एक्शन हो। तो सन् 80 से लेकर आज तक इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है अगर नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, पढ़ने में ही इतनी कठिनाई हो रही है। पढ़ लिया गया है तो एक्शन होगा। पहले मंत्र का उच्चारण होता है।

मान्यवर, अंत में, हो सकता है कि इस आदान प्रदान में कुछ गरमाहट पैदा हुई हो। मैं तो समझता हूं कि किसी भी यज्ञ में दो काष्ठ के घर्षण से यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कैसे प्रचलित हो, यह कैसे सम्भव हो सकेगी यह सम्भव उसी हालत में हो सकती है जब हम लोग आपस के अपने संघर्षों को समाप्त करें और अपने अहम को होम करें इस संघर्ष की भट्टी में और सत्य को स्थापित करें और अपने साथ सदैव के लिए सत्य को ले आवें तभी एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली की परम्परा को कायम कर सकेंगे।

(मेजें थपथपायी गईं।)

श्री रियासत हुसैन–

मा0 मुख्य मंत्री जी एक स्पष्टीकरण उर्दू के बारे में दो लाईन का दे दें कि जो आपने 31 दिसम्बर को कहा था, उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, हम तो यही कहेंगे कि एक बार का वायदा मर्द का वायदा और दूसरी बार का वायदा बेहयाई होती है, इसलिए मैंने एक बार जो कहा है, उसी पर कायम रहूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके समक्ष दो पत्र रखे। एक पत्र था जो कि एक विधायक ने लिखा था छवि राम डाकू को, जिसमें यह रिफरेंस था कि रघुवीर सिंह मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद की जाए तो यह रघुवीर सिंह कोई और नहीं, बल्कि आपके कांग्रेस आई के ही कैन्डीडेट थे, जिनका रिफरेंस आप यहां पढ़ रहे थे जो आपके सामने आ गया (शेम-शेम की आवाज) और दूसरा पत्र जो आया लटूरी सिंह। इनके सम्बन्ध में यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री लटूरी सिंह को एडमिट कांग्रेस आई वालों ने ही कराया था किसी और दल ने नहीं। (शेम-शेम की आवाजें) फिर दूसरी बात आती है श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सेट-राईट करने की बात कही तो साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि फर्रुखाबाद और इटावा में छविराम ने किन लोगों का साथ चुनाव में दिया था, क्या वे कांग्रेस आई के लोग नहीं थे? (शोर) तो जब अपने आदमियों के फंसने की बात आती है, तब सेटराईट करने की बात पर खामोशी आ

[श्री राजेन्द्र सिंह]

जाती है । दूसरे एक पत्र के संबंध में जो मैंने 69 में लिखा था, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़कर आया हूं, वहां से (इग्लास से) श्रीमती गायत्री देवी लड़ रही थीं श्री मोहन लाल गौतम के अगेन्स्ट, जो बहुत ही सख्त मुकाबला था । श्री गौतम कांग्रेस के महामंत्री तथा प्रदेश में मंत्री रहे थे, मुकाबला हुआ। ठीक-ठाक चुनाव हो गया, कोई शिकायत कहीं पर भी किसी को नहीं मिली होगी और न ही कोई याचिका दायर हुई कहीं पर। उस चुनाव में मैंने पत्र लिखा था अपने साथी को बुलाने के लिए। इसको मैं एडमिट करता हूं।

तीसरी बात आपने वैद्यलिंगम रिपोर्ट की कही और उसमें जो निर्णय हुए उसके निष्कर्ष पढ़कर सुनाये। इस संबंध में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार नहीं, कई बार केन्द्र सरकार को लिखा कि आप आगे की कार्यवाही कीजिये यहां की सरकार को लिखा गया कि कार्यवाही कीजिये उस रिपोर्ट के आधार पर, जो आज तक आपकी और न ही केन्द्र की हिम्मत पड़ी कि उस पर कोई कार्यवाही करते और यही नहीं, हम तो आज भी कहते हैं कि अगर आप में या केन्द्र सरकार में जरा भी हिम्मत है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? कार्यवाही करें और उस पर फालोअप एक्शन लें उसके लिये हम तैयार हैं। किसी नेता को इस तरह से बदनाम करने से आप कामयाब नहीं हो पायेंगे जिस तरह से सामने भ्रष्ट लोगों का एक समुदाय बैठा हुआ है, चरित्रहीन लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्टें हैं। मैं चैलेंज देता हूं, सदन की एक कमेटी बना दीजिये या हाईकोर्ट के जज को एप्वाइंट कर दीजिये मामला साफ हो जायगा। जनता के सामने तो आना चाहिए कि किस तरह के लोग वहां बैठे हैं ।

(व्यवधान)

[समय 6 बजे]

श्रीमन्, इसके बाद आती है फर्जी इनकाउण्टर्स की बात । मैं फिर कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र सिंह चौहान के साथ जो हुआ है, उसकी इन्क्वायरी सी0आई0डी0 इन्सपेक्टर को दी है। मेरा एलिगेशन है कि एक आदमी को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ने करनाल से मंगाया था, आप इन्क्वायरी इन्सपेक्टर से करा रहे हैं । डी0 आई0 जी0 से इन्क्वायरी होनी चाहिए और वहां से उसका ट्रांसफर होना चाहिए । आपने कुछ आंकड़े पढ़े। आपके मुंह पर करारा तमाचा है, 26 जनवरी के लिये, महामहिम राष्ट्रपति का संदेश जनता के लिए । उसमें कहा है कि जनता में सुरक्षा की भावना स्थापित कीजिये। महामहिम राष्ट्रपति आपकी सरकारों के लिये कहते हैं कि लोगों के अन्दर सुरक्षा की भावना स्थापित कीजिये।

आपने एक्शन की बात कही मुख्य मंत्री जी । मुजफ्फरनगर में मीरगंज का एक इनकाउण्टर हुआ, रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, एक्शन लेकर दिखाइए।

गन्ने की बाबत आपकी नीति पर मैं बजट की साधारण चर्चा पर बोलूंगा तो पूरा चिट्टा खोलूंगा। मैं उसके सम्बन्ध में अभी बोलना नहीं चाहता हूं। आलू की स्थिति प्रदेश के अन्दर क्या है, प्रदेश में जाकर देखिये, सब बताइए।

आपने हरिजन और पिछड़े वर्ग की बात कही...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

गन्ने की स्थिति पर मैं सामान्य चर्चा पर बोलूंगा लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने गन्ने के दो भाव तय कर रखे हैं पूर्व एवं पश्चिम के लिये गन्ने का एक भाव रखना चाहिये।

(व्यवधान)

यह रिकवरी का कोई बहाना नहीं होता है। बस्ती की मिलें भी इतनी ही रिकवरी देती हैं, जितनी मुजफ्फरनगर की देती हैं।

आपने श्रमिकों की साझेदारी की बहुत सी बातें कही हैं। जब हम और आप चलेंगे पब्लिक मीटिंग में, मैं भी आ जाऊंगा आप भी आ जायेंगे, तय हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय सदस्य, मुजफ्फरनगर बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। मैं और आप दोनों एक पब्लिक मीटिंग में आ जाऊं या सरकारी मीटिंग हो जाय। श्रमिकों की भागेदारी की बात जो आयी। श्रीमन्, इससे पहले जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं उसमें आपने कितने श्रमिकों को भागीदार कर दिया है?

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री नकली सिंह–

जी हां, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष–

तब कहिये।

श्री नकली सिंह–

मैं यह कहना चाहता हूं नेता विरोधी दल कि मुन्दर डाक् क्या बहुत भला आदमी था जिसका . . .

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(श्री नकली सिंह के कुछ बोलते रहने पर)

यह माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा और कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैंने कहा कि प्रदेश में जितने सरकारी प्रतिष्ठान हैं आपने अपनी ईमानदारी के लिहाज से कितने भागीदार उसमें दिये हैं। आपने अपना प्रयास किया है वहां फैक्ट्रियों में मिल मालिकों की जो पाकेट यूनियन होती हैं, उसमें प्रयास करके आपने कुछ को भागीदार बना दिया जो कि उन्हीं के आदमी थे। उसमें आपने क्या किया? खाली यह नारेबाजी है जैसी कि आपकी आदत है।

आपने रैलीज इण्डिया में क्या किया? यहां माननीय मंत्री जी हर चीज को कांग्रेस (आई) के पैमाने से नापना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आप हमारी यूनियन से संबंधित हो जायं। मैंने इस सदन में रजापुर यूनियन के बारे में कहा था। वहां के श्रमिक इनके कब्जे में आ जायं तो यह कुछ करेंगे।

श्रीमन्, एक बात आपने बहुत अच्छी कही। माननीय मुख्य मंत्री जी का जैसा भोला चेहरा है, भाषा भी संयत है और मधुर भाषण कर आप विपक्ष का सहयोग लेना चाहते हैं प्रगति और देश के उत्थान के नाम पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके

[श्री राजेन्द्र सिंह]

माध्यम से सारे सदन से कहना चाहता हूं कि विपक्ष आपकी सही आकांक्षाओं में कभी रोड़ा नहीं बनेगा, अपना सही सहयोग देगा लेकिन आपकी नियत हमें परखनी होगी। हम आपकी नीयत को परखेंगे तभी देश के उत्थान के लिए देश की प्रगति के लिए विपक्ष आपका सहयोग करेगा।

अभी आपने यहां पर विकेन्द्रित योजना की बात कही। सभी को पता है कि जिलों में एक कमेटी बना दी है उसमें अध्यक्ष हैं वहां के डी0 एम0 और दूसरे अधिकारी जो कि प्रिसाइड करते हैं इसलिये विधान सभा के सदस्य उसमें हिस्सा नहीं ले पायेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग उसमें खुशामद करके चले जाते हों। लेकिन सैकड़ों ऐसे माननीय सदस्य हैं जो कभी भी उस कमेटी में नहीं जाना चाहते हैं जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी या कोई दूसरा कर्मचारी करना चाहता है, फिर सहयोग कहां रहा?

श्रीमन्, यहां पर एक प्रश्न आया रोडवेज के बारे में कि यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के अन्दर आज जो श्रीमन्, जो लास हो रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य जो कि कांग्रेस (आई0) के हैं, ने एक सुझाव दिया कि माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो उसका परीक्षण करे। लेकिन इसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि माननीय सदस्यों की एक कमेटी उसका परीक्षण करने के लिये बना दी जाय।

श्रीमन्, फिर एक बात आती है। आप यहां कहते हैं नामांकन की बात और फिर कहते हैं कि जिला परिषदों का चुनाव करायेंगे। आप जा रहे हैं ब्लाकों तथा जिला परिषद् का चुनाव कराने, इसके बाद तो एम0 एल0 सीज0 के चुनाव ऊपर से होंगे। श्रीमन्, ये चुनाव वास्तव में नामिनेशन हैं...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, क्षमा करें, उसी पत्र के सन्दर्भ में आ गयी हैं चीजें, जब आप कहेंगे, पेश कर दी जायेंगी।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आप चुनाव कराने जा रहे हैं तो इससे अच्छा होता कि आप नामिनेशन कर देते। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि आगे चल कर आपकी नीति है कि प्रदेश के बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये और बजट का 30 प्रतिशत जिलों को दे देना है, जो योजनायें बनायेंगे, जिला परिषद् या ब्लाक बनायेंगे और नामिनेशन के जरिये आप कांग्रेस (आई0) का अड्डा बनाने जा रहे हैं। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए जो आपकी भावना है, जिस नीयत से यहां घोषणा की है, उसी तरह से नामिनेशन में भी विपक्ष का सहयोग लें। ये श्रीमन् विपक्ष का सहयोग नहीं चाहते हैं केवल भाषण देते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के बारे में आपने कहा, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि अगर उसी तरह से जबरदस्ती नसबन्दी करा कर, जैसे पहले जीप देख कर लोग भाग जाते थे, उसी तरह से अगर होगा तो शायद हम फिर विरोध करेंगे लेकिन जैसे डेमोक्रेटिक सेट-अप में होता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष का पूरा सहयोग होगा।

हमने पिछले दिनों पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया था, कल अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिला, एक चीज बड़ी भयावह है, लाया हूं। 21 जनवरी को मेरे क्षेत्र में जनपद अलीगढ़ में इगलास तहसील में, गोंडा थाने के अन्दर, 20 तारीख को पिपली के ग्रामवासियों ने दो बदमाशों को मार गिराया। दो बदमाश डकैत सड़क के किनारे भट्टे पर आये थे, उसी तरफ 4 सिपाही आये, वहां के लोगों ने कहा कि बदमाश

गये हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ा, तीन तो उतर गये और एक सूचना देने थाने चला गया, फायर किया गया और डकैत भागे, आगे जाने के बजाये सिपाही पीछे रह गये। 7-8 किलोमीटर तक का चक्कर लगाया गांव वालों ने। श्रीमन्, एक चन्द्र पाल था, हमारा अध्यापक, उसने हथियार वाले डकैत को पीछे से पकड़ लिया। डकैत 315 बोर की राइफल से लगातार फायर करता रहा, 2-3 आदमी जख्मी हुए, मारा गया गांव का लड़का और बाद में पुलिस ने एक को बाद में गोली मार दी, डकैत के ऊपर 6 सौ रुपये का इनाम था, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसका पता लगायें, पिपली गांव के लोगों ने इस तरह की बहादुरी की और खाली ईंट और पत्थरों से उनका मुकाबला किया, एक हथियार और मिला जो वे लोग छोड़ कर भागे थे। मान्यवर, उस गांव की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चन्द्र पाल सिंह को उन्होंने चैलेन्ज दिया है, केवल 3-4 किलोमीटर क्षेत्र के लोग थे। लाइसेन्स के लिए निवेदन करना है कि वहां के लोगों को आर्म्स दिये जायं, खासतौर से चन्द्र पाल को जिसने डकैत को पकड़ा। गांव वाला जो मारा गया है उसको आर्थिक सहायता दें और जो जख्मी हुए हैं उनको भी आर्थिक सहायता देने की मेहरबानी करें। ऐसे लोगों को वीरता के लिए पुरस्कृत करें। इसी तरह से 23/24 की रात को भी 24-25 आदमी आये और 40-50 हजार का सामान लूटकर ले गए। 17/18 जनवरी की रात को भी 24-25 आदमी आए 6-7 मकानों को लूटा। गांव के 12 आदमियों के छर्रे लगने के बावजूद भी चोरी का मामला दर्ज किया है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करवायें और यह चाहता हूं कि वहां पर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था करवायें। वहां पर भी एक जघन्य अपराध किया जैसा कि आपकी पुलिस ने बागपत में किया था। गांव की महिलाओं को नंगा करके छोड़ गए। इससे ज्यादा कुकृत्य कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इसमें उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें। महिलाओं को नंगा करने का काम और रात में आने का काम, यह सब जघन्य अपराध हैं। आप इनकी जांच करवायें और गरीबों को आर्थिक सहायता की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आपने कहा कि मैनपुरी में एक एनकाउन्टर हुआ था। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आपने मंगाई थी।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

कुछ पालिटिकल एनकाउन्टर जो अभी हो गया है, उसका विवरण आप दें। आप तो सिर्फ पुलिस एनकाउन्टर्स की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

जब कोई कड़वी बात आती है तो आप सुन नहीं सकते हैं। हमने पूरे डेढ़ घण्टे मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुना। अगर पालिटिकल एनकाउन्टर है तो सत्ता आपके हाथ में है। हम किसी भी विभाग में हर तरह की इन्क्वायरी के लिए तैयार हैं। चौधरी चरण सिंह ने तो यह चैलेन्ज दे दिया था कि सत्ता पक्ष के 2 हरिजन चले जायें। मैं अब सत्ता पक्ष के विधायकों की कमेटी की बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि इनमें आत्म सम्मान नहीं रहा। यदि आपमें हिम्मत है तो आप भी सदन की एक कमेटी माननीय अध्यक्ष द्वारा बनवा दीजिये। एक परमानेंट हाईकोर्ट का जज बैठा दीजिए। जो शिकायतें आयेंगी उनको वह देखे। ऐसा होना चाहिए।

इसके साथ ही यह कहा गया कि अलीगढ़ में एक पेट्रो केमिकल प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। यह भी कितना बड़ा मजाक और असत्य है। सन् 75 में यू0 एन0 ई0 के शेख आये थे तब वहां पर छात्रों ने उनसे मांग की थी पेट्रो केमिकल प्रोजेक्ट की तब उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रु0 का चेक दिया था। यह उसी समय का चेक है जिसको अब आपकी सरकार यूटीलाइज कर पाई है। यह आपकी सरकार का कोई प्रयास नहीं है। यह तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मांग की थी जिसको शेख ने स्वीकार कर लिया था।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ जहां मुख्य मंत्री जी ने कुछ जिलों के नाम लिये वहां बस्ती और गोरखपुर को छोड़ गये । बस्ती और गोरखपुर में डकैती और हत्याएं किस कदर हो रही हैं इस पर आपको रोक लगाने के बारे में सोचना चाहिए । इसकी आप इन्क्वायरी करा लें । हम विरोधी पक्ष में हैं इसलिए यह चार्ज नहीं लगा रहे हैं । सत्ता पक्ष में होते तो हम अवश्य ही इसकी रोकथाम की कोशिश करते । आप इनक्वायरी करा लें और तथ्यों को सदन के सामने रखने का कष्ट करें। इसी तरह से गोरखपुर जिले के महाराजगंज का एक मामला है जहां पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा था । मुख्य मंत्री जी को वहां कांग्रेस आई0 की किसी मीटिंग में जाना था लेकिन वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कह कर कि इससे हमारे फंकशन में बाधा पड़ सकती है और यह कह कर उन बदमाशों को छुड़वा दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि पब्लिक लाइफ और घरेलू लाइफ में अन्तर नहीं होना चाहिए । पब्लिक लाइफ और घरेलू लाइफ का कम्पार्टमेंट अलग-अलग नहीं बनाया जा सकता । इसलिए प्रदेश की जनता के सामने तथ्यों को आना चाहिए । आपने अपने मंत्रिमंडल में कैसे-कैसे लोगों को रख लिया है उनके सारे कारनामें सदन के सामने आने चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने गन्ने की बात कही है । तो आपके दल के एक सदस्य ने ही 30 रु0 प्रति क्विंटल की मांग की है । पार्टी बेसिस पर इसे न देख कर आप निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करें और गन्ने का मूल्य कम से कम 30 रु0 कर दें । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को रखता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन मेरे इस संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा ।

*श्री बल्देव सिंह आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैंने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया था उसके ऊपर इधर के माननीय सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, नेता विरोधी दल से मैं अपेक्षा करता था कि वे आलोचना के साथ-साथ कुछ ऐसे सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे जिन सुझावों से सरकार को काम करने में मदद मिलेगी और प्रदेश की जनता को कुछ और राहत मिल सकेगी। किन्तु उनके भाषण से मुझे बहुत ही मायूसी हुई। उन्होंने एक मूस को पकड़ा और अन्य विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने उसी को उछाला है । वह यह कि हरिजनों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उन ज्यादतियों को लेकर वे अपनी पूंजी बनाना चाहते हैं लेकिन जिनको हरिजनों की समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मालूम है, उनको ज्ञात है कि चाहे वे कितनी ही कोशिश करें वे हरिजनों को अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं और हरिजन उनके साथ नहीं हो सकते हैं। हरिजन इस बात को समझ गये हैं कि वास्तव में हरिजनों की आर्थिक व सामाजिक समस्या का हल कांग्रेस आई0 ही कर सकती है। उनकी एक मात्र नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं जो उनकी समस्याओं को हल कर सकती हैं। इसलिये घड़ियाली आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने टेस्ट करके देख लिया है। उन्होंने पहले इस बात को समझा था कि हरिजन उनके साथ आ जायेंगे लेकिन वे सभी उस टेस्ट में फेल्योर रहे। कोई रचनात्मक काम हरिजनों के लिए आपने नहीं किया है और न आपको वह तौर तरीका आया है जिससे कि हरिजनों को अपनाया जा सके। खाली घड़ियाली आंसू बहाने से हरिजनों का हित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने वाला नहीं है ।

सरकार ने उत्तर प्रदेश में हरिजनों के उत्थान के लिए जो कार्य प्रारम्भ किये हैं उनके बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं । इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजन आसानी से आप का साथ देने वाले नहीं हैं। हरिजनों के लिए आप ने क्या किया है? आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मालूम है। गांधी जी ने अनशन किया, पूना पैक्ट बना, संविधान रचना में हरिजनों को स्थान दिया गया, जवाहर लाल जी ने हरिजनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज इन्दिरा जी उसी परम्परा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आज का हरिजन इंदिरा जी के साथ है। मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं आप के सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि 15 तारीख 'भारत बन्द', 19 तारीख दो दिन 'भारत बन्द' का नारा इन्होंने दिया था । श्रमिकों के बारे में सवाल उठाये गये । हमारे प्रदेश के श्रमिक अपनी भूल को समझ कर, और इस प्रदेश में श्रमिकों के लिये जो काम हो रहे हैं, उन को देखते हुए इनके नारे के साथ शामिल नहीं हुये। यह सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है और श्रमिक भी बधाई के पात्र हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं श्रमिक आन्दोलन के सिलसिले में। अभी भी शायद हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में वनों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए कुछ हुआ हो मुझे नहीं मालम । लेकिन यू0 पी0 गवर्नमेंट ने उनकी समस्याओं के सुलझाने के लिए, उन की समस्याओं को समझने के लिए और उन को राहत पहुंचाने के लिए कमेटी का गठन किया है और वह गठन इसलिए किया है कि वह सरकार को अपनी रचनात्मक रिपोर्ट दे ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर उन का कुछ हित हो। खाली नारा देने से श्रमिकों का हित नहीं हो सकता। श्रमिक तभी साथ आयेंगे जब उनके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात होगी ।

माननीय फखरे आलम ने एक बात कही है । उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुसलमान सब एक हैं । मैं मानता हूं उनके विचार बिल्कुल सही हो सकते हैं अपनी जगह पर लेकिन इस प्रदेश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो समय-समय पर भड़काते रहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आर0एस0एस0 और संघ इस प्रदेश में ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिस से अल्पसंख्यकों को हमेशा भय बना रहता है, उनके दिलों में शंका बनी रहती है। आप कहते हैं कि सब ठीक है, हिन्दू, मुसलमान एक है। हम तो उनके लिए जीवन भर काम करते रहे, गांधी जी जीवन भर काम करते रहे, माननीय इन्दिरा गांधी जी उन्हीं के लिए काम कर रही हैं कि देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता बनी रहे ।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां कुछ तत्व समय-समय पर ऐसा काम करते हैं जिसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ भी होती है। मैंने कहीं पढ़ा कि एक इस्लामिक कल्चरल सेन्टर लन्दन में बना है। वह कहता है कि रुपया पैसा इकट्ठा करो हिन्दुस्तान के हरिजनों को प्रलोभन देकर उन से इस्लाम धर्म स्वीकार कराओ। यहां भी यूथ इस्लामिक सेन्टर है । वह भी इस चीज को करता रहता है । यहां पर ऐसी स्थिति है। हम इसलिये यू0 पी0 गवर्नमेंट के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो साम्प्रदायिक भावना इस प्रदेश में उभर रही थी, उस को दबाने का पूरा प्रयास किया है और इस समय हमारे प्रदेश में शान्ति स्थापित है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस (आई) उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से गांधी जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी बराबर काम करते रहे । और आज इन्दिरा जी जिस तरह से चाहती हैं जिससे कि हिन्दू और मुस्लिम एकता बनी रहे और जो छोटी-छोटी बिरादरियां यहां पर हैं जो कि जातिवाद को उभाड़ती हैं और उसकी वजह से हरिजन उत्पीड़ित होते हैं और उन्हें तकलीफ होती है। मान्यवर, अगर सचमुच में जो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमारे

[श्री दल्देव सिंह आर्य]
देश में चल रही है, उसको कायम रखना है तो उसको बनाये रखने के लिये विरोधी दल भी सत्ता पक्ष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करे और जो यहां पर विषमता है, जो मतभेद हैं, उनको दूर करना होगा । विरोधी दल के रूप में आप यहां पर बैठिये लेकिन कुछ रचनात्मक सुझाव भी आप दीजिए, जो कि राष्ट्र के हित में हों, प्रदेश के हित में हों । ऐसे सब कामों में हम सबको एक रहना चाहिए ताकि देश की राष्ट्रीयता, एकता बनी रहे, साम्प्रदायिकता का भाव न पनपने पाये ।

मान्यवर, मैं अन्त में माननीय विरोधी दल के नेता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें जिससे यह पता चल सके कि वे सहयोग की बात करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता के हित में करना चाहते हैं । साथ ही मैं दूसरे माननीय सदस्यों से भी जिन्होंने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं, यह अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने प्रस्तावों को वापस ले लें। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

(नेता विरोधी दल से)—क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है–

विगत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े समूह में दस्यु गिरोह निरीह जनता की हत्या कर रहे हैं। बेहमई जामई की सामूहिक हत्या का घाव भरा भी नहीं था कि देवली और साढ़ूपुर में गरीब हरिजनों की सामूहिक हत्या कर दी गई, अब तो इटावा में भी इसी तरह की हत्या हुई है। इन सामूहिक हत्या को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ फर्जी मुठभेड़ के नाम हजारों निर्दोष व निरीह लोगों की हत्या करने वाले पुलिस अधिकारियों को शासन की ओर से पुरस्कृत किया जा रहा है । फर्जी मुठभेड़ों में भी गरीब लोगों की हत्याओं की कोई जांच अभी तक शासन ने नहीं कराई।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्यों की सांठ-गांठ दस्यु गिरोहों से है। मंत्रिमण्डल के तमाम मंत्री और उनके परिवारजन खुले रूप से समाज के अपराधी तत्वों से सांठ-गांठ किये हैं । मंत्रिमण्डल के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाये गये लेकिन उनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी । जिसमें नतीजा हुआ है कि मंत्रियों की देखादेखी प्रदेश के सम्पूर्ण प्रशासन में भ्रष्टाचार घर कर गया है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मंत्रिमण्डल व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच नहीं कराई गई।

उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं, गन्ने एवं आलू के वाजिब दाम के लिये संघर्ष करते हुये सड़क पर निकले। कृषि में लगने वाले सभी सामग्रियों के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ाये गये लेकिन कृषि से उत्पादित वस्तुओं के दामों में किसी तरह वृद्धि नहीं हुई जिससे किसानों की आर्थिक हालत जर्जर हो गयी है। वहीं वितरण व्यवस्था लचर होने के कारण उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामान नहीं मिल रहा है। आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए सरकार की कोई सोद्देश्य नीति नहीं है । नतीजा यह है कि काला बाजार बड़ी तेजी से पनप रहा है और उत्तर प्रदेश से बाहर नेपाल के रास्ते चीन तक आवश्यक उपयोग की वस्तुओं की तस्करी हो रही है ।

आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सत्र नियमित नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और पक्षपात चल रहा है। कई जगह विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज और गोली वर्षा हुई। पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां, उचित मात्रा में नहीं दी गयी और उनके नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विद्युत का भीषण अकाल है जिनके चलते हुए उद्योग और कृषि दोनों का उत्पादन ठप्प हो गया है। आर्थिक प्रगति की रफ्तार मन्द पड़ गयी है और वहीं दूसरी तरफ शासकीय फिजूलखर्ची आसमान छू रही है। मंत्री व प्रशासक अपनी सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रहे हैं।

यह सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने, दामों की लूट रोकने, किसानों को वाजिब दाम देने, विद्यार्थियों–मजदूरों के हितों के संरक्षण में विफल रही है। साथ ही साथ इसने प्रशासकीय फिजूल खर्ची को बढ़ाया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

इसके साथ ही शेष संशोधन भी अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाय, आप ही बताइये। बैठ जायं, शान्त रहें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 जनवरी, 1982 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मुख्य मंत्री जी की तकलीफ तो दूर कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

वह इसके पश्चात् आयेगा।

नियम 51 की आज 6 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन और श्री राम गोविन्द चौधरी की जनपद रामपुर में लालपुर ग्राम के निकट कोसी नदी पर बने पुल के गिरने के सम्बन्ध में है, नियम 51 में वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई है। शेष सब अस्वीकृत हुईं।

श्री रियासत हुसैन–

बयान कब देंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, अभी कहें तो बता दूं। कल दे दूंगा।

(व्यवधान)

एक निवेदन है कल न रखें मुझे कल एक काम है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कल 28 तारीख को दो और है किसी और दिन कर लेते हैं। पहली तारीख को कर लेते हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है पहली तारीख को दे दूंगा।

आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के मध्य मुख्य मंत्री द्वारा उद्धरित भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह के पत्र की मूल प्रति उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? वह प्रति आपको प्राप्त हुई?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

मान्यवर, आपके समक्ष मुजफ्फरनगर इनक्वायरी कमीशन के सम्बन्ध में जो जस्टिस आर0 ए0 मिश्रा ने कहा है, प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी कापी आपके पास भेजी जा चुकी है (व्यवधान) केवल दो चार वाक्य में कहूंगा। पृष्ठ 33 में है मान्यवर, "इन दिस कनेक्शन नोटिस हैज आलसो बीन टेकन आफ दि परसनल लैटर डेटेड 18 जुलाई . . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, सुन तो लीजिए। उसमें है . . .

"इन दिस कनेक्शन नोटिस हैज आलसो बीन टेकन आफ दि परसनल लैटर डेटेड 18 जुलाई, 78 (एक्जिबिट सी/1–48/सीडब्लू 35) इन व्हिच श्री चरन सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया एडमिटस टू हैव रिटन टू श्री राम नरेश यादव, दि देन चीफ मिनिस्टर आफ यू0 पी0

और पृष्ठ 35 पर (व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

पृष्ठ 35 पर . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप लेटर पूरा अपने पास मंगा लें और उस पर साइन देख लें। उसमें उसकी आथेंटिसिटी आपको देखनी है।

श्री हुकम सिंह–

यह मान्यवर, किस विषय पर बोल रहे हैं? सवाल तो यह है कि जिसको उन्होंने पढ़कर सुनाया और जिसके लिए वह कहते हैं कि यह केन्द्र के गृहमंत्री ने प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा है, तो यह उस पत्र की प्रतिलिपि आपके पास पेश करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अब औचित्य का प्रश्न आ गया।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

अगर आपके पास कापी आ गई हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने पहले कहा था कि कापी मेरे पास आ जाएगी। फोटोस्टेट कापी आपको प्राप्त हो तो बता दें। इनसे हमें क्या सुनना है। आप अपनी पीठ से कापी की प्राप्ति के बारे में देखकर बता दें, उसे पढ़ें मत।

श्री अध्यक्ष–

कहने तो दीजिए, मैं इसको देखकर बताऊंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपके पास इसकी प्रति गयी है। इसमें स्पष्ट है कि जस्टिस मिश्र ने यह कहा कि एक पत्र 18 जुलाई, 78 को, जिसको मैंने पढ़ा है, एक्जीबिट के रूप में, इनके कागजात सी0 डब्लू0–35 ओरिजनल फाइल में है कि श्री चरन सिंह,

एक्स प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया एेडमिट्स टू हैव रिटेन टु श्री राम नरेश यादव दि देन चीफ मिनिस्टर आफ यू0 पी0 . . . (व्यवधान) यह यहां पर उद्धरित है रिपोर्ट के अन्दर। आप इसको देख सकते हैं (मुख्य मंत्री ने कमीशन की रिपोर्ट अध्यक्ष के पास भिजवाई)।

श्री रियासत हुसैन–

मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं, सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री ने एक पत्र पढ़कर सुनाया जिसे उन्होंने कहा कि यह एक्स प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया, चौधरी चरण सिंह का यहां के शासन के प्रमुख मुख्य मंत्री जी को लिखा हुआ है। आपके पटल पर उसे उन्होंने प्रस्तुत होने से पहले नहीं पहुंचाया। इसलिये उसकी औथेन्टिसिटी के बारे में सदन के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आपकी स्पष्ट रूलिंग है कि आज को सिटिंग उठने से पहले वह उसकी ओरिजिनल कापी या उसकी फोटोस्टेट कापी आपके पटल पर पहुंच जानी चाहिए। जो यह बता रहे हैं, यह तो खुद डाकूमेन्ट है। आपने ओरिजनल या फोटोस्टेट कापी मांगी थी, जिस पर चौधरी चरण सिंह के दस्तखत होने चाहिए थे, इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

वह पत्र कमीशन की ओरिजनल फाइल में एक्जीबिट है, जिसका जज साहब ने हवाला दिया है . . .

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं।)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, आपकी पीठ से बड़ी स्पष्ट नोटिस दी गई कि जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वह ओरिजनल या उसकी सत्यापित या फोटोस्टेट कापी होनी चाहिए। वह यहां पेश की जाए। जिसको उन्होंने पढ़ा है, यह तो केवल कमीशन की एक रिपोर्ट है। जिस लेटर का हवाला देकर उन्होंने कहा है, जिसका उसमें जिक्र भी आ गया है, तो जो आपके पास टाइप्ड कापी थी, वह इसी रिपोर्ट से ली गई थी। यह बात अपनी जगह यहां स्पष्ट हो गई है क्योंकि यहां पर यह कहा गया था कि एक सरकारी पत्रावली में से किसी पत्र का उद्धरण दिया। अगर उसकी मूल रूप में या उसकी फोटोस्टेट कापी पेश कर सकते हैं तो ठीक है। मेरा एतराज केवल यह है कि किसी कमीशन के निर्णय को लेकर, जज के फैसले को लेकर क्या उसके उद्धरण को दे सकते हैं?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, ये अपने दिमाग के दिवालिएपन का परिचय दे रहे हैं। जब जज साहब की रिपोर्ट को एक्जीबिट कर दिया गया है जो कि एक पब्लिक डाकूमेन्ट है, तो वह मान्य होता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरे व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपने व्यवस्था दी थी और वह बिल्कुल स्पष्ट दी थी, यह दूसरी बात है कि हम उससे संतुष्ट नहीं थे, अगर वह पत्रावली गोपनीय है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने संविधान के तहत गोपनीयता की कसम खायी थी तो इससे एक और कड़ी बीच में फंस गयी है। अब ये पब्लिक डाकूमेन्ट को पेश करना चाहते हैं। मान्यवर, आपने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह पत्र मूल रूप में या

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

उसकी फोटोस्टेट कापी पेश की जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इससे सदन को गुमराह किया है। किसी के दस्तखत उस पत्र पर नहीं, उसकी फोटोस्टेट कापी भी नहीं, तो जो आपने निर्देश दिए थे, उसके संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उस पब्लिक डाक्युमेंट का रिफरेन्स देना आपके आश्वासन के अनुरूप होगा?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर एक अंग्रेजी का पत्र पढ़ा और उसका हिन्दी रूपान्तर भी पढ़ा। आपका मतलब यह था कि उस पत्र की प्रमाणिकता के लिये उसकी फोटोस्टेट कापी मांगी। उसके बाद में पूरी पुस्तिका आपके पास भेज दी जिसमें कमीशन की इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि पत्र ओरिजनल फाइल में एक्जीबिट के रूप में है और जिसमें लिखा है कि उसमें एडमिट किया है तो इस पत्र की प्रमाणिकता स्वत: सिद्ध हो चुकी है। इस सदन में केवल शब्दों से नहीं आपकी फीलिंग की भावना के अनुसार इस पत्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने की है। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि कोई डाकुमेन्ट पेश होना चाहिए। इसकी 500 प्रिंटेड कापियां विधान सभा सचिवालय को भेज दी गयी है। यह एक पब्लिक डाक्युमेंट है इसके बारे में कोई कांफिडेंशियल चीज नहीं है। यह रिपोर्ट छप चुकी है। अत: इस पत्र की प्रामाणिकता स्वत: सिद्ध है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओझा जी, आप बैठ जायं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर आपने एक व्यवस्था दी थी। उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एविडेन्स ला का एक नियम है कि जो चीज पहले उद्धृत की गयी है, वह दूबारा पेश होगी। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस समय माननीय मुख्य मंत्री ने उद्धरण दिया था तो जांच कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करके उद्धरण दे सकते थे उस समय उसे कोई चुनौती न देता। मान्यवर, आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं। सदाशय के कारण पढ़ने की अनुमति दी लेकिन जो पत्र हस्ताक्षरित नहीं है, उसकी फोटोस्टेट कापी भी नहीं है तो आपने ठीक ही व्यवस्था दी कि या तो उस पत्र की मूल प्रति उनकी दी जाय या उसकी फोटोस्टेट कापी दी जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मुझे पूर्ण विश्वास है, चौधरी चरण सिंह के पत्र जो उन्होंने श्री राम नरेश यादव, तत्कालीन मुख्य मंत्री को भेजा था का उद्धरण देते समय जांच कमीशन की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया था।

आप मान्यवर, कार्यवाही उठाकर देख लें, आपके संज्ञान में बात आई थी, आपने व्यवस्था दी थी। दूसरी बात मान्यवर, यह भी इवीडेंस का नियम है कि जिस समय जो जांच आयोग की रिपोर्ट है, क्या उसके इक्सट्रैक्ट को भी बगैर आपकी सूचना के पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता है। मान्यवर, जितनी भी कार्यवाही इस प्रकार की हुई है, उसे इस आदरणीय सदन की कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दें और नेता सदन को चेतावनी दें कि वह अपने पद का लाभ उठाकर पत्रावलियों के अन्दर में जो पत्र आदि रहते हैं, अनर्गल रूप से उन पत्रों को पेश कर वह सदन का समय जाया न करें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग बिलकुल नहीं किया है। किसी पब्लिक डाकुमेन्ट का उद्धरण करना, यह अनुचित नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह उसकी मूल प्रति लायें । मुख्य मुद्दा यह है कि वह डाकूमेंट प्रमाणिक है कि नहीं?

(व्यवधान)

मान्यवर, पत्र लेखक ने मंजूर किया है । यह स्वयं सिद्ध चीज है..... ।

श्री उदल–

मान्यवर, ब्रह्मदत्त जी जो कला में बड़े प्रवीण हैं, दो वर्ष पहले अगर इनके विधान परिषद् में जितने भाषण हुए हैं, उसको आप अगर मंगा कर देख लीजिए, तो इनकी कला प्रवीणता साफ साबित हो जायगी मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दी थी कि फोटोस्टैट कापी आपके पास आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जो लेटर लिखे जाते हैं उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके पहले भी हवाला दिया था और उसके बाद के लेटर का भी हवाला दिया और कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जो लेटर प्राइवेट डाकूमेंट होता है और वह जब कोर्ट की प्रोसीडिंग में पहुंच जाता है, तब वह पब्लिक डाकुमेन्ट हो जाता है और कोई भी जज उसको प्रूफ कराने के बाद जब भी उद्धृत करता है, तब वह पब्लिक डाकूमेंट हो जाता है । ऐसा प्राविधान है । मान्यवर, जब कोई भी लेटर पेश किया जाता है कोर्ट में तो वह प्राइवेट डाकूमेंट होता है । लेकिन जब वह प्रूव हो जाता है, तब वह पब्लिक डाकूमेंट हो जाता है। यह चूंकि प्रमाणिक है, इसलिए यह पब्लिक डाकूमेंट है।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, जब आपकी यह व्यवस्था हो चुकी है कि ओरिजिनल लेटर वह आपके सामने प्रस्तुत कर दें, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने ओरिजिनल पत्र आपके सामने नहीं रखा । मान्यवर, इस बात को आप ज्यादा जानते हैं और थोड़ा सा मैं भी कानून जानता हूं। अगर प्राइमरी इवीडेंस मौजूद है, तो सेकण्डरी इवीडेंस नहीं पेश होती है। तो मान्यवर, अगर ओरिजिनल डाकूमेंट है, तो वह आना चाहिए और वह डाकूमेंट सदन के सामने पेश होना चाहिए । अगर आपके सामने ओरिजिनल डाकूमेंट नहीं आता है, तो सदन की कार्यवाही में वह तमाम बातें नहीं आ सकती हैं। आप व्यवस्था दे चुके हैं कि मुख्य मंत्री जी ओरिजिनल डाकूमेंट दें । अब इसको राइट ट्रेक नहीं किया जा सकता है। यह किसी जज का जजमेंट है। वह जजमेंट किसी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है। सेक्शन 145 के तहत यह बिल्कुल इरर-लेवेन्ट है और बिल्कुल एडमिसिबिल नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, यहां पर जिस रूप में माननीय मुख्य मंत्री ने एक टाइप पत्र पढ़ना शुरू या सदन के एक-एक सदस्य और जितने लोग सुन रहे थे, सब इस नतीजे पर पहुंचे र ऐसा लगा जैसे चौधरी चरण सिंह का वास्तविक पत्र ओरिजिनल पत्र माननीय मुख्य

[श्री मोती लाल दहेलवी]

मंत्री पढ़ रहे हों। आप भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि शायद वास्तविक पत्र मुख्य मंत्री जी के हाथ लग गया है या फोटोस्टेट कापी है। उसको मुख्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं। मान्यवर, यदि आपके सामने यह मामला न आता कि वह पत्र नहीं है तो यह सारा सदन और आप स्वयं गुमराह हो गये होते ।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदन और माननीय अध्यक्ष को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। मान्यवर, यह उचित होगा कि आपकी पीठ से उनकी भर्त्सना की जानी चाहिये जो मुख्य मंत्री ने गुमराह करने की कोशिश की है। आपने जो व्यवस्था दी है, वह ज्यों की त्यों कायम है आपने कहा था. . .

श्री अध्यक्ष–

भूला नहीं हूं मुझे याद है जो मैंने कहा था।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मैं सादर आग्रह करूंगा कि आपकी पीठ से मुख्य मंत्री जी की भर्त्सना होनी चाहिये जो उन्होंने सारे सदन को गुमराह किया है।

श्री त्रिवेनी–

यह व्यवस्था पर बोल रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

एक मंत्री खड़े हैं ऐसी परम्परा है कि उनके खड़े होने पर उनको समय दिया जाय।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मैं नम्रता के साथ सदन के समक्ष जो तथ्य उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि आपका श्रीमन्, विवेक है कि जो साक्ष्य दिया गया उसे आप कार्यवाही में समाविष्ट करें अथवा नहीं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के कुछ कहने पर)

मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूं । बुरे जमाने की पहिचान है कि बुरे को बुरा कहना ज्यादा बुरा है बनस्बित बुरा करने से । मूलभूत और सारवान बात की प्राथमिकता होती है।

(व्यवधान)

बात सही है अथवा गलत। यह मूल प्रश्न है। प्रक्रम गौड़।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही उसका तात्पर्य यह है कि जो कांच के मकान में रहता है वह दूसरों पर ढेला नहीं फेंका करता । प्रश्न यह है कि. . . .

(व्यवधान)

क्या प्रक्रिया सम्बन्धी दोष के कारण मूलतः और सारतः सही बात अनदेखी की जाय। हो सकता है कि प्रक्रिया का दोष हो। सवाल यह है कि प्रक्रिया और प्रक्रम के दोष से किसी मूल तथ्य को ढांका जा सकता है? नहीं ढांका जा सकता है। नेता सदन ने यह कहा है कि जो ऊपर से ऊपर लोग हैं जिनको नमूना और आदर्श होना चाहिए। वे जो ऐसा पत्र लिखने में सामर्थ्यवान हो गये हैं, इस पर बहुत गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मान लें कि जो डाकूमेंट दिया गया है उसको यदि कार्यवाही का अंश न बनाया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कार्यवाही से उसको हटा दिया जाय और जो आरोप हैं वे भी हटा दिये जायं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सत्य को नहीं हटा सकते हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि हमने यहां सदन में देखा है कि ऐन मौके पर पत्र दिये गये हैं (व्यवधान) इस माननीय सदन में चौधरी चरण सिंह ने, श्री चन्द्र भान गुप्त ने, श्री बहुगुणा जी ऐन मौके पर पत्र पढ़े हैं। अब बात यह है कि जो बातें मुख्य मंत्री ने कही हैं

उनमें दम इसलिये है कि हमारी नैतिकता का स्तर ऊंचा होना चाहिये। अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला चाहे, दिल्ली का व्यक्ति हो और चाहे और जगह का हो, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अपराध जहां हो क्षम्य नहीं। मैं समझता हूं कि जो कुछ मुख्य मंत्री ने कहा है, वह अपनी जगह पर ठीक है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

[× × × ×]

[समय 7 बजकर 2 मिनट]

श्री धनी राम वर्मा–

माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा है कि चौधरी चरण सिंह का लिखा हुआ पत्र है और उस पर आपने व्यवस्था दी है कि वह चौधरी चरण सिंह का मूल पत्र या फोटोस्टेट कापी सदन के पटल पर रखी जाय जो नहीं रखी गयी तो निश्चित तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को गुमराह करने के अपराधी हैं और इसलिये उनको क्षमा याचना इसके लिये करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, श्री ब्रह्मदत्त जी बड़े कलाकार हैं । वह जब जेल में नजरबंद थे तो हम भी उनके साथ थे । मान्यवर, पत्र की बात आयी तो मैंने कहा था कि पत्र में साफ-साफ सिगनेचर होते हैं लेकिन जब मुख्य मंत्री पत्र का हवाला दें तो गोपनीयता की बात कह दी जाती है । मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने की बात की है और बाद में कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं ।

कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में कहना चाहता हूं कि उसकी विधिक प्रक्रिया विधायिका की विधिक प्रक्रिया से अलग होती है। चूंकि जूडीशियरी और कमीशन की रिपोर्ट अलग होती है ।

जी0 डी0 खोसला कमीशन और गजेन्द्र गडकर कमीशन को फेस किया है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, यह तो सजायाफ्ता है, कानून को तोड़ने वाले हैं इनको बोलने का क्या हक है। उन्होंने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तीन महीने की सजा मिली है । इनको बोलने का क्या हक है ? इनको बैठाइये । इनको इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री यदुनाथ सिंह–

किसी कोटेड चीज को, विधान सभा में इस तरह से पत्र का हवाला नहीं दिया जा सकता। मैंने कई बार कहा है कि मैं कोटेड चीज को पढ़ना चाहता हूं लेकिन उस पर आपकी मार्शल की व्यवस्था आयी थी ।

श्री हरिदेव–

मान्यवर, क्या सजायाफ्ता को सदन में आने का हक है ? मान्यवर, मैं विधायक हूं इसलिये जानना चाहता हूं कि जिसने तीन महीने की सजा काटी हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, उसको सदन में जनहित में बोलने का क्या हक है? यह मेरा प्रश्न है । (शोर)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर मैं मां की कस्म खाकर कहता हूं . . . .

(शोर)

नोट :–[××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री यदुनाथ सिंह]

मान्यवर, चुनाव करा लिया जाय । विधान सभा भंग कर दें । जिस पत्र का हवाला दिया गया उसमें सिगनेचर होते हैं। सदन की बैठक में इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह फोटोस्टेट कापी है तो आपने उनको मौका दिया और आपने निर्णय दिया । विश्व के इतिहास में यह अंकित होगा कि आपने स्पष्ट निर्णय इस बात में दिया कि मुख्य मंत्री जी को इस उपवेशन में फोटोस्टेट कापी देने की आज्ञा दी जाती है अन्यथा काट दिया जाय । मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं अभी मंगा रहा हूं । और उन्होंने मंगाकर शाह कमीशन की रिपोर्ट या कुछ रख दिया । मान्यवर, आप एक ऐसा निर्णय दें जिससे हमारी आस्था प्रजातंत्र में रहे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख रहा हूं कि बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्यों की अभिव्यक्तियों को सुनना चाहता हूं। मैं अपने ज्ञानवर्द्धन और मनन के लिए सुनना चाहता हूं । तो जो बोलना चाहें वह बोलें ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, इधर भी मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद आपको मौका मिलेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप पहले निर्णय करने की बात को कह चुके हैं । मान्यवर, इसमें लाइट ही नहीं आ रही है ।

श्री उग्दल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले बोल चुके हैं, व्यवस्था के प्रश्न पर ही। और यही व्यवस्था का प्रश्न अब भी चल रहा है इसलिए फिरंगी प्रसाद जी को बुलाया है कृपया आप बैठें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बोलने के दौरान में यह सूचना दी थी कि उनके पास एक पत्र है जिसकी फोटोस्टेट कापी आपको देंगे। किसी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला इस संदर्भ में नहीं है और उनके पास जो उनके दो वकील बैठे हैं एक तो श्री ब्रह्मदत्त जी जो कि कहने में रिफरेंस निकाल-2 कर कह रहे थे, जिन्होंने कहा कि यह बात नहीं हुई है और दूसरे प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी ने डायरेक्ट तो नहीं, हां कहा इनडायरेक्ट वे में यह जरूर कहा कि वह पत्र अलग है जो इस समय उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया नियम की भूल स्वीकार की । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उस पत्र की फोटोस्टेट कापी देंगे। तो मान्यवर, जैसा कि आपने अभी कहा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो कह चुके हैं और हम लोगों को विश्वास भी है कि आप उसी बात पर निश्चित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं आप मुझे सलाह दे रहे हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

श्रीमन्, जो विवाद है वह केवल इतने पर ही है कि मूल पत्रावली जो आपके पास आनी थी और प्रश्न आपके सामने यही है कि जो शाह कमीशन की रिपोर्ट आपके पास इस समय है, उसमें उस पत्र का वर्णन है और जो मूल पत्र में था, वह शाह कमीशन की रिपोर्ट में दाखिल था । अब यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि जो मूल पत्र है वह शाह कमीशन की रिपोर्ट में एग्जिबिट है । सम्भवत: वह पत्र तत्कालीन सरकार के मंत्री द्वारा लिखा गया था, जिसके सदस्य मा0 राजेन्द्र सिंह जी भी थे, कमीशन के जज को प्रेसराइज करने के लिए । वह आपके सामने है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने रख दिया है और आप अब उसे ग्राह्य करते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें ।

श्री रियासत हुसैन–

मूल पत्र कमीशन की रिपोर्ट में एग्जिबिट नहीं है, बल्कि उसको निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर उसकी कापी लगायी गयी है यह कहिये ।

श्री लोकपति–

हां, यह बात सही है, मूल पत्र कमीशन के कागजों में है । मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा एक माननीय सदस्य द्वारा क्लोजर का प्रस्ताव मूव हो चुका है, उस पर विचार करके सदन को स्थगित कराने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

क्लोजर मूव कर दिया, अब तो इस पर विवाद समाप्त होगा, और कुछ नहीं ।

श्री लोकपति–

मान्यवर, स्वीकृति के बाद क्लोजर मूव है ।

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो व्यवस्था का प्रश्न है इस पर कृपया इस तरह की बात न करें और जितना मैं नम्र होकर निवेदन कर रहा हूं उतना ही अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सतर्क भी हूं और इसीलिये मैं इतना नम्र होकर निवेदन कर रहा हूं । इसको मैं भी दुख के साथ ग्रहण कर रहा हूं कि मुझ पर ऐसा रिमार्क किया जाय कि सत्य पर रहिए और ऐसा न कीजिये ।

यह क्लोजर जो आपने मूव किया है, इस पर मत कराने का कोई सवाल नहीं है । व्यवस्था के प्रश्न में मत की बात नहीं होती है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था के पहले एक निवेदन कर दूं । आप अगर ध्यान दें पृष्ठ 34 की ऊपरी लाइनों में । उसमें स्पष्ट रूप से पृष्ठ 34 की प्रथम पंक्तियों में .....

(व्यवधान)

प्रथम पंक्तियों में, जो रिपोर्ट आपको दी है उसका पृष्ठ 34 देख लें । ऊपर कि पंक्तियों में जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि यह पत्र जुलाई, 71 के एग्जिबिट पर फला है और फिर कहा है कि इसको विटनेस अर्थात् चौधरी चरण सिंह ने स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, पृष्ठ 35 को देख लें । पृष्ठ 35 में वह पत्र पूरा उद्धरित है, जो मैंने पढ़ा है । एक पत्र जो कमीशन में पहुंचा हुआ है, उसको आप कहते हैं कि स्थूल रूप में ले आइए । आपने आदेश दिया तो मैं उसकी विश्वसनीयता का सबूत ही पेश कर सकता हूं, वह मैंने कर दिया । इसके बाद आप निर्णय लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा विश्वास है कि सभी लोग जो कहना चाहते थे, कह चुके । इस सम्बन्ध में दो बातें हैं । इस सदन में किसी भी पत्र का किसी भी बात का जब उद्धरण दिया जाता है उसके पहले ही प्रक्रिया के हिसाब से उसको प्रस्तुत करना चाहिये, जैसे माननीय गुप्त जी ने इस प्रश्न को उठाया था, ऐसा होना चाहिये नियमानुसार कि पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाय लेकिन चूंकि माननीय सदस्यगण अपने भाषणों के बीच ऐसे उद्धरण देते थे और उसके बाद वह उसको दे देते थे, इसीलिये इस पर बहुत सख्ती से इस बात का पालन नहीं किया गया । इसी प्रक्रिया में आज इसका भी उद्धरण आया है ।

मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है । मैंने आपकी बातों को सुनकर केवल इतना कहा था माननीय नेता सदन से कि उस, मूल पत्र को या उसकी फोटोस्टेट प्रतिलिपि को यहां दें और जैसा कि माननीय ब्रह्म दत्त जी ने और अनेक सदस्यों ने कहा इस प्रक्रिया के पीछे पृष्ठभूमि है । उसमें यह निश्चित रूप से है कि कोई अनर्गल बात या जो बे बुनियाद हो, उसको यहां न कहा जाय । जहां तक कथन का प्रश्न है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कहा । मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट आपने मुझे दी है । इस संबंध में एक मेरे पास सूचना आज पहले से ही आ चुकी है जिसमें यह है कि सदन के नेता द्वारा मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित मद उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 28 जनवरी, 1982 की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाय ।

'मुख्य मंत्री, मुजफ्फरनगर कैराना जांच आयोग की रिपोर्ट विलम्ब के कारण वह ज्ञापन सहित "कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952" की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे ।'

यह कल की कार्यसूची में शामिल करने के लिये आया है । यह उस रिपोर्ट का एक उद्धरण है – –

(व्यवधान)

कृपया सुन लें । उसका कोई अर्थ निकालने का प्रयास न करें और मेरा बोलना बन्द कर दें ।

मैं निवेदन कर रहा था कि उस प्रक्रिया में निहित उद्देश्य किसी उद्धरण की वास्तविकता है जहां तक यह रिपोर्ट है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है, उससे पत्र की प्रामाणिकता साबित करने में कोई कठिनाइयां नहीं रहती हैं । जहां तक मेरा निर्णय था उसमें कुछ कमी रह गयी है, जल्दी में । जो पत्र यहां उद्धृत किया गया था उससे निश्चित रूप से उस पत्र की प्रामाणिकता प्रमाणित होती है लेकिन जो मेरा निर्णय था उसके हिसाब से कमी रही। उस नियम की वजह से जो मैंने रूलिंग दी थी, उसकी पूर्ति नहीं होती है । जो बात यहां सामने आयी है, ऐसी स्थिति में यह कल रिपोर्ट पेश होने वाली है, कल यह पत्र, जो रिपोर्ट में है, यह सदन की सामग्री होगी और वह सदन का अंग बनेगी ।

इस पत्र में कोई खास बात नहीं है । इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जो आपकी बहस का मुद्दा बन गया है ।

अपने उस निर्णय को संशोधित करने का मेरा अधिकार है परन्तु इस सन्दर्भ में कल पूरी रिपोर्ट सदन में पेश होगी । इसलिये मैं उसको संशोधित नहीं करना चाहता हूं । वह हिस्सा जिसमें यह पत्र का उद्धरण है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री रियासत हुसैन–

मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना और विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके ताद सदन 7 बजकर 24 मिनट पर
अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
27 जनवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए दिनांक 20-1-82 के माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 806 पर)

न्याय विभाग की राय

(1) धनराशि की गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध और यदि सोसाइटी के पदाधिकारी भी षड़यंत्र में शामिल पाये जायं तो उनके भी विरूद्ध क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है।

(2) अनुदान बन्द किया जा सकता है। अनुदान की शर्त में दुरुपयोग पर रुपया वापसी की यदि शर्त हो तो वसूली भी करायी जा सकती है।

(3) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 की धारा 24 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा इनवेस्टीगेशन आफ अफेयर्स आफ सोसाइटी करके रजिस्ट्रीकरण निरस्त किया जा सकता है। सोसाइटी को डिजाल्व कराया जा सकता है।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 816 पर।)

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध विधान मंडल के सदस्यों के ज्ञापनों में लगाये गये प्रमुख आरोप

(1) अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संशोधन पारित करके श्री परिपूर्णानंद वर्मा के आजन्म संस्था के अध्यक्ष बने रहने विषयक प्राविधान को नियमानुसार निबंधक समितियां, चिट फण्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न कराया जाना ।

(2) प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कृषि विज्ञान के शिक्षण हेतु 3/4 एकड़ भूमि की उपज का उपभोग अध्यक्ष द्वारा निजी हित में किया जाना ।

(3) समिति द्वारा स्मारिका के मुद्रण, डाक व्यय आदि का भुगतान स्कूल के खाते एवं रोकड़ बही में अंकित किया जाना ।

(4) समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्कूल के अध्यक्ष को सम्पूर्ण भारत में यात्रा करने करने हेतु रेल विभाग द्वारा फ्री पास मिला होने के बावजूद कतिपय यात्राओं हेतु रेल किराया चार्ज करना ।

(5) समिति द्वारा संचालित उक्त स्कूल में जाति विशेष के अध्यापकों/कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाना ।

(6) कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति ।

(7) कुछ वर्ष पूर्व स्थानीय निधि लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण न किया जाना ।

(8) शिक्षा संहिता के नियम लागू होने के बावजूद स्कूल के लिए की जाने वाली नियुक्तियों में नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृत न लिया जाना ।

(9) स्कूल में प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त श्री रविदत्त शर्मा को नियमों के विरुद्ध अधिक पेन्शन देकर लाभान्वित किया जाना ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 848 पर)

जनपद आजमगढ़ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगे नलकूपों की सूची

क्रमांक	नलकूप सं0 व समूह	ग्राम	विकास खण्ड का नाम	निर्माण का वर्ष	विवरण
1	21 जी0 जी0	हवीव नियामतपुर	फतेहपुर मंडाव	1966–67	..
2	22 जी0जी0	लोहजरा	,,	1966–67	असफल हो चुका है, पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
3	23 जी0 जी0	रसूलपुर आदमपुर	,,	1966–67	..
4	28 जी0जी0	बस्ती बसीनिधियांव	,, ,,	1968–69	असफल हो चुका है, पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।
5	58 जी0जी0	काठ तरांव	—	1972–73	..
6	59 जी0जी0	रामपुर	—	1972–73	..
7	64 जी0जी0	नवादा गोपालपुर	—	1973–74	..
8	65 जी0जी0	तियरा	—	1973–74	..
9	66 जी0जी0	मेठकुल सुल्तानपुर	,,	1973–74	..
10	69 जी0जी0	गजियापुर	,,	1973–74	..
11	70 जी0जी0	विग्रहपुर दुबारी	,,	1974–75	..
12	71 जी0जी0	लक्ष्मीपुर	,,	1974–75	..
13	77 जी0जी0	बिरापुर पिचौरी	,,	1976–77	..
14	78 जी0जी0	मझांवां	,,	1976–77	..
15	79 जी0जी0	मेरोपुर	,,	1976–77	..
16	80 जी0जी0	मुजीडार	,,	1976–77	..
17	81 जी0जी0	मंवरपुर	,,	1976–77	..
18	94 जी0जी0	गौरी सरदा	,,	1977–78	..
19	102 जी0जी0	जोरा साथ	,,	1978–79	..
20	103 जी0जी0	चकेसर	दोहरी घाट	1978–79	..
21	104 जी0जी0	हैदरपुर	,,	1978–79	..
22	118 जी0जी0	मेमडार	,,	1965–66	..
23	119 जी0जी0	काठतरांव	,,	1965–66	..
24	128 जी0जी0	टमठा दुबारी	,,	1980–81	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 861 पर)

संलग्नक

जनवरी, 78 से दिसम्बर, 81 तक जो बंधे जिन खण्डों में स्थानान्तरित किए गये हैं, की सूची निम्न प्रकार है—

1—ड्रेनेज खण्ड 2 बस्ती को हस्तान्तरित बंधे—

ड्रेनेज खण्ड बस्ती से	मदरहा बेहरा डाड़ी, मलदहिया, लोहिया भार कला, रेनताल, बेलाव ताल, मुखलिसपुर, बेलहरा प्रजापति बरपुरवा, प्रजापति कल्यान-पट्टी।
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर से	पनघटिया करमैनी ।

2—बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद को स्थानान्तरित हुए बंधे—

ड्रेनेज खण्ड–2, बस्ती से	मलदहिया, मदरहा बेहरा डांड़ी, लोहिया भार-कला, रेनताल, बैलाछतालू, मुखलिसपुर, बेलहरा प्रजापति कल्यान पट्टी, प्रजापति बरपुरवा।

3—बाढ़ कार्य खण्ड गोरखपुर को हस्तान्तरित हुए बंधे—

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर से	असवनपास गहिराघाट मझ वलिया, ददरी, सेमरा टेढ़िया, कोठा रकहट, रकहट असवनपार , मलाव, कनैल मझगांवां, भौवापार बेला, बिस्तुई, छितौनी मिसिया ।
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती से	डकवा बांध एक्सटेंशन, करमैनी बेलौली, पनघटिया करमैनी ।

4—बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया को हस्तान्तरित बंधे—

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर से	चितहरी थुन्ही, बरही पाथ, तिघरा मराछी बिसोल पिंडरा, पचलहरी पिंडरा करनपुर इटौवा राजधानी सिलहटा, चित्तूपुर, भागल-पुर, तुर्तीपार चुरिया, पाण्डे माझा जोगिया, मदनपुर केवटलिया ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–130 का उत्तर पीछे पृष्ठ 862 पर)

पर्वतीय क्षेत्र में 1980–81 में खोले गए नए राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों की सूची

		स्थान	
क्रम-सं0	जिला	राजकीय हाई स्कूल	राजकीय इन्टर कालेज
1	2	3	4
1	पिथौरागढ़	1––चम्पावत 2––लोहा घाट 3––चौबाटी	1––जौरासी 2––धोरचूला 3––वरम 4––चहज
2	नैनीताल	1––खटीमा 2––हरिपुरा हरिसान	1––लोहाली 2––प्यूड़ा
3	अल्मोड़ा	1––नागरखान 2––खीडा 3––बोखुटिया 4––शहर फाटक 5––मौनखाल सल्ट	1––नौगांव–रीठागाड 2––कुनैलखेत
4	पौड़ी गढ़वाल	1––बल्ली 2––कतिया 3––देवी खेत 4––चाराधार 5––मासो 6––श्री कोटखाल 7– गंगाउ	1––रुद्र प्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	... ...	1––छाम 2––सिराई 3––पागर खाल 4––फकोट 5––ठेलनिलवामी
6	उत्तरकाशी	1––वेडथ 2––साल्ड	
7	चमोली	1––गुरेड 2––गणीपुर 3––जाख्ख 4––तपोवन 5––केदार खाल	1––रडवा चादनी खाल 2––नैनीसैड 3––चन्द्रनगर 4––वैरागणा
8	देहरादून	1––छिदवाला	1––ट्यूनी

वर्ष 1981–82(31–12–81 सत्र) में खोले गए नये राजकीय हाई स्कूल तथा राजकीय इण्टर कालेजों की सूची ।

क्रम-सं0	जिला	स्थान	
		राजकीय हाई स्कूल	राजकीय इण्टर कालेज
1	2	3	4
1	पिथौरागढ़	..	1––डोर 2––पाखू
2	नैनीताल	1––पन्तनगर, वि0वि0 परिसर में कन्या	1––पतलोट 2––लामाचौड़
3	अल्मोड़ा	1––नैलबालवाली 2––पिपुली 3––खूट	1––कोटाचामो
4	पौड़ी गढ़वाल	1––जामखू खाल 2––बड़ा डांडा	1––दोन्दल
5	टिहरी गढ़वाल	1––गोनी खाल (कड़ाकोट) 2––भरपूरखाल	1––भवान
6	उत्तरकाशी		1––धौन्तरि
7	चमोली	..	1––जोशीमठ (कन्या) 2––मेहलचौरी

पी0एस0यू0पी0––एल0 424 वि0सभा (738)–1983––8131